सत्यमेव जयते

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का

अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 4

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का

अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 4

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ सं.
अनुक्रमणिका	***i-iii***	
प्रस्तावना	***v***	
विहंगावलोकन	***vii-xii***	
अध्याय 1: सामान्य		
परिचय	1.1	1
प्राप्ति एवं व्यय	1.2	1-4
लेखापरीक्षा का प्राधिकार	1.3	4-5
लेखापरीक्षा कार्य-योजना एवं उसका संचालन	1.4	5-6
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया में कमी	1.5	6-7
प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों एवं विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	7-8
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	1.7	8-10
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित इक्विटी एवं ऋण	1.8	10-12
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र् के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	1.9	12-14
अध्याय 2: वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट		
राज्य कर एवं आबकारी विभाग		
परिचय	2.1	15
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.2	16
लेखापरीक्षा मानदंड	2.3	16
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति	2.4	16
नमूना चयन	2.5	16
लेखापरीक्षा परिणाम	2.6	17
लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	2.7	17-22
निष्कर्ष	2.8	22
सिफारिश	2.9	22

अध्याय 3: वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया		
राज्य कर एवं आबकारी विभाग		
परिचय	3.1	23
लेखापरीक्षा उद्देश्य	3.2	24
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	3.3	24
नमूना चयन	3.4	24
लेखापरीक्षा मानदंड	3.5	25
लेखापरीक्षा परिणाम	3.6	25
लेखापरीक्षा टिप्पणियां	3.7	25-37
निष्कर्ष	3.8	37-38
सिफारिशें	3.9	38
अध्याय 4: अग्निशमन सेवा विभाग की तैयारी		
गृह विभाग		
परिचय	4.1	39-41
बजट एवं व्यय	4.2	41-42
नियोजन	4.3	42-45
बुनियादी ढांचा एवं उपकरण	4.4	45-49
जनशक्ति प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण	4.5	50-52
प्रतिक्रिया समय	4.6	52-53
निष्कर्ष	4.7	53-54
सिफारिशें	4.8	54
अध्याय 5: स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां		
राज्य कर एवं आबकारी विभाग		
शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमान्य अनुमति	5.1	55-56
न्यूनतम गारंटीकृत कोटे से कम शराब उठाने पर शास्ति एवं अतिरिक्त शास्ति का अनुद्ग्रहण	5.2	56-57
खुदरा आबकारी शुल्क एवं बोतलीकरण फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण	5.3	58-59
बोतलीकरण लाइसेंस फीस की वसूली न करना	5.4	59-60
देशी शराब की संदेहास्पद चोरी	5.5	60-61

राजस्व विभाग		
संपत्तियों के बाजार मूल्य का अल्प निर्धारण	5.6	61-64
पट्टा-विलेखों पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की अल्प वसूली	5.7	64
लोक निर्माण विभाग		
ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु देय राशि की अल्प वसूली	5.8	65-66
सड़क निर्माण-कार्य में निष्फल व्यय एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ	5.9	66-75
सड़क के सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण के कार्य पर ठेकेदार को अनुचित लाभ	5.10	75-81
जल शक्ति विभाग		
नलकूपों के निर्माण पर अनावश्यक एवं निष्फल/अप्रभावी व्यय	5.11	81-84
सीवरेज योजना के कार्यान्वयन पर अनावश्यक एवं निष्फल व्यय	5.12	84-88
ग्रामीण विकास विभाग		
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं का अनुचित कार्यान्वयन	5.13	88-97
परिवहन विभाग		
प्रावधानों में विरोधाभास के परिणामस्वरूप बस-अड्डों के छूट प्राप्तकर्ताओं द्वारा अड्डा शुल्क का अनुचित संग्रहण	5.14	97-100
अध्याय 6: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां		
हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड		
बोली दस्तावेज में उपयुक्त खंड सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप परीक्षण शुल्क का परिहार्य भुगतान	6.1	101-103
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड		
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत प्रणाली सुदृढ़ीकरण से संबंधित ठेकों की लेखापरीक्षा	6.2	103-108
शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड		
अनुबंध मांग एवं मानक वोल्टेज आपूर्ति में संशोधन न करने के कारण परिहार्य व्यय	6.3	108-115
परिशिष्ट		**117-184**

प्रस्तावना

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों की अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के नियमानुसार की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत वर्णित हैं जो 2020-21 की अवधि के लिए की गई लेखापरीक्षा जाँच में सामने आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के लिए सामने आए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। 2020-21 के पश्चात् के अवधि से सम्बंधित दृष्टांतों को भी, जहां भी आवश्यक है, सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के विभागों एवं उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न हुए मामलों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन में ₹ 124.43 करोड़ के मुद्रा मूल्य से निहितार्थ तीन विशिष्ट विषय पर अनुपालन लेखापरीक्षा एवं 17 स्वतंत्र अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां समाविष्ट हैं। प्रतिवेदन को निम्नवत छः अध्यायों में सुनियोजित किया गया है:

अध्याय 1: सामान्य

यह एक परिचयात्मक अध्याय है, जिसमें राज्य की वित्तीय रूपरेखा, लेखापरीक्षा की आयोजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई सम्मिलित है।

अध्याय 2: वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट

राज्य कराधान एवं आबकारी विभाग

अंतिम पिछले रिटर्न्स की तुलना में अधिक इनपुट कर क्रेडिट अग्रेषित किए जाने एवं वार्षिक व त्रैमासिक रिटर्न्स के मध्य मिलान न होने के कारण ट्रांजिशनल क्रेडिट के अधिक दावों के उदाहरण पाए गए। यह देखा गया कि आवश्यक रिटर्न्स फाइल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट अनुमत किए गए। इसके अतिरिक्त कर अदायगी दस्तावेजों के बिना स्टॉक के रखे माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट अनुमत किया गया एवं पूंजीगत माल पर अधिक इनपुट कर क्रेडिट का अग्रेषण अनुमत किया गया। ये सभी विचलन राज्य सरकार के राजस्व की हानि में परिणत हुए।

अध्याय 3: वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया

राज्य कराधान एवं आबकारी विभाग

पावती जारी करने के साथ ही प्रतिदाय स्वीकृति में उल्लेखनीय विलम्ब था। कई मामलों में अधिनियमों व नियमों के प्रावधानों से विचलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनियमित प्रतिदाय किया गया। विभाग प्रतिदाय के पश्चात् की लेखापरीक्षा करने के प्रावधान का पालन करने में विफल रहा। विभाग प्रतिदाय स्वीकृत करने से पूर्व सभी दस्तावेजी प्रमाणों का संग्रह सुनिश्चित करने में भी विफल रहा तथा प्रतिदाय रजिस्टर निर्धारित प्रारूपों में अनुरक्षित नहीं किया गया।

अध्याय 4: अग्निशमन सेवा विभाग की तैयारी

गृह विभाग

विभाग ने न तो आग की दृष्टि से संवेदनशील भवनों का जोख़िम विश्लेषण किया तथा न ही खतरनाक उद्योगों का कोई डाटाबेस तैयार किया। विभाग ने असुरक्षित भवनों को चिह्नित

करने की लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद ऐसे भवनों का कोई डेटाबेस नहीं बनाया। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम 1984, विभाग को अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के लिए परिसर में प्रवेश करने/ जांच करने का अधिकार देता है, लेकिन यह अशक्त है क्योंकि इसमें मानदंडों का पालन न करने के लिए अनुपालन एवं दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने के प्रावधान नहीं हैं। नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि-नियंत्रण केंद्रों में पानी के पर्याप्त एवं विश्वसनीय स्रोत नहीं थे। राज्य में 115 अग्निशमन वाहनों के अनुमोदित बेड़े की संख्या के प्रति केवल 85 अग्निशमन वाहन उपलब्ध थे। इसी समय 2018-21 के दौरान विभाग ने 'मोटर वाहन' के अंतर्गत ₹ 6.22 करोड़ का बजट अभ्यर्पित किया। अपेक्षित 5,055 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के प्रति मात्र 728 उपलब्ध थे। आग लगने की घटनाओं के बारे में प्रथम सूचना देने के लिए आबंटित यूनिक टोल-फ्री नंबर (101) राज्य में किसी भी अग्निशमन-चौकी में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित अग्निशमन-चौकी द्वारा सूचना प्राप्त करने एवं प्रतिक्रिया करने में देरी हुई। परिचालन कर्मियों के स्वीकृत 938 पदों की संख्या के विरुद्ध 257 (28 प्रतिशत) पद रिक्त थे, जिसने अग्नि-नियंत्रण केन्द्रों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। 2018-21 के दौरान विभाग ने कार्य के प्रति अग्निशामकों की उपयुक्तता (फिटनेस) का पता लगाने के लिए कोई शारीरिक मूल्यांकन परीक्षण नहीं किया। नमूना-जांच किए गए 22 अग्नि-नियंत्रण केंद्रों में आग की घटनाओं पर देरी से प्रतिक्रिया की गई।

अध्याय 5: स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां

राज्य कराधान एवं आबकारी विभाग

शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमान्य अनुमति

शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत करने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता ₹ 1.40 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमान्य अनुमति के रूप में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

(परिच्छेद 5.1, पृष्ठ: 55-56)

न्यूनतम गारंटीकृत कोटे से कम शराब उठाने पर शास्ति एवं अतिरिक्त शास्ति का अनुद्ग्रहण

विभाग ने क्रमशः 100 प्रतिशत व 85 प्रतिशत के बेंचमार्क के विरुद्ध देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी शराब का कम न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने पर ₹ 37.46 करोड़ की शास्ति या ₹ 1.58 करोड़ की अतिरिक्त शास्ति का उदग्रहण नहीं किया।

(परिच्छेद 5.2, पृष्ठ: 56-57)

खुदरा आबकारी शुल्क एवं बोतलीकरण फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण

विभाग द्वारा क्रमशः 69 बिक्री-केन्द्रों के लाइसेंसधारियों एवं पांच विनिर्माताओं से लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ₹ 41.16 लाख एवं बोतलीकरण फीस के विलंबित भुगतान पर

₹ 26.30 लाख की ब्याज राशि की मांग न करने के परिणामस्वरूप ₹ 67.46 लाख तक के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ।

(परिच्छेद 5.3, पृष्ठ: 58-59)

बोतलीकरण फीस की वसूली न करना

राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त ने दो डिस्टिलरी/बोतलीकरण संयंत्रों में ₹ 71.86 लाख की वसूली योग्य राशि के प्रति ₹ 34.96 लाख बोतलीकरण लाइसेंस फीस की वसूली की जो ₹ 36.91 लाख की अवसूली में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

(परिच्छेद 5.4, पृष्ठ: 59-60)

देशी शराब की संदेहास्पद चोरी

थोक व्यापारी द्वारा बेची गई एवं खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाई गई मात्रा के मध्य मिलान न होना ₹ 24.05 लाख के खुदरा उत्पाद शुल्क से अंतर्ग्रस्त 8293.105 प्रूफ लीटर शराब की संदेहास्पद चोरी के रूप में परिणत हुई।

(परिच्छेद 5.5, पृष्ठ: 60-61)

राजस्व विभाग

संपत्तियों के बाजार मूल्य का अल्प निर्धारण

गलत सर्किल दरों के आधार पर गलत मूल्यांकन एवं सड़क से भूमि की दूरी के संबंध में झूठे शपथ-पत्र के परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ के स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क की कम वसूली हुई।

(परिच्छेद 5.6, पृष्ठ: 61-64)

पट्टा-विलेखों पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की अल्प वसूली

पट्टा-विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की गणना हेतु बाजार दरों का उपयोग नहीं किया गया, जो ₹ 0.43 करोड़ की अल्प वसूली में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 5.7, पृष्ठ: 64)

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग

ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु देय राशि की अल्प वसूली

ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के पश्चात् सड़क के जीर्णोद्धार हेतु सही दरें लागू करने में विभाग की विफलता सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा में लापरवाही को परिलक्षित करती है, जो ₹ 0.55 करोड़ की अल्प वसूली में परिणत हुई तथा वांछित गुणवत्ता मानकों पर सड़क को सुधारने में विभाग की क्षमता के साथ समझौता करना पड़ा।

(परिच्छेद 5.8, पृष्ठ: 65-66)

सड़क निर्माण-कार्य में निष्फल व्यय एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ

अपूर्ण सड़क निर्माण-कार्य पर ₹ 3.34 करोड़ के निष्फल व्यय सहित माप पुस्तिकाओं में फर्जी प्रविष्टियों पर भुगतान करने के अतिरिक्त हेरफेर/ सांठगांठ पूर्ण बोली के कारण ₹ 0.38 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

(परिच्छेद 5.9, पृष्ठ: 66-75)

सड़क के सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण के कार्य पर ठेकेदार को अनुचित लाभ

निलंबित सड़क कार्य हेतु ठेकेदार को ₹ 6.15 करोड़ का अनधिकृत/अनियमित अग्रिम भुगतान करके एवं उसे समायोजित/वसूली न करके, विलंब हेतु ₹ 0.82 करोड़ के परिसमापन क्षति का उद्ग्रहण न करके, ₹ 0.62 करोड़ की अस्वीकृत मूल्य वृद्धि प्रदान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया; इसके अतिरिक्त ठेकेदार को अग्रिम भुगतान करने के लिए अन्य योजनाओं (योजनाओं) हेतु प्राप्त नाबार्ड ऋण राशि को पथांतरित (डायवर्ट) कर दिया गया जिससे ब्याज देयता उत्पन्न हुई।

(परिच्छेद 5.10, पृष्ठ: 75-81)

जल शक्ति विभाग

नलकूपों के निर्माण पर अनावश्यक एवं निष्फल/अप्रभावी व्यय

नलकूप योजनाओं हेतु प्रस्तावित स्थलों पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जल-निकासी का वैज्ञानिक व्यवहार्यता मूल्यांकन न करना परित्यक्त योजनाओं पर ₹0.92 करोड़ के अनावश्यक व्यय एवं मामूली रूप से कार्यशील योजनाओं पर अप्रभावी व्यय के रूप में परिणत हुआ, इसके अतिरिक्त अन्य योजनाएं अनुमोदन के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी अपूर्ण रही, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी सिंचाई सुविधाओं से वंचित रह गए।

(परिच्छेद 5.11, पृष्ठ: 81-84)

सीवरेज योजना के कार्यान्वयन पर अनावश्यक एवं निष्फल व्यय

अपर्याप्त योजना तथा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न करने के कारण ठियोग नगर में सीवरेज योजना के कार्यान्वयन में 12 वर्षों का अत्यधिक विलम्ब हुआ जिससे ₹ 5.12 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(परिच्छेद 5.12, पृष्ठ: 84-88)

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं का अनुचित कार्यान्वयन

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से ₹ 2.06 करोड़ की कम निष्पादन गारंटी की मांग की एवं खराब कार्यान्वयन के लिए चूककर्ताओं पर ₹ 0.74 करोड़ की

वसूली अधिरोपित करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने में विफल होने से 11,100 के लक्ष्य की तुलना में 5,262 (47 प्रतिशत) अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया एवं 70 प्रतिशत प्रशिक्षितों के अनुबंध के विरुद्ध 36 प्रतिशत अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। खराब प्रदर्शन के कारण एवं उस पर किए गए ₹ 2.05 करोड़ के व्यय से अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति न होने के कारण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को तीन परियोजनाएं पूर्ण किए बिना बंद कारण पड़ी।

(परिच्छेद 5.13, पृष्ठ: 88-97)

परिवहन विभाग

प्रावधानों में विरोधाभास के परिणामस्वरूप बस-अड्डों के छूट प्राप्तकर्ताओं द्वारा अड्डा शुल्क का अनुचित संग्रहण

छूट प्राप्तकर्ताओं को कार्य पूर्ण होने की तिथि के बजाय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से अड्डा शुल्क संग्रहित करने की अनुमति देने से उन्हें ₹ 2.76 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

(परिच्छेद 5.14, पृष्ठ: 97-100)

अध्याय 6: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड

बोली दस्तावेज में उपयुक्त खंड सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप परीक्षण शुल्क का परिहार्य भुगतान

बोली दस्तावेज में उपयुक्त खंड सम्मिलित करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10 करोड़ के परीक्षण शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

(परिच्छेद 6.1, पृष्ठ: 101-103)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत प्रणाली सुदृढ़ीकरण से संबंधित ठेकों की लेखापरीक्षा

कंपनी ने सौर संयंत्रों से संबंधित (2018-19) ठेके सौंपे जिसकी दरें हिम ऊर्जा द्वारा अनुमोदित दरों से ₹ 5.14 करोड़ अधिक थीं। उसने अनुचित आधार पर समय विस्तार को अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 57.60 लाख राशि की परिसमापन क्षति का उदग्रहण नहीं हुआ।

ठेकेदारों को सौर संयंत्रों पर पांच प्रतिशत की प्रयोज्य दर के स्थान पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवाकर का भुगतान किया गया (जनवरी 2019 से दिसंबर 2019) जो ₹ 21.03 लाख के अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 6.2, पृष्ठ: 103-108)

शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड

अनुबंध मांग एवं मानक वोल्टेज आपूर्ति में संशोधन न करने के कारण परिहार्य व्यय

शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड की तीन उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं में वास्तविक अधिकतम दर्ज मांग के अनुसार अनुबंध मांग को संशोधित करने में विफलता के कारण ₹ 5.67 करोड़ के मांग शुल्क का परिहार्य व्यय/ देयता हुई। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा गलत तरीके से लगाए गए ₹ 0.23 करोड़ के संविदा मांग उल्लंघन प्रभार का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने मानक आपूर्ति वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ऊर्जा आपूर्ति का लाभ उठाया, जिसके परिणामस्वरूप कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के कारण ₹ 5.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(परिच्छेद 6.3, पृष्ठ: 108-115)

अध्याय-1

सामान्य

अध्याय 1: सामान्य

1.1 परिचय

इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के विभागों एवं उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को विधायिका के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने, साथ ही संस्थानों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार हेतु नीतियाँ एवं निर्देश बनाने में सक्षम होने की आशा है, जो सुशासन में सहयोग देगा।

यह प्रतिवेदन छः अध्यायों में सुनियोजित किया गया है, जो निम्नवत है:

- **अध्याय 1** में वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार की प्राप्ति व व्यय, लेखापरीक्षा का प्राधिकार, लेखापरीक्षा-क्षेत्राधिकार, लेखापरीक्षा योजना व उसका संचालन, विभिन्न लेखापरीक्षा उत्पाद यथा निरीक्षण प्रतिवेदन, स्वतंत्र टिप्पणियां/परिच्छेद तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही की संक्षिप्त रूपरेखा समाविष्ट है।
- **अध्याय 2** में वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत ट्रांसिशनल क्रेडिट पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां समाविष्ट है।
- **अध्याय 3** में वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां समाविष्ट है।
- **अध्याय 4** में अग्निशमन सेवा विभाग की तैयारी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की टिप्पणियां समाविष्ट है।
- **अध्याय 5** में अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बंधित स्वतंत्र टिप्पणियां समाविष्ट है।
- **अध्याय 6** में राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से सम्बंधित स्वतंत्र टिप्पणियां समाविष्ट है।

1.2 प्राप्ति एवं व्यय

हिमाचल प्रदेश एक विशेष श्रेणी राज्य है; तदनुसार यह भारत सरकार से 90 *प्रतिशत* अनुदान तथा 10 *प्रतिशत* ऋण के अनुपात में वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र है। **तालिका-1.1** में वर्ष 2020-21 में बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दिया गया है:

तालिका-1.1: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)
1.	स्वयं के कर राजस्व	9,090	8,083
2.	कर-भिन्न राजस्व	2,410	2,188
3.	संघीय करों/शुल्कों का अंश	6,266	4,754
4.	सहायता-अनुदान एवं भागीदारी	20,673	18,413
5.	**राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)**	**38,439**	**33,438**
6.	ऋणों व अग्रिमों की वसूली	26	23
7.	अन्य प्राप्तियां	0	3
8.	उधार व अन्य देयताएं (क)	5,460	5,700*
9.	**पूंजीगत प्राप्तियां** (6+7+8)	**5,486**	**5,726***
10.	**कुल प्राप्तियां** (5+9)	**43,925**	**39,164***
11.	**राजस्व व्यय जिसमें से,**	**39,123**	**33,535**
12.	ब्याज भुगतान	4,932	4,472
13.	**पूंजीगत व्यय**	**6,614**	**5,629**
14.	पूंजीगत परिव्यय	6,255	5,309
15.	ऋण व अग्रिमों का संवितरण	359	320
16.	**कुल व्यय (11+13)**	**45,737**	**39,164**

स्रोत: वित्त लेखा व राज्य के बजट दस्तावेज।

(क) उधार एवं अन्य देयताएं : निवल (प्राप्ति-संवितरण)लोक ऋण + निवल आकस्मिकता निधि + निवल (प्राप्ति - संवितरण) लोक लेखा + निवल अथ व अंत नकद शेष।

** वस्तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में भारत सरकार से राज्य को एक के बाद एक ऋणों के रूप में प्राप्त ₹ 1,717 करोड़ शामिल है।*

वर्ष 2020-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जुटाए गए कर एवं कर-भिन्न राजस्व, विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय के राज्यांश में से समनुदेशित हिस्सा तथा वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनरूपी आंकड़े **तालिका-1.2** में दर्शाए गए हैं।

तालिका-1.2: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1.	**राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व**					
	कर राजस्व, जिसमें से	**7,039.05**	**7,107.67**	**7,575.61**	**7,626.78**	**8,083.32**[1]
	बिक्री व व्यापार पर मूल्य वर्धित कर	4,381.91	2,525.87	1,185.43	1,169.53	1,630.11
	राज्य वस्तु व सेवा कर	-	1,833.16	3,342.68	3,550.34	3,466.58
	राज्य आबकारी	1,307.87	1,311.25	1,481.63	1,660.02	1,599.74

[1] इसमें प्रमुख प्राप्ति शीर्ष '0006-राज्य वस्तु एवं सेवा कर' के अंतर्गत प्राप्त ₹ 3,466.58 करोड़ की राशि शामिल है।

क्र. सं.	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
	मोटर वाहन कर	279.58	367.16	408.01	465.52	380.20
	स्टाम्प शुल्क	209.16	229.18	250.55	259.58	253.36
	विद्युत पर कर व शुल्क	371.67	360.79	487.08	100.86	401.76
	अन्य	488.86	480.26	420.23	420.93	351.57[2]
	कर-भिन्न राजस्व, जिसमें से	**1,717.24**	**2,363.85**	**2,830.04**	**2,501.50**	**2,188.45**
	विद्युत	650.93	687.61	1,134.34	1,021.68	749.12
	ब्याज प्राप्ति	145.56	340.54	385.88	245.36	306.43
	अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग	176.22	441.46	221.05	246.30	252.16
	वानिकी एवं वन्य जीव	18.50	46.87	76.32	83.61	49.56
	लोक निर्माण	54.60	55.87	69.92	53.51	58.28
	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	42.63	40.45	51.34	49.65	37.05
	पुलिस	50.50	63.33	72.89	55.28	59.77
	अन्य कर-भिन्न राजस्व[3]	578.30	687.72	818.30	746.11	676.08
	योग	**8,756.29**	**9,471.52**	**10,405.65**	**10,128.28**	**10,271.77**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	4,343.70	4,801.31	5,426.97	4,677.56	4,753.92[4]
	सहायता-अनुदान	13,164.35	13,094.23	15,117.66	15,939.52	18,412.58[5]
	योग	**17,508.05**	**17,895.54**	**20,544.63**	**20,617.08**	**23,166.50**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 व 2)**	**26,264.34**	**27,367.06**	**30,950.28**	**30,745.36**	**33,438.27**
4.	**कुल राजस्व में राज्य के स्व-राजस्व का प्रतिशत**	**33.34**	**34.61**	**33.62**	**32.94**	**30.72**

स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 69.28 *प्रतिशत* प्राप्तियां भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों की निवल आय के अंश एवं सहायता-अनुदान के रूप में थीं। कुल राजस्व के सापेक्ष राज्य सरकार के स्वयं के संसाधनों से हुई राजस्व प्राप्तियों के *प्रतिशत* में 2016-17 के 33.34 *प्रतिशत* से 2017-18 में 34.61 *प्रतिशत* की बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई तथा तत्पश्चात यह घटते हुए प्रवृत्ति के साथ 2020-21 में 30.72 *प्रतिशत* रह गई। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान कर राजस्व में 3.71 *प्रतिशत* की औसत वृद्धि दर के साथ ₹ 1,044.27 करोड़ (14.84 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई।

राज्य में 50 विभाग, 29 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं 53 स्वायत्त निकाय हैं। 2016-21 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान एवं वास्तविक व्यय की स्थिति **तालिका-1.3** में दी गई है:

---

2 अन्य प्राप्तियां- भू-राजस्व: ₹ 6.95 करोड़, माल व यात्री कर: ₹ 83.55 करोड़ तथा माल व सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क: ₹ 261.07 करोड़ *(विभाज्य संघ करों व शुल्कों की निवल आय के हिस्से को छोड़कर)*।

3 अन्य कर-भिन्न राजस्व का विवरण **परिशिष्ट-1.1** में दिया गया है।

4 विवरण **परिशिष्ट-1.2** में दर्शाया गया है।

5 इसमें वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1,763.53 करोड़ की राशि शामिल है।

इसमें बिना किसी चुकौती देयता के राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के तहत राज्य को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,717.00 करोड़ की राशि शामिल नहीं है।

तालिका-1.3: 2016-21 के दौरान राज्य सरकार का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएं	10,135	9,728	11,230	11,009	13,331	11,438	14,351	12,335	15,528	13,454
सामाजिक सेवाएं	11,388	9,610	11,884	10,337	13,488	11,482	13,895	12,047	15,220	12,844
आर्थिक सेवाएं	7,314	5,996	7,734	5,697	9,082	6,512	7,832	6,338	8,364	7,227
अन्य	5	10	9	10	11	10	11	10	11	9
योग (1)	**28,842**	**25,344**	**30,857**	**27,053**	**35,912**	**29,442**	**36,089**	**30,730**	**39,123**	**33,535**
पूंजीगत व्यय										
पूंजीगत परिव्यय	3,241	3,499	3,531	3,756	4,298	4,583	4,580	5,174	6,255	5,309
संवितरित ऋण व अग्रिम	428	3,290	448	503	448	468	457	458	359	320
योग (2)	**3,669**	**6,789**	**3,979**	**4,259**	**4,746**	**5,051**	**5,037**	**5,632**	**6,614**	**5,629**
सकल योग	**32,511**	**32,133**	**34,836**	**31,312**	**40,658**	**34,493**	**41,126**	**36,362**	**45,737**	**39,164**

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण तथा राज्य सरकार के वित्त लेखे।

2016-17 से 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय ₹ 25,344 करोड़ से 32 *प्रतिशत* बढ़ कर ₹ 33,535 करोड़ हो गया तथा पूंजीगत परिव्यय ₹ 3,499 करोड़ से 52 *प्रतिशत* बढ़ कर ₹ 5,309 करोड़ हो गया।

1.3 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा संचालित करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 व 151 एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें अधिनियम की धारा[6] 13 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राज्य सरकार के व्यय की लेखापरीक्षा संचालित

[6] (i) राज्य की समेकित निधि से सभी व्यय, (ii) आकस्मिक निधि व लोक लेखा से संबंधित सभी लेनदेन एवं (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि लेखाओं, तुलन पत्रों तथा अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

करता है। इसके साथ ही कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें अधिनियम की धारा[7] 14 के तहत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सरकार द्वारा काफी हद तक वित्तपोषित स्वायत्त निकायों की भी लेखापरीक्षा संचालित करता है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियां व सेवा शर्तें अधिनियम की धारा 16 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भारत सरकार एवं प्रत्येक राज्य की सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकार, जहां विधान-सभा का गठन किया गया हो, की समस्त प्राप्तियों (राजस्व व पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करने हेतु तथा स्वयं को इस बात पर संतुष्ट करने के लिए कि नियमों व प्रक्रियाओं को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण एवं उचित आवंटन पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है तथा उनका विधिवत पालन किया जा रहा है, अधिकृत करती है। भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग द्वारा जारी लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम (संशोधन), 2020 तथा लेखापरीक्षा मानकों में विभिन्न लेखापरीक्षाओं के सिद्धांत और कार्यप्रणाली निर्धारित किये गए हैं।

1.4 लेखापरीक्षा कार्य-योजना एवं उसका संचालन

सिविल अनुपालन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/ परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ आरम्भ होती है जिसमें गतिविधियों की गंभीरता/ जटिलता का निर्धारण, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों के सरोकार तथा पूर्व लेखापरीक्षा परिणामों को ध्यान में रखा जाता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की सीमा निश्चित की जाती है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

राजस्व क्षेत्र में, विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पूर्व की प्रवृत्तियों एवं अन्य मापदंडों के अनुसार उच्च, मध्यम व निम्न जोखिम वाली इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। 2020-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल 542 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 184 इकाइयों[8] के लेखापरीक्षा की योजना बनाई गई एवं उनकी लेखापरीक्षा की गई। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से 184 इकाइयों की बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी शुल्क, मोटर वाहन तथा माल व यात्री कर की लेखापरीक्षा की गई। 2020-21 के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से लेखापरीक्षा द्वारा उजागर की गई कमियों के 975 मामलों में हुई कुल राजस्व हानि ₹ 360.75

---

7 कई गैर-व्यावसायिक स्वायत्त/अर्ध-स्वायत्त निकायों, जो रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, साक्षरता के प्रसार, सभी के लिए स्वास्थ्य तथा बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, आदि के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए स्थापित किये गए हैं, और काफी हद तक सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं, की धारा 14 के तहत लेखापरीक्षा की जाती है।

8 इन इकाइयों में तीन विभागों - आबकारी, परिवहन और राजस्व विभाग, शिमला के अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं।

करोड़[9] थी। वर्ष 2020-21 के दौरान संबंधित विभागों ने विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 235 मामलों[10] में ₹ 13.83 करोड़ की राशि को स्वीकारा एवं वसूली की।

वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के 32 विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा की। 4,902 मामलों में इंगित ₹ 33.28 करोड़ की वसूली के प्रति संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने 4,888 मामलों में ₹ 32.75 करोड़ की वसूली स्वीकार की। 2020-21 के दौरान 1,941 मामलों में ₹ 30.08 करोड़ की वसूली की गई।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया में कमी

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकारी विभागों के लेनदेन की सामयिक नमूना-जांच करता है तथा नियमों व प्रक्रियाओं में निर्धारित महत्वपूर्ण लेखाओं व अन्य अभिलेखों का अनुरक्षण सत्यापित करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात् निरीक्षण के दौरान पाई गई एवं तत्काल सुलझाई न गई अनियमितताओं को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल किया जाता है, जिन्हें निरीक्षित कार्यालय प्रमुख को एवं उनकी प्रतियां अगले उच्चाधिकारियों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई हेतु जारी किया जाता है।

कार्यालय प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में निहित टिप्पणियों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं सरकार को सूचित की जाती हैं। प्रधान महालेखाकार उन लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रारूपों, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित हैं, के लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/ सचिवों का ध्यान आकर्षित करते हुए छः सप्ताह के भीतर उनकी प्रतिक्रिया भेजने के अनुरोध के साथ उन्हें अग्रेषित करते हैं।

राजस्व क्षेत्र में मार्च 2021 तक जारी की गई 2,272 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 7,765 लेखापरीक्षा टिप्पणियां, जो ₹ 2,002.52 करोड़ की राशि से अंतर्ग्रस्त थी, 30 जून 2021 तक बकाया थी। वर्ष 2020-21 के दौरान जारी सभी 184 निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंध में लेखापरीक्षा को चार सप्ताह के निर्धारित समय के भीतर संबंधित कार्यालय प्रमुखों से प्रथम उत्तर[11] भी

---

9 बिक्री व व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर: राशि: ₹ 207.31 करोड़: मामले: 215; राज्य आबकारी शुल्क: राशि: ₹ 77.84 करोड़: मामले: 109; स्टाम्प शुल्क: राशि: ₹ 17.29 करोड़: मामले: 425; भू-राजस्व: राशि ₹ 3.98 करोड़: मामले 83; वाहन, यात्री व माल पर कर: राशि: ₹ 54.32 करोड़ मामले: 143

10 स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस ₹ 83.62 लाख, 166 मामले; मोटर वाहन कर ₹ 1245.8 लाख, 31 मामले; भू-राजस्व ₹ 0.15 लाख, 02 मामले व मूल्य वर्धित कर ₹ 53.10 लाख, 36 मामले।

11 एक लेखापरीक्षा योग्य इकाई के प्रभारी अधिकारी को प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर लेखापरीक्षा टिप्पणी या निरीक्षण प्रतिवेदन का जवाब भेजना अपेक्षित है।

प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार, सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में 11,525 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 53,047 लेखापरीक्षा टिप्पणियां 31 मार्च 2021 तक बकाया थीं।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांचना है कि निर्धारित नियमों, कानूनों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है या नहीं तथा अनुपालन न करने, व्यवस्थागत कमियों एवं विफलताओं के मामलों को उजागर करना है। निरीक्षण प्रतिवेदनों का बकाया होना एवं निपटान हेतु लंबित लेखापरीक्षा टिप्पणियां इनके प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया को इंगित करती है। इन लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कार्रवाई का अभाव जवाबदेही को कमजोर बनाता है तथा राजस्व की हानि के जोखिम को बढ़ाता है। लेखापरीक्षा परिच्छेदों की लंबित होने की बढ़ती प्रवृत्ति सरकार का तत्काल ध्यान लेखापरीक्षा द्वारा लगातार उठाए जा रहे मामलों के निपटान की ओर आकर्षित करती है। विभागीय अधिकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित टिप्पणियों पर कार्रवाई करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही का क्षरण हुआ। यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर त्वरित एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करें।

1.5.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठक

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के निपटान के पर्यवेक्षण तथा निपटान में तीव्रता लाने के लिए संबंधित विभाग के सचिव की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया।

2020-21 में, जून 2020 तक 4,841 बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से ₹ 12.52 करोड़ की राशि से अंतर्ग्रस्त 131 टिप्पणियों का निपटान राजस्व व परिवहन विभागों हेतु आयोजित दो लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों में किया गया था।

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों की अनुपालन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

सरकार सभी विभागों हेतु नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित करे।

1.6 प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों एवं विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर विभागों की प्रतिक्रिया

लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम (संशोधन), 2020 में यह निर्धारित है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजी जाए।

विगत कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन, साथ ही चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता में कई उल्लेखनीय कमियों की सूचना दी

जिसने कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों की कार्यप्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। कार्यकारिणी को सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नागरिक सेवा के वितरण में सुधार करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें देने हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों/ योजनाओं की लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों को संबंधित विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर प्रेषित करें। विभागों/ सरकार से उत्तर प्राप्त न होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे परिच्छेदों के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई अपर्याप्त पाई गई, जैसाकि नीचे दिया गया है:

1.7.1 की गई कार्रवाई पर टिप्पणी (एक्शन टेकन नोट्स) प्रस्तुत न करना

लोक लेखा समिति के नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि इनकी लोक लेखा समिति द्वारा जांच की जानी है या नहीं, स्वत: प्रेरित कार्रवाई करनी होती है। उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य के विधायिका में प्रस्तुत करने के तीन माह के भीतर विस्तृत टिप्पणियां, जिनको लेखापरीक्षा द्वारा पुनः जांचा गया हो, प्रस्तुत करनी होती है जिसमें उनके द्वारा की गई अथवा की जाने के लिए प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई दर्शाई गई हो।

इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर एक्शन टेकन नोट्स भेजने में अत्यधिक विलम्ब हुआ। 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 एवं 2020 को समाप्त वर्षों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 119 परिच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) 10 अप्रैल 2015 व 15 दिसंबर 2021 के दौरान राज्य विधानसभा के समक्ष रखे गए थे। परन्तु इन परिच्छेदों पर विभागों से एक्शन टेकन नोट्स बहुत विलम्ब से प्राप्त हुए जैसाकि **तालिका-1.4** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.4: एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त होने में विलम्ब

क्र. सं.	जिस समाप्त वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने की तिथि	एक्शन टेकन नोट्स प्राप्ति की अवधि	एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त होने में विलम्ब
1.	2014	10 अप्रैल 2015	2015 से 2018	1 से 37 माह
2.	2015	07 अप्रैल 2016	2016 से 2018	2 से 24 माह
3.	2016	31 मार्च 2017	2017 से 2018	5 से 15 माह

क्र. सं.	जिस समाप्त वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने की तिथि	एक्शन टेकन नोट्स प्राप्ति की अवधि	एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त होने में विलम्ब
4.	2017	05 अप्रैल 2018	2018 से 2019	0 से 14 माह
5.	2018	14 दिसम्बर 2019	2020 से 2021	6 से 13 माह
6.	2019	13 अगस्त 2021	प्राप्त होना शेष	
7.	2020	15 दिसम्बर 2021	प्राप्त होना शेष	

वर्ष 2020-21 के दौरान लोक लेखा समिति ने राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2008-09) से संबंधित एक परिच्छेद पर चर्चा की थी।

सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों में, पिछली प्रतिवेदनों में शामिल परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां (एक्शन टेकन नोट्स) प्राप्त न होने से सम्बंधित स्थिति **तालिका-1.5** में दी गई है:

तालिका-1.5: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों पर एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त न होने से सम्बंधित स्थिति

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त करने की देय तिथि	31 मार्च 2022 तक लंबित एक्शन टेकन नोट्स
सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	2012-13	जनजातीय विकास	21.02.2014	20.05.2014	01
	2013-14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10.04.2015	09.07.2015	01
		जनजातीय विकास			01
		चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान			01
	2014-15	अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले	07.04.2016	06.07.2016	01
	2015-16	गृह	31.03.2017	30.06.2017	02
		सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य			03
		मत्स्य पालन			01
	2016-17	सूचना प्रोद्यौगिकी	05.04.2018	04.07.2018	01
		उद्यान			01
		गृह			01
	2017-18	राजस्व	14.12.2019	13.03.2020	02
	2018-19	उद्यान	13.08.2021	12.11.2021	02
		शहरी विकास			01
		शिक्षा			03
		सामान्य प्रशासन			01
		उद्योग			01
		श्रम एवं रोजगार			01
		योजना			02
		लोक निर्माण विभाग			01
		राजस्व			01
		तकनीकी शिक्षा			01

1.7.2 स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों के लेखाओं/ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

राज्य सरकार ने शिक्षा, कल्याण, कानून एवं न्याय, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में कई स्वायत्त निकाय स्थापित किए है। राज्य में स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों से सम्बंधित लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है जिसका विवरण **परिशिष्ट-1.3** में दिया गया है। बकाया लेखाओं वाले निकायों/ प्राधिकरणों का विवरण **तालिका-1.6** में दिया गया है:

तालिका-1.6: निकायों या प्राधिकरणों के बकाया लेखे

क्र. सं.	निकाय या प्राधिकरण का नाम	लेखे जबसे बकाया हैं	2020-21 तक लंबित लेखाओं की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला	2019-20	01
2.	हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड	2013-14	07
3.	प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण	2015-16	05
4.	हिमाचल प्रदेश शहर परिवहन एवं बस अड्डा प्रबंधन विकास प्राधिकरण	2019-20	01

लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब से वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं चलने का जोखिम रहता है, अतएव लेखाओं को अंतिम रूप देने एवं शीघ्रातिशीघ्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

1.8 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित इक्विटी एवं ऋण

31 मार्च 2021 तक राज्य के 26 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्रवार कुल इक्विटी, राज्य सरकार का इक्विटी योगदान एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण सहित दीर्घावधि ऋण **तालिका-1.7** में दर्शाया गया है:

तालिका-1.7: 31 मार्च 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	निवेश[12] (₹ करोड़)				
	कुल इक्विटी	राज्य सरकार की इक्विटी	कुल दीर्घावधि ऋण	राज्य सरकार के ऋण	कुल इक्विटी एवं दीर्घावधि ऋण
विद्युत	3,814.19	2,087.57	11,636.20	7,223.06	15,450.39
वित्त	144.99	138.30	171.30	84.68	316.29
उद्योग एवं अवसंरचना	62.99	62.87	2.97	2.97	65.96
कृषि एवं सम्बद्ध	69.33	59.80	72.05	71.65	141.38
सेवा	949.64	933.44	42.61	0.05	992.25
योग	**5,041.14**	**3,281.98**	**11,925.13**	**7,382.41**	**16,966.27**

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रदत्त जानकारी।

[12] निवेश में इक्विटी व दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विद्युत क्षेत्र पर सबसे अधिक निवेश किया गया। इस क्षेत्र को ₹ 16,966.27 करोड़ के कुल निवेश का 91.07 प्रतिशत (₹ 15,450.39 करोड़) प्राप्त हुआ था।

1.8.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को हिमाचल प्रदेश सरकार की बजटीय सहायता

हिमाचल प्रदेश सरकार समय-समय पर वार्षिक बजट के माध्यम से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी, ऋण, अनुदान/ सब्सिडी, बट्टे खाते में डाले गए ऋण एवं इक्विटी में परिवर्तित ऋण के प्रति बजटीय व्यय का सारांशित विवरण नीचे **तालिका-1.8** में दिया गया हैं:

तालिका-1.8: राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[13]	2018-19		2019-20		2020-21	
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	राशि
इक्विटी पूंजी	6	312.85	7	335.89	7	263.25
दिए गए ऋण	2	369.10	2	571.26	2	268.83
प्रदत्त अनुदान/ सब्सिडी	11	440.36	9	691.15	9	983.68
कुल निकास	**-**	**1,122.31**	**-**	**1,598.30**	**-**	**1,515.76**
अदा किए गए /बट्टे खाते में डाले गए ऋण	-	-	-	-	2	4.18[14]
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जारी गारंटी	5	115.60	7	673.60	8	491.44
प्रतिबद्ध /बकाया गारंटी	1	0.60	8	1,447.15	4	93.74

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी का निवेश मुख्य रूप से तीन विद्युत क्षेत्र के उद्यमों[15] (₹ 196.98 करोड़) एवं एक 'विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम' (हिमाचल पथ परिवहन निगम: ₹ 62.02 करोड़) में किया गया था। राज्य

---

13 राशि केवल राज्य के बजट से निकासी को दर्शाती है।

14 हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड द्वारा क्रमशः ₹ 1.93 करोड़ व ₹ 2.25 करोड़ की अदायगी की गई।

15 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड (₹ 50.77 करोड़), हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 62.21 करोड़) व हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 84.00 करोड़)।

सरकार ने एक विद्युत क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड: ₹ 266.00 करोड़) को ऋण भी प्रदान किया। राज्य सरकार द्वारा अनुदान/सब्सिडी का बड़ा हिस्सा हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 529.20 करोड़[16]) तथा शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (₹ 195.24 करोड़[17]) को प्रदान किया गया।

1.9 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र् के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

1.9.1 समयबद्ध प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कंपनी के कार्यों एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी वार्षिक आम बैठक होने के तीन माह के भीतर तैयार की जाए तथा तैयार होने के पश्चात् यह प्रतिवेदन यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक द्वारा की गई किसी प्रकार की टिप्पणी की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों के विनियमन वाले सम्बंधित अधिनियमों में दिए गए हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायिका नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले लोगों पर, जिसमें कंपनी के निदेशक भी शामिल हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में अर्थदंड एवं कारावास जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है। राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक लेखे 30 नवंबर 2021 तक लंबित थे।

1.9.2 सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में 26 कम्पनियां (22 सरकारी कंपनियां तथा सरकार के नियंत्रणाधीन चार[18] अन्य कंपनियां- हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड को छोड़कर, जो 2000-01 से परिसमापन प्रक्रिया में थी) थी। इनमें से तीन[19] कंपनियों ने वर्ष 2020-21 के लेखे तथा राज्य के शेष 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने वर्ष

---

16 हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों की आबादी को दी जाने वाली मुफ्त/रियायती यात्रा की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान।

17 परिचालन व प्रशासनिक खर्चों की पूर्ति हेतु।

18 हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड।

19 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड व शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड।

2019-20 या उससे पूर्व के वर्षों के लेखे प्रस्तुत किए। लेखापरीक्षा हेतु राज्य के 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों[20] के 23[21] वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए गए तथा 30 नवंबर 2021[22] को या उससे पूर्व नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप दिए गए। राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखापरीक्षा किये गए लेखाओं की वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्धन शुद्ध वित्तीय प्रभाव (लाभप्रदता पर ₹189.67 करोड़[23] एवं संपत्ति/ देयताओं पर ₹ 2,081.07 करोड़) पर था। 30 नवंबर 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 23 उद्यमों (सांविधिक निगमों को छोड़कर) के विभिन्न कारणों से 62 वार्षिक लेखे बकाया थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के 23 उद्यमों (सरकारी कंपनियां: 20 एवं सरकार नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां: 3) के संबंध में बकाया वार्षिक लेखाओं का विवरण **तालिका-1.9** में दिया गया है:

तालिका-1.9: 30 नवंबर 2021 तक कंपनियों की संख्या, अंतिम रूप दिए गए लेखाओं एवं बकाया लेखाओं का विवरण

विवरण	सरकारी कम्पनियां	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कम्पनियां	कुल
31 मार्च 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा परिधि में कंपनियों की कुल संख्या	22	04	26
1 जनवरी 2021 तक बकाया लेखाओं की संख्या	52	07	59
उन कंपनियों की संख्या जिनके लेखे वर्ष 2020-21 में बकाया हो गए हैं	22	04	26
अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु देय लेखाओं की कुल संख्या	**74**	**11**	**85**
1 जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2021 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु लेखाओं को प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	14	04	18
अंतिम रूप दिए गए लेखाओं की संख्या	18	05	23
30 नवम्बर 2021 तक बकाया लेखाओं की संख्या	56	06	62

[20] सरकारी कंपनियां: 14 एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां: चार।

[21] हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड: तीन; ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक व वित्त विकास निगम: दो-दो एवं अन्य 14 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से: एक-एक।

[22] वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनियों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की तिथि को भारत सरकार, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आदेश दिनांक 23 सितंबर 2021 के अनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, पंजाब व चंडीगढ़ द्वारा 30 नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था।

[23] अत्योक्ति: {लाभ (₹ 17.36 करोड़) व हानि (₹ 47.88 करोड़)} एवं न्यूनोक्ति: {हानि (₹ 124.20 करोड़) व लाभ (₹ 0.23 करोड़)}।

विवरण	**सरकारी कम्पनियां**	**सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कम्पनियां**	**कुल**
बकाया लेखाओं का समय-वार विश्लेषण	**राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या (30 नवम्बर 2021 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बकाया लेखे)**		
एक वर्ष	7 (7)	1 (1)	8 (8)
दो व तीन वर्ष	7 (16)	2 (5)	9 (21)
तीन वर्ष से अधिक	6 (33)	-	6 (33)[24]
योग	**20 (56)**	**3 (6)**	**23 (62)**

बकाया लेखाओं का मामला अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं संबंधित प्रशासनिक विभाग/ कंपनी प्रमुखों के साथ उठाया गया (सितंबर 2021)। हालांकि अभी भी छः कंपनियां ऐसी थीं जिनके लेखे 30 नवंबर 2021 तक तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित थे।

1.9.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। दो सांविधिक निगमों[25] में से हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के संदर्भ में लेखापरीक्षा चार्टेड अकाउंटेंट (सनदी लेखापाल) द्वारा संचालित की जाती है एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। 30 नवंबर 2021 तक इन दो सांविधिक निगमों के चार लेखे (हिमाचल प्रदेश वित्त निगम: तीन एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम: एक) लेखापरीक्षा हेतु लम्बित थे।

[24] हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम: सात; हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम: पांच; हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम: पांच; एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड: सात; हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड: पांच एवं हिमाचल प्रदेश पेय पदार्थ लिमिटेड: चार।

[25] हिमाचल पथ परिवहन निगम एवं हिमाचल प्रदेश वित्त निगम।

अध्याय-2

वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट

अध्याय 2: वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

2.1 परिचय

हमारे देश में वस्तु व सेवा कर अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिसने केंद्र एवं राज्यों द्वारा उद्ग्रहित व संग्रहित विभिन्न करों का स्थान लिया। वस्तु व सेवा कर वस्तुओं अथवा सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर एक गंतव्य-आधारित कर है, जो कई चरणों में लगाया जाता है एवं जिसमें कर आपूर्ति के साथ आगे बढ़ेंगे। वस्तु व सेवा कर व्यवस्था के मौजूदा कानूनों में इनपुट टैक्स के निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, वस्तु व सेवा कर अधिनियमों में 'इनपुट टैक्स हेतु ट्रांजिशनल (संक्रमणकालीन) व्यवस्था' को शामिल किया गया था ताकि मौजूदा कानून में उचित करों या शुल्कों के भुगतान के संबंध में इनपुट टैक्स का दावा करने का अधिकार एवं तरीका प्रदान किया जा सके। ट्रांजिशनल क्रेडिट के प्रावधान सरकार एवं व्यवसाय दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। व्यवसाय हेतु ट्रांजिशनल क्रेडिट के प्रावधान वस्तु व सेवा कर व्यवस्था के भीतर पिछली विवरणियों (रिटर्न्स), कच्चे माल के संबंध में इनपुट टैक्स, प्रक्रियाधीन कार्य, पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में क्रेडिट सहित नियत दिन पर स्टॉक में तैयार माल से संचित क्रेडिट का परिवर्तन (ट्रांजिशन) सुनिश्चित करते हैं। ये प्रावधान करदाताओं को इस प्रकार के इनपुट क्रेडिट को स्थानांतरित करने में केवल तभी सक्षम बनाते हैं जब उनका उपयोग व्यवसाय की सामान्य अवधि के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया जाता है। केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 (तथा राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम/ संघ शासित वस्तु व सेवा कर अधिनियम) की धारा 140 करदाताओं को मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित इनपुट टैक्स क्रेडिट को वस्तु व सेवा कर व्यवस्था में आगे ले जाने में सक्षम बनाती है। केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर नियमावली 2017 के नियम 117 के साथ पठित खंड इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है। कंपोजिशन स्कीम (अधिनियम की धारा 10 के तहत) के तहत कर के भुगतान का विकल्प चुनने वालों को छोड़कर अन्य सभी पंजीकृत करदाता नियत दिन से 90 दिनों के भीतर टीआरएएन 1 रिटर्न फाइल करके ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा करने के पात्र हैं। टीआरएएन 1 रिटर्न फाइल करने की समयसीमा प्रारंभिक रूप से 27.12.2017 तक बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड आदेश संख्या 01.2020-वस्तु व सेवा कर दिनांक 07.02.2020 के तहत उन करदाताओं के लिए, जो तकनीकी कठिनाइयों तथा वस्तु व सेवा कर परिषद द्वारा अनुशंसित मामलों के कारण टीआरएएन 1 फाइल नहीं कर सके, टीआरएएन 1 फाइल करने की नियत तारीख को 31.03.2020 तक बढ़ा दिया गया था।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु ट्रांजिशनल व्यवस्था की लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थी:

i. क्या ट्रांजिशनल क्रेडिट दावों के चयन एवं सत्यापन हेतु विभाग द्वारा परिकल्पित तंत्र पर्याप्त व प्रभावी था?

ii. क्या करदाताओं द्वारा वस्तु व सेवा कर व्यवस्था में किए गए ट्रांजिशनल क्रेडिट वैध एवं स्वीकार्य थे?

2.3 लेखापरीक्षा मानदंड

वे मानदंड जिनके आधार पर लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं सह-उद्देश्यों का सत्यापन किया जाना है, निम्नानुसार हैं:-

i. केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर नियमावली 2017 के नियम 117 एवं राज्य वस्तु व सेवा कर नियमावली 2017 के साथ पठित केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 व राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधान,

ii. केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार कर विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र एवं केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड क्षेत्र-संरचनाओं द्वारा जारी सम्बन्धित निर्देश।

2.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

ट्रांजिशनल क्रेडिट दावे की लेखापरीक्षा में वस्तु व सेवा कर अधिनियम की धारा 140 के तहत प्रदान किए गए इनपुट टैक्स हेतु ट्रांजिशनल व्यवस्था के अंतर्गत करदाताओं द्वारा फाइल किए गए रिटर्न, टीआरएएन 1 व टीआरएएन 2 की जांच शामिल थी। लेखापरीक्षा सत्यापन में राज्य के 13 राजस्व जिलों में चयनित दावों के विस्तृत स्वतंत्र सत्यापन के साथ-साथ विभागीय सत्यापन की प्रक्रिया एवं परिणामों की संवीक्षा सम्मिलित है।

2.5 नमूना चयन

राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों/आर्थिक केंद्रों से संबंधित उच्च जोखिम वाले मामलों को सम्मिलित करने वाले 592 मामलों (73 प्रतिशत मामले अर्थात 431 इनपुट टैक्स क्रेडिट श्रेणी 5सी से थे) का नमूना, लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। राजस्व जिले-वार नमूना चयन का विवरण इस प्रकार है:

बिलासपुर 20, चंबा नौ, हमीरपुर 50, कांगड़ा 78, ऊना 47, शिमला 76, सिरमौर 53, बद्दी 128, कुल्लू 22, मंडी 42 व सोलन 67।

2.6 लेखापरीक्षा परिणाम

2020-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के 11 मण्डलों में 592 मामलों के नमूने की नमूना-जांच की गई। इन मामलों की नमूना-जांच में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न अनियमितताएं उजागर हुई, जैसा कि नीचे **तालिका-2.1** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1: लेखापरीक्षा परिणाम

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आपत्तियों की प्रकृति (केवल सांकेतिक)	लेखापरीक्षा नमूना		पाई गई कमियों की संख्या	
		संख्या	राशि लाख में	संख्या	राशि लाख में
1	अधिक इनपुट कर क्रेडिट को अग्रेषित करना	431	7,865.5	79	1,247.00
2	वार्षिक एवं त्रैमासिक रिटर्न्स में मिलान न होने के कारण ट्रांजिशनल क्रेडिट का अधिक दावा	592	16,550.69	22	149.91
3	टीआरएएन-2 फाइल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	592	16,550.69	6	38.29
4	ईआर-1/एसटी-3 रिटर्न्स फाइल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त करना	431	7,865.5	7	52.71
5	शुल्क प्रदत्त दस्तावेजों के बिना भण्डार में रखे माल पर ट्रांज़ेशनल क्रेडिट का अनियमित दावा	38	636.85	1	9.88
6	पूंजीगत माल पर अधिक इनपुट कर क्रेडिट को अग्रेषित करना	25	2,441.05	1	9.42

महत्वपूर्ण मामलों के विवरण निम्नलिखित परिच्छेदों में दिए गए हैं:

2.7 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

11 आयुक्तालयों में ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों के अभिलेखों की जांच में कुछ कमियां पाई गई, जो निम्नवत हैं:-

2.7.1 ₹ 1,247.00 लाख का अधिक इनपुट कर क्रेडिट अग्रेषित करना

केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) एवं राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार किसी कम्पोजीशन करदाता के अतिरिक्त कोई पंजीकृत व्यक्ति उसके इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लैजर में 30 जून 2017 तक की अवधि से सम्बंधित रिटर्न में अग्रेषित किए गए मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि को लेने का पात्र है, यदि वह मौजूदा कानूनों के तहत नियत दिन से 90 दिनों के भीतर टीआरएएन-1 फाइल करके प्रस्तुत करता है। पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति तब तक नहीं होगी जबतक कहा गया क्रेडिट मौजूदा कानून (हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) के तहत मूल्य वर्धित कर क्रेडिट के रूप

में मान्य न हो तथा केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत इनपुट कर क्रेडिट के रूप में भी मान्य न हो।

हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के 11 मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 431 चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से 79 मामलों[1] में जून 2017 के विगत पिछले रिटर्न में किए दावे की अपेक्षा अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट टीआरएएन-1 (तालिका 5सी के अंतर्गत) में अग्रेषित किए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1247.00 लाख का अधिक ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रेषित किया गया, जैसाकि **परिशिष्ट-2.1** में संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

यह केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 एवं राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों की अवहेलना के रूप में परिणत हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च व अप्रैल 2021) सम्बंधित कराधान एवं आबकारी उपायुक्त ने बताया (मार्च व अप्रैल 2021) कि मामलों के निर्धारण के समय प्रयोज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम के अनुसार ट्रांजिशनल क्रेडिट अग्रेषित करने के मामलों की जांच की जाएगी।

2.7.2 वार्षिक एवं त्रैमासिक रिटर्न्स में मिलान न करने के कारण ₹ 149.91 लाख ट्रांजिशनल क्रेडिट राशि का अधिक दावा

केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 एवं राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार किसी कम्पोजीशन करदाता के अतिरिक्त कोई पंजीकृत व्यक्ति उसके इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लैजर में 30 जून 2017 तक की अवधि से सम्बंधित रिटर्न में अग्रेषित किए गए मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि को लेने का पात्र है, यदि वह मौजूदा कानूनों के तहत नियत दिन से 90 दिनों के भीतर टीआरएएन-1 फाइल करके प्रस्तुत करता है। पंजीकृत व्यक्ति को क्रेडिट लेने की अनुमति तब तक नहीं होगी जबतक कहा गया क्रेडिट मौजूदा कानून (हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) के तहत मूल्य वर्धित कर क्रेडिट के रूप में मान्य न हो तथा केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत इनपुट कर क्रेडिट के रूप में भी मान्य न हो।

हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के 11 मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 592 चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से 22 मामलों[2] में वार्षिक एवं त्रैमासिक/मासिक रिटर्न्स में दर्शाए गए इनपुट कर क्रेडिट शेष में अंतर था। 21 मामलों में त्रैमासिक रिटर्न व टीआरएएन 1 में अग्रेषित इनपुट कर क्रेडिट वार्षिक रिटर्न में अग्रेषित किए गए इनपुट कर क्रेडिट से अधिक था तथा एक मामले में वार्षिक रिटर्न व टीआरएएन 1 अग्रेषित इनपुट कर क्रेडिट

---

1 चंबा एक, हमीरपुर तीन, ऊना नौ, कांगड़ा चार, धर्मशाला दो, नूरपुर दो, पालमपुर चार, शिमला 11, सिरमौर नौ, बद्दी 21, कुल्लू दो, मंडी दो व सोलन नौ।

2 चंबा एक, बिलासपुर दो, ऊना चार, कांगड़ा चार, नूरपुर एक, धर्मशाला दो, शिमला पांच व मंडी तीन।

त्रैमासिक रिटर्न में अग्रेषित इनपुट कर क्रेडिट से अधिक था। अतः त्रैमासिक/मासिक रिटर्न्स के अग्रेषित किए गए इनपुट कर क्रेडिट आंकड़े टीआरएएन 1 के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। इसके परिणामस्वरुप त्रैमासिक/मासिक रिटर्न्स की तुलना में टीआरएएन 1 में ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में ₹ 149.91 लाख राशि के अधिक इनपुट कर क्रेडिट का दावा किया गया जैसाकि **परिशिष्ट-2.2** में विवर्णित है।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च व अप्रैल 2021) सम्बंधित राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त ने बताया (मार्च व अप्रैल 2021) कि प्रयोज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम के अनुसार इन मामलों की जांच की जाएगी।

2.7.3 टीआरएएन-2 फाइल किए बिना ₹ 38.29 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट का अनियमित दावा

केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 (3) एवं राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर नियम, 2017 के नियम 117 (4) एवं राज्य वस्तु व सेवा कर नियम, 2017 के अनुसार टीआरएएन 2 उस विक्रेता द्वारा फाइल किया जा सकता है जिसके पास 30 जून 2017 तक रखे गए स्टॉक हेतु स्टॉक पर कर क्रेडिट का दावा करने के लिए मूल्य वर्धित इनवॉइस न हो।

हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के 11 मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 592 चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से छः मामलों[3] में जीएसटीएन पोर्टल पर कोई टीआरएएन 2 रिटर्न उपलब्ध नहीं था परन्तु जीएसटीआर 9 (वार्षिक रिटर्न) में टीआरएएन 2 फाइल किए बिना ₹ 38.29 लाख राशि के ट्रांजिशनल क्रेडिट का दावा किया गया था जो अनियमित था, जिसके विवरण **परिशिष्ट-2.3** में संलग्न किए गए हैं।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च व अप्रैल 2021) सम्बंधित राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त ने बताया (मार्च व अप्रैल 2021) कि प्रयोज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम के अनुसार इन मामलों की जांच की जाएगी।

यह केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 एवं राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों की अवहेलना के रूप में परिणत हुआ।

2.7.4 वार्षिक रिटर्न फाइल किए बिना ₹ 52.71 लाख के इनपुट कर क्रेडिट का अनियमित अग्रेषण

केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140(1) एवं राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के अनुसार किसी कम्पोजीशन करदाता के अतिरिक्त कोई पंजीकृत व्यक्ति

[3] चम्बा एक, हमीरपुर दो, नूरपुर एक, उना एक व शिमला एक।

उसके इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लैजर में 30 जून 2017 तक की अवधि से सम्बंधित रिटर्न में अग्रेषित किए गए मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि को लेने का पात्र है, यदि वह मौजूदा कानूनों के तहत नियत दिन से 90 दिनों के भीतर टीआरएएन-1 फाइल करके प्रस्तुत करता है।

करदाता को नियत तिथि से ठीक पहले विगत छः माह की अवधि हेतु सभी रिटर्न्स फाइल करने होंगे।

हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के 11 मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 431 चयनित ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों में से सात मामलों[4] में विक्रेता ने विगत वार्षिक रिटर्न (2016-2017 की अवधि हेतु) फाइल किए बिना ₹ 52.71 लाख राशि के इनपुट कर क्रेडिट को इसके टीआरएएन-1 में अग्रेषित किया। इसके विवरण **परिशिष्ट-2.4** में संलग्न हैं।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च व अप्रैल 2021) सम्बंधित राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त ने बताया (मार्च व अप्रैल 2021) कि प्रयोज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम के अनुसार इन मामलों की जांच की जाएगी। यह केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 एवं राज्य वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों की अवहेलना के रूप में परिणत हुआ है।

2.7.5 तालिका 7(सी) के अंतर्गत ₹ 9.88 लाख के ट्रांजिशनल क्रेडिट अनियमित अग्रेषण एवं इनपुट कर क्रेडिट का अनियमित दावा

वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 140 के अनुसार किसी कम्पोजीशन करदाता के अतिरिक्त कोई पंजीकृत व्यक्ति उसके इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लैजर में 30 जून 2017 तक की अवधि से सम्बंधित रिटर्न में अग्रेषित किए गए मूल्य वर्धित कर क्रेडिट की राशि को लेने का पात्र है, यदि वह मौजूदा कानूनों के तहत नियत दिन से 90 दिनों के भीतर टीआरएएन-1 फाइल करके प्रस्तुत करता है।

धारा 140(3) के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति जो मौजूदा कानून के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं था अथवा जो छूट प्राप्त माल के विनिर्माण या छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान में संलिप्त था, अथवा जो अनुबंध सेवा उपलब्ध कराता था वह स्टॉक में रखे इनपुट एवं नियत दिन पर स्टॉक में रखे अर्ध-समाप्त या समाप्त माल में शामिल इनपुट के सम्बन्ध में योग्य करों का क्रेडिट उसके इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लैजर में लेने का पात्र होगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के 11 मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि 38 चयनित नमूनों में से एक मामले[5] में गत पिछले प्रतिदाय के अनुसार ₹ 11.69 लाख की राशि

---

[4] चम्बा एक, हमीरपुर दो, उना दो, कांगड़ा एक व पालमपुर एक।

[5] मेसर्स स्मिलैक्स फार्मास्यूटिकल्स, बद्दी (GSTIN 02ACNPG5021C1ZD)

इनपुट कर क्रेडिट थी। यद्यपि टीआरएएन-1 की संवीक्षा में उजागर हुआ कि इनपुट कर के रूप में ₹ 21.57 लाख का कुल दावा (तालिका 5सी में ₹ 9.88 लाख व तालिका 7सी में ₹ 11.69 लाख) अग्रेषित किया गया था। रिटर्न/इनवॉइस की संवीक्षा से पता चला कि तालिका 7सी के बजाय 5सी के अंतर्गत केवल ₹ 11.69 लाख इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में स्वीकार्य थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.88 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर (मार्च व अप्रैल 2021) राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी ने बताया (मार्च व अप्रैल 2021) कि संबंधित उचित अधिकारी को मामले की जांच करने के लिए निर्देश दिया गया है एवं परिणाम जल्द ही सूचित किया जाएगा।

2.7.6 सहायक दस्तावेजों के बिना पूंजीगत माल के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अग्रेषण

नियम 140(2) में प्रावधान है कि धारा 10 के तहत कर अदायगी का विकल्प लेने वाले के अतिरिक्त एक पंजीकृत व्यक्ति अग्रेषित नहीं किए गए पूंजीगत माल के संबंध में न लिए गए इनपुट कर क्रेडिट के क्रेडिट को उसके इलेक्ट्रोनिक क्रेडिट लैजर में लेने का पात्र है, यदि वह मौजूदा कानूनों के तहत नियत दिन से ठीक पहले के दिन को समाप्त होने वाली अवधि हेतु रिटर्न प्रस्तुत करता है। न लिए गए इनपुट कर क्रेडिट से तात्पर्य उस राशि से है जो मौजूदा कानून के तहत पूंजीगत माल के संबंध में पहले से न लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को घटाने के बाद बचती है। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 11 (6) के अनुसार पूंजीगत माल पर इनपुट कर क्रेडिट तैयार माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण से सीधे जुड़े संयंत्र एवं मशीनरी तक सीमित होगा तथा इस धारा के तहत अनुमत इनपुट कर क्रेडिट व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की तिथि से प्रारंभ होगा व तीन वर्ष की अवधि में बिक्री के टर्नओवर पर कर के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।

शिमला जिले के विक्रेताओं के टीआरएएन-1 के अभिलेखों की संवीक्षा में एक मामले[6] में उजागर हुआ कि खरीद-सूची (एलपी_1) दस्तावेज के अनुसार पूंजीगत माल की खरीद पर ₹ 5.55 लाख का कर चुकाया गया था। इसके अतिरिक्त विक्रेता ने विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजीगत माल की कोई अन्य खरीद नहीं दिखाई, इसलिए पिछले वर्षों के पूंजीगत माल पर न लिया गया कोई इनपुट कर क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। जून 2017 को समाप्त अंतिम तिमाही रिटर्न में विक्रेता ने ₹ 5.55 लाख के इनपुट कर क्रेडिट का दावा किया है, जो टीआरएएन-1 में अग्रेषित करने के लिए उपलब्ध था। यद्यपि विक्रेता ने टीआरएएन-1 में तालिका 6बी के अंतर्गत पूंजीगत माल पर न लिए गए क्रेडिट के रूप में ₹ 9.42 लाख का भी दावा किया था। इस प्रकार उपलब्ध इनपुट कर क्रेडिट से अधिक ₹ 9.42 लाख के इनपुट कर क्रेडिट को अग्रेषित किया गया।

---

[6] शिविन सीए स्टोर (GSTN NO. 02ADEFS7502G1ZF)

2.7.7 अभिलेख प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के 11 मण्डलों की लेखापरीक्षा के दौरान ट्रांजिशनल दावों के 592 मामलों की जांच की गई एवं 92 करदाताओं के अभिलेख अर्थात इनवॉईसिस, पूंजीगत माल पर न लिए गए क्रेडिट से सम्बंधित ट्रांजिशनल क्रेडिट के सम्बन्ध में दावों के सत्यापन हेतु लेखा-बहियां, कर चुकाए गए स्टॉक एवं ट्रांजिट में इनपुट/इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इन अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा में इन विक्रेताओं के ₹ 3.43 करोड़ के ट्रांजिशनल दावों की सत्यता (शुद्धता) का सत्यापन नहीं किया जा सका।

आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला से अभिलेख उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया था (फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक) तथा विभाग का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित (अगस्त 2022) था।

2.8 निष्कर्ष

अंतिम पिछले रिटर्न्स की तुलना में अधिक इनपुट कर क्रेडिट अग्रेषित किए जाने एवं वार्षिक व त्रैमासिक रिटर्न्स के मध्य मिलान न होने के कारण ट्रांजिशनल क्रेडिट के अधिक दावों के उदाहरण पाए गए। यह देखा गया कि आवश्यक रिटर्न्स फाइल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट अनुमत किए गए। इसके अतिरिक्त कर अदायगी दस्तावेजों के बिना स्टॉक के रखे माल पर ट्रांजिशनल क्रेडिट अनुमत किया गया एवं पूंजीगत माल पर अधिक इनपुट कर क्रेडिट का अग्रेषण अनुमत किया गया। ये सभी विचलन राज्य सरकार के राजस्व की हानि में परिणत हुए।

परिच्छेद 2.7.1 से 2.7.5 में उल्लिखित लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को जनवरी 2022 में प्रेषित किए गए जबकि परिच्छेद 2.7.6 में उल्लिखित लेखापरीक्षा निष्कर्ष अप्रैल 2022 में प्रेषित किया गया एवं सभी लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

2.9 सिफारिश

विभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से ट्रांजिशनल क्रेडिट मामलों का जोखिम आधारित सत्यापन किया जाना चाहिए।

अध्याय-3
वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया

अध्याय 3: वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय दावों की प्रक्रिया

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

3.1 परिचय

वस्तु व सेवा कर कानूनों में निहित प्रतिदाय से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य वस्तु व सेवा कर व्यवस्था के तहत प्रतिदाय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित एवं मानकीकृत करना है। यह निर्णय लिया गया कि दावे एवं स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदाय मॉड्यूल उपलब्ध न होने के कारण एक अस्थायी तंत्र तैयार कर उसको कार्यान्वित किया गया। विस्तृत प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हुए परिपत्र संख्या 12-28/2017-18-EXN-GST-1810-27 दिनांक 17 जनवरी 2018 व संख्या 12-28/2017-18-EXN-GST-3280-98 दिनांक 03 फरवरी 2018 जारी किए गए थे। इस इलेक्ट्रॉनिक-सह-हस्तचालित प्रक्रिया में आवेदकों को सार्वजनिक पोर्टल पर जीएसटी आरएफडी-01ए फार्म में प्रतिदाय आवेदन फाइल करना, उसकी एक छायाप्रति (प्रिंटआउट) लेना तथा सभी सहायक दस्तावेजों के साथ इसे क्षेत्राधिकार के कर कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करना अपेक्षित था। उन प्रतिदाय आवेदनों की आगामी प्रक्रिया, अर्थात् पावती जारी करना, कमी-ज्ञापन जारी करना, अनंतिम/अंतिम प्रतिदाय आदेश, भुगतान सलाह देना आदि हस्तचालित (मैनुअल) रूप से किए जा रहे थे। यद्यपि प्रतिदाय आवेदन जमा करने के पश्चात् के विभिन्न प्रक्रिया चरण हस्तचालित रहे।

तदनुसार, प्री-ऑटोमेशन प्रतिदाय दावों को प्रस्तुत करने एवं उन पर प्रक्रिया करने हेतु पूर्व में जारी दिशानिर्देश निर्धारित करने वाले परिपत्रों को या तो हटा दिया गया या संशोधित किया गया। सभी क्षेत्रीय संरचनाओं में कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित करने के क्रम में कई पूर्ववर्ती परिपत्र जैसे संख्या 12-28/2017-18- EXN-GST-1810-27 दिनांक 17 जनवरी 2018, संख्या 12-28/2017-18- EXN-GST-3280-98 दिनांक 03 फरवरी 2018, संख्या 12- 25/2018-19- EXN-GST-(575)-20774-20792 दिनांक 02 अगस्त 2019, No.12-25/2018-19- EXN-GST-(575)-6471-88 दिनांक 13 मार्च 2019, संख्या 12-25/2018-19- EXN-GST-(575)-6680-97 दिनांक 13 मार्च 2019, संख्या 12-25/2018-19-EXN-GST-(575)-20834-20852 दिनांक 02 अगस्त 2019, संख्या 12-25/2018-19- EXN-GST-(575)-20854-20872 दिनांक 02 अगस्त, 2019 एवं संख्या 12-25/2018-19- EXN-GST-(575)-20956-20976 दिनांक 02 अगस्त 2019 को हटा दिया गया था। तथापि सार्वजनिक पोर्टल पर 26 सितंबर 2019 से पहले फाइल किए गए सभी प्रतिदाय आवेदनों के लिए उक्त परिपत्रों के प्रावधान लागू होते रहेंगे तथा उक्त आवेदनों पर प्रक्रिया हस्तचालित रूप से करना जारी रहेगा जैसाकि नई प्रणाली के कार्यान्वयन से पूर्व किया जाता था।

3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

वस्तु व सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिदाय मामलों की लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

(i) प्रतिदाय देने के संबंध में जारी अधिनियम, नियम, अधिसूचना, परिपत्र आदि पर्याप्त हैं।

(ii) कर प्राधिकारियों द्वारा विद्यमान प्रावधानों का अनुपालन एवं करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु लागू प्रणालियां प्रभावी हैं।

(iii) क्या प्रतिदाय आवेदनों के निपटान में विभागीय अधिकारियों के प्रदर्शन की जांच हेतु प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र मौजूद हैं?

3.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

विभाग ने जुलाई 2017 से सितंबर 2019 तक राज्य के चयनित पांच मण्डलों में स्वचालन-पूर्व (प्री-ऑटोमेशन) अवधि में 1,160 प्रतिदाय मामलों[1] पर प्रक्रिया की तथा सितंबर 2019 से जुलाई 2020 तक चयनित आठ मण्डलों में स्वचालन-पश्चात् (पोस्ट-ऑटोमेशन) अवधि में 183 प्रतिदाय दावों[2] पर प्रक्रिया की।

लेखापरीक्षा दल द्वारा प्री-ऑटोमेशन व पोस्ट-ऑटोमेशन अवधि में प्रक्रिया किए गए प्रतिदाय दावों की फाइलें विस्तृत जांच हेतु नमूना आधार पर निकाली गई थी।

3.4 नमूना चयन

प्रारंभ में विस्तृत जांच हेतु 114 मामलों (ऑटोमेशन-प्री)के नमूने का चयन किया गया। आगे लेखापरीक्षा के दौरान 53 अतिरिक्त मामलों की भी जांच की गई थी, क्योंकि इन मामलों में समान अनियमितताएं पाई गई थीं। इस प्रकार पांच मण्डलों में कुल 167 मामलों[3] की जांच की गई।

वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत पोस्ट-ऑटोमेशन प्रतिदाय दावों के लिए आठ मण्डलों में विस्तृत जांच हेतु 112 मामलों[4] का चयन किया गया।

---

1 बद्दी: 788 मामले, सिरमौर: 209 मामले, शिमला: 77 मामले, सोलन: 24 मामले व ऊना: 62 मामले।

2 बद्दी: 103 मामले, बिलासपुर: एक मामला, कांगड़ा: नौ मामले, कुल्लू: एक मामला, सिरमौर: 48 मामले, शिमला: तीन मामले, सोलन: पांच मामले व ऊना: 13 मामले।

3 बद्दी: 94 मामले, सिरमौर: 25 मामले, शिमला: 20 मामले, सोलन: 14 मामले व ऊना: 14 मामले।
इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (व्यापार उदारीकरण के कारण माल पर पारस्परिक कर): 120 मामले, जीरो रेटेड सप्लाई (जिस पर कोई वस्तु व सेवा कर नहीं लगा): 20 मामले व अन्य: 27 मामले।

4 बद्दी: 62 मामले, बिलासपुर: एक मामला, कांगड़ा: छह मामले, कुल्लू: एक मामला, सिरमौर: 29 मामले, शिमला: दो मामले, सोलान: तीन मामले व ऊना: आठ मामले।
इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (व्यापार उदारीकरण के कारण माल पर पारस्परिक कर): 78 मामले, जीरो रेटेड सप्लाई (जिस पर कोई वस्तु व सेवा कर नहीं लगा): 11 मामले व अन्य: 23 मामले।

3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

निम्नलिखित धाराएं/नियम/अधिसूचनाएं प्रतिदाय का दावा करने हेतु दिशानिर्देश/प्रक्रिया प्रदान करती हैं:

(i) केंद्रीय वस्तु व सेवा कर, 2017 एवं हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 से 58 व धारा 77।

(ii) केंद्रीय वस्तु व सेवा कर नियम, 2017 एवं हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 से 97 ए।

(iii) एकीकृत वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 15, 16 व 19।

(iv) वस्तु व सेवा कर प्रतिदाय के अंतर्गत समय-समय पर जारी केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की अधिसूचनाएं।

3.6 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2020-21 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों में चयनित नमूना मामलों की नमूना-जांच में अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न अनियमितताएं उजागर हुई जैसाकि **परिशिष्ट-3.1** में दर्शाया गया है:

3.7 लेखापरीक्षा टिप्पणियां

वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत प्रतिदाय दावों की जांच करने पर निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

3.7.1 समय पर पावती जारी न करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली**,** 2017 के नियम 90 के अनुसार आवेदक द्वारा फाइल किए गए प्रतिदाय आवेदन की जांच के आधार पर यदि प्रतिदाय आवेदन सभी पहलुओं में पूर्ण पाया जाता है, तो प्रतिदाय आवेदन फाइल करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रतिदाय प्रक्रिया अधिकारी द्वारा जीएसटी आरएफडी-02 फार्म में पावती जारी की जाएगी।

प्री-ऑटोमेशन: लेखापरीक्षा के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों के 167 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई तथा यह देखा गया कि 41 मामलों[5] (24.55 प्रतिशत) में पावती जारी करने में औसतन पांच से 364 दिनों का विलम्ब था एवं इन मामलों में विलम्ब का औसत क्रमश: 95 दिन व 79 दिन रहा, जैसाकि **परिशिष्ट-3.2(i)** में विवर्णित है। इनमें से 25 मामलों, 11 मामलों एवं पांच मामलों में क्रमश: तीन माह, तीन से छ: माह एवं छ: माह से अधिक का विलम्ब हुआ।

[5] बद्दी: 16 मामले, सिरमौर: सात मामले, शिमला: छह मामले, सोलन: सात मामले व ऊना: पांच मामले।

पोस्ट-ऑटोमेशन: लेखापरीक्षा के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों के 112 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई तथा यह देखा गया कि 31 मामलों[6] (27.68 प्रतिशत) में पावती जारी करने में औसतन दो से 77 दिनों का विलम्ब था एवं इन मामलों में विलम्ब का औसत क्रमश: 21 दिन व 15 दिन रहा, जैसाकि **परिशिष्ट-3.2(ii)** में विवर्णित है। इन सभी 31 मामलों में तीन माह तक का विलम्ब हुआ।

इस प्रकार, विभाग पूर्वोक्त नियमों में निर्धारित पावती जारी करने की समयसीमा का पालन करने में विफल रहा।

3.7.2 प्रतिदाय आदेश समय पर स्वीकृत न करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 92 में निर्धारित है कि जहां आवेदन की जांच के बाद सक्षम अधिकारी संतुष्ट है कि प्रतिदाय यथोचित एवं आवेदक को देय है, तो वह जीएसटी आरएफडी -06 फार्म में आवेदक के प्रतिदाय की पात्र राशि की स्वीकृति का आदेश देगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 54 (7) में प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी सभी तरह से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रतिदाय आदेश जारी करेगा।

प्री-ऑटोमेशन: लेखापरीक्षा के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों के 167 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई तथा यह देखा गया कि 32 मामलों[7] (19.17 प्रतिशत) में प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति में औसतन छः से 355 दिनों का विलम्ब था एवं इन मामलों में विलम्ब का औसत क्रमश: 120 दिन व 87 दिन रहा, जैसाकि **परिशिष्ट-3.3(i)** में विवर्णित है। इनमें से 17 मामलों, सात मामलों एवं आठ मामलों में क्रमश: तीन माह, तीन से छ: माह एवं छ: माह से अधिक का विलम्ब हुआ।

पोस्ट-ऑटोमेशन: लेखापरीक्षा के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों के 112 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई तथा यह देखा गया कि 17 मामलों[8] (15.18 प्रतिशत) में प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति में औसतन छः से 140 दिनों का विलम्ब था एवं इन मामलों में विलम्ब का औसत क्रमश: 42 दिन व 31 दिन रहा, जैसाकि **परिशिष्ट-3.3(ii)** में विवर्णित है। इनमें से 15 मामलों एवं दो मामलों में क्रमश: तीन माह एवं तीन से छ: माह का विलम्ब हुआ।

---

6 बद्दी: 16 मामले, कांगड़ा: तीन मामले, सिरमौर: 10 मामले, सोलन: एक मामला व ऊना: एक मामला।

7 बद्दी: 11 मामले, सिरमौर: पांच मामले, शिमला: छह मामले, सोलन: आठ मामले व ऊना: दो मामले।

8 बद्दी: 10 मामले, बिलासपुर: एक मामला, कांगड़ा: एक मामला, कुल्लू: एक मामला, सिरमौर: दो मामले व सोलन: दो मामले।

इस प्रकार, विभाग पूर्वोक्त नियमों में निर्धारित प्रतिदाय आदेश स्वीकृत करने की समयसीमा का पालन करने में विफल रहा।

3.7.3 जीरो-रेटेड सप्लाई पर अनंतिम प्रतिदाय निर्धारित समयावधि में स्वीकृत न करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 (6) के अनुसार उप-धारा (5) में किसी भी बात के होते हुए भी, पंजीकृत व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी के अतिरिक्त जिन्हें परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किए गए माल या सेवाओं या दोनों के जीरो-रेटेड सप्लाई पर प्रतिदाय का कोई दावा करने के मामले में सक्षम अधिकारी इस तरह से एवं ऐसी शर्तों, सीमाओं व सुरक्षा उपायों के अधीन जैसा कि निर्धारित है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को छोड़कर अनंतिम आधार पर कुल दावा की गई राशि का नब्बे प्रतिशत प्रतिदाय अनंतिम रूप से स्वीकार कर सकता है तथा तदोपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के यथोचित सत्यापन पश्चात् प्रतिदाय दावे के अंतिम समायोजन हेतु उप-धारा (5) के तहत एक आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 91 में प्रावधान है कि जीरो-रेटेड सप्लाई पर अनंतिम प्रतिदाय इस शर्त पर दिया जाए कि प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति पर प्रतिदाय दावे से सम्बंधित कर अवधि से ठीक पहले की पांच वर्ष की अवधि के दौरान अधिनियम या मौजूदा कानून के तहत ₹ 2.5 करोड़ की राशि से अधिक की कर चोरी के किसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया गया हो। हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 91 (2) में प्रावधान है कि सक्षम अधिकारी प्रस्तुत आवेदन तथा साक्ष्य की जांच करेगा। प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने पर वह पावती की तिथि से सात दिनों की अवधि के भीतर अनंतिम आधार पर उक्त आवेदक को देय प्रतिदाय की राशि स्वीकृत करते हुए जीएसटी आरएफडी-04 फार्म में अनंतिम प्रतिदाय आदेश देगा।

प्री-ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान जीरो रेटेड सप्लाई के 20 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह देखा गया कि एक मामले[9] (4.76 प्रतिशत) में अनंतिम प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति में 09 दिनों का विलम्ब था जैसा कि **परिशिष्ट-3.4** में विवर्णित है। इस प्रकार, विभाग पूर्वोक्त नियमों में यथा निर्धारित अनंतिम प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति हेतु समयसीमा का पालन करने में विफल रहा।

3.7.4 प्रतिदाय दावों के पश्चात् लेखापरीक्षा संचालित न करना/विलम्ब से करना

आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश परिपत्र संख्या 12-28/2017-18- EXN-GST-(1810-27 दिनांक 17 जनवरी, 2018 ने प्री-ऑटोमेशन अवधि के जीरो रेटेड सप्लाई के प्रतिदाय पर प्रक्रिया करने के लिए प्रक्रिया को विस्तृत रूप से निर्धारित किया। परिपत्र में अन्य बातों

[9] बद्दी: इंडोफार्म इक्विपमेंट लिमिटेड।

के साथ-साथ निर्धारित किया गया है कि जिन प्रतिदाय आवेदनों पर मैनुअल रूप से प्रक्रिया की गई उनकी पूर्व-लेखापरीक्षा की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक कि बोर्ड द्वारा अलग-अलग विस्तृत दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाते, भले ही इसमें शामिल राशि कितनी भी हो। यद्यपि यह स्पष्ट किया गया था कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिदेय आदेशों के पश्चात् की लेखापरीक्षा जारी रहेगी।

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 167 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह देखा गया कि 167 मामलों[10] (100 प्रतिशत), **परिशिष्ट-3.5(i)** में कोई पश्चात् लेखापरीक्षा नहीं की गई।

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 112 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह देखा गया था कि 112 मामलों[11] (100 प्रतिशत), **परिशिष्ट-3.5(ii)** में कोई पश्चात् लेखापरीक्षा नहीं की गई।

इस प्रकार, विभाग पूर्वोक्त नियमों में यथा निर्धारित पश्चात् लेखापरीक्षा के नियमों का पालन करने में विफल रहा।

3.7.5 जीरो रेटेड सप्लाई में प्रयुक्त इनपुट पर अधिक इनपुट कर क्रेडिट प्रतिदाय

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54(3)(**i**) में कर चुकाए बिना किए गए जीरो-रेटेड सप्लाई हेतु अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय का प्रावधान है। इसी तरह के प्रावधान अन्य बातों के साथ-साथ एकीकृत वस्तु व सेवा कर अधिनियम की धारा 16 में एकीकृत कर के सम्बन्ध में निर्धारित हैं जो यह भी निर्धारित करता है कि जीरो-रेटेड सप्लाई में **'**वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का निर्यात**'** शामिल है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम की धारा 54 के नीचे दिए स्पष्टीकरण (1) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि 'प्रतिदाय' में जीरो-रेटेड सप्लाई करने में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं पर चुकाया गया प्रतिदाय शामिल है।

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 के उप-नियम 4 में बांड या वचन-पत्र (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) के तहत कर चुकाए बिना माल के ऐसे जीरो-रेटेड सप्लाई के मामले में प्रतिदाय देने के लिए निम्नलिखित फार्मूला प्रदान किया गया है:

प्रतिदाय राशि = (*माल के जीरो-रेटेड सप्लाई का टर्नओवर* + *सेवाओं के जीरो-रेटेड सप्लाई का टर्नओवर*) x *निवल इनपुट कर क्रेडिट* ÷ *समायोजित कुल टर्नओवर*

---

[10] बद्दी: 94 मामले, सिरमौर: 25 मामले, शिमला: 20 मामले, सोलन: 14 मामले व ऊना: 14 मामले।

[11] बद्दी: 62 मामले, बिलासपुर: एक मामला, कांगड़ा: छह मामले, कुल्लू: एक मामला, सिरमौर: 29 मामले, शिमला: दो मामले, सोलन: तीन मामले व ऊना: आठ मामले।

यहां, "निवल इनपुट कर क्रेडिट" का अर्थ प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट एवं इनपुट सेवाओं पर लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट है तथा प्रतिदाय राशि से तात्पर्य अधिकतम अनुमत प्रतिदाय राशि है।

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 में निर्धारित है कि करदाता से धारा 50 के तहत प्रयोज्य ब्याज सहित प्रतिदाय की गलत राशि की वसूली की जाए।

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान जीरो-रेटेड सप्लाई के 20 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि एक मामले[12] में कार्यालय ने ₹ 28.95 करोड़ के बजाय कम समायोजित कुल टर्नओवर अर्थात ₹ 22.20 करोड़ लिया एवं ₹ 84.76 लाख के जीरो-रेटेड सप्लाई (कर चुकाए बिना किए गए) में प्रयुक्त इनपुट पर इनपुट कर क्रेडिट का प्रतिदाय स्वीकृत किया, जो ₹ 65.00 लाख का होना था। यह ₹ 19.75 लाख के हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर प्रतिदाय के अधिक भुगतान में परिणत हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट-3.6(i)** में वर्णित है, जिसे हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 के साथ पठित धारा 73 के अनुसार प्रयोज्य ब्याज के साथ वसूल किया जाना था।

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान जीरो-रेटेड सप्लाई के 11 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं एक मामले[13] में देखा गया कि 18 मई 2020 को अप्रैल 2018 से जून 2018 की अवधि में जीरो-रेटेड सप्लाई पर ₹ 21.46 लाख का प्रतिदाय प्रदान किया। यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रतिदाय आवेदन (आरएफडी-01) में विक्रेता द्वारा दावा किए गए जीरो रेटेड टर्नओवर एवं समायोजित टर्नओवर क्रमशः ₹ 8.36 करोड़ व ₹ 9.95 करोड़ थे, जोकि जीएसटीआर-3बी में फाइल की गई रिटर्न के अनुरूप नहीं थे, जिसमें विक्रेता द्वारा क्रमशः ₹ 6.34 करोड़ व ₹ 10.85 करोड़ के आंकड़े दर्शाए थे। लेखापरीक्षा ने निर्धारित फार्मूले के अनुसार जीएसटीआर-3बी के आंकड़ों के आधार पर अनुमत अधिकतम प्रतिदाय की गणना की एवं पाया कि ₹ 5.61 लाख का अधिक प्रतिदाय अनुमत किया गया **(परिशिष्ट-3.6(ii))**।

3.7.6 कर अवधि के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर में न्यूनतम शेष राशि पर विचार न करने के कारण अधिक प्रतिदाय की अनुमति

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54(3)(i) में निर्धारित है कि पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा जीरो-रेटेड सप्लाई के संबंध में इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय का दावा कर अवधि के अंत में किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 89 (3) में प्रावधान है कि इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय हेतु आवेदक द्वारा दावा

---

12 बद्दी: मेसर्स. इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड।

13 बद्दी: मेसर्स. रीगल किचन फूड लिमिटेड।

किए गए प्रतिदाय के बराबर राशि से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर को डेबिट किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 का नियम 89 (4) परिच्छेद 7.5 में उल्लिखित वस्तुओं व सेवाओं की जीरो-रेटेड सप्लाई के मामले में सूत्र निर्धारित करता है।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग के परिपत्र संख्या 12-25/2018-19- ईएक्सएन-जीएसटी-(575)-6680-97 दिनांक 13 मार्च, 2019 के द्वारा स्पष्ट किया कि जीरो-रेटेड सप्लाई के अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय के मामले में प्रतिदाय योग्य राशि की गणना निम्नलिखित राशि में से न्यूनतम राशि के रूप में की जाए: -

क. हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 89(4) में निर्धारित फार्मूले के अनुसार अधिकतम प्रतिदाय राशि।

ख. कर अवधि के अंत में दावेदार के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैज़र में वह शेष राशि जिसके लिए उक्त अवधि हेतु रिटर्न फाइल किए जाने के पश्चात् प्रतिदाय का दावा फाइल किया जा रहा है; तथा

ग. प्रतिदाय आवेदन फाइल करने के समय दावेदार के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर में शेष राशि।

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान जीरो-रेटेड सप्लाई के 20 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं एक उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी में पाया गया कि चार मामलों[14] (20 प्रतिशत) में विभाग ने आवेदन फाइल करते समय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर में शेष राशि के संदर्भ में अधिक प्रतिदाय अनुमत किया। हालांकि, लेखापरीक्षा जांच से उजागर हुआ कि रिटर्न फाइल करने के पश्चात् कर अवधि के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर में शेष राशि ₹ 1.45 करोड़ थी। यह न्यूनतम होने के कारण दावेदार ₹ 1.45 करोड़ के प्रतिदाय हेतु पात्र थे जबकि विभाग ने ₹ 2.24 करोड़ की प्रतिदाय राशि अनुमत की। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 78.39 लाख का अधिक प्रतिदाय अनुमत हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट-3.7** में विवर्णित है।

3.7.7 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (उलट कर संरचना) के प्रतिदाय की अनियमित अनुमति

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54(3)(ii) के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति किसी कर अवधि के अंत में किसी अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय का दावा कर सकता है जहां क्रेडिट, आउटपुट सप्लाई पर कर की दर इनपुट पर कर की दर से अधिक होने पर संचित हुआ हो (अर्थात इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर)। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 का नियम 89(5) इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के अधिकतम प्रतिफल हेतु निम्नलिखित फार्मूला निर्धारित करता है:

[14] बद्दी: चार मामले।

अधिकतम प्रतिदाय राशि = [(माल एवं सेवाओं के इनवर्टेड रेटेड सप्लाई का टर्नओवर) X निवल इनपुट कर क्रेडिट / समायोजित कुल टर्नओवर] - माल एवं सेवाओं के ऐसे इनवर्टेड रेटेड सप्लाई पर चुकाने योग्य कर

यहां, "निवल इनपुट कर क्रेडिट" का अर्थ प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुट पर लिया गया इनपुट कर क्रेडिट है एवं इसमें इनपुट सेवाओं पर लिया गया क्रेडिट शामिल नहीं है।

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 120 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि दो मामलों[15] में सक्षम अधिकारी ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर प्रतिदाय की स्वीकृति के दौरान ₹ 2.73 करोड़ के बजाय ₹ 2.45 करोड़ का समायोजित कुल टर्नओवर लिया। इसके कारण, ₹ 14.53 लाख के बजाय ₹ 19.73 लाख का प्रतिदाय स्वीकृत किया गया। यह ₹ 5.20 लाख[16] तक के प्रतिदाय की अधिक अनुमति के रूप में परिणत हुआ जैसाकि **परिशिष्ट-3.8(i)** में विवर्णित है।

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 78 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि 09 मामलों[17] में सक्षम अधिकारी ने ₹ 5.27 करोड़ स्वीकृत एवं अनुमत किए। यद्यपि लेखापरीक्षा में देखा गया कि प्रतिदाय दावों को स्वीकृत करते समय, उचित अधिकारी ने विक्रेताओं द्वारा घोषित आंकड़ों को सहायक दस्तावेजों अर्थात GSTR-3B, GSTR-1, RFD-01, विवरणी 1ए, अनुलग्नक बी व GSTR-2A के साथ प्रति-सत्यापित नहीं किया था। सहायक दस्तावेजों (विवरणी 1ए) से निकाले गए ₹ 107.03 करोड़ के समायोजित टर्नओवर के प्रति ₹ 105.27 करोड़ के टर्नओवर (फॉर्म आरएफडी-01 के अनुसार) पर विचार किया गया एवं ₹ 104.66 करोड़ के इनवर्टेड टर्नओवर के प्रति ₹ 102.63 करोड़ के टर्नओवर पर विचार किया गया था। ₹ 12.04 करोड़ (विवरण 1ए के अनुसार) के चुकाने योग्य कर के प्रति के इनवर्टेड माल पर चुकाने योग्य कर की ₹ 11.73 करोड़ राशि पर विचार किया गया था (फॉर्म आरएफडी-01 के अनुसार)। सहायक दस्तावेजों आरएफडी-01 व विवरणी 1ए में निर्धारिती द्वारा प्रदान किए गए माल के समायोजित टर्नओवर एवं इनवर्टेड सप्लाई के आंकड़ों में मिलान न होने के परिणामस्वरूप इनपुट कर क्रेडिट का अधिक प्रतिदाय हुआ। लेखापरीक्षा ने उक्त संदर्भित सूत्र के अनुसार दावा किए गए एवं अनुमत योग्य निवल प्रतिदाय की गणना की तथा देखा कि ₹ 4.62 करोड़ के अनुमेय प्रतिदाय के प्रति, ₹ 5.27 करोड़ का प्रतिदाय स्वीकृत किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 65.13 लाख[18] के प्रतिदाय की अधिक स्वीकृति हुई **(परिशिष्ट-3.8(ii))**।

---

15 सिरमौर: एक मामला व सोलन: एक मामला।

16 सिरमौर: एक मामला: ₹ 5.10 लाख व सोलन: एक मामला: ₹ 0.10 लाख।

17 बद्दी: दो मामले व सिरमौर: सात मामले।

18 बद्दी: दो मामले: ₹ 6.16 लाख व सिरमौर: सात मामले: ₹ 58.97 लाख।

3.7.8 वस्तु व सेवा कर प्रतिदाय मामलों में अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त न करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर के नियम 89 (2) में प्रतिदाय दावों के साथ अनुलग्नक 1 के अनुसार जीएसटी आरएफडी-01 फार्म में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आबकारी और कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश परिपत्र संख्या 12-25/2018-19-EXN-GST-(575)-6680-97 मार्च 2019 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतिदाय दावों को जमा करते समय दावेदार को वे चालान जिनके आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्रासंगिक अवधि के दौरान लिया गया था, उनका विवरण "अनुलग्नक-ए" के रूप में संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। उक्त परिपत्र के अनुसार प्रतिदाय के दावे की प्रासंगिक अवधि के लिए दावेदार के प्रतिदाय दावे के साथ फार्म GSTR-2A का प्रिंटआउट भी होना चाहिए।

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 167 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि 30 प्रतिदाय मामले[19] (17.96 प्रतिशत) **परिशिष्ट-3.9(i)** में वर्णित आवश्यक दस्तावेजों के बिना (इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 29 मामले व जीरो रेटेड सप्लाई का एक मामला) स्वीकृत किए गए थे। इन दस्तावेजों के अभाव में लेखापरीक्षा में वस्तु व सेवा कर प्रतिदाय हेतु इनपुट कर क्रेडिट की पात्रता की जांच/गणना नहीं की जा सकी।

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 112 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं 24 प्रतिदाय मामलों[20] (21.43 प्रतिशत) में सभी सहायक दस्तावेज, जिन्हें उपरोक्त परिपत्र के अनुसार अपलोड किया जाना अपेक्षित था, विक्रेताओं ने अपलोड नहीं किए। उचित अधिकारी ने इन 24 प्रतिदाय मामलों[21] में **परिशिष्ट-3.9(ii)** में वर्णित सभी सहायक दस्तावेजों[22] के बिना ₹ 31.82 करोड़ का प्रतिदाय स्वीकृत किया। यह उक्त परिपत्र के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था। दावा किए गए एवं विक्रेताओं को अनुमत योग्य प्रतिदाय का पता लगाने के लिए प्रतिदाय आवेदनों को संसाधित करने के लिए सहायक दस्तावेज़ महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

3.7.9 प्रतिदाय रजिस्टरों का अनुपयुक्त अनुरक्षण

आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश परिपत्र संख्या एफ.सं. 12-28/2017-18-EXN-GST-1810-27 दिनांक 17 जनवरी, 2018 के प्रावधानों के अनुसार, तालिका संख्या 1, 2 व 3 में प्रतिदाय रजिस्टरों को उसमें कुछ विवरण अर्थात प्रतिदाय की अवधि, आवेदन प्राप्त होने

---

19 बद्दी: 13 मामले, सिरमौर: नौ मामले, शिमला: छह मामले, सोलन: एक मामला व ऊना: एक मामला।

20 बद्दी: 24 मामले।

21 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर: 20 मामले व जीरो रेटेड सप्लाई: चार मामले।

22 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर: धारा 54(3) के तहत घोषणा, नियम 16(2), स्टेटमेंट 1, 1ए, जीएसटीआर 2ए, अनुलग्नक बी के अनुसार अंडरटेकिंग एवं इनवॉयस की स्वप्रमाणित प्रतियां। जीरो-रेटेड सप्लाई: धारा 54(3) के तहत घोषणा, नियम 16(2), स्टेटमेंट 3, 3ए, जीएसटीआर 2ए, अनुलग्नक बी व शिपिंग बिल के अनुसार अंडरटेकिंग।

की तिथि, पावती जारी करने की तिथि, अनंतिम/अंतिम प्रतिदाय जारी करने की तिथि आदि दर्ज करते हुए अनुरक्षित किया जाना निर्धारित किया गया है।

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 167 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि वर्ष 2017-18 से 2019-2020 के दौरान निर्धारित प्रारूप के अनुसार तालिका संख्या 1 से 3 में प्रतिदाय रजिस्टरों का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था। निर्धारित प्रारूपों में रजिस्टरों का अनुरक्षण न करने के कारण प्रतिदाय दावों की कुछ प्रक्रियाओं की समयबद्धता पर लेखापरीक्षा में टिप्पणी नहीं की जा सकी। प्रतिदाय रजिस्टरों का अनुपयुक्त अनुरक्षण उक्त परिपत्र के प्रावधानों की अवहेलना के रूप में परिणत हुआ।

3.7.10 प्रतिपक्ष कर प्राधिकारी को प्रतिदाय आदेश संप्रेषित करने में असामान्य विलंब

आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश परिपत्र संख्या 12-28/2017-18-EXN-GST-3280-98 दिनांक 03 फरवरी 2018 के अनुसार कर या उपकर, जैसा भी मामला हो, की प्रासंगिक स्वीकृत राशि के भुगतान के प्रयोजनार्थ केंद्रीय कर प्राधिकरण या राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रतिदाय आदेश संबंधित प्रतिपक्ष कर प्राधिकारी को सात कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाए। इसमें यह भी दोहराया गया था कि हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम एवं नियम की धारा 54(7) एवं नियम 91(2) के तहत प्रतिदाय आदेशों की स्वीकृति हेतु निर्दिष्ट समयसीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए।

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 167 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि चार मामलों[23] (2.40 प्रतिशत) में प्रतिपक्ष केंद्रीय कर प्राधिकरण को संसूचित करने में औसतन 09 से 49 दिनों का विलम्ब हुआ एवं इनमें विलम्ब का औसत क्रमशः 32 दिन से 36 दिन रहा। इन सभी चार मामलों में 3 माह तक का विलम्ब हुआ **(परिशिष्ट-3.10)**।

इस प्रकार, विभाग पूर्वोक्त नियमों में निर्धारित पावती जारी करने की समयसीमा का पालन करने में विफल रहा।

3.7.11 अभिलेख प्रस्तुत न करना

प्री ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के पांच मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 167 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि इन मंडलों में अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद लेखापरीक्षा को चार प्रतिदाय मामले[24] उपलब्ध नहीं कराए गए थे (**परिशिष्ट-3.11**)। इन अभिलेखों के अभाव में लेखापरीक्षा इन मामलों में विभाग के प्रदर्शन को सत्यापित नहीं कर सका।

---

[23] शिमला: तीन मामले व ऊना: एक मामला।

[24] शिमला: दो मामले, सोलन: एक मामला व ऊना: एक मामला।

3.7.12 भुगतान आदेश जारी करने में विलम्ब

आबकारी और कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी परिपत्र संख्या 12-15/2018-19-EXN-GST-(575)-32085-32103 दिनांक 10 दिसंबर, 2019 के बिंदु संख्या 34 एवं हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 56 के अनुसार यदि आवेदक को प्रतिदाय किया जाने वाला कोई कर आदेश आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है, तो ब्याज के रूप में छः प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर का प्रतिदाय होना तभी माना जाएगा जब राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा कर दी गई हो। तदनुसार, सभी कर अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे एआरएन के सृजन की तिथि के 45 दिनों के भीतर जीएसटी आरएफडी-06 फार्म में अंतिम स्वीकृति आदेश एवं एफएसटीआर एफडी-05 फार्म में भुगतान आदेश जारी करें ताकि वितरण साठ दिनों के भीतर पूरा हो सके।

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 112 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि तीन मामलों[25] (2.68 प्रतिशत) में करदाता के खाते में प्रतिदाय जमा करने की निर्धारित अवधि अर्थात 60 दिनों के बाद भुगतान आदेश जारी करने में औसतन नौ से 69 दिनों का विलम्ब था एवं इन मामलों में विलम्ब का औसत क्रमशः 46 से 60 दिन रहा जैसाकि **परिशिष्ट-3.12** में विवर्णित है। इन सभी मामलों में 3 माह तक का विलम्ब हुआ।

इस प्रकार, विभाग पूर्वोक्त नियमों में निर्धारित भुगतान आदेश जारी करने की समयसीमा का पालन करने में विफल रहा।

3.7.13 इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मामले में पूंजीगत माल व सेवाओं पर प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट को प्रतिदाय राशि में शामिल करना

(क) प्रतिदाय राशि में पूंजीगत माल पर लिया गया इनपुट कर क्रेडिट को शामिल करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 54 (3) के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट के प्रतिदाय का दावा किसी भी कर अवधि के अंत में कर सकता है। हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 89(5) में माल या सेवाओं के इनवर्टेड सप्लाई के मामले में अधिकतम प्रतिदाय हेतु सूत्र निर्धारित करता है।

अधिकतम प्रतिदाय राशि = [(माल व सेवाओं के इनवर्टेड सप्लाई का टर्नओवर) x निवल इनपुट कर क्रेडिट ÷ समायोजित कुल टर्नओवर] - माल व सेवाओं के ऐसे इनवर्टेड रेटेड सप्लाई पर चुकाने योग्य कर

[25] बद्दी: एक मामला, कागंडा: एक मामला व सिरमौर: एक मामला।

यहां "निवल इनपुट कर क्रेडिट" का अर्थ प्रासंगिक अवधि के दौरान इनपुटस पर लिया गया इनपुट कर क्रेडिट है। इस प्रकार पूंजीगत माल पर लिए गए इनपुट कर क्रेडिट पर विचार नहीं किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73 में निर्धारित है कि करदाता से धारा 50 के तहत प्रयोज्य ब्याज सहित प्रतिदाय की गलत राशि की वसूली की जाए।

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 78 मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि कर-अवधि फरवरी 2020 हेतु प्रतिदाय दावे के एक मामले[26] में ₹ 86.07 लाख के अप्रयुक्त इनपुट कर क्रेडिट पर ₹ 31.75 लाख का प्रतिदाय स्वीकृत किया गया। प्रतिदाय राशि पर पहुँचने के लिए "निवल इनपुट कर क्रेडिट" की गणना करते समय करदाता ने पूंजीगत माल पर लिए गए ₹ 1.29 लाख के इनपुट कर क्रेडिट एवं ₹ 4.62 लाख के पूंजीगत माल का कर योग्य मूल्य शामिल किया। यह ₹ 1.29 लाख के प्रतिदाय की अधिक स्वीकृति में परिणत हुआ **(परिशिष्ट-3.13(i))** जो हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 50 के साथ पठित धारा 73 की शर्तानुसार ब्याज सहित वसूली योग्य था।

(ख) प्रतिदाय राशि में इनपुट सेवाओं पर लिया गया इनपुट कर क्रेडिट शामिल करना

हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के 78 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह देखा गया कि दो मामलों[27] में विक्रेता ने ₹ 2.98 करोड़ के प्रतिदाय का दावा किया जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमत किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि इन मामलों में प्रतिदाय दावों की स्वीकृति के दौरान इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर क्रेडिट को लेने की भी अनुमति दी गई, जो उक्त निर्दिष्ट नियमों के विपरीत था। यह ₹ 43.65 लाख के प्रतिदाय की अधिक अनुमति के रूप में परिणत हुआ **(परिशिष्ट-3.13(ii))**।

3.7.14 ₹ 2.28 करोड़ के प्रतिदाय का अनियमित भुगतान

परिपत्र संख्या 135/05/2020-जीएसटी, मार्च 2020 के परिच्छेद 4.4 के साथ पठित केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 86 के उप-नियम 4ए के अनुसार एक करदाता गलती से चुकाए गए या चुकाए गए अधिक कर (जीरो रेटेड सप्लाई के अतिरिक्त) के लिए उसी पद्धति में प्रतिदाय प्राप्त करने का पात्र है, जिसके द्वारा कर देयता का निर्वहन किया गया था, अर्थात यदि कर का भुगतान आंशिक रूप से क्रेडिट लैजर को डेबिट करके व आंशिक रूप से कैश लैजर को डेबिट करके किया गया था, तो प्रतिदाय उसी अनुपात में स्वीकृत किया

---

[26] इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर: मेसर्स आरएसए टेक्नीटेक्स लिमिटेड।

[27] बद्दी: दो मामले।

जाएगा। नकद भाग को RFD-05 जारी करके करदाता के बैंक खाते में स्वीकृत व जमा किया जाए एवं क्रेडिट भाग को PMT-03 के माध्यम से करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर में फिर से क्रेडिट किया जाए।

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 112 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि सिरमौर मंडल के अधीन प्रतिदाय के एक मामले[28] में विक्रेता ने अपना रिटर्न (GST-3B) फाइल करते समय 2/2019 की अवधि हेतु शून्य दर पर ₹ 1,15,358.96 के बजाय जीरो रेटेड के अतिरिक्त जावक (आउटवर्ड) कर योग्य सप्लाई पर गलती से केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर के साथ ही हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर में ₹ 1,15,35,896/- की प्रविष्टि कर दी। इससे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर से ₹ 2,28,41,074/- (अर्थात 1,14,20,537+1,14,20,537) के कर का अधिक भुगतान हुआ। मार्च 2020 में विक्रेता ने उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर के अधिक डेबिट के लिए प्रतिदाय आवेदन किया। उचित अधिकारी ने ₹ 2.28 करोड़ के प्रतिदाय की स्वीकृति दी जिसको विक्रेता के बैंक खाते में जमा किया गया। यह अनुमेय नहीं था क्योंकि स्वीकृत प्रतिदाय को ऊपर उल्लिखित परिपत्र के प्रावधान के अनुसार बैंक खाते में भुगतान करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैज़र में जमा किया जाना अपेक्षित था।

3.7.15 अनुचित स्वीकृत प्रतिदाय को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर में पुनः क्रेडिट न करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 92 में निर्धारित है कि प्रतिदाय आवेदन की प्रस्तुति पर अधिकारी जांच प्रक्रिया करेगा। वह जांच करेगा कि क्या प्रतिदाय दावा राशि देय है एवं आवेदक को भुगतान योग्य होने पर वह जीएसटी आरएफडी-06 फार्म में एक आदेश देगा, जिसमें आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उतनी प्रतिदाय राशि, जिसके लिए आवेदक पात्र है, स्वीकृत की जाएगी। उसे उसमें जीरो-रेटेड सप्लाई के मामले में आवेदक को अनंतिम आधार प्रतिदाय की गई राशि, यदि कोई हो, तो उसका भी उल्लेख करना होगा।

अधिनियम के तहत अथवा किसी मौजूदा कानून के तहत किसी बकाया मांग के प्रति प्रतिदाय से राशि एवं प्रतिदाय योग्य शेष राशि समायोजित की जाए। यद्यपि ऐसे मामलों में जहां प्रतिदाय की राशि किसी बकाया मांग के प्रति पूरी तरह से समायोजित की जाती है, समायोजन जीएसटी आरएफडी-07 के भाग क में जारी किया जाए।

प्रावधानों के अनुसार प्रतिदाय दावे पर रोक लगाई जा सकती है एवं आवेदक को राशि पर रोक लगाने के कारणों की जानकारी देते हुए जीएसटी आरएफडी-07 फार्म के भाग ख में एक आदेश जारी किया जा सकता है।

---

[28] मेसर्स प्रोटेक टेलीलिंक्स लिमिटेड।

जहां उचित अधिकारी प्रतिदाय के रूप में दावा की गई सम्पूर्ण अथवा आंशिक राशि के अनुमत योग्य न होने या आवेदक को भुगतान न होने सम्बन्धी लिखित में दर्ज किए कारणों से संतुष्ट हो, तो वह आवेदक को GST RFD-08 फार्म में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसे नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर GST RFD-09 फार्म में उत्तर प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। उत्तर पर विचार करने के पश्चात् उचित अधिकारी GST RFD-06 फार्म में यह आदेश देता है-

- प्रतिदाय की सम्पूर्ण अथवा उसके कोई भाग की स्वीकृति
- उक्त प्रतिदाय दावे की अस्वीकृति

पोस्ट ऑटोमेशन: हिमाचल प्रदेश राज्य आयुक्तालय के आठ मंडलों की लेखापरीक्षा के दौरान 112 प्रतिदाय मामलों की जांच की गई एवं यह पाया गया कि एक मामले[29] में जुलाई 2019 से सितंबर 2019 की अवधि हेतु इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित इनपुट कर क्रेडिट पर ₹ 38.63 लाख का प्रतिदाय स्वीकृत किया गया था, जैसाकि विक्रेता ने आरएफडी-01 फार्म में प्रतिदाय के अपने आवेदन में दावा किया था। यह राशि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लैजर से डेबिट की गई थी। यद्यपि उचित अधिकारी ने केवल ₹ 4.64 लाख की भुगतान सलाह (एडवाइस) जारी की। ₹ 33.99 लाख की शेष राशि का प्रतिदाय अनुमत न करने का कोई कारण दर्ज नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर योग्य टर्नओवर, निवल इनपुट कर क्रेडिट, समायोजित टर्नओवर के आधार पर निकला गया अधिकतम अनुमत प्रतिदाय ₹ 4.64 लाख है; अर्थात भुगतान सलाह के अनुरूप। यह देखा गया कि 19-02-2020 को विक्रेता के खाते से ₹ 38.63 लाख डेबिट किए गए जबकि भुगतान सलाह (एडवाइस) ₹ 4.64 लाख के लिए जारी की गई थी। वस्तु व सेवा कर के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार उचित अधिकारी को अंतर राशि के लिए विक्रेता को अनुमत न हुई राशि की रिवर्स एंट्री (पुनः प्रविष्टि) करके विक्रेता के खाते में जमा करना अपेक्षित था। विक्रेता के खाते में राशि वापस करने के सम्बन्ध में कोई अभिलेख नहीं पाया गया।

3.8 निष्कर्ष

पावती जारी करने के साथ ही प्रतिदाय स्वीकृति में महत्वपूर्ण विलम्ब था। कई मामलों में अधिनियमों व नियमों के प्रावधानों से विचलन हुआ जिसके परिणामस्वरूप अनियमित प्रतिदाय किया गया। विभाग प्रतिदाय के पश्चात् लेखापरीक्षा करने के प्रावधान का पालन करने में विफल रहा। विभाग प्रतिदाय स्वीकृत करने से पूर्व सभी दस्तावेजी प्रमाणों का संग्रह सुनिश्चित करने में भी विफल रहा तथा प्रतिदाय रजिस्टर निर्धारित प्रारूपों में अनुरक्षित नहीं किया गया।

[29] मेसर्स अज़ोट लाइफ साइंसेज लिमिटेड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को प्रेषित किए गए (सितम्बर 2021) एवं उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

3.9 सिफारिशें

- ***विभाग पावती जारी करने एवं प्रतिदाय स्वीकृति में विलम्ब को कम करने तथा प्रतिदाय स्वीकृति की दक्षता हेतु सुधारात्मक कार्रवाई करने पर विचार करें।***
- ***विभाग प्रावधानानुसार प्रतिदाय मामलों की पश्चात् लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली व प्रक्रिया व्युत्पन्न करें।***
- ***विभाग प्रतिदाय स्वीकृत करने से पूर्व सभी दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त करना सुनिश्चित करें।***

अध्याय-4

अग्निशमन सेवा विभाग की तैयारी

अध्याय 4: अग्निशमन सेवा विभाग की तैयारी

गृह विभाग

विभाग ने न तो आग की दृष्टि से संवेदनशील भवनों का जोख़िम विश्लेषण किया तथा न ही खतरनाक उद्योगों का कोई डाटाबेस तैयार किया। विभाग के पास ऐसे भवनों की पहचान के लिए लोक लेखा समिति की सिफारिश के बावजूद राज्य में ऊंचे भवनों का कोई डाटाबेस नहीं था। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम 1984, विभाग को अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन के लिए परिसर में प्रवेश करने/ जांच करने का अधिकार देता है, लेकिन यह अशक्त है क्योंकि इसमें मानदंडों का पालन न करने के लिए अनुपालन एवं दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने के प्रावधान नहीं हैं। नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि-नियंत्रण केंद्रों में पानी के पर्याप्त एवं विश्वसनीय स्रोत नहीं थे। राज्य में 115 अग्निशमन वाहनों के अनुमोदित बेड़े की संख्या के प्रति केवल 85 अग्निशमन वाहन उपलब्ध थे। जबकि उसी समय 2018-21 के दौरान विभाग ने 'मोटर वाहन' के अंतर्गत ₹ 6.22 करोड़ का बजट अभ्यर्पित किया। अपेक्षित 5,055 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों के प्रति केवल 728 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध थे। आग लगने की घटनाओं के बारे में प्रथम सूचना देने के लिए आबंटित यूनिक टोल-फ्री नंबर (101) राज्य में किसी भी अग्निशमन-चौकी में उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित अग्निशमन-चौकी द्वारा सूचना प्राप्त करने एवं प्रतिक्रिया करने में देरी हुई। परिचालन कर्मियों के स्वीकृत 938 पदों की संख्या के विरुद्ध 257 (28 प्रतिशत) पद रिक्त थे, जिससे अग्नि-नियंत्रण केन्द्रों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 2018-21 के दौरान विभाग ने कार्य के प्रति अग्निशामकों की उपयुक्तता (फिटनेस) का पता लगाने के लिए कोई शारीरिक मूल्यांकन परीक्षण नहीं किया। नमूना-जांच किए गए 22 अग्नि-नियंत्रण केंद्रों में अग्नि से हुई घटनाओं में देरी से प्रतिक्रिया की गई।

4.1 परिचय

हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा विभाग की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। इससे पहले राज्य में अग्निशमन सेवा विभिन्न नगर समितियों/ निगमों के नियंत्रण में कार्य करती थी। राज्य में अग्निशमन सेवा को प्रभावी रूप से बनाए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1984 (2000 में संशोधित) अधिनियमित किया। विभाग ने अग्निशमन सेवा अधिनियम के अधिनियमन हेतु कोई नियम तैयार नहीं किए। विभाग की प्राथमिक भूमिका अग्नि व अन्य आपदाओं से जान-माल की रक्षा करना है। विभाग के उत्तरदायित्वों में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवनों एवं विस्फोटक एवं अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों से संबंधित या उपयोग करने वाले औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु अग्नि सुरक्षा स्वीकृति जारी करना एवं उनका अनुपालन करना, अग्नि सुरक्षा

दिशानिर्देश जारी करना, अग्नि रिपोर्ट जारी करना तथा राज्य में आपदा प्रबंधन तैयारियों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रदर्शनों/ प्रशिक्षणों/ जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है।

अग्निशमन सेवा विभाग का प्रधान निदेशक होता है, जिसे एक मुख्य अग्निशमन अधिकारी[1] एवं तीन मण्डलीय अग्निशमन अधिकारियों[2] द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2021 तक विभाग के पास 65 अग्निशमन नियंत्रण केन्द्र थे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 25 अग्निशमन स्टेशन व उप-अग्निशमन स्टेशन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 40 अग्निशमन चौकियां शामिल थी। अग्नि-नियंत्रण केंद्रों का नेतृत्व एक स्टेशन अग्निशमन अधिकारी या अग्रसर प्रशामक द्वारा किया जाता है, जो जिले के मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी या आदेशक (कमांडेंट) होम गार्ड की समग्र देखरेख में कार्य करता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य में आपदा प्रबंधन की तैयारियों का पता लगाने हेतु 2011-16 की अवधि को सम्मिलित करते हुए 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन हेतु एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा में अन्य के साथ, अग्निशमन सेवा विभाग की कमियों का आकलन कर उन्हें चिह्नित किया गया तथा अग्निशमन सेवा विभाग को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई थी। इस निष्पादन लेखापरीक्षा पर 13वीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा की लोक लेखा समिति में चर्चा की गई (दिसंबर 2019), जिसमें समिति ने कुछ सिफारिशें जारी की थी।

समग्र अग्नि सुरक्षा तैयारियों में अद्यतन/ सुधार, मानदंडों/ नियमों के अनुपालन तथा पूर्व में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने का पता लगाने की दृष्टि से, लेखापरीक्षा ने वर्तमान प्रणालियों व प्रक्रियाओं की समीक्षा की है। वर्तमान लेखापरीक्षा का उद्देश्य सौंपे गए कार्यकलापों को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा की गई आगे की योजना का आकलन करना था; नियामक ढांचे का अनुपालन उच्च स्तर की तैयारी में परिणत होता है और प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, लेखापरीक्षा ने व्यय; नियोजन; कानूनी ढांचा; बुनियादी ढांचे व उपकरणों की उपलब्धता; जनशक्ति; प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण; तथा हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम (1984) में निर्धारित प्रासंगिक मानदंडों के संदर्भ में अग्नि की घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया समय; गृह मंत्रालय की स्थायी अग्नि सलाहकार समिति/ परिषद की सिफारिशें; राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अग्निशमन सेवाओं की स्तरीकरण (स्केलिंग), उपकरण के प्रकार व प्रशिक्षण के दिशानिर्देश; भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 (भाग-4) से संबंधित मुद्दों की

---

1 अग्निशमन सेवा निदेशालय, शिमला में नियुक्त।

2 मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, बल्देयां, शिमला; मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन मण्डल शिमला; मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी, निदेशालय शिमला।

जांच की गई। विभाग द्वारा लोक लेखा समिति की सिफारिशों के अनुपालन की वर्तमान स्थिति पर भी नीचे प्रासंगिक विषय में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा ने 2018-2021 की अवधि के दौरान किए गए क्षमता निर्माण गतिविधियों की नमूना-जांच की। नमूना-जांच किए गए इकाइयों में अग्निशमन सेवा निदेशालय, राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र एवं 65 अग्नि-नियंत्रण केंद्रों[3] में से 23 अग्नि-नियंत्रण केन्द्र (12[4] अग्निशमन स्टेशन व 11[5] अग्निशमन चौकियां) शामिल थे।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि-नियंत्रण केंद्रों में अभिलेखों की संवीक्षा, विभागीय उत्तरों का विश्लेषण एवं पांच में संयुक्त भौतिक निरीक्षण शामिल था। 2018-2021 के दौरान नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केंद्रों में अग्नि की 5,301 घटनाएं हुईं, जिसमें 117 मानव एवं 43 मवेशियों की जान का नुकसान हुआ तथा साथ ही ₹ 479.28 करोड़ मूल्य की संपत्ति की अनुमानित हानि हुई।

4.2 बजट एवं व्यय

विभाग के पास वर्ष 2018-21 हेतु ₹ 159.03 करोड़ का कुल बजट था, जिसके प्रति इसने ₹ 140.83 करोड़ का व्यय किया। व्यय के मुख्य शीर्ष वेतन (₹ 61.77 करोड़), मुख्य निर्माण कार्य (₹ 25.49 करोड़), मोटर वाहन क्रय (₹ 6.54 करोड़) एवं मशीनरी व उपकरण (₹ 4.54 करोड़) थे।

2018-21 के दौरान विभाग के बजट व व्यय की प्रास्थिति **तालिका-4.1** में दर्शाई गई है।

तालिका-4.1: बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आबंटन		व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2018-19	योजनागत	14.00	13.99	0.01	0.01
	आयोजनेत्तर	37.37	35.81	1.56	4.17
2019-20	योजनागत	10.72	6.51	4.21	39.27
	आयोजनेत्तर	43.83	34.98	8.85	20.19
2020-21	योजनागत	10.00	9.53	0.47	4.70
	आयोजनेत्तर	43.11	40.00	3.11	7.21
	योग	**159.03**	**140.82**	**18.21**	**0.01 से 39.27**

स्रोत: अग्निशमन सेवा निदेशालय।

[3] आग लगने की घटनाओं की संख्या के आधार पर स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के माध्यम से नमूना मानदंड के रूप में चुना गया।

[4] अग्निशमन स्टेशन रोहडू, तिलक नगर, पोंटा साहिब, ऊना, सोलन, धर्मशाला, बिलासपुर, बद्दी, काँगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व मनाली।

[5] अग्निशमन चौकी अम्ब, डाडासीबा, फतेहपुर, नगरोटा बगवां, ज्वालामुखी, ठियोग, कुमारसैन, टाहलीवाल, जोगिन्दर नगर, बैजनाथ व सुजानपुर।

वर्ष 2019-20 के दौरान बचत अधिक हुई। विभाग अपनी योजनागत निधियों का 39 प्रतिशत एवं आयोजनेत्तर निधियों का 20 प्रतिशत भी खर्च करने में सक्षम नहीं था, जो खराब वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है। इसके अतिरिक्त 2020-21 में आयोजनेत्तर शीर्ष के अंतर्गत बचत भी उल्लेखनीय थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.3 नियोजन

4.3.1 अग्निशमन स्टेशन/ अग्निशमन चौकी की स्थापना

राज्य में 12 जिले एवं 108 तहसीलें हैं। राज्य सरकार के 2019 के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक अग्निशमन स्टेशन एवं प्रत्येक तहसील में एक उप-अग्निशमन स्टेशन/ अग्निशमन चौकी खोली जानी है। इस प्रकार, राज्य में कम से कम 120 अग्नि नियंत्रण केंद्र (12 अग्निशमन स्टेशन व 108 उप-अग्निशमन स्टेशन/ अग्निशमन चौकी) होने थे। यद्यपि मार्च 2021 तक केवल 65 अग्निशमन नियंत्रण केन्द्र (22 अग्निशमन स्टेशन, 3 उप-अग्निशमन स्टेशन व 40 अग्निशमन चौकियां) स्थापित किए गए। इन 65 अग्निशमन नियंत्रण केंद्रों में से 17 अग्निशमन नियंत्रण केंद्र 2018-21 के दौरान स्थापित किए गए थे।

विभाग ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।

4.3.2 राज्य हेतु व्यापक योजना बनाना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, 2012 का परिच्छेद 3.3.1 सम्पूर्ण राज्य में जनशक्ति एवं उपकरण की पूर्ण आवश्यकता की गणना करने के लिए राज्य हेतु व्यापक योजना बनाने का प्रावधान करता है। इस दिशा में पहले कदम के रूप में, दिशानिर्देशों में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले खतरनाक सामग्रियों का निपटान करने वाले सभी उद्योगों के लेखांकन एवं संवेदनशीलता विश्लेषण का प्रावधान करना है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि विभाग ने कोई अग्नि-संवेदनशीलता विश्लेषण नहीं किया था तथा खतरनाक गतिविधियों में लिप्त उद्योगों का कोई डाटाबेस भी तैयार नहीं किया था। विभाग के पास राज्य में ऊंचे भवनों का भी कोई डाटाबेस नहीं था, यद्यपि लोक लेखा समिति ने अग्नि की चपेट में आ सकने वाले भवनों की पहचान करने एवं इसके लिए रिकॉर्ड बनाने की सिफारिश की थी। विभाग ने खतरनाक उद्योगों के लेखांकन के लिए सर्वेक्षण न किए जाने एवं अग्नि की चपेट में आने वाले भवनों का सर्वेक्षण न करने के लिए कर्मचारियों की कमी को जिम्मेदार ठहराया।

4.3.3 अग्नि सुरक्षा स्वीकृति

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों के परिच्छेद 3.2.2 में सभी ऊंचे भवनों, कॉलोनियों, आवासीय समूहों, व्यापार केंद्रों, मॉल आदि के लिए अग्निशमन सेवा विभाग से अनिवार्य स्वीकृति अपेक्षित है; यदि भवन/ भवन-अधिभोगी अग्नि सुरक्षा अपेक्षाओं (जैसे, उचित अग्नि सुरक्षा उपकरण, निकासी मार्गों, पार्किंग स्थानों, आदि) को पूरा नहीं करते, तो ऐसे भवनों को सील करने का प्रावधान होना चाहिए; एवं यह कि उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कानूनी व दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों की सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम के प्रावधान अशक्त थे क्योंकि वे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों में परिकल्पित सभी प्रकार के भवनों के लिए अग्निशमन विभाग से अनिवार्य स्वीकृति प्रदान नहीं करते थे। अधिनियम की धारा 15ए में केवल 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवनों व विस्फोटक/ अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों का निपटान करने वाली औद्योगिक इकाइयों/ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संबंध में अग्निशमन विभाग से अनिवार्य स्वीकृति/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित न करने की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान नहीं थे, यहां तक कि उन भवनों के लिए भी जहां यह लागू था।

विभाग को स्वयं की संतुष्टि के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने से पूर्व भवन/ अधिभोग द्वारा अग्नि सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन का निरीक्षण करना होता है तथा अनुपालन न होने पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं करना होता है। तथापि, भवन के स्वामी/ अधिभोगियों द्वारा कमियों पर अनुपालन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई एवं न ही ऐसे निरीक्षण के दौरान जारी निर्देशों का अनुपालन न करने पर कोई दण्डात्मक उपबंध (यथा भवन-अधिभोग को सील करना) निर्धारित किए गए।

हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1984 की धारा 9(1) में कहा गया है कि राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र में स्थित या किसी भी वर्ग के परिसरों, जो ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जो उसकी राय में अग्नि का खतरा पैदा कर सकते हैं, के स्वामियों अथवा अधिभोगियों से ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट सावधानियां बरतने की अपेक्षा कर सकती है। यह विभाग के कर्मचारियों को किसी भी अधिसूचित स्थान में प्रवेश करने का अधिकार देता है ताकि वे उन मदों अथवा माल को सुरक्षित स्थान पर हटाने की जांच/ निर्देशित कर सकें जो अग्नि के जोखिम का कारण बनने की संभावना रखते हैं। तथापि, अधिनियम में ऐसे अनुपालन में कमी पाए जाने की स्थिति में किसी दण्डात्मक उपबंध का प्रावधान नहीं है।

विद्यालयों एवं अस्पतालों द्वारा अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त न करना-

उच्चतम न्यायालय ने एक स्कूल में अग्नि लगने की घटना पर संज्ञान लेते हुए (अप्रैल, 2009) प्रत्येक स्कूल को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त करने का निर्देश दिया। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के अस्पतालों में अग्नि लगने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए एवं गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय भवन संहिता के अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अस्पतालों व निजी अस्पतालों (नर्सिंग होम) के नियमित निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए राज्यों को परामर्शी-पत्र (एडवाइजरी) जारी किए।

अग्निशमन सेवा विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2021) कि 2018-21 की अवधि के दौरान राज्य के 2,806 सरकारी स्कूलों में से केवल 55 स्कूलों ने अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त, राज्य के सभी 99[6] प्रमुख सरकारी अस्पतालों ने अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया था। हालांकि, राज्य के कानूनी ढांचे में कोई दण्डात्मक उपबंध नहीं थे इसलिए उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई तथा उच्चतम न्यायालय तथा गृह मंत्रालय के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। इस प्रकार, इन भवनों में कार्यरत/ आवागमन करने वाली आम जनता का जीवन हमेशा जोखिम में रहा।

अग्निशमन सेवाएं विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना-

नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केंद्रों में से तीन[7] में लेखापरीक्षा ने अग्निशमन सेवा विभाग के अधिकारियों के साथ 24 भवनों[8] का संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया (अगस्त-सितंबर 2021 व फरवरी 2022)। भवनों का चयन उन में से किया गया था जिन्होंने अग्निशमन सेवाएं विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 24 भवनों में से 17 को अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन करने पर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। शेष सात भवनों में निरीक्षण के 08 से 93 माह के बीत जाने के बाद भी विभाग द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन नहीं किया गया। अनिवार्य स्वीकृति/ आवश्यकता अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं दण्डात्मक प्रावधान के अभाव में विभाग भवन मालिकों/ अधिभोगियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने में असमर्थ था।

अग्निशमन सेवा विभाग ने बताया कि उन आवेदकों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए जिन्होंने अपने भवनों में अग्नि सुरक्षा उपायों को अपनाने के बाद विभाग से संपर्क किया था।

---

6 राज्य सरकार के जोनल, क्षेत्रीय व सिविल अस्पताल।

7 अग्निशमन स्टेशन बद्दी, सोलन व तिलकनगर।

8 जैसाकि भारत के एनबीसी 2016 भाग- IV में निर्धारित है आवासीय, शैक्षिणक, संस्थागत, सम्मेलन (असेंबली), व्यवसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक, भंडारण एवं जोख़िम भरे भवन।

तथ्य यह रहा कि विभाग अनुपालन न करने वाले संस्थानों को सक्षम नियमों के अभाव के कारण समय पर अग्नि सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं कर सका। अनुपालन न करने वाले संस्थानों पर अग्नि सुरक्षा मानदंडों को लागू करने हेतु कानूनी ढांचे में आवश्यक प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।

4.4 बुनियादी ढांचा एवं उपकरण

4.4.1 भवन अवसंरचना

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों (2012) के परिच्छेद 3.4.2 में अग्नि नियंत्रण केन्द्र की स्थापना के दौरान बुनियादी आवश्यकताओं जैसे वाहन पार्किंग, कार्यालय/ स्टोर कक्ष, उपकरण कक्ष आदि हेतु स्थान की सिफारिश की गई है। लेखापरीक्षा में 23 अग्निशमन नियंत्रण केन्द्रों (12 अग्निशमन स्टेशन व 11 अग्निशमन चौकियां) पर चार आयामों-पार्किंग सुविधाओं, पृथक कार्यालय/ नियंत्रण/ स्टोर/ विश्राम कक्ष, कंप्यूटर सुविधाओं एवं स्वयं के भवन के प्रति बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की स्थिति की जांच की। स्थिति **तालिका-4.2** में दर्शाई गई है।

तालिका-4.2: नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केंद्रों में बुनियादी ढांचे की उपलब्धता

क्र. सं.	मापदण्ड	उपलब्ध	अनुपलब्ध
1	पार्किंग सुविधा	13	10
2	पृथक कार्यालय/ नियंत्रण/ स्टोर कक्ष	19	04
3	कंप्यूटर सुविधा	12	11
4	स्वयं के भवन	09	14

नमूना-जांच किए गए किए गए 23 अग्निशमन नियन्त्रण केन्द्रों में से 10 में स्वयं की पार्किंग सुविधाओं का अभाव एक महत्वपूर्ण आपदा प्रबंधन विभाग की उपेक्षा को परिलक्षित करता है। अग्निशमन वाहनों को खुली सड़कों/ सामान्य क्षेत्र (नीचे चित्र देखें) पर पार्क किया जा रहा था क्योंकि उनका स्वयं का कोई पार्किंग स्थल नहीं था। इससे विकट मोड़ों पर अग्निशमन वाहनों की आवाजाही में बाधा होने का जोख़िम पैदा हुआ जिससे प्रतिक्रिया के समय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अग्निशमन चौकी ठियोग व जोगिंद्रनगर में सड़क पर खड़े अग्निशमन वाहन

4.4.2 जल-स्रोत/ अग्निशमन हाइड्रेंटस

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन के दिशानिर्देशों (2012) के परिच्छेद 3.4.3.1 में विशेषरूप से पहाड़ी क्षेत्रों में अग्निशमन हेतु पर्याप्त जल की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की सिफारिश की गई है। ये दिशानिर्देश शहरों में अग्निशमन हाइड्रेंटस की नियमित जांच की सिफारिश करते हैं ताकि उनकी कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सके।

नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केंद्रों पर यह देखा गया कि -

- छ:[9] अग्नि नियंत्रण केंद्र पूरी तरह से जल के प्राकृतिक/ अन्य स्रोतों पर निर्भर थे एवं इन छ: केंद्रों में से दो में जल स्रोत 10 व 12 किलोमीटर दूर स्थित थे।

- 17 अग्नि नियंत्रण केंद्र[10] उनकी जल की आवश्यकताओं के लिए अग्निशमन हाइड्रेंटस पर निर्भर थे। तथापि, इन 17 केन्द्रों में अग्निशमन हाइड्रेंटस का एक बड़ा अनुपात कार्य नहीं कर रहा था जैसाकि **तालिका-4.3** में यथाविस्तृत रूप से दिया गया है।

तालिका-4.3: नमूना-जांच किए गए 23 में से 17 अग्नि नियंत्रण केंद्रों में अग्निशमन हाइड्रेंटस की स्थिति

वर्ष	उपलब्ध अग्निशमन हाइड्रेंटस की संख्या	कार्यशील अग्निशमन हाइड्रेंटस की संख्या	कार्य न करने की स्थिति वाले अग्निशमन हाइड्रेंटस की संख्या (%)
2018-19	385	264	121 (31)
2019-20	395	321	74 (19)
2020-21	403	326	77 (19)

स्रोत: अग्निशमन सेवा विभाग के अभिलेख।

- यहाँ तक कि कार्यशील अग्निशमन हाइड्रेंटस में भी पानी की उपलब्धता में विलम्ब पाया गया। तीन[11] अग्नि नियंत्रण केन्द्रों में नमूना-जांच किए गए तीन अग्निशमन हाइड्रेंटस में से दो में संयुक्त भौतिक निरीक्षण[12] के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि सोलन (माल रोड पर स्थापित) में नमूना-जांच किए गए (अगस्त 2021) अग्निशमन-हाइड्रेंट में पानी को हाइड्रेंट तक पहुंचने में 57 मिनट लगे। जोगिन्दरनगर (अमरटैक्स में स्थापित) में

---

9 बैजनाथ-12 किलोमीटर, कुमारसैन-10 किलोमीटर, डाडा सीबा, टाहलीवाल, फतेहपुर व ठियोग।

10 अग्निशमन स्टेशन रोहड़ू, तिलकनगर, पांवटा साहिब, ऊना, सोलन, धर्मशाला, बिलासपुर, बद्दी, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व मनाली; तथा अग्निशमन चौकी अंब, नगरोटा बगवाँ, ज्वालामुखी, सुजानपुर व जोगिंद्रनगर।

11 अग्निशमन स्टेशन सोलन, अग्निशमन चौकी जोगिन्दरनगर व सुजानपुर।

12 अग्रसर प्रशामक द्वारा नमूना-जांच के लिए हाइड्रेंट में पानी छोड़ने के लिए नगर निगम/ परिषद/ स्थानीय निकाय प्राधिकरण को फोन करने के बाद हाइड्रेंटस में पानी की उपलब्धता की जांच की गई।

अग्निशमन-हाइड्रेंट परीक्षण की जांच में पानी को हाइड्रेंट तक पहुंचने में 18 मिनट लगे। अग्निशमन हाइड्रेंटस में जल की उपलब्धता में विलंब हेतु समर्पित जल आपूर्ति पाइपलाइन की अनुलब्धता को जिम्मेदार ठहराया गया था।

4.4.3 अग्निशमन वाहन

राज्य सरकार ने अग्नि नियंत्रण केंद्र के प्रत्येक स्तर (अग्निशमन स्टेशन/ उप अग्निशमन स्टेशन/ अग्निशमन चौकी) पर अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता के मानदंडों[13] (अप्रैल 2017) को अनुमोदित किया था। सरकार ने स्थायी अग्निशमन सलाहकार परिषद द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार फायर टेंडर/वाहनों हेतु 5000 घंटे (स्टेशनरी प्रचालन) या 10 वर्ष के मानदंड/ पैरामीटर[14] भी निर्धारित किए थे।

अनुमोदित मानदंडों के अनुसार विभाग को अपने बेड़े में कम से कम 115 अग्निशमन वाहन रखने थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इस अपेक्षित बेड़े के प्रति केवल 85 अग्निशमन वाहन उपलब्ध थे एवं यहाँ तक कि उपलब्ध वाहनों में से 32 वाहनों ने 10 वर्षों के अपने अधिकतम अनुशंसित जीवन को भी पूरा कर लिया था।

तालिका-4.4: राज्य में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता

क्र. सं.	अग्निशमन वाहनों के प्रकार	स्वीकृत बेड़े की संख्या	वाहनों की उपलब्धता	कमी
1.	वाटर टैंडर टाइप-'बी'	70	48	22
2.	वाटर टैंकर/ वाटर बाउजर	22	17	5
3.	कंबाइंड फोम व सीओ2 टैंडर	23	20	3
योग		**115**	**85**	**30**

नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केंद्रों के अभिलेखों की जांच से पता चला है कि 47 अग्निशमन वाहनों के अनुमोदित बेड़े के प्रति 3 श्रेणियों[15] में केवल 36 वाहन उपलब्ध थे।

2018-21 के दौरान अग्निशामक वाहनों में कमी के बावजूद मोटर वाहन क्रय करने के लिए प्राप्त ₹ 6.22 करोड़ के बजट का अभ्यर्पण यह दर्शाता है कि विभाग ने कमी के बावजूद अग्निशमन वाहनों के क्रय हेतु पर्याप्त रूप से योजना नहीं बनाई।

विभाग ने (मार्च 2022) बताया कि 2019-20 के दौरान क्रय किए गए बीएस IV अग्निशमन वाहनों में आवश्यकतानुसार चेसिस के निर्माण के लिए राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने, जिसमें समय लग सकता था जो 1 अप्रैल 2020 के बाद बीएस VI सम्मत न

---

[13] अग्निशमन स्टेशन- वाटर टैंडर टाइप-बी- 1 नंबर, वाटर बाउजर 1 नंबर, कंबाइंड फोम सीओ 2 टैंडर 1 नंबर एवं क्यूआरवी 1 नंबर; उपअग्निशमन स्टेशन- वाटर टैंडर टाइप-बी- 1 नंबर, वाटर बाउजर 1 नंबर, कंबाइंड फोम सीओ 2 टैंडर 1 नंबर व अग्निशमन चौकी- वॉटर टैंडर टाइप-बी- 1 नंबर व क्यूआरवी 1 नंबर।

[14] संख्या. फिन-एफ-(ए)-(11)-11/2004 दिनांक 7 सिंतबर 2020

[15] वाटर टैंडर टाइप-बी, वाटर बाउजर व कंबाइंड फोम सीओ 2 टैंडर।

होने के कारण पंजीकृत नहीं किए जा सकते थे, के कारण बजट अभ्यर्पित करना पड़ा। जीईएम (GeM) पोर्टल पर बीएस- VI मानक के अनुरूप वाहन उपलब्ध नहीं थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जीईएम पर उपलब्ध नहीं होने पर अन्य स्रोतों से वस्तुओं को क्रय करने की स्वीकृति देने के लिए अनुमति मांगी जा सकती थी तथा प्रस्तावों पर समय पर प्रक्रिया की जानी थी।

4.4.4 उपकरणों की कमी

- **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) -**

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों के परिच्छेद 7.5.1 में अग्निशमन कर्मचारियों के उपयोग के लिए आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) की आवश्यकता निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा में नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केंद्रों में आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता में भारी कमी देखी (मार्च 2021 तक) गई:

तालिका-4.5: व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) की उपलब्धता

क्र. सं.	मद का नाम (पीपीई)	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	कमी	कमी का प्रतिशत
1	हेलमेट	398	222	176	44
2	डोरी वाली पानी की बोतल	382	0	382	100
3	आँखों का सुरक्षा उपकरण	402	4	398	99
4	कानों का सुरक्षा उपकरण	402	0	402	100
5	स्टील की सुरक्षा वाले पैर के जूते	402	0	402	100
6	सुरक्षा सीटी	390	103	287	74
7	घुटनों के पैड	402	0	402	100
8	कार्य करने के लिए दस्ताने	397	93	304	77
9	समग्र अग्नि प्रतिरोधी सूट/ अग्नि में प्रवेश सूट/ अग्नि निकटता सूट/ अग्नि के दृष्टिकोण से आवश्यक सूट	359	47	312	87
10	व्यक्तिगत सुरक्षा लाइन (सैश कॉर्ड) 15" लंबाई	375	4	371	99
11	गम बूट/ सुरक्षा बूट/ अग्निशमन बूट	393	41	352	90
12	श्वास उपकरण	384	45	339	88
13	प्रशामक की कुल्हाड़ी	369	169	200	54
	योग	**5055**	**728**	**4327**	**86**

इन महत्वपूर्ण न्यूनतम उपकरणों की उपलब्धता में कमी का अर्थ था कि अग्निशामक खतरे में थे, जो उनकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

विभाग ने बताया कि कोविड 19 महामारी के कारण व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का क्रय नहीं किया जा सका, परन्तु 2020-21 व 2021-22 में जीईएम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने के आदेश दिए गए हैं।

- **संचार उपकरण-**

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों (2012) के परिच्छेद 7.3.1 में प्रावधान है कि अग्निशमन सेवाओं में टेलीफोन, टेलीफैक्स, कंप्यूटरीकृत ध्वनि लॉगर, भौगोलिक सूचना प्रणाली, हैम रेडियो, स्थायी एवं गतिमान वायरलेस सेट तथा उपग्रह-आधारित संचार जैसे संपर्क उपकरण होने चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अग्नि लगने की घटनाओं के बारे में प्रथम सूचना देने के लिए आबंटित यूनिक टोल-फ्री नंबर (101) केवल अग्निशमन स्टेशनों में उपलब्ध कराया गया था। लैंडलाइन टेलीफोन को छोड़कर राज्य में किसी भी अग्निशमन चौकी में संचार का कोई अन्य तरीका उपलब्ध नहीं था जिसके परिणामस्वरूप सूचना प्राप्त करने एवं प्रतिक्रिया करने के समय में विलंब हो सकता है।

इन उपकरणों की अनुपलब्धता से अग्नि लगने की घटनाओं की स्थिति में, विशेषरूप से दूरदराज के क्षेत्रों में संसूचना के आदान-प्रदान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी।

विभाग ने बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण संचार उपकरणों की क्रय प्रक्रिया आरम्भ नहीं की जा सकी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तरह के लॉकडाउन से पहले या बाद में क्रय किया जा सकता था।

- **झाग मिश्रण (फोम कंपाउंड) -**

अग्निशामक फोम कंपाउंड एक फोम है जिसका उपयोग अग्नि बुझाने के लिए किया जाता है। इसकी भूमिका अग्नि को शांत करने एवं आवृत्त करने तथा ऑक्सीजन के साथ इसके संपर्क को रोकना है, जिसके परिणामस्वरूप अग्नि का शमन होता है। स्थायी अग्निशमन सलाहकार समिति/परिषद की सिफारिश[16] के अनुसार प्रत्येक अग्निशमन स्टेशन में कम से कम 500 लीटर फोम कंपाउंड का स्टॉक किया जाना है।

संवीक्षा से उजागर हुआ कि मार्च 2021 तक नमूना-जांच किए गए 12 अग्निशमन केन्द्रों में से 10[17] में फोम कंपाउंड में 53 लीटर से 400 लीटर तक की कमी थी। फोम कंपाउंड की कमी से संबंधित फायर स्टेशनों की अग्निशमन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

---

[16] पहली से 38 वीं बैठक तक एस.एफ.ए.सी. की बैठकों के कार्यवृत्त का संकलन-पृ. सं. 637, बिंदु सं. 24

[17] अग्निशमन स्टेशन में उपलब्ध कुल फोम कंपाउंड- बद्दी: 100, बिलासपुर 330, धर्मशाला: 440, तिलक नगर 160, सोलन: 280, ऊना: 400, कांगड़ा 360, कुल्लू 447, मनाली 270, रोहड़ू 400

4.5 जनशक्ति प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण

4.5.1 जनशक्ति प्रबंधन

राज्य सरकार ने अग्निशमन नियंत्रण केन्द्रों में परिचालन कर्मचारियों की तैनाती के मानदंड निर्धारित[18] किए हैं।

मार्च 2021 तक विभाग में परिचालन कर्मचारियों की संवर्ग-वार स्थिति **तालिका-4.6** में दर्शाई गई है।

तालिका-4.6: मार्च 2021 तक विभाग में परिचालन कर्मियों की स्थिति

संवर्ग	स्वीकृत पद	तैनात कर्मी	रिक्त पद	कमी का प्रतिशत
मुख्य अग्निशमन अधिकारी	1	1	0	0
अग्निशमन निवारण अधिकारी/ मंडलीय अग्निशमन अधिकारी	3	3	0	0
स्टेशन अग्निशमन अधिकारी	10	6	4	40
उप स्टेशन अग्निशमन अधिकारी	35	24	11	31.43
अग्रसर प्रशामक	123	109	14	11.38
प्रशामक	578	377	201	34.78
चालक-सह-पम्प ऑपरेटर	188	159	29	15.42
योग	**938**	**679**	**259**	**27.61**

मार्च 2021 तक नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केन्द्रों में 353 परिचालन कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध 73 पद (21 प्रतिशत) रिक्त थे अर्थात् केवल 280 परिचालन कर्मी थे।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2021) कि रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है। तथ्य यह रहा कि परिचालन कर्मचारियों की भर्ती नहीं होने से अग्निशमन नियंत्रण केंद्रों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

4.5.2 प्रशिक्षण - राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केन्द्र

विभाग का बल्देयां (जिला शिमला) में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र है। प्रशिक्षण केंद्र एक मण्डलीय अग्निशमन अधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों, कर्मचारियों व होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए विभिन्न रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों का संचालन करता है।

[18] पत्र संख्या होम-एफ(ए)1-13/2019 दिनांक 12 मार्च 2020

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश (2012) विभिन्न प्रकार की अग्नि से आपात स्थितियों के लिए यथार्थवादी परिदृश्यों में अग्निशामकों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र में पर्याप्त बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं की सिफारिश करते हैं।

लेखापरीक्षा में बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, उपकरणों एवं पाठ्यक्रमों की उपलब्धता में कमियां पाई गई हैं जैसाकि **तालिका-4.7** में विवर्णित है।

तालिका-4.7: राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र में बुनियादी ढांचे की उपलब्धता

क्र. सं.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के मानदंडो के अनुसार आवश्यकता	उपलब्धता
1	अग्नि की रोकथाम के लिए प्रयोगशाला, ज्वलनशील रसायनों व विस्फोटकों के प्रशिक्षण	नहीं
2	अग्निशमन प्रशिक्षण के लिए सीमित स्थान में आउटडोर प्रशिक्षण संरचना का निर्माण	नहीं
3	व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए बचाव (रेस्क्यू) टॉवर	नहीं
4	अग्नि घटित होने के परिदृश्य से परिचित होने के लिए धुआं (स्मोक) कक्ष	नहीं
5	व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आधुनिक सिम्युलेटर	नहीं
6	पुस्तकालय	नहीं
7	निजी सुरक्षा उपकरण	सीमित संख्या में उपलब्ध
8	श्वसन उपकरण	सीमित संख्या में उपलब्ध
9	बाढ़ से बचाव के लिए विशेष उपकरण	सीमित संख्या में उपलब्ध
10	प्राथमिक चिकित्सा-किट	हाँ
11	रेडियो टेलीफोनी में विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया	नहीं
12	संचार प्रशिक्षण आयोजित किया	नहीं
13	हाइड्रेंट प्रशिक्षण के सजीव प्रदर्शन के लिए पानी की उपलब्धता	नहीं
14	टर्नटेबल सीढ़ी, हाइड्रोलिक प्लेटफ़ॉर्म	नहीं
15	स्टेशन अग्निशमन अधिकारी के रैंक तक अग्निशमन कर्मियों की तकनीकी दक्षता व शारीरिक दक्षता का मूल्यांकन	प्रशिक्षण के समय किया गया
16	अग्निशमन हेतु उपयोग किए जाने वाले उपकरण/ वाहन	नहीं; प्रशिक्षण के लिए केवल फोम टेंडर एवं एक मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं

4.5.3 परिचालन अग्निशमन कर्मियों हेतु शारीरिक मूल्यांकन परीक्षण

स्थायी अग्निशमन सलाहकार समिति/परिषद की सिफारिशों[19] के अनुसार अग्निशमन एवं बचाव कार्यों में शामिल अग्निशामकों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु उपयुक्त (फिट) हैं, शारीरिक मूल्यांकन परीक्षण हर छः माह में आयोजित किया जाना चाहिए।

[19] परिशिष्ट "11-जी", अग्निशामकों के लिए चिकित्सा मानकों पर उप-समिति की कार्यवाही।

अग्निशमन सेवा निदेशालय के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग में कार्यरत 679 परिचालन कर्मचारियों में से 437 (64%) 45 वर्ष से अधिक आयु के थे। विभाग ने उपरोक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार 2018-21 के दौरान कोई शारीरिक फिटनेस परीक्षण आयोजित नहीं किया।

4.6 प्रतिक्रिया समय

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशानिर्देशों (2012) के परिच्छेद 7.2.2 में शहरी क्षेत्रों में 3 से 5 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट के प्रतिक्रिया (रिस्पांस) समय की सिफारिश की गई है। विभाग में अग्नि की सभी घटनाओं का रिकार्ड घटना पुस्तिका (ओक्कुरेंस बुक) एवं अग्नि/ बचाव (फायर/ रेस्क्यू) कॉल रजिस्टर में रखा जाता है, जिसमें अग्नि लगने की घटनाओं का ब्यौरा, जैसे अग्नि लगने की सूचना, वाहनों की आवाजाही, अनुमानित हानि आदि का विवरण दर्ज किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में 2018-21 में नमूना-जांच किए गए 23 अग्नि नियंत्रण केंद्रों में अग्नि की घटनाओं से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा की तथा पाया-

- अग्निशमन चौकी ठियोग ने अग्नि-घटित स्थल पर पहुंचने के समय का रिकॉर्ड नहीं रखा था।

- नमूना-जांच किए गए अन्य 22 अग्नि नियंत्रण केंद्रों में शहरी क्षेत्रों में 59 प्रतिशत मामलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 41 प्रतिशत मामलों में विलम्ब से प्रतिक्रिया हुई, जैसाकि **तालिका-4.8** व **4.9** में विवर्णित है।

तालिका-4.8: शहरी क्षेत्रों में अग्नि नियंत्रण केंद्रों में प्रतिक्रिया समय

वर्ष	मामलों की संख्या	निर्धारित समय के भीतर प्रतिक्रिया किए मामलों की संख्या (5 मिनट तक) (%)	विलंबित प्रतिक्रिया के मामलों की संख्या				
			6 - 15 मिनट	16 - 25 मिनट	26 - 35 मिनट	35 मिनट से अधिक	विलंबित प्रतिक्रिया के मामलों की कुल संख्या (%)
2018-19	733	297 (41%)	362	55	15	4	436 (59%)
2019-20	620	218 (35%)	313	67	14	8	402 (65%)
2020-21	498	237 (48%)	213	31	10	7	261 (52%)
योग	**1851**	**752 (41%)**	**888**	**153**	**39**	**19**	**1099 (59%)**

तालिका-4.9: ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि नियंत्रण केंद्रों में प्रतिक्रिया समय

वर्ष	मामलों की संख्या	निर्धारित समय के भीतर प्रतिक्रिया किए मामलों की संख्या (20 मिनट तक) (%)	विलंबित प्रतिक्रिया के मामलों की संख्या				
			21 - 30 मिनट	31 - 40 मिनट	41 - 50 मिनट	50 मिनट से अधिक	विलंबित प्रतिक्रिया के मामलों की कुल संख्या (%)
2018-19	1219	658 (54%)	247	134	74	106	561 (46%)
2019-20	1101	700 (64%)	178	90	64	69	401 (36%)
2020-21	1012	620 (61%)	173	90	65	64	392 (39%)
योग	**3332**	**1978 (59%)**	**598**	**314**	**203**	**239**	**1354 (41%)**

अग्नि की घटनाओं पर प्रतिक्रिया में विलम्ब, जान-माल के नुकसान/ क्षति को रोकने में अग्निशमन के प्रयासों की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

नमूना-जांच किए गए अग्नि नियंत्रण केंद्रों ने बताया कि अग्नि-घटित स्थलों तक पहुंचने में विलम्ब मुख्य रुप से अग्नि नियंत्रण केंद्रों की घटनास्थल से अधिक दूरी, भौगोलिक परिस्थितियों, खराब सड़के, यातायात जाम आदि के कारण हुई। इससे पता चलता है कि विभाग ने भौगोलिक परिस्थितियों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन केन्द्रों के वितरण एवं स्थान का चयन समुचित योजना/ युक्तिसंगत करके नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के दिशा-निर्देशों में पहले ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कारकों पर विचार कर प्रतिक्रिया समय यथा निर्धारित किया गया था।

4.7 निष्कर्ष

वर्ष 2016 की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित की गई सिफारिशों के छः वर्ष व्यतीत होने के बावजूद आपदाओं को कम करने में अग्निशमन विभाग की तैयारियों में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। विभाग ने न तो हिमाचल प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम में संशोधन किया एवं न ही लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद अग्निशमन सेवा अधिनियम को लागू करने के लिए कोई नियम तैयार किए। अधिनियम के प्रावधान कमजोर थे क्योंकि उनमें अनुपालन को लागू करने के प्रावधान एवं गैर-अनुपालन को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधान नहीं थे। नियोजन में कमी थी क्योंकि विभाग ने आग की दृष्टि से संवेदनशील भवनों का कोई जोख़िम विश्लेषण नहीं किया था और न ही खतरनाक गतिविधियों में लगे उद्योगों का कोई डाटाबेस तैयार किया था। राज्य में ऊंचे भवनों का कोई डाटाबेस नहीं था, यद्यपि लोक लेखा समिति ने ऐसे भवनों की

पहचान करने एवं लेखांकन करने की सिफारिश की थी जो आग की दृष्टि से संवेदनशील हैं। विभाग 2019-20 के दौरान अपने योजनागत निधि का 39 प्रतिशत तक खर्च नहीं कर पाया। अन्य वर्षों में भी योजनागत एवं आयोजनेत्तर दोनों निधियों में बचत हुई जो कमज़ोर वित्तीय प्रबंधन का संकेत देती है। अपेक्षित संख्या में अग्निशमन चौकियां/ स्टेशन खोले नहीं गए थे। अग्निशमन के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की भारी कमी थी। इसके अतिरिक्त परिचालन अग्निशमन कर्मियों के मुख्य पदों में कमी थी। अपेक्षित रूप से, अग्निशमन सेवाओं का प्रतिक्रिया समय निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को प्रेषित किए गए (मार्च 2022) एवं उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

4.8 सिफारिशें

- ***जोखिम भरे उद्योगों एवं आग की दृष्टि से संवेदनशील भवनों की पहचान करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण करें एवं ऐसे क्षेत्रों/ भवनों में जोख़िम को कम करने के लिए एक कार्य-योजना बनाएं।***
- ***अग्निशमन विभाग को सुदृढ़ करने के लिए अनिवार्य मंजूरी, प्रवेश एवं निरीक्षण तथा जुर्माना व शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में अधिक शक्तियां प्रदान करें।***
- ***विभाग मानदंडों का अनुपालन करने के लिए क्षेत्रीय इकाइयों के बुनियादी ढांचे को उन्नत एवं जनशक्ति को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।***

अध्याय-5
स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अध्याय 5: स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

5.1 शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अमान्य अनुमति

शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत करने में निर्धारण अधिकारियों की विफलता ₹ 1.40 करोड़ के अमान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति के रूप में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 11(4) में प्रावधान है कि यद्यपि उप-धारा में निहित हो, तथापि इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति केवल उस सीमा तक दी जाएगी, जहां तक अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान बिक्री के माध्यम के अतिरिक्त राज्य से बाहर भेजे गए माल की खरीद पर राज्य में भुगतान किए गए कर की इनपुट कर राशि चार प्रतिशत से अधिक हो। धारा 19 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करेगा एवं उसके बाद बकाया जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगा।

2020-21 के दौरान नमूना-जांच किए गए पांच[1] (11 में से) राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्तों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने निर्धारण वर्ष 2007-08 से 2016-17 हेतु 14 विक्रेताओं के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय (अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के मध्य) शाखा हस्तांतरण के रूप में भेजे गए माल पर मात्र ₹ 0.52 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जबकि उक्त धारा 11(4) के अनुसार निर्धारण प्राधिकारियों से शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के ₹ 1.92 करोड़[2] इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति न देना अपेक्षित था। इसके परिणामस्वरूप शाखा हस्तांतरण पर ₹ 1.40 करोड़[3] के इनपुट टैक्स क्रेडिट का अधिक लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि तीन विक्रेताओं[4] के चार मामलों में पुनर्निर्धारण किया। राशि वसूली हेतु लंबित थी एवं एक विक्रेता के मामले में उत्तर स्वीकार कर लिया गया क्योंकि

---

1 उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी नाहन स्थित सिरमौर, ऊना, बद्दी, सोलन व नूरपुर (कांगड़ा)।

2 शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी = (4%) / (कर की दर) x (कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट - कर की इसी दर की बिक्री पर इनपुट टैक्स क्रेडिट)।

3 उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सिरमौर: चार मामले: ₹ 49.92 लाख, उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी ऊना: चार मामले: ₹ 63.40 लाख, उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बद्दी: तीन मामले: ₹ 24.51 लाख, उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सोलन: दो मामले: ₹ 0.92 लाख व उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी नूरपुर (कांगड़ा): एक मामला: ₹ 1.30 लाख।

4 मालवा कॉटन, फेवा इलेक्ट्रिक व स्टुफा।

कंपनी को मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा परिसमाप्त किया गया था। शेष मामलों में राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्तों को उचित कार्रवाई हेतु सरकार द्वारा निर्देश दिए गए।

विभाग संबंधित अधिकारियों को निर्धारण में इनपुट टैक्स क्रेडिट का समायोजन करते समय संबंधित नियम प्रावधानों पर उचित ध्यान देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार करें।

5.2 न्यूनतम गारंटीकृत कोटे से कम शराब उठाने पर शास्ति एवं अतिरिक्त शास्ति का अनुद्ग्रहण

विभाग ने क्रमशः 100 प्रतिशत व 85 प्रतिशत के बेंचमार्क के प्रति कम न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने पर ₹ 37.46 करोड़ की शास्ति एवं ₹ 1.58 करोड़ की अतिरिक्त शास्ति का उदग्रहण नहीं किया।

हिमाचल प्रदेश सरकार की आबकारी घोषणा 2019-20[5] का परिच्छेद 5.3 एवं हिमाचल प्रदेश सरकार की आबकारी घोषणा 2018-19 का परिच्छेद 4.3 निर्धारित करता है कि हर लाइसेंसधारी देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब दोनों का, प्रत्येक बिक्री केंद्र हेतु निर्धारित 100 प्रतिशत न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाएगा तथा 100 प्रतिशत न्यूनतम गारंटीकृत कोटे से न उठाए गए कम कोटे पर उसे खुदरा आबकारी शुल्क के बराबर शास्ति का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के 85 प्रतिशत से भी कम कोटा उठाया गया हो, तो उसे खुदरा आबकारी शुल्क के बराबर शास्ति के साथ न्यूनतम गारंटीकृत कोटे के 85 प्रतिशत से कम कोटे पर खुदरा आबकारी शुल्क की 10 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति का भुगतान करना होगा। संबंधित जिलाप्रभारी त्रैमासिक आधार पर न्यूनतम गारंटीकृत कोटा उठाने की समीक्षा करेंगे एवं उठाए न गए न्यूनतम गारंटीकृत कोटे पर शास्ति के साथ-साथ अतिरिक्त शास्ति की वसूली भी सुनिश्चित करेंगे।

हिमाचल प्रदेश सरकार की आबकारी घोषणा 2019-20 के परिच्छेद 5.5 (अ) में भी निर्धारित है कि यदि उठाए न गए मासिक कोटे पर लाइसेंसधारी खुदरा आबकारी शुल्क के बराबर शास्ति का भुगतान करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसधारी बकाया राशि पर देय तिथि से एक माह तक के विलंब हेतु 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। यदि वार्षिक खुदरा उत्पाद शुल्क के भुगतान में बकाया एक माह से अधिक हो जाता है, तो ऐसा लाइसेंसधारी बकाया की पहली तिथि से एक माह की अवधि की समाप्ति की तिथि से बकाया राशि पर @18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

[5] कोविड महामारी के कारण मई 2020 तक बढ़ा दिया गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान नमूना-जांच किए गए छः राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्तों[6] (11 में से) के 2018-20 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि इन छः राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त के अधीनस्थ देशी शराब व भारत निर्मित विदेशी शराब के 1041 लाइसेंसधारियों में से 714 लाइसेंसधारियों ने 100 प्रतिशत बेंचमार्क से 11,58,496 प्रूफलीटर[7] कम कोटा उठाया जिस पर ₹ 37.46 करोड़ की शास्ति उद्ग्रहणीय थी। इन 714 लाइसेंसधारियों में से 241 लाइसेंसधारियों ने 85 प्रतिशत बेंचमार्क से 4,67,993 प्रूफलीटर कम कोटा उठाया जिस पर ₹ 1.58 करोड़ की अतिरिक्त शास्ति उद्ग्रहणीय थी।

तालिका-5.2.1: देशी शराब व भारत निर्मित विदेशी शराब हेतु 100 प्रतिशत व 85 प्रतिशत के बेंचमार्क के प्रति उठाया गया न्यूनतम गारंटीकृत कोटा

शराब का प्रकार	निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत कोटा (प्रूफ लीटर में)	उठाया गया न्यूनतम गारंटीकृत कोटा (प्रूफ लीटर में)	आबकारी घोषणा के अनुसार उद्ग्रहणीय खुदरा आबकारी शुल्क की दर (प्रूफ लीटर में)	100 प्रतिशत बेंचमार्क		85 प्रतिशत बेंचमार्क	
				100 प्रतिशत से कम उठाया गया न्यूनतम गारंटीकृत कोटा	शास्ति (₹)	85 प्रतिशत से भी कम उठाया गया न्यूनतम गारंटीकृत कोटा	अतिरिक्त शास्ति (₹)
1	2	3	4	5=2-3	6=4*5	7	8
देशी शराब	54,51,629	49,36,246	290	5,15,385	14,94,61,579	1,92,953	55,95,650
भारत में निर्मित विदेशी शराब	60,97,909	54,54,797	350	6,43,111	22,50,89,009	2,75,040	1,02,31,684
योग	**1,15,49,538**	**1,03,91,043**		**11,58,496**	**37,45,50,587**	**4,67,993**	**1,58,27,335**

इस प्रकार आबकारी घोषणा द्वारा त्रैमासिक आधार पर न्यूनतम गारंटीकृत कोटा पर कोटा उठाने की स्थिति की अपेक्षित सख्ती से समीक्षा करने में राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्तों की विफलता से ₹ 39.04 करोड़ (₹ 37.46 करोड़ + ₹ 1.58 करोड़) की शास्ति एवं अतिरिक्त शास्ति की अवसूली में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त आबकारी घोषणा 2019-20 के परिच्छेद 5.5 (अ) के तहत ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

सम्बंधित राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया एवं उत्तर दिया कि बकायादारों से शास्ति एवं अतिरिक्त शास्ति की वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी।

विभाग जवाबदेही तय करें तथा उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में देय लाइसेंस फीस राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

---

6 ऊना, हमीरपुर, धर्मशाला स्थित कांगड़ा, कुल्लू, नाहन स्थित सिरमौर व मंडी।

7 अल्कोहल की तीव्रता को 'डिग्री प्रूफ' के रूप में मापा जाता है। ऐसी शराब की तीव्रता के 13 भाग जिनका वजन 51 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 12 भागों के पानी के बराबर होता है, को 100 डिग्री प्रूफ लिया जाता है। अल्कोहल के दिए गए नमूने की स्पष्ट मात्रा को 100 डिग्री की तीव्रता वाले अल्कोहल की मात्रा में परिवर्तित करने पर एल.पी.एल या पी.एल कहा जाता है।

5.3 खुदरा आबकारी शुल्क एवं बोतलीकरण फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण

विभाग द्वारा क्रमशः 69 बिक्री-केन्द्रों के लाइसेंसधारियों एवं पांच विनिर्माताओं से लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ₹ 41.16 लाख एवं बोतलीकरण फीस के विलंबित भुगतान पर ₹ 26.30 लाख की ब्याज राशि की मांग न करने के परिणामस्वरूप ₹ 67.46 लाख के ब्याज का उदग्रहण नहीं हुआ।

आबकारी घोषणा 2019-20 के पैरा 3.35 में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी निर्धारित तिथि तक खुदरा आबकारी शुल्क का भुगतान करने में विफल होता है, तो वह बकाया की तिथि से एक माह तक के विलम्ब हेतु बकाया राशि पर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। यदि बकाया एक माह से अधिक हो जाता है, तो वह बकाया के प्रथम माह की समाप्ति की तिथि से चुकाई न की गई राशि पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। आबकारी घोषणा के परिच्छेद 3.36 में यह भी प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी अगले माह के अंतिम दिन तक ब्याज या 15 मार्च तक अंतिम किश्त जमा करने में विफल रहता है, तो राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त द्वारा उसके बिक्री-केंद्र को अगले माह के पहले दिन या 16 मार्च को सील कर दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश पर प्रयोज्य पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 के नियम 9.5 (6(क)ii) में प्रावधान है कि निर्धारित दरों पर बोतलीकरण फीस त्रैमासिक आधार पर चुकानी होगी। नियम 9.5(8) में आगे प्रावधान है कि देय तिथि तक बोतलीकरण फीस या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहने के मामले में बकाया की तिथि से एक माह की अवधि हेतु 12 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ब्याज; तथा यदि फीस का भुगतान बकाया एक माह से आगे बढ़ता है तो जब तक बकाया जारी रहे तब तक भुगतान में बकाया की प्रारंभिक तिथि से 18 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ब्याज चुकाना होगा।

2020-21 के दौरान नमूना-जांच किए गए चार राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्तों[8] (11 में से) के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 583 बिक्री-केन्द्रों में से 69 लाइसेंसधारियों ने ₹ 53.59 करोड़ का खुदरा आबकारी शुल्क एक से 102 दिनों के विलम्ब से जमा किया। 23 मामलों में विलम्ब एक माह से अधिक का था। ये लाइसेंसधारी विलम्बित भुगतान पर ₹ 41.16 लाख के ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी थे।

इसी भांति दो राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्तों[9] के अधीन पांच विनिर्माताओं ने ₹ 5.88 करोड़ की बोतलीकरण फीस एक से 421 दिनों के विलम्ब से जमा की, जिस पर ₹ 26.30 लाख का ब्याज उद्ग्रहणीय था।

---

[8] राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त: सोलन 15 बिक्री-केंद्र; ₹ 11.64 लाख, नूरपुर (कांगड़ा): आठ बिक्री-केंद्र; ₹ 2.22 लाख, मंडी 12 बिक्री-केंद्र; ₹ 4.40 लाख व कुल्लू 34 बिक्री-केंद्र; ₹ 22.90 लाख।

[9] राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त: बद्दीः तीन विनिर्माता; ₹ 19.80 लाख व नूरपुर: दो विनिर्माता; ₹ 6.49 लाख।

इस प्रकार, ₹ 67.46 लाख (खुदरा आबकारी शुल्क पर ₹ 41.16 लाख एवं बोतलीकरण फीस पर ₹ 26.30 लाख) की वसूली नहीं की गई। राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्तों ने अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया की ब्याज की वसूली हेतु प्रयास किया जाएगा।

लेखापरीक्षा द्वारा विगत पांच वर्षों में बारम्बार इंगित किए जाने के बावजूद कमी बनी हुई है, जो आबकारी घोषणा के प्रावधानों को लागू करने में लापरवाही/निष्क्रियता को परिलक्षित करती हैं। सरकार अपने राजस्व की सुरक्षा हेतु खुदरा विक्रेताओं, डिस्टिलरी, मद्यशालाओं, बोतलीकरण संयंत्रों से वसूली की आवधिक समीक्षा करने पर विचार करें।

5.4 बोतलीकरण लाइसेंस फीस की वसूली न करना

राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त ने दो डिस्टिलरी/बोतलीकरण संयंत्रों में ₹ 71.86 लाख की वसूली योग्य राशि के प्रति ₹ 34.96 लाख बोतलीकरण लाइसेंस फीस की वसूली की जो ₹ 36.91 लाख की अवसूली में परिणत हुई। इसके अतिरिक्त ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

हिमाचल प्रदेश के लिए लागू पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 के नियम 9.5 (6) में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी उसके द्वारा बोतलबंद देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी शराब की 750 मिलीलीटर की इकाइयों के अनुसार प्रभार्य राशि सरकारी कोषागार में अदा करेगा। पंजाब डिस्टिलरी नियम के नियम 9.5 (8) में आगे प्रावधान कि लाइसेंसधारी देय तिथि तक फीस या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है तो बकाया की तिथि से एक माह की अवधि हेतु 12 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ब्याज तथा यदि फीस का भुगतान बकाया एक माह से आगे बढ़ता है तो सम्पूर्ण विलंब हेतु 18 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाना होगा। इस शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के सात दिनों के भीतर त्रैमासिक आधार पर किया जाए।

2020-21 में नमूना-जांच किए गए दो राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त[10] (11 में से) के अधीन दो डिस्टिलरी के वर्ष 2019-20 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि इकाइयों ने 17.72 लाख प्रूफलीटर (47.06 लाख बोतल) शराब (देशी शराब एवं भारत निर्मित विदेशी शराब) का उत्पादन किया, जिस पर ₹ 71.86 लाख की निर्धारित दरों[11] पर भुगतान योग्य बोतलीकरण फीस के प्रति इकाइयों ने केवल ₹ 34.96 लाख का भुगतान किया, जैसाकि नीचे दिया गया है:

---

[10] सिरमौर व ऊना।

[11] देशी शराब: ₹ 1.50 व भारत निर्मित विदेशी शराब: ₹ 4.50 प्रति बोतल।

तालिका-5.4.1: देशी शराब व भारत निर्मित विदेशी शराब हेतु चुकाई गई कम बोतलीकरण लाइसेंस फीस

राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त का नाम	प्रूफ में उत्पादन (लीटर)			750 मिलीलीटर की बोतलों की संख्या			भुगतान योग्य बोतलीकरण फीस			अदा	वसूली योग्य राशि (₹)
	भारत निर्मित विदेशी शराब	देशी शराब	कुल (भारत निर्मित विदेशी शराब + देशी शराब)	भारत निर्मित विदेशी शराब की बोतलें (750 मिली)	देशी शराब की बोतलें (750 मिली)	कुल बोतलें (भारत निर्मित विदेशी शराब + देशी शराब)	बोतलीकरण फीस @ ₹ 4.50 प्रति इकाई (भारत निर्मित विदेशी शराब)	बोतलीकरण फीस @ ₹ 1.50 प्रति इकाई (देशी शराब)	कुल बोतलीकरण फीस (भारत निर्मित विदेशी शराब + देशी शराब)		
उना	12,456	10,13,832	10,26,288	22,143	27,03,552	27,25,693	99,646	40,55,328	41,54,974	7,15,000	34,39,974
सिरमौर	11,520	7,34,796	7,46,316	20,481	19,59,456	19,79,937	92,163	29,39,184	30,31,347	27,80,650	2,50,697
योग	**23,977**	**17,48,628**	**17,72,605**	**42,625**	**46,63,008**	**47,05,633**	**1,91,812**	**69,94,512**	**71,86,324**	**34,95,650**	**36,90,670**

अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इंगित करता हो कि संबंधित इकाईयों के प्रमुखों ने शेष बोतलीकरण फीस की वसूली हेतु कोई कार्रवाई की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 36.91 लाख[12] के बोतलीकरण फीस/बोतलीकरण लाइसेंस फीस की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त पंजाब डिस्टिलरी नियम, 1932 के नियम 9.5(8) के तहत ब्याज भी उद्ग्रहणीय था। इसे इंगित किए जाने पर राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्तों ने तथ्यों एवं आंकड़ों के सही होने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जाएगी तथा आबकारी नीति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

5.5 देशी शराब की संदेहास्पद चोरी

थोक व्यापारी द्वारा बेची गई एवं खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाई गई मात्रा के मध्य मिलान न होना ₹ 24.05 लाख के खुदरा उत्पाद शुल्क की संदेहास्पद चोरी के रूप में परिणत हुई।

आबकारी घोषणा 2019-20 के नियम 7.13 (ix) में प्रावधान है कि राज्य के खुदरा लाइसेंसधारी को देशी शराब एवं उच्च तीव्रता वाली देशी शराब की आपूर्ति केवल एल-13 थोक के माध्यम से की जाएगी तथा यह कि एल-13 लाइसेंसधारी जिले के किसी भी खुदरा बिक्री लाइसेंसधारी को, जहां वह चाहे, देशी शराब की आपूर्ति करने हेतु बाध्य होगा। जिले में कोई एल-13 बिक्री-केंद्र खुले न होने के मामले में संबंधित अंचल के कलेक्टर द्वारा इस शर्त में यह ढील दी जा सकती है कि ऐसी स्थिति में खुदरा विक्रेता जोन के कलेक्टर द्वारा अनुमोदित एल-13 से आपूर्ति प्राप्त करेगा।

आबकारी प्राधिकरण से पास/परमिट प्राप्त करने के पश्चात् ही थोक व्यापारी द्वारा शराब/बीयर को गोदाम से खुदरा विक्रेताओं को बेचा/परिवहन किया जा सकता है।

[12] सिरमौर: ₹ 2.51 लाख व ऊना: ₹ 34.40 लाख।

2020-21 के दौरान नमूना-जांच किए गए दो[13] राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्तों (11 में से) के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि इन दो राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्तों के अधीन खुदरा विक्रेताओं ने जिले में थोक विक्रेताओं द्वारा 21.99 लाख प्रूफ लीटर देशी शराब की बिक्री के विरूद्ध 21.91 लाख प्रूफ लीटर देशी शराब उठाई। नीचे दी गई तालिका के अनुसार थोक विक्रेताओं द्वारा बेचे गए कोटे एवं खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाए गए कोटे के मध्य निम्नवत अंतर रहा:

तालिका-5.5.1: देशी शराब की संदेहास्पद चोरी के विवरण

क्र. सं.	राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त का नाम	थोक विक्रेताओं द्वारा बेचा गया कोटा (देशी शराब)	खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाया गया कोटा (देशी शराब)	अंतर	देशी शराब हेतु खुदरा आबकारी शुल्क @ ₹ 290 प्रति प्रूफलीटर
1	बद्दी	12,87,967.14	12,87,009.16	957.98	2,77,814.20
2	सिरमौर	9,11,440.125	9,04,105	7,335.125	21,27,186.25
सकल योग		**21,99,407.265**	**21,91,114.16**	**8,293.105**	**24,05,000.45**

इस प्रकार, थोक विक्रेताओं की ओर से ₹ 24.05 लाख के खुदरा उत्पाद शुल्क से अंतर्ग्रस्त 8,293.105 प्रूफ लीटर देशी शराब की संदिग्ध चोरी हुई, जिसकी गणना 2019-20 के खुदरा उत्पाद शुल्क की लागू दरों के अनुसार की गई थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (फरवरी 2021), राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त, सिरमौर ने उत्तर दिया कि थोक विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं की बिक्री के आंकड़ों का मिलान किया जाएगा तथा उसके परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किए जाएंगे।

विभाग शराब की चोरी से बचने के लिए थोक विक्रेताओं की बिक्री एवं खुदरा विक्रेताओं की रसीद की जांच करने हेतु एक तंत्र तैयार करें।

राजस्व विभाग

5.6 संपत्तियों के बाजार मूल्य का अल्प निर्धारण

गलत सर्किल दरों के आधार पर गलत मूल्यांकन एवं सड़क से भूमि की दूरी के संबंध में झूठे शपथ-पत्र के परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ के स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क की कम वसूली हुई।

2013 में संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी संपत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि में से जो भी उच्च हो, पर अन्य व्यक्तियों के लिए छः प्रतिशत एवं महिलाओं के लिए चार प्रतिशत पर स्टाम्प शुल्क उद्ग्राह्य होगा। इसी भांति,

[13] राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त बद्दी व नाहन स्थित सिरमौर।

राजस्व विभाग की दिनांक जनवरी 2012 की अधिसूचना के अनुसार संपत्ति के पंजीयन हेतु संपत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल राशि में से जो भी उच्च हो, के दो प्रतिशत पर पंजीयन फीस उद्ग्राह्य होगी। राजस्व विभाग ने जनवरी 2016 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूमि को पांच श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की गणना हेतु अधिसूचना जारी की, जो किसी भी सड़क से उसकी अवस्थिति/दूरी पर निर्भर करता है, अर्थात भूमि स्थित हो (i) 25 मीटर की दूरी पर; (ii) 25 मीटर से 50 मीटर की दूरी पर; (iii) 50 मीटर से 100 मीटर की दूरी पर; (iv) 100 मीटर से 1000 मीटर की दूरी पर; तथा (v) राजस्व संपदा में किसी भी सड़क से 1000 मीटर से अधिक की दूरी पर। सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़क के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्टाम्प ड्यूटी की गणना हेतु क्रेता को संबंधित भूमि की दूरी बताने वाला या राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य सड़क की होल्डिंग बताने वाला शपथ-पत्र दाखिल/जमा करना अपेक्षित है। यदि क्रेता का शपथ-पत्र झूठा पाया जाता है, तो लागू स्टाम्प शुल्क/पंजीयन फीस से 50 प्रतिशत तक की शास्ति लगाई एवं वसूली जानी है।

I. गलत सर्किल दरें लागू करने के कारण स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस का अल्प उद्ग्रहण

2020-21 में नमूना-जांच किए गए 23 उप-पंजीयकों[14] (78 में से) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि ₹ 25.71 करोड़ की प्रतिफल राशि हेतु (2015 व 2020 के मध्य) 195 विलेख पंजीकृत किए गए, जिस पर ₹ 1.83 करोड़ का स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस उद्ग्रहित की गई। उप-पंजीयकों ने इन बिक्री विलेखों को पंजीकृत करते समय सहायक दस्तावेज यथा विभिन्न श्रेणियों की सड़कों से भूमि की अवस्थिति/दूरी की घोषणा करने वाले स्व-शपथपत्र एवं भूमि की कृषि/अकृषि प्रकृति की घोषणा करने वाले जमाबंदी की उपेक्षा/अनदेखी की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप-पंजीयक ने गलत सर्किल दरें लागू की, जिसके परिणामस्वरूप संपत्तियों का अल्प मूल्यांकन हुआ। लागू सर्किल दरों के अनुसार प्रतिफल राशि ₹ 38.30 बनती है जिस पर ₹ 2.61 करोड़ की स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस उद्ग्रहित की जानी अपेक्षित थी। यद्यपि ₹ 1.83 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस उद्ग्रहित की गई, जिससे ₹ 77.96 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की अल्प वसूली हुई (स्टाम्प शुल्क: ₹ 55.72 लाख + पंजीयन फीस: ₹ 22.24 लाख)।

---

[14] उप-पंजीयक बड़सर: दो मामले ₹ 1.32 लाख, भोरंज: पांच मामले 1.78 लाख, भराड़ी: नौ मामले ₹ 1.29 लाख, बिलासपुर: चार मामले ₹ 1.86 लाख, बिहरू कलां: सात मामले ₹ 1.25 लाख, छतरी: 10 मामले ₹ 1.20 लाख, धर्मशाला: छ: मामले ₹ 4.69 लाख, गलोड़: दो मामले ₹ 0.59 लाख, हमीरपुर: तीन मामले ₹ 0.33 लाख, जुब्बल: दो मामले ₹ 1.01 लाख, कांगड़ा: 15 मामले ₹ 1.91 लाख, कांगू: दो मामले ₹ 5.14 लाख, कुल्लू: नौ मामले ₹ 1.21 लाख, कटौला: सात मामले ₹ 4.07 लाख, नगरोटा बागवां: 14 मामले ₹ 3.99 लाख, नाहन: 11 मामले ₹ 4.38 लाख, नालागढ़: 15 मामले ₹ 22.30 लाख, पांवटा साहिब: 17 मामले ₹ 2.83 लाख, सदर (मंडी): 20 मामले ₹ 6.99 लाख, शिमला (ग्रा): 27 मामले ₹ 6.28 लाख, सुजानपुर: तीन मामले ₹ 0.60 लाख, टौनी देवी: तीन मामले ₹ 1.04 लाख और टिक्कर: दो मामले ₹ 1.76 लाख।

II. झूठे शपथ-पत्रों की स्वीकृति के कारण स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का अल्प उद्ग्रहण-

2020-21 में नमूना-जांच किए गए 37 उप-पंजीयकों[15] (78 में से) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2015 व 2020 के मध्य क्रेताओं द्वारा फाइल किए गए विभिन्न श्रेणियों की सड़कों से भूमि की होल्डिंग की दूरी घोषित करने वाले स्वशपथ-पत्रों के आधार पर 420 विलेख पंजीकृत किए गए। इन विलेखों को ₹ 78.62 करोड़ की प्रतिफल राशि पर पंजीकृत किया गया था, जिस पर ₹ 5.64 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस लगाई गई। लेखापरीक्षा ने कानूनगो (राजस्व प्राधिकरण) के पास उपलब्ध मानचित्रों (लट्ठा) के साथ शपथ-पत्रों का सत्यापन किया तथा पाया कि विभिन्न श्रेणियों की सड़क से भूमि की अवस्थिति/दूरी के आधार पर संपत्तियों का मूल्यांकन ₹ 118.20 करोड़ किया जाना चाहिए था, जिस पर ₹ 8.60 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस उद्ग्रहित करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि राजस्व अभिलेख (लट्ठा) एवं भूमि की दरें विभाग के पास उपलब्ध थी, तथापि उप पंजीयकों ने विलेखों के पंजीयन से पूर्व शपथ-पत्रों का प्रति-सत्यापन न करते हुए क्रेताओं द्वारा फाइल किए गए स्वशपथ-पत्रों में दी गई जानकारी पर भरोसा किया। यह ₹ 2.96 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस (स्टाम्प शुल्क ₹ 2.21 करोड़ + पंजीयन फीस ₹ 75.98 लाख) के अल्प उद्ग्रहण में परिणत हुआ। इसके अतिरिक्त लागू स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस के 50 प्रतिशत की अधिकतम दर से ₹ 4.29 करोड़ की शास्ति भी उद्ग्रहणीय रही।

यह इंगित किए जाने पर 11 उप-पंजीयकों[16] ने उत्तर दिया कि 82 मामलों में ₹ 36.62 लाख (अप्रैल 2020 से मार्च 2021) की राशि की वसूली कर ली गई है। शेष उप-पंजीयकों ने बताया कि संबंधित राजस्व प्राधिकारी द्वारा संदेहास्पद शपथ-पत्रों की जांच की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए समय पर भूमि की सही स्थिति का पता लगाने के पश्चात् तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

---

[15] उप-पंजीयक अर्की: सात मामले ₹ 2.46 लाख, बलद्वाड़ा: 15 मामले ₹ 6.20 लाख, बड़सर: 10 मामले ₹ 3.07 लाख, भराड़ी: पांच मामले ₹ 3.05 लाख, भवारना: 20 मामले ₹ 5.37 लाख, बिलासपुर: पांच मामले ₹ 17.56 लाख, चंबा : छह मामले ₹ 7.90 लाख, छतरी: आठ मामले ₹ 0.64 लाख, धर्मशाला: 19 मामले ₹ 7.48 लाख, गलोड़: 10 मामले ₹ 4.33 लाख, हरचकियां: छ: मामले ₹ 0.62 लाख, जुब्बल: पांच मामले ₹ 8.14 लाख, जुन्गा: सात मामले ₹ 1.86 लाख, कांगू: 14 मामले ₹ 4.41 लाख, कांगड़ा: 15 मामले ₹ 6.38 लाख, कस्बा कोटला: छह मामले ₹ 2.25 लाख, कटौला: छह मामले ₹ 1.22 लाख, कुल्लू: सात मामले ₹ 1.02 लाख, नाहन: 12 मामले ₹ 37.50 लाख, नालागढ़: 18 मामले ₹ 8.55 लाख, नारग: पांच मामले ₹ 1.79 लाख,नरगोटा बगवां: चार मामले ₹ 0.65 लाख, पालमपुर: नौ मामले ₹ 3.56 लाख, पांगना: 18 मामले ₹ 23.21 लाख, पांवटा साहिब: 19 मामले ₹ 22.71 लाख, रामशहर: 14 मामले ₹ 3.53 लाख, सदर (मंडी): पांच मामले ₹ 1.83 लाख, सरकाघाट: 11 मामले ₹ 4.22 लाख, शिमला (यू): नौ मामले ₹ 3.54 लाख, शिमला (आर): 17 मामले ₹ 40.13 लाख, सिहुंता: छह मामले ₹ 3.01 लाख, सोलन: 17 मामले ₹ 56.33 लाख, सुंदरनगर: 53 मामले ₹ 18.71 लाख, टौनी देवी: सात मामले ₹ 1.63 लाख, थुनाग: 17 मामले ₹ 5.51 लाख, थुरल: छह मामले ₹ 0.66 लाख व टिक्कर: दो मामले ₹ 0.28 लाख।

[16] बलद्वाड़ा: ₹ 5.64 लाख, भरवाईं: ₹ 2.12 लाख, छतरी: ₹ 0.70 लाख, जुन्गा: ₹ 1.67 लाख, मंडी (सदर): ₹ 0.54 लाख, रामशहर: ₹ 0.23 लाख, शिमला (आर): ₹ 6.76 लाख, सिहोंता: ₹ 1.04 लाख, सोलन: ₹ 11.46 लाख, थुनाग: ₹ 5.07 लाख व टिक्कर: ₹ 1.33 लाख।

सरकार नियमों के मनमाने प्रयोग को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की सड़कों की पहचान एवं सड़क से दूरी की गणना हेतु तंत्र के सरलीकरण के लिए प्रणाली व प्रक्रियाएं स्थापित करें।

5.7 पट्टा-विलेखों पर स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की अल्प वसूली

पट्टा-विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की गणना हेतु बाजार दरों का उपयोग नहीं किया गया, जो ₹ 0.43 करोड़ की अल्प वसूली में परिणत हुआ।

राजस्व विभाग ने जनवरी 2012 में अधिसूचित किया कि सभी पट्टा विलेखों के पंजीयन हेतु संपत्ति के बाजार मूल्य पर स्टाम्प शुल्क पांच प्रतिशत[17] एवं पंजीयन फीस दो प्रतिशत[18] की दर पर उद्ग्राह्य होगा।

2020-21 में लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि नमूना-जांच किए गए 10 उप-पंजीयकों (78 में से) में विभाग के पास भूमि की सर्किल दरें एवं बाजार मूल्य[19] निर्धारित करने के लिए आवश्यक संरचनाओं की निर्मित दरें उपलब्ध होने के बावजूद उप-पंजीयकों ने 33 पट्टा-विलेखों पर बाजारी मूल्य का उपयोग करने के बजाय मनमानी प्रतिफल राशि का उपयोग करते हुए स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस उद्ग्रहित की। परिणामस्वरूप बाजार मूल्य के आधार पर उद्ग्रहण योग्य ₹ 0.73 करोड़ के स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस (स्टाम्प शुल्क ₹ 0.52 करोड़ + पंजीयन फीस ₹ 0.21 करोड़) के प्रति (जो उच्च राशि होती), उप-पंजीयकों ने निम्न राशि पर ₹ 0.30 करोड़ का स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस (स्टाम्प शुल्क ₹ 0.22 करोड़ + पंजीयन फीस ₹ 0.08 करोड़) का उद्ग्रहण किया, जिसके लिए अभिलेख में कोई स्पष्टीकरण नहीं पाया गया एवं परिणामस्वरूप ₹ 0.43 करोड़[20] के स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस (स्टाम्प शुल्क: ₹ 0.30 करोड़ + पंजीयन फीस: ₹ 0.13 करोड़) की अल्प वसूली हुई।

विभाग ने उत्तर दिया (मार्च व दिसंबर 2020 के मध्य) कि तीन उप-पंजीयकों[21] ने सात मामलों में ₹ 6.82 लाख की राशि की वसूली की। शेष उप-पंजीयकों ने बताया कि मामलों की समीक्षा की जाएगी। सरकार का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

इस मुद्दे को राज्य राजस्व पर विगत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उजागर किया गया था, परन्तु उप-पंजीयक विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करते रहे। ऐसे विचलनों का बना रहना कमजोर आंतरिक नियंत्रणों का संकेत है। सरकार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभागीय अधिसूचना का लगातार पालन न करने के कारणों की जांच करें एवं सुधारात्मक कार्रवाई करे।

---

17 सूत्र: स्टाम्प शुल्क @ 5% x बाजारी मूल्य x पट्टे की अवधि / 100

18 सूत्र: पंजीयन फीस @ 2% x बाजारी मूल्य x पट्टे की अवधि / 100

19 सूत्र: संपत्ति का बाजारी मूल्य = (सर्कल दर * क्षेत्रफल) + {बिल्टअप दर * क्षेत्रफल (अगर संरचना भी बेची जा रही हो)}

20 धीरा: एक मामला, ₹ 1.93 लाख; कांगड़ा : दो मामले, ₹ 6.61 लाख; धरवाला: एक मामला, ₹ 1.49 लाख; हमीरपुर: छह मामले, ₹ 3.92 लाख; सोलनः नौ मामले, ₹ 8.73 लाख; दुलेहर: एक मामला, ₹ 1.51 लाख; जुन्गा: पांच मामले, ₹ 4.38 लाख; शिमला ग्रामीण: एक मामला, ₹ 0.98 लाख; चुराह: पांच मामले, ₹ 8.72 लाख; व चंबा: दो मामले, ₹ 1.64 लाख

21 धीरा ₹ 1.93 लाख, जुन्गा ₹ 4.15 लाख व सोलन ₹ 0.73 लाख।

लोक निर्माण विभाग

5.8 ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु देय राशि की अल्प वसूली

ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के पश्चात् सड़क के जीर्णोद्धार हेतु सही दरें लागू करने में विभाग की विफलता सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा में लापरवाही को परिलक्षित करती है, जो ₹ 0.55 करोड़ की अल्प वसूली में परिणत हुई तथा वांछित गुणवत्ता मानकों पर सड़क को सुधारने में विभाग की क्षमता के साथ समझौता करना पड़ा।

विभागीय अनुदेशों (जनवरी 2001) के अनुसार सड़कों को हुई क्षति का जीर्णोद्धार लोक निर्माण विभाग द्वारा संबंधित मण्डल के कार्यकारी अभियंता द्वारा बनाए गए प्राक्कलन पर दूरसंचार कंपनियों से प्राप्त निक्षेप निधियों से किया जाता है। वर्ष 2018-19 में भूमिगत केबल/ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के बाद सड़क के जीर्णोद्धार हेतु मुख्य अभियंता ने क्रमशः पक्की सड़क (मेटल्ड व टारर्ड [22]) हेतु ₹ 1121 प्रति मीटर एवं कच्ची सड़क हेतु ₹ 238 प्रति मीटर की दर[23] निर्धारित की थी। इसके अतिरिक्त, जनजातीय क्षेत्रों के लिए दरें उपरोक्त दरों से 25 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए थी।

भरमौर मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2018 में गरोला से देओल तक आदिवासी क्षेत्र में आने वाली 26.10 किमी[24] की कुल लंबाई के लिए सड़क के जीर्णोद्धार कार्य[25] हेतु ₹ 2.65 करोड़ राशि का एक प्राक्कलन तैयार किया गया एवं दूरसंचार ऑपरेटर[26] को भेजा गया। प्राक्कलन में 5.0 किमी सड़क[27] को कच्ची सड़क के रूप में दर्शाया गया था जबकि रिकॉर्ड के अनुसार वह पक्की सड़क पाई गई। मण्डल ने प्राक्कलन में पक्की सड़क हेतु ₹ 1121/- प्रति मीटर की प्रयोज्य दर के बजाय कच्चा सड़क हेतु ₹ 238/- प्रति मीटर की गलत दर लागू की। इसके परिणामस्वरूप सड़क के इस हिस्से के जीर्णोद्धार पर ₹ 0.55 करोड़[28] की अल्प वसूली हुई।

यह परिच्छेद सरकार को प्रेषित किया गया (अप्रैल 2021)। सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए प्रमुख अभियंता के उत्तर (सितंबर 2021) का समर्थन किया जिसमें यह कहा गया था कि कार्यकारी अभियंता को संशोधित प्राक्कलन तैयार करने तथा अतिरिक्त राशि

---

22 पूर्व-मिश्रण कालीन बिटुमिनस कंक्रीट।

23 मुख्य अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग पत्र सं. पीडब्लू(आर) 71-ए-फाइबर केबल/डब्ल्यूएस 559-90 दिनांक 23-4-2018

24 पक्की सड़क: 17.010 तथा कच्ची सड़क: 9.090

25 खड़ामुख नयाग्राम सड़क के भाग गरोला से देओल के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के कारण सड़क का जीर्णोद्धार।

26 रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड।

27 होली अनुमंडल के अंतर्गत 13/000 से 27/200 के बीच बिछी हुई।

28 5000 आरएमटी* (1121 - 238) ₹ प्रति आरएमटी + आदिवासी क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त = ₹ 0.55 करोड़।

हेतु उपयुक्त मांग-नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया था (सितंबर 2021)। अनुपालन में कार्यकारी अभियंता ने संशोधित प्राक्कलन (सितंबर 2021) तैयार किया तथा दूरसंचार ऑपरेटर को ₹ 0.55 करोड़ की शेष राशि शीघ्रातिशीघ्र जमा करने के अनुरोध के साथ सूचित किया।

इंगित किया गया मामला लेखापरीक्षा द्वारा संचालित नमूना-जांच पर आधारित है। विभाग/ सरकार ऐसे समान मामलों की जांच करें एवं वास्तविक अभिलेखों के अनुसार प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित करें।

5.9 सड़क निर्माण-कार्य में निष्फल व्यय एवं ठेकेदार को अनुचित लाभ

अपूर्ण सड़क निर्माण-कार्य पर ₹ 3.34 करोड़ के निष्फल व्यय सहित माप पुस्तिकाओं में फर्जी प्रविष्टियों पर भुगतान करने के अतिरिक्त हेरफेर/ सांठगांठ पूर्ण बोली के कारण ₹ 0.38 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

मंडी जिले के कोटली क्षेत्र में परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए नाबार्ड के तहत एक पुल सहित जबलाही नाला-बरनोटा करकोह सड़क (0/0 से 5/500 किमी) के निर्माण हेतु विशेष सचिव (लोक निर्माण), हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन (अप्रैल, 2011) प्रदान किया गया था। मुख्य अभियंता द्वारा ₹ 1.82 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (फरवरी 2012)। यह कार्य वर्ष 2015 में सौंपा गया एवं अभी भी प्रक्रियाधीन है (मार्च 2022)।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मंडी II मंडल के अभिलेखों (जनवरी 2018) की संवीक्षा एवं तदोपरांत प्राप्त जानकारी में निम्नलिखित अनियमितताएं उजागर हुई -

5.9.1 माप पुस्तिकाओं में फर्जी प्रविष्टियों पर भुगतान

पंजाब लोक निर्माण विभाग संहिता (जिसका हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा पालन किया गया) के परिच्छेद 4.5 व 4.6 में निर्धारित है कि माप पुस्तिका को सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि यह उन परिमापों, जिन्हें गिना या मापा जाना है, के सभी लेखाओं का आधार बनाता है। माप पुस्तिका एक विश्वसनीय रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि इसे न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत करना पड़ सकता है।

जनवरी 2015 में पहली बार सड़क निर्माण-कार्य[29] सरकारी ठेकेदार को ₹ 1.56 करोड़ में सौंपा गया एवं इसे दो वर्ष (फरवरी 2017) में पूर्ण किया जाना निर्धारित था।

सौंपे गए कार्य में अन्य बातों के साथ-साथ ₹ 0.46 करोड़[30] राशि में 0/0 किमी से 5/500 किमी तक सड़क को पांच से सात मीटर की चौड़ाई तक चौड़ा करने के लिए 43800.59 घन

---

[29] उपशीर्षः एफ/सी 5/7 मीटर चौड़ा, सीडी वर्क्स, वी शेप कच्चा ड्रेन, पी/एल एसेंशियल सोलिंग व सी/ओ 19.75 मीटर आरसीसीटी बीम ब्रिज।

[30] आरडी 0/0 से 5/500 ₹ 105.76 प्रति घन मीटर की दर से।

मीटर की खुदाई कार्य का प्रावधान था। यद्यपि यह देखा गया कि ठेकेदार ने 58017.96 घन मीटर (कार्य क्षेत्र से 32 प्रतिशत अधिक) परिमाप की खुदाई की, जिसके लिए उसे ₹ 0.61 करोड़ का भुगतान किया गया था। उसके बाद ठेकेदार ने अप्रैल 2016 में काम छोड़ दिया एवं मार्च 2017 में कार्यकारी अभियंता (मंडी मण्डल II) द्वारा अनुबंध रद्द कर दिया गया।

इसके बाद जनवरी 2018 में पहले ठेकेदार द्वारा छोड़े गए शेष कार्य के रूप में सड़क भाग 1/900 से 2/600 के 7490.53 घन मीटर के परिमाप हेतु ₹ 0.08 करोड़[31] राशि का खुदाई का कार्य पुनः एक दूसरे ठेकेदार को सौंपा गया। इसके अतिरिक्त रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन डेफिशिएंसी कार्य के रूप में सितंबर-अक्टूबर 2018 में 25679 घन मीटर की खुदाई हेतु ₹ 0.38 करोड़[32] राशि का खुदाई कार्य भी अन्य 36 ठेकेदारों को सौंपा गया था।

सभी दृष्टांतों में खुदाई कार्य निष्पादित व पूर्ण किए जाने का दावा किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ₹ 0.46 करोड़ के मूल प्राक्कलन/सौंपे गए 43800.59 घन मीटर खुदाई कार्य के विरूद्ध विभाग को स्पष्ट रूप से कुल 91187.49 घन मीटर[33] परिमाप की खुदाई ₹ 1.07 करोड़ में प्राप्त हुई।

हालांकि जब लेखापरीक्षा में विभिन्न ठेकेदारों की संबंधित माप पुस्तिकाओं में दर्ज खुदाई कार्य की संवीक्षा एवं तुलना की गई तो यह पाया गया कि पहले ठेकेदार द्वारा पहले से ही चौड़ी की गई सड़क को पुनः दूसरे ठेकेदार/36 रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन डेफिशिएंसी ठेकेदार द्वारा कार्य किए जाने के रूप में दर्ज किया गया था। इसे **तालिका-5.9.1** के कुछ उदाहरणों से स्पष्ट किया गया है।

तालिका-5.9.1: खुदाई कार्य की पुनरावृत्ति (ओवरलैप) (माप-पुस्तकों के अनुसार)

	प्रथम ठेकेदार द्वारा किया गया खुदाई कार्य			द्वितीय ठेकेदार/ रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन डेफिशिएंसी कार्य के विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किया गया खुदाई कार्य		
1	2	3	4	5	6	7
आरडी	पहले से ही दर्शाया गया चौड़ीकरण	प्रथम ठेकेदार द्वारा किया गया चौड़ीकरण	निष्पादन के बाद कुल किया गया चौड़ीकरण (अप्रैल 2016)	पहले से ही दर्शाया गया चौड़ीकरण (अगस्त 2018)	द्वितीय/ रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन डेफिशिएंसी ठेकेदार द्वारा किया गया चौड़ीकरण	निष्पादन के पश्चात् किया गया कुल चौड़ीकरण
0/0	4	3	7	4.2	0.6	4.8
0/30	3	2.7	5.7	0	6.0	6.0
0/60	3	4	7	0	7.3	7.3
0/90	0	5.6	5.6	0	6.5	6.5
0/120	0	5.2	5.2	0	5.5	5.5
0/150	2.7	3	5.7	5	1	6

[31] आरडी 1/900 से 2/600 ₹ 109 प्रति घन मीटर की दर से।

[32] आरडी 0/0 से 5/500 (1/900 से 2/420 को छोड़कर) तक सभी सड़कें ₹ 146 प्रति घन मीटर की औसत दर से।

[33] 58017.96 घन मीटर + 7490.53 घन मीटर + 25679 घन मीटर।

	प्रथम ठेकेदार द्वारा किया गया खुदाई कार्य			द्वितीय ठेकेदार/ रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन डेफिशिएंसी कार्य के विभिन्न ठेकेदारों द्वारा किया गया खुदाई कार्य		
1	2	3	4	5	6	7
आरडी	पहले से ही दर्शाया गया चौड़ीकरण	प्रथम ठेकेदार द्वारा किया गया चौड़ीकरण	निष्पादन के बाद कुल किया गया चौड़ीकरण (अप्रैल 2016)	पहले से ही दर्शाया गया चौड़ीकरण (अगस्त 2018)	द्वितीय/ रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन डेफिशिएंसी ठेकेदार द्वारा किया गया चौड़ीकरण	निष्पादन के पश्चात् किया गया कुल चौड़ीकरण
0/180	0	6	6	3.5	2.3	5.8
0/210	0	6	6	6	0.8	6.8
0/240	0	7	7	0	5.5	5.5
0/270	2.5	3.1	5.6	3	2.0	5.0

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि मण्डल ने 2016 (स्तंभ 4) में दर्शाए गए अधिकतम अपेक्षित सड़क चौड़ीकरण के पश्चात्, 2018 (स्तंभ 5) में अधिकतम चौड़ी सड़क कम दर्शाई। एक ही खुदाई कार्य हेतु दो पृथक माप पुस्तिकाओं में माप व भुगतान दो बार दर्ज किया गया।

5.9.2 हेरफेर/ सांठगांठ वाली बोली

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अनुसार "बोली में हेराफेरी" का अर्थ उद्यमों या व्यक्तियों के बीच किसी करार से है, जिसका प्रभाव बोली के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना या कम करना या बोली लगाने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालना या उसे प्रभावित करना है।

हिमाचल प्रदेश विशिष्ट भ्रष्ट व्यवहार निवारण अधिनियम, 1983 (तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश भ्रष्ट व्यवहार अधिनियम) की धारा 8 (बी) में प्रावधान है कि किसी निर्माण-कार्य विभाग के अंतर्गत किसी कार्य हेतु कोई भी निविदाकर्ता जो स्वीकृति के लिए कम दर वाले निविदा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए किसी अन्य निविदाकर्ता के साथ षडयंत्र में शामिल होता है, उसे दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9 (क) निर्धारित करती है कि किसी निर्माण-कार्य विभाग के किसी अधिकारी को, जिसे विभाग की ओर से निविदा स्वीकार करने का अधिकार है, जो धारा 8 के अंतर्गत दलाली (कमीशन) के लिए उकसा कर ऐसी निविदा को स्वीकार करके अपराध करता है, उसे भी दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

जैसाकि परिच्छेद 5.9.1 में संदर्भित है, पहले ठेकेदार के कार्य छोड़ने के बाद एवं उसका ठेका (अनुबंध) रद्द किए जाने के बाद, कार्य को 36 भागों में विभाजित कर प्रत्येक के लिए पृथक निविदाएं आमंत्रित कि गई। कार्य विभाजन एवं उन्हें सौंपे जाने की प्रक्रिया में हेराफेरी/सांठगांठ वाली बोली लगाने के कई संकेत मिलते हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

5.9.2.1 रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन डेफिशिएंसी कार्य का अनियमित कार्य-विभाजन एवं अनियमित रूप से सौंपा जाना

हिमाचल प्रदेश विशिष्ट भ्रष्ट व्यवहार निवारण अधिनियम की धारा 13 के अनुसार निर्माण विभाग का वह अधिकारी, जो खरीद को प्रभावित करने में सक्षम बनाने के लिए दुर्भावनापूर्ण

इरादे से खरीद-आदेश को विभाजित करने का प्रयोग करता है, जो अन्यथा ऐसा करने के लिए उसके वित्तीय अधिकार के दायरे से बाहर होता है, अथवा स्थापित प्रक्रिया का खुलेआम उल्लंघन करता है, उसे दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा।

पंजाब लोक निर्माण विभाग नियमावली के परिच्छेद 6.44 में निर्दिष्ट है कि केवल वही प्राधिकारी किसी कार्य के विभाजन की अनुमति/अनुमोदन कर सकता है, जो पूरे कार्य/परियोजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने में सक्षम है। उक्त नियम के बावजूद, विभागीय निर्देश[34] मौजूद हैं कि कार्यकारी अभियंता अपने स्तर पर कार्यों को विभाजित करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, भले ही पूरी परियोजना की तकनीकी मंजूरी उनके अधिकार में हो।

जैसाकि पूर्व में उल्लिखित है, फरवरी 2012 में मुख्य अभियंता द्वारा कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। अतः केवल मुख्य अभियंता ही कार्य के संबंध में विभाजन स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम थे। तथापि मई 2018 में कार्य को दो रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन डेफिशिएंसी कार्यों में विभाजित करने के लिए अधीक्षण अभियंता से ₹ 0.39 करोड़ की स्वीकृति[35] ली गई थी। तदोपरांत जून व अगस्त 2018 में इन दो रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन डेफिशिएंसी कार्यों के खुदाई घटक को मण्डलीय स्तर पर कार्यकारी अभियंता द्वारा एवं उप-मण्डलीय स्तर पर सहायक अभियंताओं द्वारा उनकी संबंधित प्रत्यायोजित शक्तियों से परे बिना किसी स्पष्टीकरण के, आगामी 36 कार्यों में विभाजित किया गया (तालिका-5.9.2)।

कार्यकारी अभियंता ने स्वीकार किया (मार्च 2022) कि कार्यकारी अभियंता कार्यों को विभाजित करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, परन्तु आगे बताया कि कार्य की अत्यावश्यकता के कारण कार्य को विभाजित किया गया था तथा सक्षम प्राधिकारी से कार्य की *कार्योत्तर विभाजन* स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

हालांकि, कार्य विभाजन हेतु अत्यावश्यकता के दावे का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

5.9.2.2 निविदाओं का विज्ञापन करने व व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने में विफलता

पंजाब लोक निर्माण विभाग नियमावली के आदेशों (जिसका हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा पालन किया गया) के अनुसार 50,000 से अधिक लागत के कार्यों हेतु विस्तृत सूचना निविदा आमंत्रण निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क, अनुमोदन प्राप्त ठेकेदारों, अन्य मण्डल कार्यालयों, आदि को भेजी जाए एवं प्रसार के कुछ प्रमाण प्राप्त किए जाएं। इसके अतिरिक्त विभागीय निर्देश[36] हैं कि सभी निविदा नोटिस निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क को सॉफ्टकॉपी[37]

---

34 क्रमांक पीडब्लू/सीटीआर/32-20/सामान्य निर्देश/2012-1877-1976 दिनांक 23/04/2012

35 पत्र सं. पीडब्लू-एसईआई-आर-25-26-एम-11/2017- 3615-16 दिनांक 3-5-18 के तहत ₹ 0.39 करोड़।

36 सं. पीडब्लू-सीटीआर-32-20/सामान्य निर्देश/2014/6006-105 दिनांक 08/07/2014

37 सं. आई एंड पीआर-एच-(एफ)6 (विज्ञापन)-2(डब्ल्यू)/2013-1919 दिनांक 09 जून 2014

में भेजे जाएं एवं अनुपालन न होने के मामले में विभाग के संबंधित अधिकारी निविदा सूचनाओं का प्रकाशन न होने के परिणामों हेतु जिम्मेदार होंगे।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि मण्डल में डायरी प्रविष्टियों में निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क एवं अन्य प्राप्तकर्ताओं को 36 कार्यों में से 20 हेतु विस्तृत सूचना निविदा आमंत्रण नोटिस/पत्र भेजे जाना पृष्ठांकित किए गए थे।

हालांकि जैसाकि पूर्वोक्त आदेश-पुस्तिका में अपेक्षित है, ₹ 50,000 से अधिक के निविदा मूल्य वाले इन 20 कार्यों हेतु निविदा नोटिसों के वास्तविक प्रेषण (डिस्पैच) जैसे डाक प्रमाणपत्र/स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री पर्ची या सॉफ्टकॉपी प्रेषण के किसी ईमेल ट्रेल का कोई प्रमाण नहीं मिला। और तो और निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क ने प्रकाशन हेतु किसी भी रूप/माध्यम (पोस्ट, ईमेल/पेन ड्राइव आदि) में विस्तृत सूचना निविदा आमंत्रण पत्र प्राप्त करने से इनकार किया। अन्य इच्छित प्राप्तकर्ता, जैसे अधीक्षण अभियंता (प्रथम सर्कल मंडी) ने भी मण्डल से विस्तृत सूचना निविदा आमंत्रण नोटिस/पत्र प्राप्त करने से इनकार किया। विभाग के नियंत्रणाधीन उप-मण्डलीय कार्यालयों के पास भी उनकी डायरी प्रविष्टि में उक्त विस्तृत सूचना निविदा आमंत्रण नोटिस/पत्र प्राप्त होने का कोई अभिलेख नहीं था। शेष 16 कार्यों को ₹ 50,000 से कम की निविदा दी गई थी, जिसे व्यापक प्रचार की आवश्यकता से हटा दिया गया था। इस प्रकार, सम्बंधित मण्डल/उप-मण्डल द्वारा विस्तृत सूचना निविदा आमंत्रण का उचित प्रचार नहीं किया गया, जो बाद के बिन्दुओं से प्रमाणित सांठगांठ वाली बोली का समर्थन करता है।

कार्यकारी अभियंता ने उत्तर दिया (मार्च 2022) कि सरकार के निर्देशानुसार एक लाख से अधिक की निविदाएं पंजीकृत डाक/ई-मेल के माध्यम से निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क को भेजी जाती हैं तथा एक लाख से कम की निविदाओं को गिरिराज या किसी अन्य समाचार-पत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं होती।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया एवं उक्त आदेश नियमावली स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि ₹ 50,000 से अधिक की निविदाओं का प्रचार किया जाए एवं प्रसार का प्रमाण प्राप्त किया जाए। इसके साथ ही निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क को सॉफ्टकॉपी भेजना व प्रकाशन सुनिश्चित करना मण्डलीय अधिकारी की जिम्मेदारी थी, जिसे पूरा नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त निविदा सूचनाएं प्रकाशित न करना बोली-प्रक्रिया से प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए उकसाने के समान है, जो कि हिमाचल् प्रदेश भ्रष्ट आचरण अधिनियम की धारा 9 (ए) के तहत अपराध है।

5.9.2.3 बोली चक्रानुक्रम (रोटेशन) के माध्यम से संदेहास्पद सांठगांठ वाली बोली

बोली रोटेशन स्कीम में षड्यंत्रकारी लाभ के हिस्से को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं तथा इस प्रकार सभी षड्यंत्रकारी अपनी बोली जमा करते हैं परन्तु बारी-बारी से हर षड्यंत्रकारी

सबसे कम बोली लगाने वाला बन जाता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग स्पष्ट करता है कि "एक कठोर बोली रोटेशन स्वरुप (पैटर्न) संभावना के सिद्धांत की अवहेलना करता है तथा सांठगांठ होने की जानकारी देता है।"

लेखापरीक्षा संवीक्षा में कुछ संदेहास्पद पैटर्न उजागर हुए जो इन 36 कार्यों की निविदा में बोली रोटेशन के माध्यम सांठगांठ वाली बोली की उच्च संभावना को सूचित करते है, जैसाकि तालिका-5.9.2 में दर्शाया गया है।

तालिका-5.9.2: रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन डेफिशिएंसी कार्यों की बोली व उन्हें सौंपा जाना

(₹ राशि में)

क्र. सं.	रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन डेफिशिएंसी ठेकेदार[38] का नाम	आरडी (से-तक)		न्यूनतम बोलीकर्ता 1 द्वारा मंजूर मोल-भाव दर	उद्धृत दरें			अनुमानित लागत	प्रदान की गई राशि
					न्यूनतम 1 बोलीकर्ता द्वारा	न्यूनतम 2 बोलीकर्ता द्वारा	न्यूनतम 3 बोलीकर्ता द्वारा		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)			(6)	(7)
1	गिरधारी लाल	0/000	0/150	185	225	230	240	89938	128168
2	ध्यान सिंह	0/150	0/330	190	230	235	245	92013	131122
3	गिरधारी लाल	0/330	0/480	231	280	290	300	99093	141034
4	ध्यान सिंह	0/480	0/615	206	250	255	260	97512	138593
5	भुवनेश ठाकुर	0/615	0/735	240	310	320	330	95599	135008
6	भुवनेश ठाकुर	0/735	0/870	223	280	290	300	95584	135520
7	रविंदर कुमार	0/870	1/015	197	240	250	265	96109	136269
8	रविंदर कुमार	1/015	1/210	196	250	255	260	95263	135210
9	जितेंद्र कुमार	1/210	1/435	169	200	210	215	91670	130000
10	जितेंद्र कुमार	1/435	1/645	185	225	230	240	89282	126282
11	मस्तराम	1/645	1/795	225	275	280	290	89544	126461
12	मस्तराम	1/795	1/900	199	240	245	250	78585	111263
13	धनंजय	2/420	2/510	187	225	230	235	95771	135884
14	जीवन लाल	2/510	2/675	213	265	270	275	96018	136689
15	मस्तराम	2/675	2/820	203	250	270	280	49271	69833
16	मस्तराम	2/820	2/893	202	250	270	280	49219	69864
17	गिरधारी लाल	2/893	2/937	228	300	310	320	48954	69569
18	गिरधारी लाल	2/937	2/977	184	225	235	250	48088	68433
19	रविंदर कुमार	2/977	3/064	209	260	290	300	49980	71152
20	रविंदर कुमार	3/064	3/078	246	320	350	360	48801	69351
21	जितेंद्र कुमार	3/078	3/122	214	270	280	290	48919	70080
22	जितेंद्र कुमार	3/122	3/160	250	325	350	360	49192	70044
23	भुवनेश ठाकुर	3/160	3/187	231	290	300	310	48886	69402
24	भुवनेश ठाकुर	3/187	3/231	222	285	290	300	49579	70555
25	ध्यान सिंह	3/231	3/269	186	240	250	260	48908	69230

[38] विभिन्न ठेकेदारों द्वारा उद्धृत दरों को निम्नलिखित रंग योजना में दिखाया गया है:-गिरिधर लाल, ध्यान सिंग, भुवनेश ठाकुर, रविन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार, मस्त राम, जीवन लाल, धंजय, रोशन लाल, गायत्री, धरमेन्द्र कुमार, भगत राम, हरीश कुमार, भाग सिंग, खेम चंद, यादव सिंह, हेम सिंह

क्र. सं.	रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन डेफिशिएंसी ठेकेदार[38] का नाम	आरडी (से-तक)		न्यूनतम बोलीकर्ता 1 द्वारा मंजूर मोल-भाव दर	उद्धृत दरें			अनुमानित लागत	प्रदान की गई राशि
					न्यूनतम 1 बोलीकर्ता द्वारा	न्यूनतम 2 बोलीकर्ता द्वारा	न्यूनतम 3 बोलीकर्ता द्वारा		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)			(6)	(7)
26	ध्यान सिंह	3/269	3/297	244	310	320	330	47820	67936
27	यादव सिंह	3/297	3/425	191	240	250	260	48692	69193
28	यादव सिंह	3/425	3/504	198	260	280	300	49961	70776
29	धनंजय	3/504	3/630	165	250	260	270	47349	67494
30	धनंजय	3/630	3/780	164	250	260	270	47021	67105
31	जितेंद्र कुमार	3/780	4/015	177	198	200	210	90530	129361
32	गिरधारी लाल	4/015	4/330	188	215	220	225	99817	142515
33	रविंदर कुमार	4/330	4/615	156	190	200	210	93295	133570
34	रविंदर कुमार	4/615	4/765	152	170	180	200	92308	132342
35	ध्यान सिंह	4/765	5/135	152	170	180	190	95419	137002
36	ध्यान सिंह	5/135	5/500	147	160	170	180	83266	119368
	योग							**2637256**	**3751678**

i. हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देश[39] निर्देशित करते हैं कि "विज्ञापित निविदा प्रणाली में प्राप्त बोलियों की संख्या तीन से कम न हो। प्राप्त बोलियों की संख्या तीन से कम होने पर सामान्यतः ऐसी निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है एवं पुनः निविदा प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।" 36 रिमूवल ऑफ फॉर्मेशन डेफिशिएंसी कार्यों की बोली में कुल 17 प्रतिभागी ठेकेदार थे। परन्तु 36 कार्यों में से प्रत्येक के लिए हर बोली में ठीक तीन ठेकेदारों ने भाग लिया (उपरोक्त तालिका में कॉलम 4)। इससे पता चलता है कि ये 17 ठेकेदार तीन न्यूनतम बोलियों की पूर्वोक्त आवश्यकता को पूरा करने एवं पुन: निविदा से बचने के लिए बारी-बारी से बोली प्रस्तुत कर रहे थे।

ii. 36 कार्यों में से प्रत्येक के लिए तीन निविदा आवेदन फार्मों की बिक्री की गई। एक मूल फॉर्म में विवरण[40] (नीले पेन में) भरा गया था एवं अन्य दो फॉर्म की कार्बन कॉपी बेची गई थी। यह पाया गया कि जिस बोलीदाता को मूल प्रपत्र बेचा गया था वह 36 कार्यों में से प्रत्येक में न्यूनतम 1 बोलीदाता बन गया, जबकि न्यूनतम 2 व न्यूनतम 3 बोलीदाताओं के पास हमेशा कार्बन प्रतियों में फॉर्म होते थे। यह तभी संभव था जब न्यूनतम1 बोलीदाता पूर्व-निर्धारित था तथा उसकी कागजी कार्रवाई पहले तैयार की गई थी, जबकि कार्बन प्रति में न्यूनतम 2 व न्यूनतम 3 बोलीदाताओं की कागजी कार्रवाई न्यूनतम तीन बोलियों की उक्त आवश्यकता के अनुपालन को दर्शाने के लिए तैयार की गई थी। इससे पता चलता है कि बोली

---

39 सं. आईएनडी/(विविध)एफ(6-10)4/80-111दिनांक 24.10.2013

40 जैसे मण्डल, उपखण्ड का नाम, रनिंग डिस्टेंस के साथ कार्य का नाम, कार्य की अनुमानित लागत, बयाना राशि आदि।

निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से आमंत्रित नहीं की गई थी क्योंकि संभाव्यता का नियम बताता है कि यदि फॉर्म बेतरतीब ढंग से बेचे गए थे तो न्यूनतम1 बोलीकर्ता को कम से कम कुछ मामलों में कार्बन प्रति फॉर्म बेचा जा सकता था।

iii. 36 कार्यों में से 28 में बोलीकर्ता 14 बार लगातार दो हिस्सों के लिए न्यूनतम 1 बोली लगाने में सफल रहे। सड़क के लगातार हिस्से एक ही बोलीकर्ता को 14 बार देने का यह पैटर्न निष्पक्ष व पारदर्शी बोली-प्रक्रिया में एक अप्रत्याशित घटना है तथा ऐसा होने का एकमात्र तर्कसंगत स्पष्टीकरण यह है कि सांठगांठ वाली बोली/बोली रोटेशन हो रहा था।

iv. सभी 36 कार्यों में, मूल रूप से उद्धृत दर (*कॉलम* 5, तालिका-5.9.2) एवं न्यूनतम 1 बोलीदाता (कॉलम 4) की निर्धारित दर के मध्य औसत अंतर 21.02 प्रतिशत (8.13 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के मध्य) था। यह स्पष्ट नहीं है कि यदि उन्होंने अपनी मूल रूप से उद्धृत दरों पर उचित रूप से अनुबंध जीता था तो सभी न्यूनतम 1 बोलीदाता अपनी दरों को इतने अधिक मार्जिन से कम करने के लिए क्यों सहमत हुए। यदि न्यूनतम 1 बोलीदाताओं में बोली जीतने के बाद इतनी तेजी से उद्धृत दर कम करने की क्षमता थी तो मूल रूप से उच्च दरें उद्धृत करने का कोई तर्क नहीं बनता क्योंकि न्यूनतम 1 व न्यूनतम 2 बोलीदाताओं के मध्य केवल 4.55 प्रतिशत (1 से 10.34 प्रतिशत के मध्य) का औसत अंतर था तथा न्यूनतम 1 बोलीदाता इतने कम मार्जिन के साथ निविदा खोने का जोखिम उठा सकता था। इससे पता चलता है कि न्यूनतम 1 बोलीदाताओं की मूल रूप से उद्धृत दरें प्रतिस्पर्धा-विरोधी व भ्रामक दरें थीं एवं प्रत्येक बोली में सबसे कम बोली लगाने वाला पूर्व-निर्धारित हो सकता था।

v. समझौते-वार्ता के बाद भी सभी 36 कार्यों हेतु न्यूनतम 1 बोलीदाताओं की समझौता दरें अनुमानित दरों (*कॉलम* 6 *व* 7, तालिका-5.9.2) से लगातार 41-43 प्रतिशत अधिक थीं। इससे पता चलता है कि सभी बोलीदाताओं ने निविदा में बहुत अधिक दरें उद्धृत करने एवं समझौते-वार्ता बाद भी उच्च लाभ मार्जिन प्राप्त करने के लिए सांठगांठ की थी।

vi. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली के परिच्छेद 18.7 के अनुसार, "निविदा दस्तावेजों की बिक्री के रजिस्टर में निविदा दस्तावेज जारी करने का कालानुक्रमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें जारी किया गया है, जारी किए गए फॉर्मों की संख्या एवं प्राप्त राशि दर्शाई गई हो। इसके अतिरिक्त, रजिस्टर को एक सहायक रोकड़ बही (कैशबुक) के रूप में माना जाना चाहिए तथा इसके पृष्ठ मशीनी क्रमांकित होने चाहिए।" यह देखा गया कि किसी विशेष कार्य हेतु बेचे गए तीनों फॉर्मों की बिक्री प्रविष्टियां निविदा बिक्री रजिस्टर में संयुक्त रूप से की गई थीं। यह इंगित करता है कि या तो निविदा बिक्री रजिस्टर कागजी कार्रवाई पूर्ण करने के लिए सभी निविदाएं प्रदान करने के बाद बनाया गया था अथवा किसी विशेष कार्य के लिए सभी तीन फॉर्मों को एक ही समय में बेचा गया था जो सांठगांठ

वाली बोली के समर्थन का संकेत देता है। इसके साथ ही उपरोक्त नियमावली का उल्लंघन करते हुए रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि में दिनांक अंकित नहीं किया गया था तथा सभी पृष्ठ बिना क्रमांक वाले थे।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बिना अनुबंध को कई कार्यों में विभाजित करना, निविदाओं के प्रचार की कमी, छेड़छाड़ की गई निविदाओं के कई संकेत जैसे इन सभी तथ्यों से पता चलता हैं कि मण्डल ने नियमों व प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया था तथा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी कार्यों को उच्च दरों पर सौंपने में सांठगांठ वाली बोली लगाने की सुविधा प्रदान की थी।

कार्यकारी अभियंता ने प्रत्युत्तर दिया (मार्च 2022) कि:

- **यह संयोग ही था कि इस कार्य के प्रत्येक हिस्से के लिए केवल तीन ठेकेदारों ने भाग लिया एवं आवेदन किया तथा तदनुसार यह कार्यालय इन ठेकेदारों को निविदा रद्द करने या बोली दस्तावेज जारी करने से मना नहीं कर सका।**
- **उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिभागी ठेकेदारों को सामान्य रूप से कार्य हेतु आवेदन करने पर निविदा फॉर्म जारी किए गए थे परन्तु संयोग से जिन ठेकेदारों को सामान्यतः कलम लिखित निविदा फॉर्म जारी किए गए उनकी उद्धृत दरें सबसे कम पाई गईं तथा जिनको सामान्यतः निविदा फॉर्म की कार्बन प्रतियां जारी की गईं उनकी उद्धृत दरें उच्च पाई गईं। टेंडर प्रक्रिया के दौरान सरकार के निर्देशों के अनुसार पारदर्शिता के सभी उपायों का पालन किया गया था परन्तु कभी-कभी संयोगवश इस प्रकार की स्थिति आ जाती है।**
- **इसके अतिरिक्त यह संयोगवश हुआ था कि सड़क के सिलसिलेवार हिस्सों के लिए उन्हीं बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें सबसे कम पाई गई तथा उसे तदनुसार न्यूनतम बोलीदाता/ठेकेदार को प्रदान किया गया।**

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तीनों अलग-अलग संयोग होने की संभावना लगभग शून्य[41] है तथा यह असंभव/दुर्लभ से दुर्लभ की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त एक ही बोली प्रक्रिया में एक ही समय में घटित होने वाली ये तीन घटनाएं और भी दुर्लभ हैं। इस प्रकार ये घटनाएं केवल "संयोग" नहीं हैं, बल्कि संयोग के नियम की अवहेलना करती हैं तथा सांठगांठ/बोली में हेरफेर को परिलक्षित करती हैं।

5.9.3 पुल निर्माणकार्य के कार्यान्वयन में विलम्ब

प्रथम ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़ने के पश्चात्, अगस्त 2017 में आरडी 0/357 पर जबलाही नाला पर 19.75 मीटर स्पैन आरसीसी टी-बीम पुल के निर्माण हेतु ₹ 0.55 करोड़ की लागत पर

[41] गणितीय रूप से दशमलव के 20वें स्थान तक माने जाने के बाद भी प्रायिकता शून्य होती है।

निविदा प्रदान की गई तथा इसे छः माह (फरवरी 2018) में पूर्ण किया जाना निर्धारित था। हालांकि यह पाया गया कि चार वर्ष से अधिक के विलम्ब के पश्चात् भी मात्र ₹ 0.36 करोड़ राशि के कार्य का कार्यान्वयन हुआ (मार्च 2022) एवं कार्य अब तक अपूर्ण है, जिससे सड़क निर्माण पर ₹ 3.34 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया (दिसंबर 2021)।

इस प्रकार माप पुस्तिकाओं में फर्जी प्रविष्टियों पर भुगतान कर अनुचित लाभ देने, हेरफेर/सांठगांठ वाली बोली के कारण ₹ 0.38 करोड़ का अनुचित लाभ एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के 11 वर्ष के विलम्ब के पश्चात् भी सड़क निर्माण कार्य पूर्ण न होने के कारण ₹ 3.34 करोड़ के निष्फल व्यय होने के अतिरिक्त क्षेत्र के लोग अभीष्ट लाभ से भी वंचित हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को प्रेषित किए गए (मार्च 2022) एवं उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

सिफारिशें:

- ***अधिकार न होने के बावजूद भी कार्यकारी अभियंताओं द्वारा कार्य का विभाजन करने की कठोरता से जांच की जाए एवं जवाबदेही तय की जाए।***
- ***निविदा प्रचार/विज्ञापन हेतु विभिन्न पतों पर पत्र (ईमेल/रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट) प्रेषित करने का प्रमाण अनिवार्य किया जाए एवं जवाबदेही तय जाए।***
- ***गिरिराज (राज्य सरकार का साप्ताहिक प्रकाशन)/अन्य समाचारपत्रों में निविदाओं का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए तथा प्रकाशन न किए जाने पर मण्डलीय/उप-मण्डलीय अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।***
- ***लेखापरीक्षा नमूना-जांच में इंगित की गई सांठगांठ वाली बोली की पड़ताल हेतु विस्तृत जांच की जाए एवं जवाबदेही तय की जाए।***
- ***लेखापरीक्षा नमूना-जांच में इंगित की गई माप पुस्तिकाओं में हुई फर्जी प्रविष्टियों की जांच की जाए एवं उचित कार्रवाई की जाए।***

5.10 सड़क के सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण के कार्य पर ठेकेदार को अनुचित लाभ

निलंबित सड़क कार्य हेतु ठेकेदार को ₹ 6.15 करोड़ का अनधिकृत/अनियमित अग्रिम भुगतान करके एवं उसे समायोजित/वसूली न करके, विलंब हेतु ₹ 0.82 करोड़ के परिसमापन क्षति का उद्ग्रहण न करके, ₹ 0.62 करोड़ की अस्वीकृत मूल्य वृद्धि प्रदान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया; इसके अतिरिक्त ठेकेदार को अग्रिम भुगतान करने के लिए अन्य योजना(ओं) हेतु प्राप्त नाबार्ड ऋण राशि को पथांतरित (डायवर्ट) कर दिया गया जिससे ब्याज देयता उत्पन्न हुई।

शिमला जिले में सैंज चौपाल नेरवा शाल्लू सड़क के 10 किलोमीटर के हिस्से (आरडी 20/0 किमी से 30/0 किमी) के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार ने प्रशासनिक स्वीकृति (मई 2017) एवं केन्द्रीय सड़क निधि योजना के माध्यम से ₹ 10.00 करोड़ की व्यय स्वीकृति प्रदान की तथा मुख्य अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (शिमला अंचल) ने ₹ 10.12 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (सितंबर 2017)। जून 2018 में कार्यकारी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, चौपाल मण्डल ने एक ठेकेदार को एक वर्ष के भीतर यानी जुलाई 2019 तक पूर्ण करने की शर्त के साथ ₹ 8.15 करोड़ में निर्माण-कार्य सौंपा। पूर्ण किए जाने वाले कार्यों में बढ़ाई गई चौड़ाई में फोरमेशन कटिंग, संरचनाओं को बनाए रखना, मौजूदा क्रॉस-ड्रेनेज का विस्तार, दानेदार उप-आधार, पानी से बंधे मैकडैम ग्रेड- II व III, बिटुमेन मैकडैम, बिटुमेन कंक्रीट, आवश्यक नालियां व पैरापेट्स प्रदान करना/बिछाना शामिल था।

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, चौपाल मण्डल के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2021) से उजागर हुआ कि कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 2.5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद मार्च 2022 तक कार्य अभी भी अपूर्ण था। इसके अतिरिक्त जहां अनुबंध-मूल्य के केवल 10 प्रतिशत मूल्य का कार्य निष्पादित व मापा गया, वहीं मण्डल द्वारा ठेकेदार को मूल्य-वृद्धि के अतिरिक्त, अनुबंध-मूल्य की 86 प्रतिशत राशि का भुगतान पहले ही करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई हैं-

5.10.1 ₹ 6.15 करोड़ का अनधिकृत व अनियमित अग्रिम भुगतान

पंजाब लोक निर्माण विभाग कोड एवं केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा कोड (दोनों कोड का अनुपालन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है) में तीन प्रकार के अग्रिमों का प्रावधान है - विशेष व पूंजी-गहन कार्यों हेतु अग्रिम जुटाना (मोबिलाइज़ेशन एडवांस), कार्य-स्थल (साईट) पर लाई गई सामग्री की सुरक्षा पर सुरक्षित अग्रिम एवं "कार्य निष्पादित परन्तु अमापित" के लिए अग्रिम भुगतान। दोनों कोड निर्देश देते हैं कि "ठेकेदारों को नियमानुसार अग्रिम निषिद्ध है तथा एक ऐसी प्रणाली को बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए जिसके तहत किए गए कार्यों को छोड़कर कोई भुगतान नहीं किया जाता है[42]"।

- **"कार्य निष्पादित परन्तु अमापित"** के संबंध में अग्रिम भुगतान हेतु पंजाब लोक निर्माण विभाग कोड में अनिवार्य सरकारी स्वीकृति निर्धारित है, जबकि केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा कोड में यह निर्धारित है कि कम से कम अधीक्षक अभियंता की स्वीकृति अनिवार्य है। अग्रिम को तीन महीने के भीतर समायोजित करने की दृष्टि से इस तरह के अग्रिम भुगतानों के पश्चात्

[42] पंजाब लोक निर्माण विभाग कोड के अध्याय II कार्य नियम 2.105 में और केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा को 10.2.22 व 10.2.23 में।

दो महीने के भीतर विस्तृत मापन किया जाना चाहिए। केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा कोड में यह भी निर्धारित है कि पहले अग्रिम की वसूली से पूर्व दूसरे अग्रिम की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितंबर 2019 में कार्यकारी अभियंता ने ठेकेदार को ₹ 1.65 करोड़ का पहला अग्रिम भुगतान किया (पूर्ण होने की निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद अर्थात जुलाई 2019) एवं फिर मार्च 2020 में पहले अग्रिम भुगतान की वसूली के बिना ₹ 4.50 करोड़ का दूसरा अग्रिम भुगतान किया। दोनों उदाहरणों में कार्यकारी अभियंता वरिष्ठ अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति के बिना ऐसे अग्रिम भुगतान करने के लिए अधिकृत नहीं था। इसके साथ-साथ दो वर्ष के विलम्ब (मार्च 2022) के बाद भी अग्रिम भुगतान को समायोजित/वसूली नहीं की गई।

- अनुबंध के खण्ड 42 एवं 43 के अनुसार ठेकेदार को पूर्ण किए गए कार्य के अनुमानित मूल्य का मासिक विवरण अभियंता को प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य सौंपे जाने से दूसरे अग्रिम भुगतान (मार्च 2020) की तिथि (जून 2018) तक ठेकेदार ने ऐसा कोई बिल जमा नहीं किया था एवं विभाग ने उक्त कार्य हेतु ठेकेदार से बिल प्राप्त किए बिना अग्रिम भुगतान प्रदान किया था।

- केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा कोड में निर्धारित है कि वास्तव में निष्पादित कार्य हेतु वास्तविक रूप से निष्पादित कार्य की प्रमात्रा से कम ना हो, तक अग्रिम भुगतान एक अधिकारी (उप-मंडलाधिकारी के पद से नीचे का नहीं) के प्रमाणपत्र पर ही किया जा सकता है तथा ऐसा प्रमाणपत्र प्रदान करने वाला अधिकारी किसी भी अधिक भुगतान के लिए, काम के परिणामस्वरूप हो, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहायक अभियंता (उप-मंडलाधिकारी) ने प्रमाणित किया कि ठेकेदार द्वारा ₹ 8.15 करोड़ का कार्य निष्पादित किया गया, परन्तु मापा नहीं गया। प्रमाणपत्र के आधार पर ₹ 6.15 करोड़ (₹ 8.15 करोड़ की कुल अनुबंध राशि में से) अग्रिम भुगतान (सितंबर 2019 व मार्च 2020) किया गया। हालांकि राज्य गुणवत्ता प्रबंधन विंग की रिपोर्ट से पता चला (फरवरी 2020) कि फरवरी 2020 तक केवल लगभग ₹ 0.49 करोड़ का कार्य निष्पादित किया गया **(परिशिष्ट-5.1)**। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अग्रिम भुगतान उस कार्य के लिए किया गया जिसे भुगतान के समय बड़े पैमाने पर निष्पादित नहीं किया गया था, जो अत्यधिक अनियमित था।

इस प्रकार, बिना आवश्यक प्राधिकार/स्वीकृति प्राप्त किए, नियमों का उल्लंघन करते हुए एवं ऐसे कार्य के लिए जो इस तरह के अग्रिम भुगतान के समय किए गए दावे की तुलना में बहुत

कम सीमा तक निष्पादित किया गया था, ₹ 6.15 करोड़ का अग्रिम भुगतान ठेकेदार को किया गया, जैसा कि बाद में गुणवत्ता जांच निरीक्षण में उजागर हुआ।

5.10.2 दुर्भावनापूर्ण इरादों से अग्रिम भुगतान का गलत लेखांकन एवं असमायोजन

- केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा कोड के खंड 10.5.14 के तहत ठेकेदार को किया गया अग्रिम भुगतान कार्य पर अंतिम परिव्यय के रूप में नहीं लिया जाए। अग्रिम भुगतान एवं उनके बाद के समायोजनों के रिकॉर्ड हेतु निर्माण-कार्य सार (वर्क्स एब्सट्रैक्ट) में एक उचंत शीर्ष, "ठेकेदार - अग्रिम भुगतान" खोला जाए। केन्द्रीय लोक निर्माण लेखा कोड का खंड 10.2.23 निर्धारित करता है कि निष्पादित परन्तु अमापित कार्य हेतु ठेकेदार को दिए गए अग्रिम के विवरण देते हुए सम्बंधित उप-अभियंता के सूचनार्थ मंडलाधिकारी एक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा ताकि भुगतान पर नज़र रखी जा सके।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए दो अग्रिम भुगतान उचंत शीर्ष "ठेकेदार-अग्रिम भुगतान" में रखने के बजाय सीधे कार्य हेतु प्रभारित किया गया था। इसका अर्थ था कि अग्रिम भुगतानों की प्रास्थिति की निगरानी बंद कर दी गई थी तथा उनके समायोजन/वसूली पर नज़र नहीं रखी गई।

- आगे यह भी देखा गया कि फरवरी 2021 में मण्डल ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 एवं जनवरी 2021 में किए गए खुदाई के 77272.72 घन मीटर परिमाण के विस्तृत माप के आधार पर ठेकेदार का ₹ 0.85 करोड़ का पहला चालू खाता बिल पास किया। हालांकि मण्डल ने बिल पास करते समय अग्रिम भुगतान के प्रति बिल की राशि समायोजित नहीं की। इसके स्थान पर पूर्व में किए गए अग्रिम भुगतान के अतिरिक्त ठेकेदार को ₹ 0.85 करोड़ का भुगतान किया गया, जो कि अनियमित था।

5.10.3 ₹ 0.82 करोड़ की परिसमापन क्षति का अनुद्ग्रहण

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना/अनुबंध के खंड 49 व धारा 4 (अनुबंध डेटा) के अनुसार, ठेकेदार प्रत्येक दिन के विलम्ब हेतु अनुबंध मूल्य के 1/2000वें की दर से परिसमापन क्षति, जो अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो सकता है, के भुगतान हेतु उत्तरदायी था।

सितंबर-दिसंबर 2020 व जनवरी 2021 में विस्तृत माप किए गए एवं फरवरी 2021 में मण्डल द्वारा ठेकेदार का प्रथम चालू खाता बिल पारित किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 8.15 करोड़ की कुल ठेका राशि में से केवल ₹ 0.85 करोड़ का कार्य निष्पादित किया गया था। इस प्रकार, फरवरी 2021 तक ठेकेदार ने कार्य की निर्धारित तिथि (जुलाई 2019) से 1.5 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी कार्य के कुल दायरे का लगभग 10 प्रतिशत ही निष्पादित किया था।

चूंकि ठेकेदार ने कार्य के निष्पादन में काफी विलम्ब किया था, अतः ठेकेदार से ₹ 0.82 करोड़ (₹ 8.15 करोड़ के अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत) की परिसमापन क्षति उद्ग्रहित/वसूली की जानी चाहिए थी। तथापि, ऐसा विभाग द्वारा नहीं करके ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

5.10.4 अग्रिम भुगतानों पर किए गए ₹ 0.62 करोड़ के वृद्धि भुगतान

एक वर्ष से अधिक अवधि के अनुबंधों हेतु श्रम, सामग्री, ईंधन आदि की कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण अनुबंध मूल्य में समायोजन/वृद्धि के लिए "मूल्य समायोजन" खंड होना एक सामान्य प्रथा है, जबकि एक वर्ष के अनुबंध अवधि हेतु इस "मूल्य समायोजन" खंड[43] की आवश्यकता नहीं है। चूंकि मौजूदा मामले में अनुबंध की अवधि केवल 12 माह थी, इसलिए इसमें "मूल्य समायोजन/वृद्धि" का कोई प्रावधान नहीं था। तथापि, विभाग ने कार्य निष्पादन में विलम्ब हेतु परिसमापन क्षति लगाने के बजाय, बिना किसी औचित्य के एवं ठेका-अनुबंध के स्पष्ट उल्लंघन में, ठेकेदार को किए गए अग्रिम भुगतान की राशि पर मूल्य वृद्धि के लिए उसे ₹ 0.09 करोड़ व ₹ 0.53 करोड़ का भुगतान किया (मार्च 2021) जिससे ठेकेदार को और अनुचित लाभ दिया गया।

5.10.5 नाबार्ड की निधियों का अनियमित पथांतरण (डायवर्जन) एवं ₹ 0.32 करोड़ की ब्याज देयता

यद्यपि केन्द्रीय सड़क निधि के तहत कार्य स्वीकृत किया गया था, तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार को भुगतान करने के लिए नाबार्ड ऋण शीर्ष से ₹ 4.50 करोड़ की राशि डायवर्ट की गई। यह एक गंभीर वित्तीय अनियमितता थी तथा इसका अर्थ यह हुआ कि नाबार्ड शीर्ष से उस कार्य हेतु किए गए अग्रिम भुगतान पर लगभग ₹ 0.32 करोड़ (मार्च 2022 तक) की ब्याज देयता[44] राज्य कोषागार पर हो गई, जिसे नाबार्ड के तहत स्वीकृत भी नहीं किया गया था।

इस प्रकार, मार्च 2021 तक विभाग ने ठेकेदार को निम्नवत रूप से अनुचित लाभ पहुंचाया था- अग्रिम भुगतान (₹ 6.15 करोड़),

- कार्य के निष्पादन में विलम्ब हेतु परिसमापन क्षति (₹ 0.82 करोड़) का अनुद्ग्रहण,
- कार्य के कार्य-क्षेत्र के केवल 10 प्रतिशत निष्पादन हेतु मूल्य वृद्धि भुगतान (₹ 0.62 करोड़),
- ठेकेदार को ब्याज रहित अग्रिम देने के लिए नाबार्ड ऋण राशि का डायवर्जन, जिससे राज्य कोषागार पर लगभग ₹ 0.32 करोड़ की ब्याज देयता होगी (मार्च 2022 तक)।

---

43 केंद्रीय लोक निर्माण नियमावली 2014 का खंड 33.10 (2)

44 पहले वर्ष में ₹ 0.17 करोड़ का ब्याज + दूसरे वर्ष में ₹ 0.15 करोड़ का ब्याज (@ 3.9 प्रतिशत की ब्याज दर = 5.40 - 1.5 (निधि संवितरण के समय प्रचलित बैंक दर - 1.5 प्रतिशत) मार्च 2022 तक दो वर्षों के लिए सात समान वार्षिक किश्तों में चुकाई जाने वाली ऋण राशि के लिए) ।

- इसके अतिरिक्त, अग्रिम भुगतानों की वसूली/समायोजन के बिना प्रथम चालू खाता बिल (₹ 0.85 करोड़) का अनियमित भुगतान।

मार्च 2022 तक कार्य अपूर्ण था। विभाग ने ठेकेदार को कुल ₹ 7.62 करोड़[45] (₹ 8.15 करोड़ के कुल अनुबंध मूल्य का 93 प्रतिशत) का भुगतान किया था एवं ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़ने की स्थिति में यह जोखिम था कि विभाग ठेकेदार से अग्रिम भुगतान, वृद्धि भुगतान व परिसमापन क्षति की राशि की वसूली नहीं कर सकेगा।

कार्यकारी अभियंता ने पहले बताया (जनवरी 2021) कि अग्रिम भुगतान इसलिए किया गया क्योंकि ठेकेदार ने अलग-अलग क्षेत्रों में कार्य को बेतरतीब ढंग से निष्पादित किया था जिसे मापा नहीं जा सकता था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि कैसे बेतरतीब निष्पादन कार्य के मापन में बाधा उत्पन्न कर सकता है; यदि कार्य निष्पादित किया जा सकता है, तो इसे मापा जा सकता है।

तदोपरांत कार्यकारी अभियंता ने बताया (फरवरी 2022) कि वन मामले से अनापत्ति प्राप्त न होने के कारण निष्पादित कार्य के वास्तविक माप द्वारा अग्रिम भुगतान समायोजित नहीं किया जा सका। यह उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि वन मामले की गैर-मंजूरी किस प्रकार अग्रिम भुगतान के लिए कार्य का विस्तृत माप लेने में बाधा उत्पन्न कर सकती है क्योंकि वन विभाग को विभाग द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के अनुसार हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग/सरकार की गैर-वन भूमि के 10 किलोमीटर की हिस्से में केवल 22 वृक्ष[46] खड़े थे।

अपने तीसरे उत्तर में कार्यकारी अभियंता ने बताया (मार्च 2022) कि नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक बर्फबारी एवं कोविड-19 महामारी संबंधी लॉकडाउन के कारण माप नहीं किया जा सका तथा वह अग्रिम भुगतान हेतु अधिकृत था।

यह उत्तर अस्वीकार्य था क्योंकि प्रथम चालू खाता बिल (₹ 0.85 करोड़) को अंतिम रूप देने के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 व जनवरी 2021 (हिमपात वाले माह) में विस्तृत माप किया गया था। इसके अतिरिक्त, कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन केवल मार्च 2020 के अंत में लगाए गए थे। अंत में, इस दावे के समर्थन में, कि उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कार्यकारी अभियंता अग्रिम भुगतान हेतु अधिकृत है, कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

---

45 ₹ 6.15 करोड़+ ₹ 0.62 करोड़ + ₹ 0.85 करोड़।

46 वन विभाग को विभाग द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के अनुसार (पहली बार जनवरी 2020 में बनाया गया) 10 किमी (20/0 से 30/0) के हिस्से में 22 वृक्षों को काटने की आवश्यकता थी।

इस प्रकार, इस परिच्छेद हेतु कार्यकारी अभियंता के उत्तर न तो सुसंगत एवं न ही मान्य थे तथा स्वीकार नहीं किए जा सकते थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को प्रेषित किए गए (मार्च 2022) एवं उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

मामले की जांच कराई जाएं एवं संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएं। कार्य पूर्ण करने के लिए भी कदम उठाएं ताकि परिकल्पित लाभों की प्राप्ति की जा सके।

जल शक्ति विभाग

5.11 नलकूपों के निर्माण पर अनावश्यक एवं निष्फल/अप्रभावी व्यय

नलकूप योजनाओं हेतु प्रस्तावित स्थलों पर कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जल-निकासी का वैज्ञानिक व्यवहार्यता मूल्यांकन न करना परित्यक्त योजनाओं पर ₹ 0.92 करोड़ के अनावश्यक व्यय एवं मामूली रूप से कार्यशील योजनाओं पर अप्रभावी व्यय के रूप में परिणत हुआ, इसके अतिरिक्त अन्य योजनाएं अनुमोदन के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी अपूर्ण रही, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी सिंचाई सुविधाओं से वंचित रह गए।

भारतीय मानक ब्यूरो दिशानिर्देश जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार पर प्रयोज्य हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (एसपी (क्यूएडब्ल्यूएसएम) 56: 1994) द्वारा "नल (ट्यूब)/बोरवेल की अवस्थिति, संचालन व रखरखाव - दिशानिर्देश" के परिच्छेद 4.2 एवं 4.2.1 में कहा गया है कि भौतिक विशेषताओं जैसे घनत्व, लोच, चुंबकीय संवेदनशीलता, विद्युत प्रतिरोधकता, रेडियोधर्मिता आदि का उपयोग करते हुए भूभौतिकीय तरीके जल-भूगर्भीय (हाइड्रोजियोलॉजिकल) विशेषताओं को निरुपित कर सकते है एवं अच्छे जलवाही स्तर (एक्वीफर्स)/ भूजल क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता हेतु बोरहोल की ड्रिलिंग के लिए सटीक स्थान दे सकते है एवं इस प्रकार सर्वेक्षण क्षेत्र में भूजल क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि "भूभौतिकीय सर्वेक्षण यद्यपि हाइड्रोजियोलॉजिकल जांच की तुलना में महंगा है, तथापि यह बहुत अधिक महंगी ड्रिलिंग के निष्फल व्यय को, विशेष रूप से कठोर चट्टान (हार्ड रॉक) क्षेत्रों में, कम कर सकता है।"

नाबार्ड ऋण योजना[47] के तहत क्रमशः अगस्त 2009 व मार्च 2015 में नालागढ़ (सोलन जिला) के गांवों के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए दो सिंचाई परियोजनाओं[48]

---

47 आरआईडीएफ XIV व आरआईडीएफ XX

48 नालागढ़ क्षेत्र में ₹ 4.09 करोड़ में 6 नलकूप (अगस्त 2009), ₹ 5.33 करोड़ में 7 नलकूपों (राजपुरा, मियांपुर बगलेहर, ग्राम पंचायत गोयल जमाला में कल्याणपुर हरिजन बस्ती, भोगपुर, घरोटी (बाईपास), ग्राम पंचायत खिलियां में नग्गर व प्लासरा कालू) (मार्च 2015)।

(परियोजना-I: ₹ 4.09 करोड़ में छ: नलकूप व परियोजना-II: ₹ 5.33 करोड़ में सात नलकूप) को मंजूरी दी गई थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार दो परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 13 नलकूप ड्रिल किए जाने थे, जिसमें 30 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हेतु प्रत्येक नलकूप में 30 लीटर प्रति सेकंड जल-निकासी अनुमानित थी। इसके अतिरिक्त सिविल कार्य (पंप हाउस, डिलीवरी टैंक, आउटलेट, पक्के व कच्चे फील्ड चैनल का निर्माण) का निष्पादन किया जाना था तथा उपकरण (पंपिंग मशीनरी व पाइप) खरीदे जाने थे।

जल शक्ति मंडल, नालागढ़ के अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2018 व मार्च 2021) से उजागर हुआ कि प्रस्तावित ट्यूबवेल कार्य-स्थलों (साइटों) पर उपलब्ध भूजल क्षमता (जल-निकासी) का पता लगाने हेतु उक्त भारतीय मानक ब्यूरो दिशानिर्देशों में अनुशंसित वैज्ञानिक विधियों (भू-भौतिक परीक्षण- विद्युत प्रतिरोधकता विधि, चुंबकीय या रिमोट सेंसिंग तकनीक, आदि) का उपयोग नहीं किया गया था। इसके स्थान पर विभाग पूरी तरह से उसके हाइड्रोलॉजी विंग द्वारा प्रस्तुत (अप्रैल 2008 व अप्रैल 2009) व्यवहार्यता रिपोर्ट पर निर्भर था, जो केवल प्रारंभिक स्थलाकृतिक क्षेत्र सर्वेक्षण एवं भूवैज्ञानिक स्थितियों व आस-पास के क्षेत्रों में ट्यूबवेल के जल-निकासी डेटा से युक्त हाइड्रोजियोलॉजिकल सर्वेक्षण पर आधारित था।

विभाग के हाइड्रोलॉजी विंग द्वारा तैयार की गई व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर, उसने दो सिंचाई परियोजनाओं में सभी 13 नलकूपों का ड्रिलिंग कार्य किया, जिसके बाद यह पता चला कि 30 लीटर प्रति सेकंड की अनुमानित जल-निकासी के प्रति सभी नलकूप स्थलों पर वास्तविक जल-निकासी 4 लीटर प्रति सेकंड व 16 लीटर प्रति सेकंड के मध्य थी। परिणामस्वरूप सात नलकूपों को ड्रिलिंग कार्य के बाद छोड़ दिया गया, वहीं कम जल-निकासी के बावजूद विभाग ने अन्य छ: नलकूपों के सिविल कार्य का निर्णय लिया। नलकूप परियोजनाओं की विस्तृत प्रास्थिति की **तालिका-5.11.1** एवं नीचे दिए गए परिच्छेदों में चर्चा की गई है -

तालिका- 5.11.1: नलकूप परियोजनाओं की प्रास्थिति

क्र. सं.	गांव में नलकूप योजना	ड्रिल पूर्ण	अनुमानित जल-निकासी (लीटर प्रति सेकंड)	वास्तविक जल-निकासी (लीटर प्रति सेकंड)	व्यय (₹ करोड़ में)			फरवरी 2022 तक स्थिति
					ड्रिल	सिविल कार्य	कुल	
परियोजना-I: 6 नलकूप (सेरी पहाड़, सेरी देश, राख घनसोत, दत्तोवाल, अंबवाला व जयवाला)								
1.	सेरी पहाड़	मार्च 2011	30	5	0.18	-	0.18	परित्यक्त
2.	सेरी देश			8				
3.	राख घनसोत			8				
4.	दत्तोवाल			7.28	0.22[49]	1.79	2.01	कम जल-निकासी कर कार्यशील
5.	अंबवाला			13				
6.	जयवाला			16				

[49] ₹ 0.40 (6 नलकूपों की ड्रिलिंग पर कुल व्यय) - ₹ 0.18 (तीन परित्यक्त) = ₹ 0.22 करोड़।

क्र. सं.	गांव में नलकूप योजना	ड्रिल पूर्ण	अनुमानित जल-निकासी (लीटर प्रति सेकंड)	वास्तविक जल-निकासी (लीटर प्रति सेकंड)	व्यय (₹ करोड़ में)			फरवरी 2022 तक स्थिति
					ड्रिल	सिविल कार्य	कुल	
परियोजना- II: सात नलकूप (राजपुरा, मियांपुर बगलेहर, ग्राम पंचायत गोयल जमाला में कल्याणपुर हरिजन बस्ती, भोगपुर, घरोटी (बाईपास), ग्राम पंचायत खिलियां में नग्गर व प्लासरा कालू)								
7.	राजपुरा	जुलाई 2016	30	4	0.26	-	0.74	परित्यक्त
8.	मियांपुर बगलेहर	मार्च 2016		7.28	0.17			
9.	कल्याणपुर हरिजन बस्ती	फरवरी 2016		10	0.18			
10.	प्लासरा कालू	अगस्त 2016		9	0.13			
11.	भोगपुर	मई 2016		12	0.20	0.38	0.79	प्रक्रियाधीन[50]
12.	घरोटी (बाईपास)	जुलाई 2016		14	0.11			
13.	नग्गर	अगस्त 2016		14	0.10			

- **परित्यक्त नलकूप -**

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, सात नलकूपों (क्रमांक 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10) के मामले में ड्रिलिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वास्तविक जल-निकासी केवल 4 लीटर प्रति सेकंड से 10 लीटर प्रति सेकंड के मध्य पाई गई। इस प्रकार, योजनाएं व्यवहार्य नहीं थीं तथा कोई सिविल कार्य नहीं किया गया। ड्रिलिंग कार्य पर ₹ 0.92 करोड़[51] का अनावश्यक व्यय हुआ तथा ये सात नलकूप परित्यक्त रहे।

- **कार्यशील/प्रक्रियाधीन नलकूप -**

छ: नलकूपों (क्रमांक 4, 5, 6, 11, 12, 13) में ड्रिलिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात् वास्तविक जल-निकासी 7.28 लीटर प्रति सेकंड व 16 लीटर प्रति सेकंड के मध्य पाई गई, इसके बावजूद विभाग ने इन नलकूप योजनाओं के लिए सिविल कार्य किया।

फरवरी 2022 तक तीन नलकूपों (क्रमांक 11, 12, 13) का सिविल कार्य ₹ 0.79 करोड़ व्यय करने के बाद भी प्रक्रियाधीन था। अन्य तीन नलकूप (क्रमांक 4, 5, 6) जिन पर ₹ 2.01 करोड़ का व्यय किया गया था, बहुत कम जल-निकासी पर कार्य कर रहे थे। हालांकि कार्यशील तीनों नलकूपों में कम जल-निकासी को देखते हुए यह संभावना नहीं थी कि ये नलकूप परिकल्पित 30 हेक्टेयर भूमि की पर्याप्त सिंचाई कर पाएंगे।

इस प्रकार, भूजल क्षमता के आकलन हेतु पूर्वोक्त भारतीय मानक ब्यूरो के दिशानिर्देशों में निर्धारित अधिक विश्वसनीय भूभौतिकीय विधियों को न अपनाने के परिणामस्वरूप जहां सात परित्यक्त नलकूप योजनाओं पर ₹ 0.92 करोड़ का अनावश्यक व्यय एवं कम जल-निकास

---

[50] वितरण प्रणाली एवं पंप हाउस व आउटलेट निर्माण में पाइप उपलब्ध कराना/बिछाना।

[51] ₹ 0.92 करोड़ = ₹ 0.18 करोड़ + ₹ 0.74 करोड़।

वाली तीन कार्यशील नलकूप योजनाओं पर ₹ 2.01 करोड़ का अप्रभावी उपयोग हुआ, वहीँ तीन नलकूप योजनाएं ₹ 0.79 करोड़ के व्यय के बाद भी अपूर्ण रहीं। लाभार्थियों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य सात परित्यक्त नलकूप योजनाओं के मामले में अप्राप्य रहा तथा कम कवरेज को देखते हुए तीन कार्यशील योजनाओं में केवल मामूली रूप से प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं के सम्बन्ध में नाबार्ड को फर्जी दावे प्रस्तुत करने से वित्तीय अनियमितता एवं राज्य कोषागार से अतिरिक्त ब्याज देयता उत्पन्न हुई।

परियोजना 1 के संदर्भ में कार्यकारी अभियंता ने बताया (नवम्बर 2019 व नवम्बर 2020) कि हाइड्रोलॉजी विंग द्वारा जल-निकासी तीव्रता के आकलन हेतु केवल सर्वेक्षण किया गया था एवं अनुमान से कम जल-निकासी वाले नलकूपों हेतु आनुपातिक रूप से कृषि योग्य क्षेत्र का निर्धारण किया गया। योजना की पूर्णता में विलम्ब तथा जल-निकासी के व्यवहार्यता मूल्यांकन में विफलता का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। परियोजना 2 के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को प्रेषित किया गया (मार्च 2022) एवं उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

विभाग निष्पादन से पूर्व योजनाओं के प्रस्तावित स्थलों पर जल-निकासी का वैज्ञानिक व्यवहार्यता मूल्यांकन सुनिश्चित करें ताकि आगामी चरण में ड्रिलिंग एवं सिविल कार्यों पर अनावश्यक व्यय न हो।

5.12 सीवरेज योजना के कार्यान्वयन पर अनावश्यक एवं निष्फल व्यय

अपर्याप्त योजना तथा भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न करने के कारण ठियोग नगर में सीवरेज योजना के कार्यान्वयन में 12 वर्षों का अत्यधिक विलम्ब हुआ जिससे ₹ 5.12 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

सीवरेज एवं सीवेज प्रशोधन 1993 पर केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ[52]) मैनुअल के परिच्छेद 1.4 में निर्धारित है कि सीवरेज परियोजनाओं के प्रकार व आकार के आधार पर सीवरेज योजना की डिजाइन एवं पूर्ण होने के मध्य की अवधि तीन से छ: वर्ष तक होनी चाहिए।

जल शक्ति विभाग के मत्याना मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2020) से उजागर हुआ कि खराब कार्ययोजना एवं कार्यान्वयन न होने के कारण तथा योजना[53] पर किए गए कुल ₹ 5.12 करोड़ के व्यय के बावजूद ठियोग शहर में सीवरेज योजना पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के 12 वर्ष बाद भी अपूर्ण व अकार्यशील बनी हुई है।

---

[52] केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

[53] इसमें से ₹ 0.63 करोड़ दबे हुए पाइपों व मैनहोलों पर बेकार हो गए थे।

5.12.1 खराब योजना एवं संशोधित तकनीकी स्वीकृति

जून 2006 में ठियोग शहर में सीवरेज योजना हेतु ₹ 4.23 करोड़ की प्रशासनिक रूप से स्वीकृति मिली थी। दो क्षेत्रों (क्षेत्र I व क्षेत्र II) में सीवरेज नेटवर्क बिछाने एवं प्रत्येक क्षेत्र में सीवेज प्रशोधन संयंत्र के निर्माण का प्रावधान करने की योजना बनाई गई थी। इसे चार वर्ष के भीतर अर्थात जून 2010 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित किया गया था तथा 2041 तक 12,019 लोगों की अनुमानित आबादी को सुविधा प्रदान करने के लिए इसका 30 वर्षों का अभिकल्पित (डिज़ाइंड) कार्यकाल था।

जून 2007 में क्षेत्र I व II में दो सीवेज प्रशोधन संयंत्र (प्रत्येक क्षेत्र में एक सीवेज प्रशोधन संयंत्र) के निर्माण हेतु ₹ 0.98 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी। हालांकि तकनीकी स्वीकृति के चार वर्ष बाद भी कार्य पर कोई प्रगति नहीं हुई। 2011 में निजी भूमि की संलिप्तता एवं चिन्हित स्थल[54] की अनुपयुक्त अवस्थिति के कारण विभाग ने क्षेत्र I में सीवेज प्रशोधन संयंत्र के निर्माण की योजना त्यागने का निर्णय लिया। इसके स्थान पर निर्णय लिया गया कि:

- क्षेत्र I के सीवरेज नेटवर्क के बड़े हिस्से को क्षेत्र II के सीवरेज नेटवर्क व सीवेज प्रशोधन संयंत्र से जोड़ा जाए, तथा
- क्षेत्र I के उन बचे हुए हिस्सों, जिन्हें क्षेत्र II से जोड़ना संभव नहीं था, के लिए सेप्टिक टैंक प्रदान किया जाए।

क्षेत्र II में विस्तारित क्षमता के साथ सीवेज प्रशोधन संयंत्र के निर्माण एवं क्षेत्र I में दो सेप्टिक टैंकों के निर्माण हेतु मुख्य अभियंता (दक्षिण क्षेत्र) ने ₹ 2.32 करोड़ की संशोधित तकनीकी स्वीकृति (अप्रैल 2012) दी थी। 18 माह (मई 2015 तक) में पूर्ण करने हेतु एक ठेकेदार को ₹ 2.64 करोड़ में कार्य सौंपा गया था (दिसंबर 2013)। पांच वर्ष के विलम्ब से आज की तिथि तक (फरवरी 2020) केवल सीवेज प्रशोधन संयंत्र का निर्माण किया गया। दो सेप्टिक टैंक अब तक नहीं बन पाए।

कार्यक्षेत्र के सापेक्ष निष्पादित कार्य की प्रास्थिति **तालिका-5.12.1** में दी गई है।

तालिका-5.12.1: फरवरी 2022 तक सीवेज प्रशोधन संयंत्र व सेप्टिक टैंकों पर हुए कार्य की प्रास्थिति

संघटक	कार्यक्षेत्र	निष्पादित वास्तविक कार्य	शेष
क्षेत्र II में सीवेज प्रशोधन संयंत्र	एक सीवेज प्रशोधन संयंत्र (1.15 एमएलडी क्षमता)	एक सीवेज प्रशोधन संयंत्र (1.15 एमएलडी क्षमता) (फरवरी 2020)	-
क्षेत्र I के बचे हुए क्षेत्रों के लिए सेप्टिक टैंक	सेप्टिक टैंक 1 - 150 उपयोगकर्ता सेप्टिक टैंक 2 - 300 उपयोगकर्ता	निरंक	2 सेप्टिक टैंक

[54] धूप रहित क्षेत्र जहां सीवेज प्रशोधन संयंत्र का प्रदर्शन निम्नतर था।

5.12.2 अत्यधिक विलम्ब एवं अकार्यशील योजना

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (मई 2015) से लगभग पांच वर्ष बीत जाने के बाद अपेक्षित सीवेज प्रशोधन संयंत्र फरवरी 2020 में पूर्ण किया गया।

हालांकि सीवेज प्रशोधन संयंत्र अकार्यशील रहा तथा सम्पूर्ण योजना फरवरी 2022 में सीवेज प्रशोधन संयंत्र पूर्ण होने के दो वर्ष व्यतीत होने के बावजूद परिचालित नहीं हुई। कार्य की प्रास्थिति को निम्नवत रूप से सारांशित किया जा सकता है :

(i) सीवरेज नेटवर्क पर 50 प्रतिशत से भी कम कार्य निष्पादित किया गया था एवं नेटवर्क मार्गरेखा (एलाइनमेंट) के विभिन्न हिस्सों में भू-विवाद के कारण 2009 से कार्य को रोक दिया गया था।

(ii) इसमें से, निर्मित सीवरेज नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग (पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 22; अब राष्ट्रीय राजमार्ग 5, राहीघाट से जानोघाट तक की सड़क पर) के किनारे बिछाए गए 91 मैनहोल व 2,160 रनिंग मीटर पाइप लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल) द्वारा किए गए मेटलिंग व टैरिंग कार्य के कारण 2012-13 से राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे दब गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा मेटेलिंग व टारिंग कार्य किए जाने के समय जल शक्ति विभाग मण्डल ने मैनहोल व पाइप को दबने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

(iii) तदोपरांत जल शक्ति विभाग मण्डल राष्ट्रीय राजमार्ग के नीचे दबे मैनहोल का पता नहीं लगा सका क्योंकि माप-पुस्तिकाओं में उनकी सटीक अवस्थिति को लेने वाली रनिंग डिस्टेंस दर्ज नहीं की गई थी।

(iv) जल शक्ति विभाग मण्डल लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग मण्डल) से सड़क के अपेक्षित हिस्से को खोदने की अनुमति मांग रहा है, परन्तु उसे सड़क के उस हिस्से में मैनहोल की सही अवस्थिति पता नहीं है।

दरअसल 2009 से सीवरेज नेटवर्क के शेष भाग पर कोई कार्य नहीं किया गया।

निर्माण-कार्य का कार्यक्षेत्र एवं किया गया अधिकतम निष्पादन **तालिका 5.12.2** में दर्शाया गया है।

तालिका-5.12.2: फरवरी 2022 तक सीवरेज नेटवर्क निष्पादन कार्य की प्रास्थिति

संघटन	कार्यक्षेत्र	निष्पादित वास्तविक कार्य	राष्ट्रीय राजमार्ग 22 में दबे कार्य	बचा शेष कार्य (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5) = (2) - (3)**
पाइप उपलब्ध कराना एवं बिछाना	12,020 रनिंग मीटर	6,265 रनिंग मीटर	2160 रनिंग मीटर	5,755 रनिंग मीटर (48%)
मैनहोल	403 संख्या	283 संख्या	91 संख्या	120 संख्या (30%)
फ्लशिंग टैंक	46 संख्या	निरंक	-	46 संख्या (100%)

5.12.3 निष्फल एवं अनावश्यक व्यय

इस प्रकार, पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (जून 2010) से 12 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी ठियोग शहर की योजना अपूर्ण एवं अकार्यशील बनी हुई है। यद्यपि फरवरी 2020 में सीवेज प्रशोधन संयंत्र पूर्ण हो गया था तथापि केवल 52 प्रतिशत सीवरेज नेटवर्क बिछाया गया (उपरोक्त **तालिका-5.12.2**) तथा एक भी सेप्टिक टैंक का निर्माण नहीं किया गया। अतएव जैसाकि मूल रूप से कल्पना की गई थी, योजना अभीष्ट लाभार्थियों को सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाई। 30 वर्षों (2011 से प्रारंभ) के अभिकल्पित कार्यकाल में से 11 वर्ष (37 प्रतिशत) आबादी को कोई सेवा/ लाभ प्रदान किए बिना पहले ही बीत चुके हैं क्योंकि मार्च 2022 तक कोई सीवरेज कनेक्शन जारी नहीं किया जा सका था। अपूर्ण योजना पर ₹ 5.12 करोड़ का अनावश्यक व्यय किया गया, जिसमें से ₹ 0.63 करोड़ दबे हुए पाइपों व मैनहोलों पर निष्फल हो गया।

योजना की प्रास्थिति का आरेखीय चित्रण नीचे दर्शाया गया है -

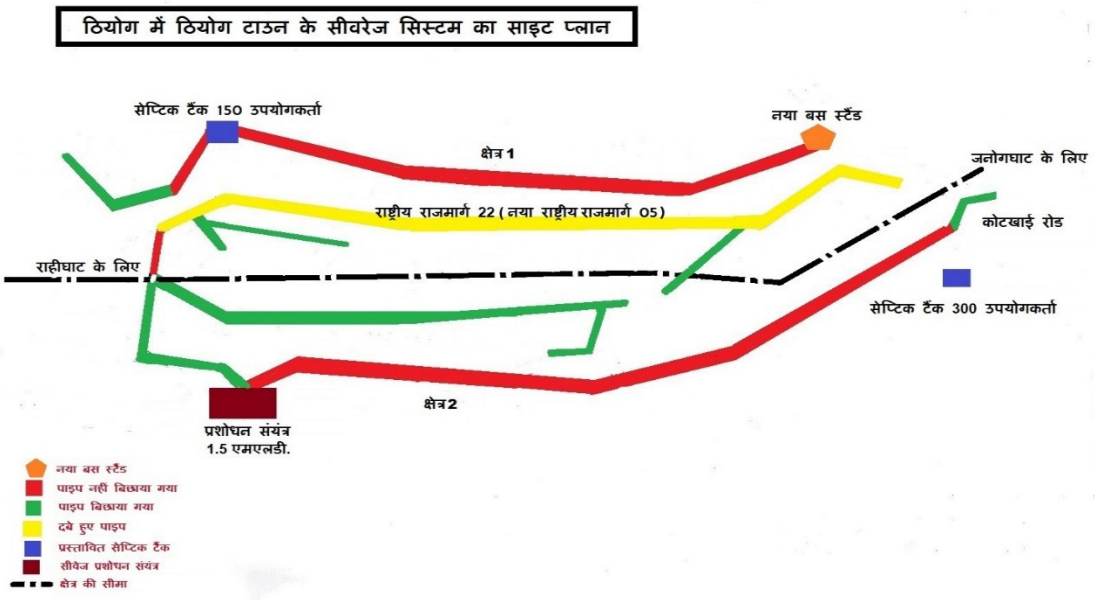

कार्यकारी अभियंता, जल शक्ति विभाग मण्डल, ठियोग ने निर्माण स्थल पर भू-विवाद को विलम्ब हेतु जिम्मेदार ठहराया तथा सीवेज प्रशोधन संयंत्र के संबंध में उन्होंने उत्तर दिया कि सीवेज प्रशोधन संयंत्र से सीवरेज लाइन कनेक्ट न होने के कारण आज तक (मार्च 2022) कोई कनेक्शन जारी नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अत्यधिक विलम्ब एवं संभावित लागत वृद्धि से बचने के लिए कार्य सौंपने से पहले सीवेज प्रशोधन संयंत्र व अन्य घटकों हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त, सीवेज प्रशोधन संयंत्र को पूर्ण हुए (फरवरी 2020) दो वर्ष से अधिक समय हो गया है तथा सीवेज प्रशोधन संयंत्र के काम न करने से पूरी योजना

अकार्यशील हो गई है। घटकों को दबने व अनुपयोगी रहने देने, कार्ययोजना में कमियों एवं सेप्टिक टैंकों का निर्माण न करने हेतु लापरवाही के लिए लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष राज्य सरकार को प्रेषित किया गया (मार्च 2022) एवं उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2022)।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाते करते समय एवं कार्य सौंपने से पूर्व सीवेज प्रशोधन संयंत्र हेतु भूमि की उपलब्धता व सीवरेज पाइप बिछाना सुनिश्चित करें। योजना चरण पर व्यवहार्यता मूल्यांकन किया जाए ताकि बाद में डिजाइन/कार्यक्षेत्र में परिवर्तन व परिणामी समय में विलम्ब एवं संभावित लागत वृद्धि से बचा जा सके।

ग्रामीण विकास विभाग

5.13 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं का अनुचित कार्यान्वयन

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से ₹ 2.06 करोड़ की कम निष्पादन गारंटी की मांग की एवं खराब कार्यान्वयन के लिए उल्लंघनकर्ताओं पर ₹ 0.74 करोड़ की संविदात्मक वसूली अधिरोपित करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने में विफल होने से 11,100 के लक्ष्य की तुलना में 5,262 (47 प्रतिशत) अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने एवं 70 प्रतिशत प्रशिक्षितों के अनुबंध के प्रति 36 प्रतिशत अभ्यर्थियों की नियुक्ति से, खराब प्रदर्शन के कारण एवं उस पर किए गए ₹ 2.05 करोड़ के व्यय से अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति न होने के कारण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को तीन परियोजनाएं पूर्ण किए बिना बंद करनी पड़ी।

भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं को योग्यता (कौशल) प्रदान करने एवं उन्हें नियमित मासिक आय वाला रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के एक अंग के रूप में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना नामक एक युवा रोजगार योजना प्रस्तुत की (सितंबर 2014)। भारत सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य हेतु प्रशिक्षण लागत का 90 प्रतिशत प्रदान करती है एवं शेष 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह योजना कपड़ा, पर्यटन व आतिथ्य, स्वास्थ्य देखभाल, लेखा, सौंदर्य कल्याण, खुदरा व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन आदि सहित विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की राष्ट्रीय इकाई वह एजेंसी है, जो राष्ट्रीय नीति-निर्माण, वित्तपोषण, तकनीकी सहायता व सुगमता हेतु जिम्मेदार है। राज्य में यह योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन- राज्य ग्रामीण विकास विभाग के

अधीन एक पंजीकृत सोसायटी[55] द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जो कौशल प्रशिक्षण व नौकरी दिलाने वाली (प्लेसमेंट) परियोजनाओं के माध्यम से कार्यक्रम को लागू करने वाली कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों[56] को सह-वित्तपोषण एवं कार्यान्वयन सहयोग करती हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिका योग्य अभ्यर्थियों को इकट्ठा करना, परामर्श देना, कौशल प्रशिक्षण देना एवं विभिन्न व्यवसायों में उनकी नियुक्ति (प्लेसमेंट) करनी थी।

निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2020) एवं बाद में प्राप्त सूचना (फरवरी व जुलाई 2021) में निम्नवत उजागर हुआ:

(i) निधियों का अल्प उपयोग

वर्ष 2016-20 के दौरान योजना के तहत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा निधियों की उपलब्धता एवं उस पर किए गए व्यय का विवरण **तालिका-5.13.1** में दिया गया है।

तालिका-5.13.1: 2016-20 के दौरान निधियों की उपलब्धता एवं किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निधियों की उपलब्धता					व्यय	अंत शेष
	अथ शेष	प्राप्तियां			कुल		
		भारत सरकार	राज्य	ब्याज			
2016-17	-	39.32	4.37	0.24	43.93	0.09 (0)	43.84
2017-18	43.84	3.62	--	1.56	49.02	9.24 (19)	39.78
2018-19	39.78	1.84	5.86	1.10	48.58	12.29 (25)	36.29
2019-20	36.29	25.83	--	1.13	63.25	7.72 (12)	55.53
2020-21	55.53	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	55.53	3.50 (06)	52.03
योग		**70.61**	**10.23**	**4.03**	**84.87**	**32.84**	

स्रोतः विभाग द्वारा दी गई सूचना। टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशता को दर्शाते हैं।

2017-21 के दौरान निधियों के उपयोग की प्रतिशतता छः से 25 के मध्य रही। इस प्रकार, निधियों का अल्प उपयोग हुआ जो दर्शाता है कि परियोजनाओं का कार्यान्वयन अपेक्षानुसार नहीं किया गया जैसाकि अनुवर्ती उप-परिच्छेदों में दर्शाया गया है।

(ii) योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने पर शास्ति की अवसूली

दिशानिर्देशानुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रशिक्षण व प्लेसमेंट का लक्ष्य पूर्ण करना था, जिसमें विफल रहने पर कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों पर शास्ति लगाई जाएगी। चल रही परियोजनाओं पर लगाई गई शास्ति का विवरण **परिशिष्ट-5.2** में दिया गया है।

---

55 हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 के तहत 28 मार्च 2011 को पंजीकृत।

56 भारतीय ट्रस्ट अधिनियम या कोई राज्य सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या कोई राज्य सहकारी समितियां या बहु-राज्य सहकारी अधिनियम या कंपनी अधिनियम 2013 या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 या राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर एक सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठन के तहत पंजीकृत संस्थाएं जो राज्य के प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा चयनित की जानी है।

जैसाकि **परिशिष्ट-5.2** से स्पष्ट है, आठ परियोजनाओं में (क्रमांक 9 को छोड़कर) ₹ 29.00 लाख (₹ 0.50 लाख से ₹ 5.50 लाख तक) की शास्ति अधिरोपित की गई एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6 व 7 के मामले में शास्ति की पूर्ण वसूली कर ली गई जबकि कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के क्रमांक 1 व 8 के मामले में ₹ 11.00 लाख राशि की शास्ति की वसूली शेष है। वहीं कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के क्रमांक 9 पर खराब प्रदर्शन के बावजूद शास्ति नहीं लगाई गई। प्रशिक्षण व प्लेसमेंट के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए 2019-22 की कार्ययोजना में उपरोक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को स्पिलओवर (लक्ष्यहीन प्रभाव) की अनुमति दी गई थी।

नालंदा कंप्यूटर एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण व प्लेसमेंट के लक्ष्यों की उपलब्धि कम थी जैसाकि उप-परिच्छेद (v) के तहत विवर्णित है। उपरोक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के खराब प्रदर्शन के कारण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने समझौता-ज्ञापन के प्रावधान के अनुसार ₹ 0.63 करोड़ की शास्ति/ वसूली अधिरोपित कर परियोजना बंद कर दी (फरवरी 2019)। राज्य वित्तीय नियमों/ भारत सरकार के निर्देश (सितंबर 2017) के प्रावधान में आवश्यक पर्याप्त निष्पादन गारंटी के अभाव में, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजनाओं का निष्पादन नहीं कर सका तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से वसूली नहीं कर सका।

विभाग ने कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रिम (पहली किस्त) रूप से अदा की गई ₹ 0.58 करोड़ (₹ 0.05 करोड़ की शास्ति/ वसूली राशि को छोड़कर) की वसूली के मामले को कलेक्टर-सह-जिला मजिस्ट्रेट, इंदौर के साथ राज्य के राजस्व वसूली अधिनियम के तहत भू-राजस्व बकाया की भांति कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों की परिसंपत्तियों से वसूली करने के लिए उठाया था (सितंबर 2019)।

अत: मार्च 2021 तक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से ₹ 0.74 करोड़[57] की वसूली अधिरोपित करने में विफल रहा।

(iii) परियोजना प्रारंभ न होने के कारण ब्याज की अवसूली

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं भारतीय कृषि वित्त निगम लिमिटेड ने 19 जुलाई 2017 को ₹ 4.11 करोड़ की लागत की परियोजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सितम्बर 2017 में कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी को ₹ 1.03 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई। हालांकि, कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी परियोजना कार्यान्वित किए बिना पीछे हट गई (दिसंबर 2017) एवं तदनुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने फरवरी 2018 में अनुबंध को समाप्त कर दिया। कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

---

[57] नालंदा कंप्यूटर एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान से ₹ 0.63 करोड़ एवं चल रही नौ परियोजनाओं से ₹ 0.11 करोड़ की वसूली की जानी है, जैसाकि **परिशिष्ट-5.2** में वर्णित है।

को ₹ 1.03 करोड़ की पहली किस्त वापस की (फरवरी 2018) परन्तु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी से ₹ 1.03 करोड़ जो छः माह (सितंबर 2017 से फरवरी 2018 तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से) तक कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के पास थी, पर ₹ 0.05 करोड़ के ब्याज की वसूली अधिरोपित किए बिना कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी को ₹ 0.10 करोड़ की निष्पादन गारंटी वापस कर दी (फरवरी 2018)। मार्च 2021 तक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ब्याज की वसूली करने में विफल रहा।

निदेशक ग्रामीण विकास ने बताया (फरवरी 2021) कि ब्याज राशि की गणना इस धारणा पर की गई थी कि ब्याज कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अर्जित किया गया होगा। परन्तु यह पुष्टि की गई कि कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कोई ब्याज अर्जित नहीं किया गया क्योंकि यह एक अधिविकर्ष खाता था एवं ब्याज वसूली का कोई सवाल ही नहीं था। तथापि, तथ्य यह रहा कि संबंधित कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी ने ₹ 1.03 करोड़ की राशि छः माह तक अपने पास रखी थी। यद्यपि कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी ने बैंक में उसके अधिविकर्ष खाते पर ब्याज अर्जित नहीं किया, तथापि उसे समझौता-ज्ञापन के प्रावधान (शर्त सं. 12.5) के अनुसार 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना था। तदनुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी से ब्याज की वसूली करनी चाहिए थी।

(iv) कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी से निष्पादन बैंक गारंटी की कम प्राप्ति

केंद्र सरकार सामान्य वित्तीय नियम/ हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम में ठेका देने पर सफल ठेकेदार से अनुबंध राशि के पांच से 10 प्रतिशत के बीच निष्पादन गारंटी लेने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना परियोजना में किसी कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अपर्याप्त या विलंबित निष्पादन या दिशानिर्देशों व प्रोटोकॉल के उल्लंघन की स्थिति में सरकार को आश्वस्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी से परियोजना की कुल स्वीकृत लागत के 6.25 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य हेतु निष्पादन गारंटी प्राप्त करने की शुरुआत (सितंबर 2017) की।

हालांकि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी से भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशों (सितंबर 2017) के अनुसार परियोजना की कुल अनुमोदित लागत के 6.25 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य पर निष्पादन गारंटी खंड सम्मिलित करके न तो समझौता-ज्ञापन में बदलाव किया और न ही उक्त सामान्य वित्तीय नियम/ हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम के संदर्भ में परियोजना की कुल अनुमोदित लागत के पांच प्रतिशत न्यूनतम दर पर निष्पादन गारंटी प्राप्त की। इसके विपरीत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी को जारी पहली किस्त पर निष्पादन गारंटी प्राप्त की जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी से ₹ 2.06 करोड़ कम निष्पादन गारंटी प्राप्त हुई, जैसाकि **तालिका-5.13.2** में विवर्णित है।

तालिका-5.13.2: कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से निष्पादन गारंटी की कम प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना लागत	जारी पहली किस्त	अपेक्षित निष्पादन गारंटी*	प्राप्त निष्पादन गारंटी#	कम निष्पादन गारंटी
1.	एएफसी इंडिया लिमिटेड	4.11	1.03	0.21	0.10	0.11
2.	अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड	9.44	2.36	0.48	0.24	0.24
3.	कार्डिएक रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन	11.78	2.95	0.59	0.29	0.30
4.	दिशा एजुकेशन सोसाइटी	8.76	2.19	0.44	0.22	0.22
5.	हेराउड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	4.55	1.14	0.23	0.11	0.12
6.	मानव विकास एवं सेवा संस्थान	3.23	0.81	0.16	0.08	0.08
7.	मास इन्फोटेक सोसायटी	7.17	1.79	0.36	0.18	0.18
8.	नालंदा कंप्यूटर एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	2.31	0.58	0.12	0.06	0.06
9.	ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	7.06	1.77	0.35	0.18	0.17
10.	पावर टू एम्पावर स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	4.52	1.13	0.23	0.11	0.12
11.	स्मार्ट ब्रेन्स	4.24	1.06	0.21	0.11	0.10
12.	सम्वित एजुकेशन ट्रस्ट	4.22	1.05	0.21	0.11	0.10
13.	टीम लीज सर्विस इंडिया लिमिटेड	10.43	2.61	0.52	0.26	0.26
योग		**81.82**	**20.47**	**4.11**	**2.05**	**2.06**

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी।

**सामान्य वित्तीय नियम/ हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम के प्रावधान के अनुसार कुल परियोजना लागत के न्यूनतम पांच प्रतिशत की दर से।*

#पहली किश्त के 10 प्रतिशत की दर से।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में योजना के दिशानिर्देशों का पालन करने में कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी की विफलता के मामले में कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से निष्पादन गारंटी (निवारक उपाय होने के नाते) की कम प्राप्ति ने सरकारी धन को जोखिम में डाल दिया। परिणामस्वरूप राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समय पर कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं करवा सका एवं तीन कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों की परियोजनाएं पूर्ण किए बिना समाप्त करनी पड़ी जैसाकि नीचे उप-परिच्छेद (v) के तहत दर्शाया गया है।

(v) कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन एवं लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

- **कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन**

कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तावों हेतु अनुरोध जारी करना, कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करना, मूल्यांकन एजेंसी द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन (स्क्रीनिंग, गुणात्मक मूल्यांकन, कार्यक्रम

कार्यान्वयन एजेंसियों के मुख्यालय का फील्ड दौरा एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को रिपोर्ट जमा करना), सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन शामिल है।

वर्ष 2016-19 हेतु कार्ययोजना के अनुमोदनोपरांत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रस्तावों हेतु निमंत्रण जारी किया (अगस्त 2016) एवं मूल्यांकन एजेंसी के रूप में हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को मूल्यांकन का कार्य सौंपा क्योंकि यह 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाला निगम है एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन एंजेसियों के चयन की सभी अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा करता है। प्रस्तावों का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में गठित परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के अनुमोदनार्थ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को 22 कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (प्रथम चरण: आठ व द्वितीय चरण: 14) के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत कीं। प्रथम चरण में परियोजना अनुमोदन समिति ने छ:[58] (आठ में से) कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को मंजूरी दी (मार्च 2017) तथा द्वितीय चरण में कार्यक्रम अनुमोदन समिति ने सात[59] (14 में से) कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को मंजूरी दी।

- **लक्ष्यों की प्राप्ति न होना**

वर्ष 2016-19 की कार्ययोजना के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को ₹ 135.04 करोड़ की अनुमानित लागत से 15,000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य सौंपा गया। परियोजना अनुमोदन समिति के अनुमोदन के अनुसार, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने उपर्युक्त 13 कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को प्लेसमेंट से जुड़े कौशल विकास पाठ्यक्रमों[60] में प्रशिक्षण प्रदान करने एवं प्लेसमेंट पश्चात् सहयोग के माध्यम से नौकरी की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रवृत्त किया (मई 2017 व अगस्त 2017 के मध्य)। इन कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों की प्रशिक्षण क्षमता एवं प्लेसमेंट टाई-अप के अनुसार ₹ 81.82 करोड़ की परियोजना लागत में 11,100 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य सौंपा गया। कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को 70 प्रतिशत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्लेसमेंट उपलब्ध कराना था। यदि प्लेसमेंट 70 प्रतिशत से कम है, तो कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को आनुपातिक रूप से लागत स्वीकार करनी होगी।

---

58 अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड; टीम लीज; हेराउड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड; मास इन्फोटेक सोसायटी व स्मार्ट ब्रेनस।

59 एएफसी इंडिया लिमिटेड; कार्डिएक रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन; दिशा एजुकेशन सोसाइटी; मानव विकास एवं सेवा संस्थान; नालंदा कंप्यूटर और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान; पावर टू एम्पावर स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड व संवित एजुकेशन ट्रस्ट।

60 कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, मोटर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आतिथ्य निर्माण यात्रा व पर्यटन आदि।

कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा मंजूरी की तिथि (मई 2017 व अगस्त 2017) से दो वर्ष के भीतर परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाना था। जारी किए गए स्वीकृति आदेश के अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को भुगतान 25:50:15:10 के अनुपात में चार किश्तों में जारी किया जाना था। सभी 13 कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रथम किस्त प्रदान की गई (₹ 20.45 करोड़) एवं द्वितीय किस्त सात कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (₹ 15.43 करोड़) को जुलाई 2020 तक प्रदान की गई। प्रशिक्षण लक्ष्यों व प्लेसमेंट की उपलब्धि का परियोजना-वार विवरण **तालिका-5.13.3** में दिया गया है।

तालिका-5.13.3: मई 2017 से मार्च 2021 के दौरान प्रशिक्षण लक्ष्यों एवं नौकरी में प्लेसमेंट की उपलब्धि का विवरण

(परियोजना की लागत ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तिथि	परियोजना लागत	व्यय	प्रशिक्षण लक्ष्य, उपलब्धि एवं प्लेसमेंट की संख्या		
					लक्ष्य	प्रशिक्षित	नियुक्त
1.	एएफसी इंडिया लिमिटेड	अगस्त 2017	4.11	0	700	0	0
2.	अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड	मई 2017	9.44	1.00	800	221 (28)	0
3.	कार्डिएक रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन	अगस्त 2017	11.78	5.32	1,400	611 (44)	176 (29)
4.	दिशा एजुकेशन सोसाइटी	अगस्त 2017	8.76	0.25	1,300	224 (17)	26 (12)
5.	हेराउड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	मई 2017	4.55	2.03	800	286 (36)	181 (63)
6.	मानव विकास एवं सेवा संस्थान	अगस्त 2017	3.23	3.14	500	406 (81)	170 (42)
7.	मास इन्फोटेक सोसायटी	मई 2017	7.17	2.85	1,300	627 (48)	248 (40)
8.	नालंदा कंप्यूटर एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	अगस्त 2017	2.31	0.80	400	148 (37)	44 (30)
9.	ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	मई 2017	7.06	5.37	1200	950 (79)	256 (27)
10.	पावर टू एम्पावर स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	अगस्त 2017	4.52	2.13	700	541 (77)	124 (23)
11.	स्मार्ट ब्रेनस	मई 2017	4.24	2.75	500	411 (82)	223 (54)
12.	संवित एजुकेशन ट्रस्ट	अगस्त 2017	4.22	0.75	700	324 (46)	212 (65)
13.	टीम लीज सर्विस इंडिया लिमिटेड	मई 2017	10.43	7.54	800	513 (64)	232 (45)
योग			**81.82**	**33.93**	**11,100**	**5,262 (47)**	**1,892 (36)**

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी।

- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने कार्ययोजना 2016-19 के अनुसार प्रशिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 15,000 उम्मीदवार के प्रशिक्षण का समग्र लक्ष्य नहीं सौंपा, जिसने शुरुआत में 3,900 उम्मीदवार की कमी का संकेत दिया।

- एक कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एएफसी इंडिया लिमिटेड) परियोजना कार्यान्वित किए बिना पीछे हट गई (दिसंबर 2017)। तीन कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड, दिशा एजुकेशन सोसाइटी व नालंदा कंप्यूटर एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान) की प्रशिक्षण लक्ष्य की उपलब्धि 17 से 37 प्रतिशत के मध्य रही। अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड ने किसी भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी को प्लेसमेंट की सुविधा नहीं दी। दिशा एजुकेशन सोसाइटी एवं नालंदा कंप्यूटर एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किए गए प्लेसमेंट का प्रतिशत क्रमशः 12 व 30 थी। इन तीनों परियोजनाओं के निष्पादन की धीमी गति के कारण विभाग ने ये परियोजनाएं बंद कर दी (सितम्बर 2019)। इस प्रकार परियोजनाओं पर कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए ₹ 2.05 करोड़[61] के व्यय का परिणाम अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण एवं नियुक्ति वाला नहीं रहा।
- शेष नौ कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों ने मार्च 2021 तक प्रशिक्षण के सौंपे गए लक्ष्य का 36 से 82 प्रतिशत प्राप्त किया। इन कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्लेसमेंट के लक्ष्य की उपलब्धि 23 से 65 प्रतिशत के मध्य थी। यह परिचायक है कि पूर्णता की निर्धारित तिथि से 19 से 22 माह की अवधि समाप्त होने के बावजूद किसी भी कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी ने प्रशिक्षण व नियुक्ति के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया।

➢ **निगरानी में कमी**

उपर्युक्त चर्चा के अनुसार प्रशिक्षण व नियुक्ति के लक्ष्य प्राप्त न करने हेतु निगरानी में कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(क) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा बैठक

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने उसके अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों की समीक्षा बैठकों की आवधिकता निर्धारित नहीं की। जुलाई 2018, अक्टूबर 2018, दिसंबर 2018 व जुलाई 2019 के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन/ निदेशक-सह-विशेष सचिव (ग्रामीण विकास) की अध्यक्षता में आयोजित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की कुछ समीक्षा बैठकों में प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के लक्ष्य की उपलब्धि के विवरण पर चर्चा नहीं की गई।

(ख) कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों/ प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की मानक संचालन प्रक्रिया के परिच्छेद 5.2.1.2 के अनुसार गुणवत्ता टीम एक वर्ष में कम से कम छः बार किसी प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करेगी।

---

[61] अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड: ₹ 1.00 करोड़, दिशा एजुकेशन सोसाइटी: ₹ 0.25 करोड़ व नालंदा कंप्यूटर एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान: ₹ 0.80 करोड़।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की सिफारिश पर हार्डशेल प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म- एमआरआईजीएस (कौशल विकास के बेहतर शासन की निगरानी व विनियमन) पर कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (प्रशिक्षण केंद्र) का वित्तीय वर्ष 2017-19 हेतु निरीक्षण किया गया। हालांकि कुछ तकनीकी कारणों से ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में उपरोक्त अवधि के दौरान किए गए निरीक्षणों की प्रमाणिकता सत्यापित नहीं की जा सकी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा उपलब्ध कराई गई निरीक्षण रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की गुणवत्ता टीम द्वारा किए जाने वाले नौ कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के निर्धारित 54 निरीक्षणों के प्रति उसने केवल 31 निरीक्षण[62] किए, जो 23 कम निरीक्षणों में परिणत हुआ। यद्यपि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की अगस्त-अक्टूबर 2019 व जनवरी-फरवरी 2020 की निरीक्षण रिपोर्ट यह निर्दिष्ट नहीं करती कि कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों ने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। 2020-21 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

इस प्रकार योजना के तहत परियोजनाओं का कार्यान्वयन निम्नलिखित कमियों से बाधित रहा:

- 2016-21 के दौरान ₹ 84.87 करोड़ की उपलब्ध निधियों के प्रति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने ₹ 52.03 करोड़ के अव्ययित शेष को छोड़ते हुए ₹ 32.84 करोड़ (39 प्रतिशत) का व्यय किया, जो परियोजनाओं के निष्पादन की धीमी गति का परिचायक है।
- कार्य निष्पादन न करने/ खराब प्रदर्शन के लिए चूककर्ताओं (कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों) से ₹ 0.74 करोड़ की शास्ति/ वसूली अधिरोपित करने में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विफल रहा।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से कुल परियोजना लागत पर प्राप्त की जाने वाली अपेक्षित ₹ 4.11 करोड़ निष्पादन गारंटी के प्रति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने ₹ 2.05 करोड़ की निष्पादन गारंटी प्राप्त की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.06 करोड़ कम निष्पादन गारंटी प्राप्त हुई।
- विगत पांच वर्षों से पर्याप्त निधियां उपलब्ध होने के बावजूद राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप 11,100 अभ्यर्थियों के लक्ष्य में से 5,262 (47 प्रतिशत) अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया (15,000 के प्रारंभिक लक्ष्य की तुलना में 3900 कम)। इसके अतिरिक्त 70 प्रतिशत

---

[62] टीम लीज: चार; कार्डिएक: तीन; ओरियन: चार; पॉवर टू एम्पावर: तीन; मास इन्फोटेक: तीन; संवित: पांच; मानव विकास: चार; स्मार्ट ब्रेन्स: तीन व हेराउड: दो।

प्रशिक्षुओं को अपेक्षित प्लेसमेंट के स्थान पर कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियां केवल 36 प्रतिशत प्लेसमेंट ही कर सके।

- प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट दोनों के संदर्भ में खराब प्रदर्शन के कारण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को तीन परियोजनाएं बंद करनी पड़ी एवं ₹ 2.05 करोड़ के व्यय से भी योजना का अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामीण विकास) ने बताया (अप्रैल 2022) कि सुविस्तृत मापदंड एवं कोविड-19 महामारी के अचानक फैलने के कारण अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। इसके अतिरिक्त बंद की गई परियोजनाओं की तीन उल्लंघनकर्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से बकाया राशि की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि दो कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड, हैदराबाद एवं दिशा एजुकेशन सोसाइटी, रायपुर) के संबंध में मामला हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा तीसरी कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (नालंदा कंप्यूटर एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर) से वसूली की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तथापि, तथ्य यह है कि निगरानी की कमी के कारण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समय पर कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से परियोजना का तीव्र निष्पादन करवाने में विफल रहा। राज्य वित्तीय नियमों के अनुसार निष्पादन गारंटी परियोजना लागत के कुल मूल्य पर प्राप्त की जानी थी, न कि जारी की गई राशि पर ताकि जनता के धन को हानि/ धन के दुरूपयोग से सुरक्षित किया जा सके।

सरकार विचार करें:

- ***योजना की प्रगति पर समुचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की स्थापना की जाए।***
- ***निष्पादन गारंटी के संदर्भ में प्रवर्तनीय प्रावधान बनाने हेतु अनुबंध में उचित परिवर्तन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से परियोजना की कुल लागत के आधार पर उचित दरों से इसकी वसूली की जाए।***

परिवहन विभाग

5.14 प्रावधानों में विरोधाभास के परिणामस्वरूप बस-अड्डों के छूट प्राप्तकर्ताओं द्वारा *अड्डा शुल्क* का अनुचित संग्रहण

छूट प्राप्तकर्ताओं को कार्य पूर्ण होने की तिथि के बजाय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से *अड्डा शुल्क* संग्रहित करने की अनुमति देने से उन्हें ₹ 2.76 करोड़ का अनुचित लाभ मिला।

हिमाचल प्रदेश शहरी परिवहन व बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण ने डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन तथा हस्तांतरण के आधार पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी[63] के माध्यम से

[63] राज्य सरकार को केवल बाधारहित भूमि उपलब्ध करानी थी।

चिंतपूर्णी (मार्च 2016), धर्मशाला (जुलाई 2017) व कुल्लू (मार्च 2017) में मौजूदा बस अड्डों पर वाणिज्यिक परिसर के साथ-साथ आधुनिक बस टर्मिनस के निर्माण व विकास हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए। निर्माण कार्य दो छूट प्राप्तकर्ताओं को छूट अनुबधों (अनुबंध) पर हस्ताक्षर कर सौंप दिए गए।

निदेशक-मंडल के अनुबधों/निर्णय के खंड सं. 3.4 के अनुसार परियोजनाओं हेतु छूट अवधि निर्माण-कार्य पूर्ण होने की तिथि से 30 वर्ष थी। निर्माण की अवधि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 36 माह की थी। छूट प्राप्तकर्ताओं के लिखित आवेदन पर यह अवधि दस और वर्षों के लिए बढ़ायी जा सकती थी।

अनुबंध के खंड 32.1(ए) के अनुसार छूट प्राप्तकर्ता, उपयोगकर्ताओं से परिचालन की तिथि अर्थात उस तिथि से जब बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अभियंता अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करता है एवं उसके वाणिज्यिक संचालन शुरू करने पर यथोचित *अड्डा शुल्क* [64] लगाने (वर्ष-वार पूर्व-निर्धारित दरों पर), संग्रहित करने एवं उसे रखने हेतु अधिकृत होगा। अतः छूट प्राप्तकर्ता परियोजना पूर्ण होने पर ही *अड्डा शुल्क* एवं उपयोगकर्ता[65] प्रभार लगा सकता था एवं निर्माण अवधि के दौरान *अड्डा शुल्क* एकत्र करने का अधिकार बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण को था।

इसके अतिरिक्त खण्ड 32.1(ई) में धर्मशाला एवं कुल्लू के छूट प्राप्तकर्ताओं को *अड्डा शुल्क* लगाने का अधिकार अनुबंध हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रदान किया गया था। यद्यपि चिंतपूर्णी में यह प्रावधान नहीं था।

अभिलेखों की संवीक्षा (नवम्बर 2020) से उजागर हुआ कि छूट प्राप्तकर्ताओं ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद *अड्डा शुल्क* प्रभारित करना प्रारंभ कर दिया था। यह पाया गया कि 31 मार्च 2021 तक छूट प्राप्तकर्ताओं द्वारा ₹ 2.76 करोड़ (वस्तु व सेवा कर को छोड़कर) की राशि, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है, एकत्रित की गई।

---

64 टर्मिनल के निकास द्वार पर यात्रियों से भरी या खाली सभी बसों द्वारा देय शुल्क या टैरिफ अड्डा शुल्क होता है।

65 उपयोगकर्ता शुल्क का अर्थ उपयोगकर्ता से छूट प्राप्तकर्ता द्वारा प्रभारित, उद्ग्रहित, टैरिफ, कीमत, उप-लाइसेंस शुल्क, पार्किंग शुल्क, रात्रि पार्किंग शुल्क, विज्ञापन राजस्व या राजस्व के सभी स्रोत या *अड्डा शुल्क* के अतिरिक्त उद्ग्रहण, मांग, संग्रहण, बनाए रखे गए या विनियोजित करने के नाम से प्राप्त धन की राशि से है।

तालिका-5.14.1: परियोजनाओं एवं संग्रहित *अड्डा शुल्क* का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बस अड्डे का नाम	छूट प्राप्तकर्ता का नाम	सौंपे जाने की तिथि	अनुबंध की तिथि	*अड्डा शुल्क* संग्रहण की अवधि	संग्रहित *अड्डा शुल्क* (वस्तु व सेवा कर को छोड़कर)	परिचालन की स्थिति
1	चिंतपूर्णी	मेसर्स मुकेश रंजन ठेकेदार, पंजाब	10.08.2016	29.11.2016	01.12.2016 से 23.09.2017	0.07	24.09.2017
2	धर्मशाला	--तदैव--	23.08.2017	25.08.2017	06.09.2017 से 31.03.2021	1.44	कार्य प्रारंभ नहीं हुआ
3	कुल्लू	सीएसए इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	13.06.2017	16.08.2017	22.09.2017 से 31.03.2021	1.25	प्रक्रियाधीन
योग						**2.76**	

धर्मशाला व कुल्लू के मामले में जहां अनुबंध के खण्ड 32.1(ई) के तहत परिचालन की तिथि के पूर्व संग्रहण किया गया; वहीँ चिंतपूर्णी के मामले में मूल अनुबंध में ऐसा कोई खण्ड न होने के बावजूद संग्रहण किया गया। चिंतपूर्णी के मामले में निदेशक-मंडल की 58वीं बैठक (27.05.2017) में अनियमित संग्रहण की मंजूरी दी। हालांकि लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने के पश्चात् निदेशक मंडल का निर्णय वापस ले लिया गया (03.12.2019) एवं बीएसएमडीए ने छूट प्राप्तकर्ता से ₹ 0.89 करोड़ की वसूली अनुमानित की गयी। मामले को छूट प्राप्तकर्ता द्वारा उठाये जाने पर वसूली की राशि को संशोधित कर ₹ 0.07 करोड़ कर दिया गया।

इस प्रकार धर्मशाला एवं कुल्लू के मामलों में विरोधाभासी प्रावधानों को शामिल करने तथा चिंतपूर्णी के मामले में अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप छूट प्राप्तकर्ताओं को ₹ 2.76 करोड़ का अनुचित लाभ मिला। छूट की अवधि का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् प्रारंभ होना तर्कसंगत था। यह छूट-प्राधिकारी को छूट प्राप्तकर्ताओं के लिए स्वीकार्य लागत वसूली की समय-सीमा के विषय में स्पष्ट दृष्टिकोण बनाने में मददगार साबित होता, जिसके बिना छूट प्राप्तकर्ता निर्माण में विलम्ब के लिए प्रोत्साहित होता। यह इस तथ्य से भी पता चलता है कि छूट प्राप्तकर्ता ने धर्मशाला में कार्य प्रारंभ किए बिना ही 06.09.2017 से 31.03.2021 तक *अड्डा शुल्क* एकत्र कर लिया था। इसी प्रकार, कुल्लू में भी 22.09.2017 से

31.03.2021 तक कार्य प्रक्रियाधीन था। ठेके के अनुसार निर्माण कार्य 36 माह में पूर्ण करना था। इस प्रकार, परस्पर विरोधी खंड छूट प्राप्तकर्ता के अनुचित लाभ के लिए समर्थकारी उपकरण के रूप में कार्य कर रहे थे।

सरकार ने अपने उत्तर (मई 2022) में बताया कि धर्मशाला व कुल्लू के संदर्भ में प्रस्ताव आमंत्रण के तहत संग्रह सही ढंग से किया गया था; हालांकि इस तरह के दोषपूर्ण बोली दस्तावेज, बोली की शर्तों व अनुबंध की शर्तों को तैयार करने में हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों की संलिप्तता की जांच हेतु निर्देश जारी किए गए थे (मार्च 2019)। इसमें आगे बताया गया कि चिंतपूर्णी के मामले में छूट प्राप्तकर्ता द्वारा ₹ 0.07 करोड़ की संग्रहित की गई राशि की वसूली बाकी थी।

सरकार भविष्य में इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति से बचने एवं आम लोगों पर अनावश्यक रूप से बोझ डालने से बचने के लिए प्रणाली व प्रक्रियाएं बनाएं।

अध्याय-6

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अध्याय 6: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड

6.1 बोली दस्तावेज में उपयुक्त खंड सम्मिलित न करने के परिणामस्वरूप परीक्षण शुल्क का परिहार्य भुगतान

बोली दस्तावेज में उपयुक्त खंड सम्मिलित करने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10 करोड़ के परीक्षण शुल्क का परिहार्य भुगतान हुआ।

ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता एवं डिजाइन को मान्य करने के लिए शार्ट सर्किट सहनशक्ति परीक्षण[1] किया जाता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी (अगस्त 2010) विनियमों[2] के अनुसार हर प्रकार एवं रेटिंग[3] के विद्युत ट्रांसफार्मर का शार्ट सर्किट सहनशक्ति परीक्षण आयोजित करना[4] अपेक्षित था। सितंबर 2014 में भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विनियमों के अंतर्गत परीक्षण की आवश्यकता को दोहराया गया था।

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने नवंबर 2020 के दौरान गुम्मा में एक सब-स्टेशन[5] को प्रारंभ किया। अक्टूबर 2011 के दौरान इस सब-स्टेशन (चार 105 मेगा वोल्ट एम्पेअर, सिंगल फेज, 400/220 किलो वोल्ट विद्युत ट्रांसफार्मर सहित) के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं। अनुबंध की शर्तों[6] के अनुसार प्रस्तावित/उच्च डिजाइन व रेटिंग ट्रांसफार्मर पर शार्ट सर्किट परीक्षण यदि पहले से ही किया गया हो तो बोलीदाता को इसका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था। ट्रांसफार्मर का शार्ट सर्किट परीक्षण पहले से नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता को इसकी आपूर्ति करने से पहले मालिकों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में नि:शुल्क शार्ट सर्किट परीक्षण करना था। ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत 315 एमवीए, 400 केवी तीन फेज स्वचालित ट्रांसफार्मर के शार्ट सर्किट परीक्षण के प्रमाणपत्र के आधार पर ठेका दिया गया (25 अक्टूबर 2013)।

---

1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईएस: 2026 (भाग I) -1977 में निर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत 5 सेकंड के लिए बाहरी शार्ट सर्किट से उष्णता और गतिशील प्रभावों को नुकसान पहुंचाए बिना कार्य करने के लिए ट्रांसफार्मर को डिजाईन व निर्मित किया गया है।

2 विनियम 2010 (विद्युत संयंत्रों व विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) के उप-विनियम 10(3) (जी), 37(4) (के) व 43(2) (vi)

3 सिंगल फेज/थ्री फेज/ ऑटो ट्रांसफार्मर/ स्टेप-डाउन/स्टे प-अप (टाइप) व ट्रांसफार्मर की क्षमता (रेटिंग)।

4 जब तक कि पिछले पांच वर्षों के भीतर समान डिजाइन एवं रेटिंग के ट्रांसफॉर्मर पर ऐसा परीक्षण नहीं किया गया हो।

5 400/220 केवी गैस रोधी स्विचगियर (जीआईएस) सब-स्टेशन।

6 तकनीकी विनिर्देशों की धारा-4 के खंड 4.52 (ए)

लेखापरीक्षा संवीक्षा (दिसंबर 2020) से उजागर हुआ कि ठेकेदार द्वारा मुख्य विद्युत प्राधिकरण के उपर्युक्त विनियमों के अनुसार शार्ट सर्किट सहनशक्ति परीक्षण करना या प्रत्येक प्रकार एवं रेटिंग के विद्युत ट्रांसफार्मर के लिए इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था। हालांकि बोली की शर्त (4.52 ए) ने बोलीदाताओं को विद्युत ट्रांसफार्मर की उच्च रेटिंग की परीक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने की अनुमति दी, जिसे चयनित बोलीदाता ने बोली के साथ प्रदान किया था। इस बीच 2010 के विनियम को दोहराते हुए मुख्य विद्युत प्राधिकरण ने हिमाचल प्रदेश सरकार को सभी उपक्रमों को सलाह देने के लिए कहा (सितंबर 2014) कि निर्माताओं द्वारा आपूरित ट्रांसफार्मर का विनियमों की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए शार्ट सर्किट परीक्षण किया जाएं। कंपनी ने तब निर्णय लिया (अक्टूबर 2014) कि आपूर्तिकर्ता एक 105 एमवीए, सिंगल फेज, 400/220 केवी ट्रांसफार्मर पर शार्टसर्किट परीक्षण आयोजित करेगा, जिसका ₹ 10 करोड़[7] का वित्तीय भार कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा। परीक्षण मई 2016 के दौरान किया गया जिसके लिए कंपनी ने अक्टूबर 2016 व दिसंबर 2019 के दौरान भुगतान किया।

विनियम अगस्त 2010 में जारी किए गए थे अतः कंपनी को अक्टूबर 2011 के दौरान बोलियां आमंत्रित करते समय बोलीदाताओं को आपूरित की जाने वाली डिजाइन व रेटिंग अर्थात 105 एमवीए, सिंगल फेज़ 400/220 केवी ट्रांसफार्मर के लिए शार्टसर्किट सहनशक्ति परीक्षण के संबंध में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद ही अनुमति देने का उपयुक्त शर्त सम्मिलित करना चाहिए था। यदि यह सुनिश्चित किया जाता तो ₹ 10 करोड़ के परीक्षण शुल्क के भुगतान से बचा जा सकता था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कंपनी ने 132 केवी जीआईएस चंबी के लिए बोलियां आमंत्रित करते समय (जुलाई 2014) उपयुक्त शर्त डाला था।

शार्टसर्किट परीक्षण के मुद्दे पर ठेकेदार ने स्पष्ट किया (मई 2014) कि यदि कंपनी परीक्षण कराना चाहती है तो वह प्रभार्य आधार पर अर्थात ₹ 10 करोड़ में किया जा सकता है। कंपनी ने 18 अक्टूबर 2014 को ठेकेदार के साथ बैठक की जिसमें यह निर्णय लिया गया कि शार्टसर्किट परीक्षण के प्रभार के बदले ठेकेदार ट्रांसफार्मर की वारंटी 540 दिन से बढ़ाकर 1080 दिन कर देगा। तथापि वारंटी अवधि के विस्तार से शार्टसर्किट परीक्षण के शुल्क का समायोजन नहीं किया जा सका क्योंकि इसे ट्रांसफार्मर की लागत का दो प्रतिशत प्रतिवर्ष का भुगतान करके बढ़ाया जा सकता था, जैसा कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (पावर) निगम लिमिटेड द्वारा सैंज जल विद्युत परियोजना के मामले में किया गया था जो इस मामले में ₹ 54.40 लाख होता है। इस प्रकार यदि कंपनी ने बोली में उपयुक्त खंड डाला होता तथा यदि वारंटी का विस्तार भी किया होता, तो इससे ₹ 9.46 करोड़[8] बचाए जा सकते थे।

---

[7] बोली लगाने के चरण पर ठेकेदार द्वारा उद्धृत परीक्षण के लिए दर जो बोली राशि का हिस्सा नहीं थी।

[8] ₹ 10 करोड़ घटा ₹ 54.40 लाख।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2021) कि सितंबर 2014 के दौरान केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी शार्टसर्किट परीक्षण की अनिवार्यता को देखते हुए परीक्षण आवश्यक था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि अगस्त 2010 में जारी विनियमों के अनुसार प्रत्येक प्रकार के ट्रांसफार्मर का अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाना था अतएव वह बोली आमंत्रण से पहले प्रयोज्य था। कंपनी ने 132 केवी जीआईएस चंबी के मामले में भी एक उपयुक्त खंड डाला था। इस प्रकार, कंपनी को परीक्षण शुल्क के भुगतान से बचने के लिए उच्च डिजाइन व रेटिंग के परीक्षण प्रमाणपत्र को स्वीकार करने की अपेक्षा विशिष्ट डिजाइन व रेटिंग के ट्रांसफार्मर की परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में उपयुक्त खंड सम्मिलित करना चाहिए था।

सिफारिश: कंपनी परिहार्य भुगतानों से बचाव हेतु कार्य सौंपने से पहले प्रासंगिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लिमिटेड

6.2 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में एकीकृत विद्युत विकास योजना के तहत प्रणाली सुदृढ़ीकरण से संबंधित ठेकों की लेखापरीक्षा

कंपनी ने सौर संयंत्रों से संबंधित ठेके सौंपे (2018-19) जिसकी दरें हिम ऊर्जा द्वारा अनुमोदित दरों से ₹ 5.14 करोड़ अधिक थीं। उसने अनुचित आधार पर समय विस्तार को अनुमति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 57.60 लाख राशि की परिसमापन क्षति का उदग्रहण नहीं हुआ। ठेकेदारों को सौर संयंत्रों पर पांच प्रतिशत की प्रयोज्य दर के स्थान पर 18 प्रतिशत की दर से वस्तु एवं सेवाकर का भुगतान किया गया (जनवरी 2019 से दिसंबर 2019) जो ₹ 21.03 लाख के अतिरिक्त भुगतान में परिणत हुआ।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 3 दिसंबर 2014 को एकीकृत विद्युत विकास योजना का शुभारम्भ किया। इस एकीकृत विद्युत विकास योजना के मुख्य उद्देश्य थे:

- शहरी क्षेत्रों में सौर पैनल के प्रावधान सहित उप-संचार एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण;
- शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मर/फीडर/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; तथा
- वितरण प्रभाग को आईटी सक्षम बनाना एवं वितरण नेटवर्क मजबूत बनाना।

इस योजना के पांच भागों में से प्रणाली सुदृढ़ीकरण एक प्रमुख भाग था। प्रणाली सुदृढ़ीकरण के तहत ऊर्जा वित्त निगम ने 12 सर्कलों में ₹ 111.15 करोड़ राशि की बारह परियोजनाएं स्वीकृत (21 मार्च 2016) की, जिसके प्रति कंपनी ने सर्कल-वार ठेके/पैकेज सौंपे। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्णता समयावधि 20 सितंबर 2018 निर्धारित थी।

31 मार्च 2022 तक एकीकृत विद्युत विकास योजना में ऋण व स्व-अंश सहित प्राप्त अनुदान एवं वास्तविक व्यय के विवरण नीचे **तालिका-6.2.1** में दिए गए हैं:

तालिका-6.2.1: निधियों की प्राप्ति व व्यय

(₹ करोड़ में)

स्वीकृत अनुदान	प्राप्त अनुदान	व्यय			कुल व्यय
		प्रयुक्त अनुदान	कंपनी का अंश	ऋण राशि	
94.49	94.13	94.13	5.60	10.79	110.52

सितंबर 2021 के दौरान प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु ठेकों की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

1. उच्च दरों पर कार्य अनुबंध करना-

विनियमों[9] के अनुसार सौर संयंत्रों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ हिमाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी (हिम ऊर्जा) राज्य की नोडल एजेंसी थी। हिम ऊर्जा विक्रेताओं को सूचीबद्ध करती है एवं एक किलोवाट से 500 किलोवाट तक के विद्युत् उत्पादन की क्षमता की नेट मीटरिंग के साथ सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए दरें तय करती है। 12 परियोजनाओं में से नौ में प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु सौंपे गए पैकेज में सौर ऊर्जा संयंत्र एक मद के रूप में (जो किसी अन्य घटक पर निर्भर नहीं था) शामिल था। एक स्वतंत्र मद होने के नाते सौर संयंत्रों के लिए ठेका अलग से दिया जा सकता था जैसा कि अन्य तीन (कांगड़ा, ऊना व डलहौजी) सर्कलों में किया गया था।

नौ सर्कलों में प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु समेकित ठेके के तहत सौर संयंत्रों हेतु प्रदत्त दरें हिम ऊर्जा द्वारा अनुमोदित दरों की तुलना में असामान्य रूप से अधिक थीं। जबकि शेष तीन सर्कलों[10] में सौर संयंत्रों को कंपनी द्वारा हिम ऊर्जा द्वारा अनुमोदित दरों पर अलग से प्रदान किया गया, वहीं शेष कार्यों को तैयार (टर्नकी) आधार पर सौंपा गया था। सौर संयंत्रों हेतु हिम ऊर्जा द्वारा निर्धारित दरों को जानते हुए कंपनी सभी बारह सर्कलों में हिम ऊर्जा द्वारा निर्धारित दरों पर सौर संयंत्रों के लिए अलग-अलग कार्य आदेश जारी कर सकती थी जैसा कि उक्त तीन सर्कलों के मामले में किया गया था। अगर कंपनी ने हिम ऊर्जा की दरों पर सौर संयंत्रों का कार्य अलग से दिया होता, तो वह ₹ 5.14 करोड़ बचा सकती थी। अधिक व्यय का विवरण **तालिका-6.2.2** में दिया गया है:

---

9 दिनांक 31 जुलाई 2015 को अधिसूचित हिमाचल प्रदेश विद्युत् विनियामक आयोग (रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरेक्टिव सिस्टम नेट मीटरिंग पर आधारित) विनियम, 2015

10 काँगड़ा, ऊना एवं डलहौज़ी।

तालिका-6.2.2: अतिरिक्त भुगतान के विवरण

(राशि ₹ में)

फर्म का नाम	सर्कल का नाम	हिम ऊर्जा द्वारा अनुमोदित दरें (प्रति किलोवाट)	कार्य अनुबंध पत्र के अनुसार दर (प्रति किलोवाट)	अतिरिक्त दर (प्रति किलोवाट)	कार्य अनुबंध पत्र के अनुसार मात्रा (किलोवाट में)	अतिरिक्त व्यय
मेसर्स श्याम इंडस पावर सॉल्यूशंस	शिमला	47,000	1,29,388	82,388	98	80,74,024
मेसर्स श्याम इंडस पावर सॉल्यूशंस	रोहडू	47,000	1,27,138	80,138	64.4	51,60,887
मेसर्स रुतु इंटरप्राइजेज	सोलन	42,000	88,438	46,438	443	2,05,72,034
मैसर्स यूटीआरआई	रामपुर	49,700	79,198	29,498	21.2	6,25,358
मेसर्स पीके इंटरप्राइजेज	मंडी	49,700	1,43,217	93,517	34	31,79,578
मेसर्स पीके इंटरप्राइजेज	कुल्लू	49,700	1,31,987	82,287	42	34,56,054
मेसर्स रतन लाइट हाउस	बिलासपुर	47,000	1,33,011	86,011	60.2	51,77,862
मेसर्स देवराय इंजीनियरिंग	हमीरपुर	47,000	1,01,135	54,135	73.4	39,73,509
मेसर्स चौधरी एसोसिएट्स	नाहन	49,700	96,500	46,800	24.3	11,37,240
योग						**5,13,56,546**

कंपनी ने नौ सर्कलों में हिम ऊर्जा की अनुमोदित दरों की तुलना में 117 प्रतिशत से 217 प्रतिशत अधिक दरों पर सौर संयंत्रों से संबंधित ठेका प्रदान किया (2018-19)। यह भी देखा गया कि तीन (कांगड़ा, ऊना व डलहौजी) सर्कलों में कंपनी ने सूची में शामिल विक्रेताओं को हिम ऊर्जा द्वारा अनुमोदित दरों पर सौर पैनल का कार्य प्रदान किया (2018-19 के दौरान)।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि निविदाएं टर्नकी आधार पर आमंत्रित की गई थीं एवं प्रस्ताव समग्र मूल्य के आधार पर स्वीकार किए गए थे न कि स्वतंत्र मदों के आधार पर।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि हिम ऊर्जा द्वारा अनुमोदित विक्रेताओं के सौर पैनल की दर प्रबंधन के जानकारी में थी एवं कंपनी सौर संयंत्रों हेतु अलग ठेके देकर ₹ 5.14 करोड़ बचा सकती थी जैसा कि कांगड़ा, ऊना व डलहौजी सर्कलों के लिए किया गया।

2. ठेकेदार को अनुचित लाभ-

मई 2018 में कुल्लू सर्कल में प्रणाली सुदृढ़ीकरण का ठेका एक ठेकेदार को दिया गया। ठेके की विशेष शर्तों के खंड 26 के अनुसार ठेकेदार कार्य पूर्ण करने में विलम्ब के लिए प्रति सप्ताह आधा प्रतिशत की दर से ठेका मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक परिसमापन क्षति का भुगतान करेगा।

कार्य 31 मार्च 2019 तक पूर्ण किया जाना था। यद्यपि ठेकेदार द्वारा कार्य की गति शुरू से ही बहुत धीमी थी एवं कार्यालय अधीक्षण अभियंता (परिचालन) सर्कल, कुल्लू एवं वरिष्ठ कार्यकारी अभियंता (विद्युत मण्डल), मनाली ने नियमित रूप से सूचित किया कि ठेकेदार के कारण कार्य विलंबित हो रहा है। तथापि बाद में क्षेत्रीय कार्यालय की अनुशंसा पर मुख्य अभियंता (परिचालन) ने कंपनी द्वारा सामग्री[11] की विलंबित आपूर्ति की दलील देते हुए परिसमापन क्षति लगाए बिना 30.09.2020 तक समय विस्तार स्वीकृत (मार्च 2021) किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 57.60 लाख की परिसमापन क्षति का उदग्रहण नहीं हुआ। अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था जिससे यह पता चलता हो कि क्षेत्रीय कार्यालयों ने सामग्री की मांग/ सामग्री मांगपत्र स्टोर को भेजा था एवं बाद में स्टोर द्वारा सामग्री की अनुपलब्धता से सम्बंधित अस्वीकरण किया था। इसके अतिरिक्त भण्डार की संवीक्षा से पता चला कि कंपनी द्वारा आपूरित की जाने वाली सामग्री उस अवधि के दौरान कंपनी के स्टोर में उपलब्ध थी।

ठेकेदार ने योजना के कई घटकों को स्वीकृत विस्तार अर्थात 30.09.2020 तक पूर्ण नहीं किया। यह इस तथ्य से प्रमाणित था कि ठेकेदार ने फरवरी 2021 में परिनिर्माण बिल जमा किया था। इस प्रकार, बिना किसी परिसमापन क्षति की वसूली के स्वीकृत समय विस्तार ठेकेदार को अनुचित लाभ में परिणित हुआ।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (अप्रैल 2022*)* में बताया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत् बोर्ड लिमिटेड द्वारा आपूरित की जाने वाली सामग्री की विलम्बित उपलब्धता एवं कोविड 19 के कारण देशव्यापी बंद के कारण कार्य पूरा नहीं हो सका। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह देखा गया था कि कंपनी के अधिकारियों ने ठेकेदार को विभिन्न पत्र/नोटिस लिखे थे कि कार्य विलंबित हो रहा था। इसके अतिरिक्त निर्धारित समापन अवधि (मार्च 2019*)* तक सामग्री की अनुपलब्धता के कारण ठेकेदार की किसी भी मांग को अस्वीकार नहीं किया गया था। जहां तक कोविड 19 के कारण देश व्यापी बंद का संबंध है*,* यह कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हेतु मान्य नहीं है क्योंकि 25 मार्च 2020 को अर्थात कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के एक वर्ष पश्चात देश व्यापी बंद किया गया था।

[11] स्टील ट्यूबलर पोल, एलटी एबी केबल, विद्युत मीटर आदि।

3. वस्तु व सेवा कर का अधिक भुगतान-

मार्च व अप्रैल 2018 के दौरान शिमला एवं रोहड़ू सर्कलों हेतु 162 किलोवाट[12] क्षमता की नेट मीटरिंग के साथ सौर पैनल की आपूर्ति और निर्माण का कार्य सौंपा गया था। एलओए में निर्दिष्ट[13] किया गया था कि बोली मूल्य में वस्तु व सेवाकर एवं अन्य कर (यदि कोई हो) शामिल हैं तथा केवल[14] दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर ही वास्तविक रूप से देय होंगे। जून 2017 में सौर ऊर्जा संयंत्रों पर वस्तु एवं सेवाकर घटा दिया गया था (पांच प्रतिशत तक)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी द्वारा जनवरी 2019 व दिसंबर 2019 के मध्य की गई आपूर्ति हेतु बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवाकर लगाते हुए भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.03 लाख की वस्तु एवं सेवाकर राशि का अतिरिक्त/अधिक भुगतान हुआ जैसाकि **तालिका-6.2.3** में वर्णित है।

तालिका-6.2.3: वस्तु व सेवा कर के अधिक भुगतान का विवरण

(₹ राशि में)

विवरण	सर्कल कार्यालय	मात्रा (किलोवाट)	पूर्व-कार्य दर प्रति किलोवाट	18% की दर से भुगतान की गई वस्तु व सेवा कर दरें	5% की दर पर वस्तु व सेवा कर देय	अधिक भुगतान
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 (5-6 x 3)**
नेट मीटरिंग के साथ सोलर पैनल	रोहड़ू	64.4	98,547	17,738	4,927	8,25,028
	शिमला	98	1,00,291	18,052	5,015	12,77,626
योग						**21,02,654**

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया (अप्रैल 2022) कि ठेकेदारों को जो भी अधिक भुगतान किया गया था उसकी वसूली फर्म से की जा रही है। यद्यपि अभी तक (अगस्त 2022) वसूली नहीं हो पाई है।

इस प्रकार ठेके की लेखापरीक्षा ने दिखाया कि कंपनी सौर पैनल हेतु अलग से ठेका देकर मितव्ययिता सुनिश्चित नहीं कर सकी जिससे ₹ 5.14 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसी

---

12 शिमला 98 केडब्ल्यू+ रोहड़ू 64.4 केडब्ल्यू।

13 सशर्त संख्या 8

14 धारा 13 का खंड II

भांति यह बकाया परिसमापन क्षति की वसूली न करके एवं अतिरिक्त वस्तु एवं सेवा कर जारी करके अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रही।

सिफारिश: कंपनी ठेकों का कार्यान्वयन मितव्यय तरीके से सुनिश्चित करें।

शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड

6.3 अनुबंध मांग एवं मानक वोल्टेज आपूर्ति में संशोधन न करने के कारण परिहार्य व्यय

शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड की तीन उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं में वास्तविक अधिकतम दर्ज मांग के अनुसार अनुबंध मांग को संशोधित करने में विफलता के कारण ₹ 5.67 करोड़ के मांग शुल्क का परिहार्य व्यय/ देयता हुई। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा गलत तरीके से लगाए गए ₹ 0.23 करोड़ के संविदा मांग उल्लंघन प्रभार का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने मानक आपूर्ति वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ऊर्जा आपूर्ति का लाभ उठाया, जिसके परिणामस्वरूप कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के कारण ₹ 5.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, हिमाचल प्रदेश सरकार व नगर निगम, शिमला की संयुक्त रूप से प्रवर्तित कंपनी के रूप में निगमित (जून 2018) शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड बृहत्तर (ग्रेटर) शिमला क्षेत्र में पानी एवं सीवरेज सेवाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। यह गुम्मा, गिरी व अश्विनी खड्ड में अपने तीन उप-मंडलों के माध्यम से उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं का संचालन करती है। इन उठाऊ जलापूर्ति योजना में स्थापित अपकेंद्री पंपों को संचालित करके पानी उठाया जाता है। इन पंपों पर 2018-19 (₹ 99.64 करोड़) एवं 2019 20 (₹ 103.45 करोड़) के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को भुगतान किए गए ऊर्जा शुल्क हेतु ₹ 203.09 करोड़ का व्यय किया गया था, जो शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के कुल संचालन व रखरखाव लागत का 70 प्रतिशत (लगभग) है।

शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड पर लागू राज्य वित्तीय नियमों में यह परिकल्पना की गई है कि सार्वजनिक धन से व्यय करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। प्रत्येक अधिकारी कड़ी मितव्ययिता को भी लागू करेगा तथा यह देखेगा कि सभी प्रासंगिक नियमों व विनियमों का पालन किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रशुल्क की सामान्य शर्तें निर्धारित करती हैं कि:

(क) जिन उपभोक्ताओं की ऊर्जा खपत ₹/ किलो वोल्ट एम्पिअर प्रति घंटा (केवीएएच) में बिल की जाती है, उनसे किलो वोल्ट एम्पिअर प्रति घंटा प्रभारों के अतिरिक्त, गणना की गई

दरों[15] पर किसी भी लगातार 30 मिनट की कालखंड अवधि के दौरान माह या अनुबंध मांग[16] (किलो वोल्ट एम्पिअर में) के 90 प्रतिशत पर ऊर्जा मीटर पर वास्तविक अधिकतम (किलो वोल्ट एम्पिअर केवीए में) दर्ज की गई मांग पर 'मांग शुल्क' लिया जाएगा, जो भी अधिक हो परन्तु वर्तमान में लागू अनुबंध मांग की उच्चतम सीमा तक यदि, ऊर्जा मीटर पर दर्ज वास्तविक अधिकतम मांग अनुबंध की मांग से अधिक है, उपभोक्ता से मांग शुल्क के तीन गुना की दर से "अनुबंध मांग उल्लंघन शुल्क" लगाया जाएगा, जिस सीमा तक उल्लंघन अनुबंध मांग से अधिक हुआ।

(ख) 'मानक आपूर्ति वोल्टेज'[17] से कम वोल्टेज पर विद्युत की आपूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं से अन्य शुल्कों के अतिरिक्त दो, तीन व पांच प्रतिशत की दर से कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार भी लगाया जाएगा, जैसाकि नीचे दिए गए उप-परिच्छेद (iv) के तहत **तालिका-6.3.3** में दिए गए विवरण के अनुसार 'मानक आपूर्ति वोल्टेज' से वास्तव में प्राप्त आपूर्ति वोल्टेज के स्तर तक 'स्टेप डाउन[18] के प्रत्येक स्तर' के लिए ऊर्जा शुल्क का बिल दिया गया है।

उठाऊ जलापूर्ति योजना गुम्मा (14), गिरी (दो) व अश्विनी खड्ड (दो) के 18 विद्युत मीटरों के संबंध में प्रबंध निदेशक, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड, शिमला के कार्यालय के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2020) में उजागर हुआ कि:

(i) दर्ज अधिकतम मांग से अधिक मौजूदा अनुबंध मांग

जून 2018 से मई 2020 की अवधि के दौरान गुम्मा (दो) व अश्विनी खड्ड (दो) में चार मीटरों की 'अनुबंध मांग का 90 प्रतिशत' स्थापित मीटरों (**परिशिष्ट-6.1**) में अधिकतम दर्ज/ खपत की गई मांग से काफी अधिक था, जिसे **तालिका-6.3.1** में संक्षेप में दर्शाया गया है।

---

15 शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के उठाऊ जलापूर्ति योजनाओं में लागू मांग शुल्क की दर: जून 2018 से जून 2019 तक ₹ 400 प्रति केवीए/ माह की दर से और 01 जुलाई 2019 से और उसके बाद ₹ 300 प्रति केवीए/ माह की दर से।

16 अनुबंध मांग विद्युत शक्ति की वह मात्रा है जो एक उपभोक्ता एक विशिष्ट अंतराल में उपयोगिता से मांगता है (उपयोग की जाने वाली इकाई केवीए या केडब्ल्यू है) जबकि बिलिंग चक्र पर अधिकतम केवीए आवश्यकता को अधिकतम मांग कहा जाता है।

17 मानक वोल्टेज जिस पर उपभोक्ता को किसी भी कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के भुगतान के बिना एक सामान्य या समर्पित या संयुक्त समर्पित प्रदायक के माध्यम से विद्युत दी जाएगी।

18 उदाहरण के रूप में 'स्टेप डाउन के प्रत्येक स्तर के लिए' अभिव्यक्ति का अर्थ होगा कि किसी विशेष मामले में यदि मानक आपूर्ति वोल्टेज 33 केवी है और वास्तव में उपलब्ध आपूर्ति वोल्टेज 11 केवी से कम है, तो स्टेप डाउन की संख्या दो होगी और दर लागू कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार का आठ प्रतिशत (पांच प्रतिशत + तीन प्रतिशत) होगा।

तालिका-6.3.1: अनुबंध मांग एवं अधिकतम दर्ज मांग का विवरण

उठाऊ जलापूर्ति योजना इकाई (अवधि)	के. नं./ मीटर नं.	अनुबंध मांग (केवीए)	संविदा मांग का 90 प्रतिशत (केवीए में)	वास्तविक अधिकतम मांग दर्ज की गई (केवीएएच में)	दर्ज की गई मांग के आधार पर संशोधित/ प्रस्तावित अनुबंध मांग (केवीए में)
गुम्मा (जून 2018 से अप्रैल 2020)	1112605289	4557.77	4101.99	525 to 2415.6	1500
	1112605290	5868.61	5281.75	2750 to 3980*	4000
अश्विनी खड्ड (जुलाई 2019 से जुलाई 2020)	12383282	718	646.2	320 to 362.1	400**
	12249906	1470	1323	362.1 to 384.8	400**

स्रोत: शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना।

** अगस्त 2018 से अप्रैल 2020 के दौरान वास्तविक मांग जून व जुलाई 2018 के दौरान अनुबंध मांग से अधिक हो गई थी।*

*** संभावित मीटर रीडिंग ट्रेंड के आधार पर प्रस्तावित।*

इसके अतिरिक्त, विकास पर्यावरण सेवा लिमिटेड द्वारा आयोजित एक ऊर्जा व जल लेखापरीक्षा (2017) में ऊर्जा लागत को कम करने के लिए दर्ज की गई वास्तविक अधिकतम मांग के ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर अनुबंध मांग को कम करने की अनुशंसा की गई थी। हालांकि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने गुम्मा में मीटरों की अनुबंध मांग को कम करने के लिए जून 2019 में ही हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ मामला उठाया था। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड को सलाह दी (दिसंबर 2019) कि वह इस मामले को मशोबरा में संबंधित इलेक्ट्रिकल प्रभाग के साथ उठाए। हालांकि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने मई 2020 में मशोबरा में विद्युत मंडल को अनुबंध मांग में कमी का प्रस्ताव भेजने में (तकनीकी जनशक्ति की कमी के कारण) पांच माह का समय लिया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने मई 2020 से मीटर (1112605289: 1500 केवीए व 1112605290: 4000 केवीए) के संबंध में अनुबंध मांग (वास्तविक आवश्यकतानुसार) को संशोधित (जून 2020) किया। अगस्त 2020 में लेखापरीक्षा संवीक्षा ने अश्विनी खड्ड में अन्य मीटर की संविदा मांग में संशोधन न किए जाने को इंगित किया तथापि अश्विनी खड्ड में अनुबंध मांग को सितंबर 2021 तक संशोधित नहीं किया गया था।

इस प्रकार शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने वास्तविक दर्ज की गई मांग के आधार पर अनुबंध मांग में कमी हेतु समय पर कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप जून 2018 से जुलाई 2020 **(परिशिष्ट-6.1)** के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को भुगतान किए गए मांग शुल्क के कारण ₹ 3.70 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, जैसाकि **तालिका-6.3.2** में संक्षिप्त में दर्शाया गया है।

तालिका-6.3.2: मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान

(₹ करोड़ में)

उठाऊ जलापूर्ति योजना इकाई (अवधि)	के.नं./ मीटर संख्या	अवधि	मांग शुल्क की दरें (₹ केवीए/ माह)	मांग शुल्क का भुगतान	देय मांग प्रभार* (परिशिष्ट-6.1)	मांग प्रभारों का परिहार्य भुगतान
गुम्मा	1112605289	जून 2018 से जून 2019	400	2.13	0.78	1.35
		जुलाई 2019 से अप्रैल 2020	300	1.23	0.47	0.76
	1112605290	अगस्त 2018 से जून 2019	400	2.32	1.66	0.66
		जुलाई 2019 से अप्रैल 2020	300	1.58	1.14	0.45
अश्विनी खड्ड	12383282	जुलाई 2019 से जुलाई 2020	300	0.25	0.14	0.11
	12249906	जून 2019 से जुलाई 2020	300	0.52	0.14	0.37
योग				**8.03**	**4.33**	**3.70**

स्रोत: शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना।

**मांग प्रभार वास्तविक दर्ज की गई मांग या संशोधित/ प्रस्तावित संविदा मांग का 90 प्रतिशत पर देय है।*

(ii) अनुबंध मांग उल्लंघन शुल्क का गलत आरोपण

जुलाई 2019 व मई 2020 के दौरान उठाऊ जलापूर्ति योजना गुम्मा में दर्ज की गई वास्तविक अधिकतम मांग 1848 केवीए की अनुबंध मांग के प्रति 1663.2 केवीएएच थी, हालांकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने इन दो माह के लिए ₹ 0.23 करोड़ के अनुबंध मांग उल्लंघन शुल्क को गलत तरीके से लगाया था एवं इसका भुगतान शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था। यद्यपि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने अनुबंध मांग उल्लंघन शुल्क के गलत अधिरोपण का मामला हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ उठाया (अप्रैल 2021), इसे सितंबर 2021 तक समायोजित नहीं किया गया था। मामले को अगस्त 2020 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था जबकि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने अप्रैल 2021 में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ मामला उठाया था तथा इस राशि का समायोजन लंबित है।

इस प्रकार शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा संविदा मांग उल्लंघन प्रभारों के गलत अधिरोपण पर समय पर कार्रवाई करने में विफलता के कारण ₹ 0.23 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(iii) विद्युत की शून्य खपत पर मांग शुल्क

उठाऊ जलापूर्ति योजना, गुम्मा के तहत शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड गुम्मा (प्रथम चरण) से ड्राबला (द्वितीय चरण) से क्रेगनानो तक पानी उठाता है। ड्राबला में पंपिंग हेतु विद्युत आपूर्ति मीटर (के.नं.1112605291) में दर्ज की जा रही है।

यह देखा गया कि 66 केवी/ 22 केवी (गोशु गुम्मा स्थित सबस्टेशन) पर ड्राबला पंपिंग स्टेशन पर अतिरिक्त प्रदायक लाईन पर एक अन्य मीटर (के.नं.1112605321) भी स्थापित किया गया था। चूंकि विद्युत आपूर्ति मीटर (के.नं.1112605291) में दर्ज की जा रही थी, जून 2018 से जून 2020 तक अतिरिक्त प्रदायक लाईन मीटर (के.नं.1112605321) में विद्युत की खपत शून्य थी, जिसे हटाने करने की आवश्यकता थी एवं अतिरिक्त प्रदायक लाईन की आपूर्ति को ड्राबला में मीटर (के.नं. 1112605291) से जोड़ा जा सकता था।

तथापि शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने अतिरिक्त प्रदायक लाईन मीटर (के.नं. 1112605321) को हटाने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की थी। जब शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ इस मुद्दे को उठाया (अगस्त 2019), हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने सीटी/ पीटी[19] यूनिट प्रदान करने के लिए चार स्तंभ संरचना के निर्माण हेतु ₹ 9.73 लाख की मांग भेजी, जो ड्राबला में प्रदायक लाईन को मीटर (के.नं. 1112605291) के साथ जोड़ेगी। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के पास ₹9.73 लाख (नवंबर 2019) जमा किए थे। हालांकि, मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने मई 2022 तक अतिरिक्त प्रदायक लाईन मीटर को हटाया नहीं था। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने ₹ 1.97 करोड़ (मांग शुल्क: ₹ 1.93 करोड़[20] अनुबंध मांग 2819 केवीए के 90 प्रतिशत की दर से एवं देय तिथि तक राशि का भुगतान नहीं करने के लिए अधिभार: ₹ 0.04 करोड़) के मांग शुल्क का दावा करते हुए अतिरिक्त प्रदायक लाईन मीटर (के. नं. 1112605321) हेतु सितंबर 2018 से जून 2020 तक बिल जारी किया, हालांकि खपत शून्य थी। जून 2019 तक इस राशि के प्रति ₹ 1.02 करोड़ के मांग शुल्क का भुगतान किया गया एवं ₹ 0.95 करोड़ (मांग शुल्क: ₹ 0.91 करोड़ व नियत तिथि तक राशि का भुगतान नहीं करने के लिए अधिभार, आदि ₹ 0.04 करोड़) अगस्त 2020 तक बकाया थे।

(iv) कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार

'मानक आपूर्ति वोल्टेज'[21] से कम वोल्टेज पर विद्युत की आपूर्ति का लाभ उठाने हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बिल किए गए ऊर्जा शुल्क की राशि पर **तालिका-6.3.3** में

---

19 वर्तमान परिवर्तक/ संभावित परिवर्तक।

20 सितंबर 2018 से जून 2019: 2537.10 केवीएएच X400X10 = ₹ 1,01,48,400 व जुलाई 2019 से जून 2020 = 2537.10 केवीएएच X300X12 = ₹ 91,33,560

21 मानक वोल्टेज जिस पर उपभोक्ता को किसी भी कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के भुगतान के बिना एक सामान्य या समर्पित या संयुक्त समर्पित प्रदायक के माध्यम से बिजली दी जाएगी।

दी गई दरों पर, 'मानक आपूर्ति वोल्टेज' से 'स्टेप डाउन के प्रत्येक स्तर' के लिए वास्तव में प्राप्त आपूर्ति वोल्टेज के स्तर तक कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार प्रभारित करेगा।

तालिका-6.3.3: मानक आपूर्ति वोल्टेज के प्रति कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार की दर

मानक आपूर्ति	वास्तव में प्राप्त आपूर्ति वोल्टेज	कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार (प्रतिशत)
11 केवी या 15 केवी या 22 केवी	10.23 केवी या 30.415 केवी या 2.2 केवी	5
33 केवी	11 केवी या 22 केवी	3
66 केवी	33 केवी	2
>= 132 केवी	66 केवी	2

लेखापरीक्षा ने देखा कि जून 2018 से मार्च 2021 तक छः मीटर (गुम्मा: 04 व गिरी: 02) पर तीन प्रतिशत या आठ प्रतिशत की दर से कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार लगाया गया था (वास्तविक उपयोग वोल्टेज मानक आपूर्ति वोल्टेज के स्तर से दो स्तर नीचे होने के मामले में) जैसाकि **तालिका-6.3.4** में विवर्णित है।

तालिका-6.3.4: कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार का विवरण

क्र. सं.	मीटर नं. (के. नं.)	कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार	संयोजित भार (के डब्ल्यू)*	मानक वोल्टेज आपूर्ति	वास्तविक वोल्टेज प्राप्ति	कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार की दर (प्रतिशत)	कम वोल्टेज आपूर्ति अधिरोपित अधिभार (₹ करोड़ में)
1.	1112605289	गुम्मा	4102.00	33 केवी	15 केवी	3	0.06
2.	1112605290	गुम्मा	5281.70	33 केवी	2.2 केवी	8	1.69
3.	1112605291	गुम्मा	2819.67	33 केवी	2.2 केवी	8	1.38
4.	1112605293	गुम्मा	3319.12	33 केवी	2.2 केवी	8	0.74
5.	एचपीयू 00318	गिरी	2425.00	33 केवी	11 केवी	3	0.64
6.	एचपीयू 00204	गिरी	2816.00	33 केवी	11 केवी	3	0.63
कुल							**5.14**

स्रोत: शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा आपूरित सूचना।

** मानक आपूर्ति वोल्टेज: <=50 केडब्ल्यू-2.2 केवी या 400 वोल्ट; 51 केडब्ल्यू से 2000 केडब्ल्यू - 6.6 केवी, 11 केवी, 15 केवी या 22 केवी तक; 2001 केडब्ल्यू से 10000 केडब्ल्यू तक - 33 केवी या 66 केवी व >10000 केडब्ल्यू - >=132 केवी।*

शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने मानक आपूर्ति वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ऊर्जा आपूर्ति का लाभ उठाया जिसके परिणामस्वरूप जून 2018 से मार्च 2021 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को वास्तव में भुगतान किए गए कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के कारण ₹ 5.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ **(परिशिष्ट-6.2)**।

जुलाई 2020 में शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड डिवीजन-ठियोग के कार्यकारी अभियंता से मीटर संख्या एचपीयू 00318 व एचपीयू 00204 के संबंध में कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार एवं उल्लंघन शुल्क माफ करने का अनुरोध किया परन्तु फरवरी 2021 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।

स्पष्ट है, उक्त राज्य वित्तीय नियमों के प्रावधान के विपरीत शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड का प्रबंधन अपने उठाऊ जलापूर्ति योजना की ऊर्जा लागत के संबंध में कठोर मितव्ययता को लागू करने में विफल रहा।

- शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने ऊर्जा मीटरों में वास्तविक अधिकतम दर्ज की गई मांग के अनुसार अनुबंध मांग के संशोधन के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.70 करोड़ के मांग शुल्क का परिहार्य व्यय/ देयता हुई।
- अनुबंध मांग प्रभार गलत अधिरोपित करने के कारण शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड को ₹ 0.23 करोड़ का भुगतान करना पड़ा।
- शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने अतिरिक्त प्रदायक लाईन मीटर की स्थापना रद्द करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की जिसके कारण शून्य खपत के बाद भी ₹ 1.97 करोड़ के मांग शुल्क की देयता बनी।
- शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने मानक आपूर्ति वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त की जिसके परिणामस्वरूप कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के कारण ₹ 5.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रधान सचिव (शहरी विकास) ने बताया (सितम्बर 2021) कि तकनीकी जनशक्ति की कमी एवं विकास पर्यावरण सेवा लिमिटेड रिपोर्ट की समुचित जांच एक समय लेने वाली प्रक्रिया होने के कारण अनुबंध मांग में कमी हेतु समय पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। अनुबंध मांग उल्लंघन शुल्क के संबंध में अनुबंध मांग के सुधार के लिए मामला हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ उठाया गया है। कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के मामले में प्रबंध निदेशक, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने बताया (फरवरी 2021) कि मुद्दों का समाधान शीघ्रातिशीघ्र करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के साथ पत्राचार किया गया था। तथापि तथ्य यह है कि ऊर्जा मीटरों के वास्तविक प्राप्त वोल्टेज के अनुसार मानक आपूर्ति वोल्टेज में संशोधन न करने के कारण शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार का परिहार्य भुगतान वहन करना पड़ा।

सिफारिश: सरकार वास्तविक अधिकतम दर्ज की गई मांग के अनुसार शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड की उठाऊ जल आपूर्ति योजनाओं के ऊर्जा मीटरों की अनुबंध मांग के युक्तिकरण/ संशोधन में तेजी लाने पर विचार करें, ताकि ऊर्जा लागत को कम किया जा सके तथा शिमला

जल प्रबंधन निगम लिमिटेड की उठाऊ जल आपूर्ति योजनाओं हेतु निर्धारित मानक आपूर्ति वोल्टेज पर आपूर्ति का लाभ उठाएं ताकि कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार के भुगतान की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

(चंदा मधुकर पंडित)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक: 03 दिसम्बर 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 13 दिसम्बर 2022

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.2)

अन्य कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रमुख प्राप्ति शीर्ष	2019-20 में वास्तविक राशि	2020-21 में वास्तविक राशि
1.	0050-लाभांश व लाभ	248.44	245.43
2.	0051- लोक सेवा आयोग	8.65	5.86
3.	0056- जेल	0.23	0.24
4.	0057- आपूर्ति व निपटान	0.03	0.01
5.	0058- लेखन सामग्री व मुद्रण	12.04	8.27
6.	0071- पैंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान व वसूली	12.02	14.04
7.	0075- विविध सामान्य सेवाएं	5.17	11.41
8.	0202- शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	238.59	196.08
9.	0210- चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य	24.79	13.21
10.	0211- परिवार कल्याण	-0.02	0.008
11.	0215- जलापूर्ति और स्वच्छता	67.07	66.93
12.	0216- आवास	3.55	3.91
13.	0217- शहरी विकास	6.62	5.95
14.	0220- सूचना और प्रचार	2.41	1.12
15.	0230- श्रम और रोजगार	7.8	8.2
16.	0235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	38.79	11.15
17.	0250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.02	0.07
18.	0401- फसल पालन	8.48	11.92
19.	0403- पशुपालन	0.98	0.99
20.	0405- मत्स्य पालन	3.16	3.16
21.	0407- वृक्षारोपण	0.01	0.01
22.	0408- खाद्य भंडारण व भंडारगृह	0.03	0.71
23.	0425- सहकारिता	6.84	9.51
24.	0435- अन्य कृषि कार्यक्रम	0.63	0.77
25.	0515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3.51	20.41
26.	0575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.11	0.41
27.	0700- वृहद सिंचाई	1.36	0.01
28.	0701- मध्यम सिंचाई	0.15	0.23
29.	0702- लघु सिंचाई	0.84	1.17
30.	0851- ग्राम एवं लघु उद्योग	1.89	1.3
31.	0852- उद्योग	7.3	8.15
32.	1054- सड़कें व पुल	12.44	12.89
33.	1055- सड़क परिवहन	0.64	0.24
34.	1425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.21	0.002
35.	1452- पर्यटन	5.89	6.46
36.	1456- नागरिक आपूर्ति	2.08	0.2
37.	1475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13.36	5.65
सकल योग		**746.11**	**676.08**

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: परिच्छेद 1.2)

विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की निवल आय के अंश का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	प्रमुख प्राप्ति शीर्ष	2020-21 में वास्तविक राशि
1.	0005-901-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	1,419.55
2.	0008-901- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	0
3.	0020-901-निगम कर	1,429.44
4.	0021-901-निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर	1,464.84
5.	0028-901-आय व व्यय पर अन्य कर	0
6.	0032-901-संपत्ति कर	0
7.	0037-901- सीमा शुल्क	257.07
8.	0038-901-केंद्रीय उत्पाद शुल्क	160.44
9.	0044-901-सेवा कर	19.39
10.	0045-901- वस्तुओं व सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	3.19
सकल योग		**4,753.92**

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: परिच्छेद 1.7.2)

स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों/ संस्थानों की सूची

क्र.सं.	निकाय/ प्राधिकरण का नाम	वह धारा जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई है
1.	हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कार्य श्रमिक कल्याण बोर्ड, शिमला	**धारा 19 (3) के तहत लेखापरीक्षा की गई एवं पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार किए गए।**
2.	हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	
3.	प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	
4.	हिमाचल प्रदेश शहर परिवहन एवं बस अड्डा प्रबंधन व विकास प्राधिकरण	
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग	
6.	हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद, शिमला	
7.	हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला	
8.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर	
9.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर	
10.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नाहन	
11.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ऊना	
12.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला	
13.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, किन्नौर (रामपुर स्थित)	
14.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मंडी	
15.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू	
16.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला (कांगड़ा स्थित)	
17.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोलन	
18.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंबा	
19.	नियंत्रक, सीएसके, हिमाचल प्रदेशकेवीवी, पालमपुर	**धारा 14 व 15 के तहत लेखापरीक्षा की गई एवं निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार व जारी किए गए।**
20.	वाईएस परमार बागवानी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन	
21.	बीज एवं जैविक उपज प्रमाणन एजेंसी, बॉयलौगंज, शिमला	
22.	पशुधन विकास बोर्ड, बॉयलौगंज, शिमला	
23.	हिमाचल प्रदेश राज्य मिल्कफेड सहकारी समिति, टूट्, शिमला	
24.	हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड (हिमफेड)	
25.	हिमाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, कसुम्पटी, शिमला	
26.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, हमीरपुर	
27.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, बिलासपुर	
28.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, नाहन	
29.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, ऊना	
30.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, शिमला	
31.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, किन्नौर	
32.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, मंडी	
33.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, कुल्लू	

क्र.सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वह धारा जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई है
34.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, कांगड़ा (धर्मशाला स्थित)	**धारा 14 व 15 के तहत लेखापरीक्षा की गई एवं निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार व जारी किए गए।**
35.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, सोलन	
36.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, चंबा	
37.	जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, केलांग	
38.	एड्स नियंत्रण सोसायटी	
39.	हिमाचल प्रदेश नर्सिंग क्षेत्रीय परिषद्	
40.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शिमला	
41.	भाषा, कला और संस्कृति अकादमी	
42.	एससी/एसटी कॉरपोरेशन, सोलन	
43.	समाज कल्याण बोर्ड, शिमला	
44.	काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, शिमला	
45.	सर्व शिक्षा अभियान, शिमला	
46.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	
47.	रिन चेन जेन पो सोसाइटी, कांगड़ा	
48.	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (हिमाचल प्रदेश)	
49.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	
50.	कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी, शिमला	
51.	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	
52.	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	
53.	हिमाचल प्रदेश आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक बोर्ड	

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.7.1)

अधिक अग्रेषित इनपुट कर क्रेडिट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	लेखापरीक्षा इकाई/आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	नाम	टीआईएन	सर्कल	पिछले रिटर्न के अनुसार क्रेडिट की शेष राशि ₹ में	ट्रान रिटर्न में पात्र एसजीएसटी के रूप में किया गया क्रेडिट ₹	अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया ₹
1	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, चंबा	02AAACN0149C1ZB	एनएचपीसी	2070400695	चंबा सर्कल	0	2,66,03,770	2,66,03,770
					उप-योग	**0**	**2,66,03,770**	**2,66,03,770**
2	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, नूरपुर	02AXAPS6730J1ZI	एसके एंटरप्राइजेज	2060600699	डमटाल सर्कल	0	13,44,078	13,44,078
3		02AEKPA1659R1ZB	आनंद एंड संस जसूर	2060500841	नूरपुर सर्कल	2,10,390	3,28,702	1,18,312
					उप-योग	**2,10,390**	**16,72,780**	**14,62,390**
4	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, कांगड़ा	02AEFPK8648M2Z4	शुभम कंस्ट्रक्शन	2060201879	कांगड़ा सर्कल	0	6,29,244	6,29,244
5		02DJJPS3239E1ZB	सूद इलेक्ट्रॉनिक्स	2060400739	देहरा सर्कल	0	6,68,099	6,68,099
6		02BNAPK1616C1ZX	एमएस साई एंटरप्राइजेज	2060200096	कांगड़ा सर्कल	1,41,089	2,48,458	1,07,369
7		02ABJPG7387A1ZY	संत राम चमन लाल	2060200262	कांगड़ा सर्कल	0	3,37,336	3,37,336
					उप-योग	**1,41,089**	**18,83,137**	**17,42,048**
8	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, हमीरपुर	02AABCU1732D1Z2	यूनिप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	2110200068	हमीरपुर	0	1,40,92,227	1,40,92,227
9		02ABQPA1486M1ZK	हिमाचल इलेक्ट्रॉनिक्स	2110200149	हमीरपुर	2,94,110	3,28,158	34,048
10		02ABKFS0205N1ZC	सत्य ट्रेडिंग कंपनी	2110200558	हमीरपुर	0	1,03,139	1,03,139
					उप-योग	**2,94,110**	**1,45,23,524**	**1,42,29,414**
11	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	02AAAFN6760E1ZO	नाथू राम जानकी दास ऊना	2080200419	मेहतपुर सर्कल	1,51,690	5,65,596	4,13,906
12		02ALDPK6128K1Z9	राजेश ट्रेडिंग कंपनी	2080100445	बंगाना सर्कल	1,55,349	4,86,806.00	3,31,457
13		02AEMPB9868H1ZA	भयाना एंड कंपनी	2080300770	अम्ब सर्कल	65,132	3,80,645	3,15,513

क्र. सं.	लेखापरीक्षा इकाई/आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	नाम	टीआईएन	सर्कल	पिछले रिटर्न के अनुसार क्रेडिट की शेष राशि ₹ में	ट्रान रिटर्न में पात्र एसजीएसटी के रूप में किया गया क्रेडिट ₹	अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया ₹
14	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	02BYRPS4262E1ZA	एम एस कौशल टायर वर्क	2080300164	अम्ब सर्कल	4,13,000	7,98,660	3,85,660
15		02AXGPB1343N1ZU	भूषण एल्यूमिनियम एंड हार्डवेयर स्टोर	2080301264	अम्ब सर्कल	0	1,40,348	1,40,348
16		02BCEPS3403E1Z7	जय दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स	2080300098	अम्ब सर्कल	2,08,986	2,14,061.00	5,075
17		02AIQPM4807P1ZS	अग्रवाल (वी.के.) स्टील्स	2080100466	ऊना सर्कल	2,36,421	6,46,918.00	4,10,497
18		02AJMPL9827F1Z2	शिव स्टील्स	2080301266	गगरेट	0	7,84,651.00	7,84,651
19		02AVBPK0065H1Z6	नड्डा ट्रेडर्स	2080101487	ऊना सर्कल	0	3,03,670.00	3,03,670
					उप-योग	**12,30,578**	**43,21,355**	**30,90,777**
20	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, धर्मशाला	02AFLPS0085H1ZH	कमला एंटरप्राइजेज	2060100326	धर्मशाला-1	2,52,415	31,61,22	63,707
21		02AFMPK5434P2Z3	न्यू आबसर वुडन इंडस्ट्री	2060300622	धर्मशाला-2	4,92,601	5,72,371	79,770
					उप-योग	**7,45,016**	**8,88,493**	**1,43,477**
22	सहायक आयुक्त, राज्य कराधान एवं आबकारी, पालमपुर	02ADBPK4464A1ZA	संगम एजेंसिस	2060700108	पालमपुर	4,37,091	8,20,336	3,83,245
23		02ADXPK8516D1ZH	एसआरके ट्रेडिंग कंपनी	2060702326	पालमपुर	5,05,800	5,37,472	31,672
24		02ABXPJ8634M1Z0	करुणा फिलिंग स्टेशन	2060700207	पालमपुर	36,130	3,40,682	3,04,552
25		02AODPN4937L1ZT	डीएन जनरल स्टोर	2060701550	पालमपुर	0	3,12,677	3,12,677
					उप-योग	**9,79,021**	**20,11,167**	**10,32,146**
26	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, शिमला	02AAXPA3284F1ZU	रोहिणी एंटरप्राइजेज (राकेश आहूजा) संजौली	2011200603	थियोग	3,31,599	10,24,925	6,93,326
27		02ALLPK3913E1ZJ	टॉप गियर ऑटो (रणदीप सिंह कंवर)	2010300019	कार्ट रोड	3,38,276.21	3,39,487.21	1,211
28		02AAACB8917G1ZZ	भारती एयरटेल सर्विसेज लिमिटेड	2010300630	संजौली	0	3,22,923	3,22,923
29		02APHPS3178P1ZB	राहुल फर्नीचर (जगतार सिंह)	2011200088	संजौली	3,61,475.82	6,41,694.53	2,80,218.71
30		02AZIPS7704G1ZD	हंस कंस्ट्रक्शन्स	2011201152	संजौली	0	2,84,462	2,84,462

क्र. सं.	लेखापरीक्षा इकाई/आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	नाम	टीआईएन	सर्कल	पिछले रिटर्न के अनुसार क्रेडिट की शेष राशि ₹ में	ट्रान रिटर्न में पात्र एसजीएसटी के रूप में किया गया क्रेडिट ₹	अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया ₹
31		02AIPPT8249R1Z6	ठाकुर हार्डवेयर	2011100590	रोहड़ू	7,26,745.56	7,30,795.00	4,049.44
32		02ABXPG0724F1ZZ	हिमाचल टायर्स	2011000089	रामपुर	2,71,300	3,61,020.14	89,720.14
33		02AAWPL2156Q1Z4	कुमार जनरल स्टोर	2011000479	रामपुर	33,050	2,11,831.00	1,78,781
34		02AAACB4146P1ZR	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2011000622	रामपुर	0.00	3,25,258.00	3,25,258
35		02AABCD7169H1ZS	रिलायंस कॉर्पोरेट आईटी पार्क लिमिटेड	2020100692	कार्ट रोड	0	1,04,53,095	1,04,53,095
					उप-योग	**20,62,446**	**14,695,490**	**1,26,33,044**
36		02AAAFI1856J2ZM	इंटेक कॉर्पोरेशन	2040400206	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (सिरमौर), (औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब)	0	72,89,973	72,89,973
37		02AADFL7429H1ZH	लुईस इंडस्ट्रीज	2040400404	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (सिरमौर), (औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब	0	23,42,409	23,42,409
38		02AADCV1654M1ZB	वारव बायोजेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड	2040400376	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (सिरमौर), (औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब	9,88,678	13,12,863	3,24,185
39		02AAECK1941M1ZN	कंसल बिल्डिंग सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड	2040201439	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (सिरमौर), (पौंटा सर्कल-II)	0	26,39,198.99	26,39,198.99
40		02ABUPB9135C2ZX	भंडारी रोजिन एंड तारपीन	2040100297	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (सिरमौर), (सराहन सर्कल)	0	17,15,535	17,15,535

क्र. सं.	लेखापरीक्षा इकाई/आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	नाम	टीआईएन	सर्कल	पिछले रिटर्न के अनुसार क्रेडिट की शेष राशि ₹ में	ट्रान रिटर्न में पात्र एसजीएसटी के रूप में किया गया क्रेडिट ₹	अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया ₹
41	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, नाहन	02AAYPK3585A1ZP	मदन लाल एंड संस	2040500067	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (सिरमौर), (नाहन सर्कल-II)	0	55,128	55,128
42		02AADCS4846E1ZN	साबू सिलेंडर प्रा. लि.	2040400442	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (सिरमौर), (औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब	10,14,247	15,40,979	5,26,732
43		02AAEFI5181Q1Z3	इंडो रामा इंजीनियर्स	2040400651	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (सिरमौर), (औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब	0	38,900	38,900
44		02AGJPG0372L1ZM	विनय पैकेजिंग	2080200322	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (सिरमौर), (औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब	38,25,027	38,56,463.04	31,435.25
					उप-योग	**58,27,952**	**2,07,91,449**	**1,49,63,496**
45		02AACCG3312Q1ZS	गर्ग संस एस्टेट प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	2030202088	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-1)	0	20,47,076	20,47,076
46		02AKRPR2488J1ZL	लिब्रा एसोसिएट्स	2030201898	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-II)	0	17,44,214	1,74,4213
47		02AAFFV8570P1ZK	विंका लाइफ साइंसेज	2030201428	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-IV)	0.00	14,65,129	14,65,129
48		02AABPJ2901Q1ZY	जैन इंडस्ट्रीज	2030200727	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-II)	0	12,81,965	12,81,965

क्र. सं.	लेखापरीक्षा इकाई/आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	नाम	टीआईएन	सर्कल	पिछले रिटर्न के अनुसार क्रेडिट की शेष राशि ₹ में	ट्रान रिटर्न में पात्र एसजीएसटी के रूप में किया गया क्रेडिट ₹	अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया ₹
49	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी	02AGKPK8208Q1Z0	सौभाग्य स्टील	2030200133	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-III)	10,09,424	11,53,906	1,44,481
50		02AAFFI2911K2ZP	आईवीएम फार्मासिया	2030202627	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-II)	0	11,39,250	11,39,250
51		02AECPP8256K1ZB	जीआरईईफ फॉर्मूलेशन	2030100639	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-1)	0	23,49,184	23,49,184
52		02AAGCC0680D1ZA	क्रेस्ट लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड	2030101784	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बरोटीवाला)	0	16,01,082	16,01,081
53		02AANFP6841P2ZN	पोलस्टार पावर इंडस्ट्रीज	02030100067	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-1)	0	13,24,656	13,24,656
54		02AAHFN4318F2ZO	न्यूटेक अप्लायंसेज	02030200342	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-1)	0	11,97,979	11,97,978
55		02AANPJ3071F1Z2	जैना एंड कंपनी	2030300759	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (नालागढ़ सर्कल-II)	1,31,060	11,95,308	10,64,248
56		02ABGFS3429J1Z8	स्वास्तिक वायर प्रोडक्ट	02030100653	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बरोटीवाला)	11,39,293	11,40,537	1,243.55

क्र. सं.	लेखापरीक्षा इकाई/आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	नाम	टीआईएन	सर्कल	पिछले रिटर्न के अनुसार क्रेडिट की शेष राशि ₹ में	ट्रान रिटर्न में पात्र एसजीएसटी के रूप में किया गया क्रेडिट ₹	अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया ₹
57		02AAACC6253G1Z5	कैडिला हेल्थकेयर लि.	2030100520	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-III)	0	45,43,960.00	45,43,960
58		02AANFM9530E2ZD	मेसर्स सालस फार्मास्युटिकल्स	2020501018	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (नालागढ़ सर्कल-II)	0	4,59,234.00	4,59,234
59		02AAHFT6449D2ZA	टोटल फार्मा सलूशन	2030101259	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बरोटीवाला)	0	5,12,978.00	5,12,978
60		02AAWCS3532J1Z4	स्मायन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	2030200847	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-IV)	0	6,47,824	6,47,824
61		02AAEFE0922H1Z3	एनवायरो एंटरप्राइजेज	2030400029	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-IV)	4,56,573	5,08,893	52,320
62		02AAGFG7182F2ZK	गोपाल लाइफ साइंसेज (यूनिट-2)	2030100716	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बरोटीवाला)	0	4,81,620	4,81,620
63		02AACCC5704E1ZD	क्योरवेल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	2030100231	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-1)	3,51,598	3,74,914	23,316
64		02AAHFK8962A1ZK	कुंडलस लौह उद्योग	2030100540	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-II)	4,87,253	9,81,127	4,93,874

क्र. सं.	लेखापरीक्षा इकाई/आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	नाम	टीआईएन	सर्कल	पिछले रिटर्न के अनुसार क्रेडिट की शेष राशि ₹ में	ट्रान रिटर्न में पात्र एसजीएसटी के रूप में किया गया क्रेडिट ₹	अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया ₹
65		02AAEFC4390H1ZR	क्लासिक बाइंडिंग इंडस्ट्री	02030300567	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (बीबीएन बद्दी), (बद्दी-IV)	93,791	3,15,910	2,22,119
					उप-योग	**36,68,992**	**2,64,66,745**	**2,27,97,752**
66	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, कुल्लू	02ABBPA0544K2ZD	आनंद ट्रेडिंग कंपनी	2100100564	(हिमाचल प्रदेश), (मध्य क्षेत्र, मंडी), (कुल्लू), (कुल्लू सर्कल)	5,49,153	5,53,287.00	4,134
67		02ABBPM4334R1ZK	मेहता मोटर्स	2100200977	(हिमाचल प्रदेश), (मध्य क्षेत्र, मंडी), (कुल्लू), (कुल्लू/बांजर)	4,46,099	4,47,640.00	1,541
					उप-योग	**9,95,252**	**10,00,927**	**5,675**
68	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, मंडी	02AAQFG7471F2ZA	गुप्ता मीडियल एजेंसियां	2090100025	(हिमाचल प्रदेश), (मध्य क्षेत्र, मंडी), (मंडी), (मंडी-III एईटीसी मंडी)	2,04,256	8,15,891.00	6,11,635
69		02ABUPV2465K1Z2	चेतन वैद्य	2090100534	(हिमाचल प्रदेश), (मध्य क्षेत्र, मंडी), (मंडी), (मंडी-1)	4,53,845	4,68,757.47	14,912
					उप-योग	**6,58,101**	**12,84,648**	**6,26,547**
70	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन	02AAACS0623C1ZB	शिवालिक बाइमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड	2020100450	कंडाघाट सर्कल	2,49,909	10,66,098	8,16,189
71		02ABGPY7751B2ZO	एस एस ट्रेडिंग	2020500915	परवाणु सर्कल -2	0	9,78,975	9,78,975
72		02ABLPG9224G1ZW	टेक्नो सेल्स	2020600789	परवाणु सर्कल -2	0	36,65,425.85	36,65,426
73		02AABCP0770A1Z9	प्रेम बिल्डर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2020600450	परवाणु सर्कल -I	0	15,26,141	15,26,141
74		02AIVPG2315H1ZJ	विद्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स	2020100170	सोलन सर्कल-I	5,00,000	1,46,30,415.67	1,41,30,416
75		02AAWFS4629M1ZK	सोलन रेडियो सर्विस	2020100453	सोलन सर्कल-I	6,10,150	8,58,802	2,48,652

क्र. सं.	लेखापरीक्षा इकाई/आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	नाम	टीआईएन	सर्कल	पिछले रिटर्न के अनुसार क्रेडिट की शेष राशि ₹ में	ट्रान रिटर्न में पात्र एसजीएसटी के रूप में किया गया क्रेडिट ₹	अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ उठाया ₹
76		02AABFY7754J1ZX	येस्टर फार्मा	2020200904	सोलन सर्कल-II	0	8,40,107	8,40,107
77		02AABCA9599A1ZV	अन्वेषा इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2020201509	सोलन सर्कल-II	0	6,90,705	6,90,705
78		02AAGFC5284L1ZD	चिरोस फार्मा	2020200285	सोलन सर्कल-II	0	24,52,036	24,52,036
					उप-योग	**13,60,059**	**2,67,08,706**	**2,53,48,647**
					सकल-योग	**1,81,73,008**	**14,28,52,192**	**12,46,79,184**

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.7.2)

वार्षिक व त्रैमासिक/मासिक रिटर्न में मिलान न होने के कारण लिए गए अतिरिक्त इनपुट कर क्रेडिट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	लेखापरीक्षा इकाई/आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	नाम	टीआईएन	सर्कल	पिछले रिटर्न के अनुसार क्रेडिट की शेष राशि ₹ में	त्रैमासिक रिटर्न के अनुसार क्रेडिट की शेष राशि ₹ में	पात्र एसजीएसटी ट्रान रिटर्न के अनुसार लिया गया क्रेडिट ₹ में	लिया गया अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट ₹ में
1	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, चंबा	02ARHPP3647C1Z3	राधा कृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स	2070101768	चंबा सर्कल	3,08,326	4,52,138	4,52,138	1,43,812
					उप-योग	**3,08,326**	**4,52,138**	**4,52,138**	**1,43,812**
2	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, नूरपुर	02ABBFS0775J1ZA	चानन सिंह एंड कंपनी	2060500885	नूरपुर सर्कल	0	0	6,80,507	6,80,507
					उप-योग	**0**		**6,80,507**	**6,80,507**
3	सहायक उपायुक्त, राज्य कराधान एवं आबकारी, कांगड़ा	02AFPS0069R1ZW	शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स	2060200955	कांगड़ा सर्कल	7,24,712	7,79,855	7,49,275	24,563
4		02AAEFM3371Q1Z3	माणिक चंद ध्यान चंद	2060200526	कांगड़ा सर्कल	5,88,518	6,26,123	6,26,123	37,605
5		02AABZPA4913G1ZU	कांगड़ा ट्रेडिंग कंपनी.	2060200497	कांगड़ा सर्कल	0	13,24,996	13,24,996	13,24,996
6		02ADYPS8311H1Z7	स्वामी इलेक्ट्रॉनिक्स	2060200303	कांगड़ा सर्कल	0	6,02,510	6,02,510	6,02,510
					उप-योग	**13,13,230**	**33,33,484**	**33,02,904**	**19,89,674**
7	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बिलासपुर	02AAFFJ6392M1Z2	जांडू कंस्ट्रक्शन कंपनी	2120302003	घुमार्विन सर्कल	22,08,271	55,68,277	68,05,929	45,97,658
8		02AHJPA4870E1ZU	भगवती ट्रेडर्स	2120200622	बिलासपुर सर्कल-2	6,29,363	15,41,309	15,41,309	9,11,946
					उप-योग	**28,37,634**	**71,09,586**	**83,47,238**	**55,09,604**
9	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	02AFKPS8870B1ZD	कथूरिया इलेक्ट्रॉनिक्स	2080100756	ऊना सर्कल	6,85,455	8,46,779	8,04,267	1,18,812
10		02AAXFM2066P1ZO	महालक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी	2080101664	बंगाना सर्कल	4,56,947	9,59,121	6,15,250	1,58,303
11		02AASPM0618E1Z1	एम एस मेहता हार्डवेयर स्टोर	2080300488	अम्ब सर्कल	4,92,129	6,05,175	5,84,432	92,303
12		02AAMPD3321M1Z1	एम.एस.आर.के. ट्रेडर्स	2080100060	ऊना सर्कल	2,99,722	3,39,871	3,39,871	40,149
					उप-योग	**19,34,253**	**27,50,946**	**23,43,820**	**4,09,567**

क्र.सं.	लेखापरीक्षा इकाई/आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	नाम	टीआईएन	सर्कल	पिछले रिटर्न के अनुसार क्रेडिट की शेष राशि ₹ में	त्रैमासिक रिटर्न के अनुसार क्रेडिट की शेष राशि ₹ में	पात्र एसजीएसटी ट्रान रिटर्न के अनुसार लिया गया क्रेडिट ₹ में	लिया गया अतिरिक्त ट्रांजिशनल क्रेडिट ₹ में
13	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, धर्मशाला	02AJTPK9323J1ZW	शिव एंटरप्राइजेज	2060300625	धर्मशाला-2	9,30,176	9,60,348	9,59,696	29,520
14		02AOHPR5004E1ZG	तिरुपति ट्रेडर्स	2060101320	धर्मशाला-1	0	6,04,657	3,59,553	3,59,553
					उप-योग	**9,30,176**	**15,65,005**	**13,19,249**	**3,89,073**
15	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, शिमला	02AUPPS8790Q1ZF	न्यू जसपाल रोलिंग शटर एंड ट्रेडर्स	2011200476	राज्य (शिमला) (संजौली)	2,90,334	30,897	10,62,530	10,31,633
16		02ACSPV8187F1ZY	जे एस ट्रेडिंग कंपनी	2010300375	राज्य (शिमला) (कार्ट रोड)	0	8,11,617	8,11,617	8,11,617
17		02AUPPS8811A1ZQ	एम.एस. इन्फोटेक	2011200024	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (शिमला), (संजौली)	0	25,724	5,05,265	5,05,265
18		02AGDPC3356J1ZU	के.सी. ट्रेडिंग कंपनी	2010500338	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (शिमला), (ढली सर्कल)	0	4,80,118	3,30,150	3,30,150
19		02AAEAT2855R1Z1	द निचार कोआपरेटिव मल्टीपरपस सोसायटी लिमिटेड	2050300282	(हिमाचल प्रदेश), (दक्षिण क्षेत्र, शिमला), (किन्नौर), (निचार सर्कल, भाबानगर)	57,733	10,30,069	10,30,069	9,72,335
					उप-योग	**3,48,067**	**23,78,425**	**37,39,631**	**36,51,000**
20	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, मंडी	02AAACM9786A1ZN	एमजी कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	2090100227	(हिमाचल प्रदेश), (मध्य क्षेत्र, मंडी), (मंडी), (मंडी-1)	0	12,01,680	12,01,680	12,01,680
21		02AHOPS3238F1ZD	राम हरि प्लाईवुड स्टोर	2090100004	(हिमाचल प्रदेश), (मध्य क्षेत्र, मंडी), (मंडी), (मंडी-तृतीय एईटीसी मंडी)	7,999	7,12,300	7,12,300	7,04,301
22		02ADVPK1214G1ZW	पवन कुमार कंपनी	2090300016	(हिमाचल प्रदेश), (मध्य क्षेत्र, मंडी), (मंडी), (सुंदर नगर सर्कल-II)	0	311943	3,11,943	3,11,943
उप-योग						**7,999**	**22,25,923**	**22,25,923**	**22,17,924**
सकल-योग						**76,79,685**	**1,98,15,507**	**2,24,11,410**	**1,49,91,161**

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.7.3)

टीआरएआन-2 फाइल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ लेने वाले निर्धारतियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	लेखापरीक्षा इकाई /आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	विक्रेता का नाम	टीआईएन	सर्कल	टीआरएआन-2 में ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में प्राप्त राशि ₹ में
1	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	02AKGPV7010F1ZH	मेसर्स अमिता हेल्थकेयर	2010100261	ऊना सर्कल	16,01,141
2	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, चंबा	02AAHFK1819Q1Z5	मेसर्स कस्तूरी लाल महाजन एंड संस	2070400138	डलहौजी	6,69,392
3	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, हमीरपुर	02AAVFR5686A1Z0	मैसर्स आरसीएस लॉजिस्टिक्स	2110100958	नादौन सर्कल	2,17,915
4		02AACCH8870J4ZD	मैसर्स हाई-टेक सतलुज मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	2110401022	भोरंज व सुजानपुर	15,435
5	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, नूरपुर	02ADBFS3173N1Z0	मेसर्स संजय इलेक्ट्रिकल्स	2060500007	नूरपुर	9,01,793
6	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, शिमला	02BGGPS8577M1ZN	मेसर्स शुभम सेल्स	2010100261	लोअर बाजार	4,23,172
योग						**38,28,848**

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.7.4)

रिटर्न फाइल किए बिना ट्रांजिशनल क्रेडिट का लाभ लेने वाले निर्धारतियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	लेखापरीक्षा इकाई/आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	विक्रेता का नाम	टीआईएन	सर्कल	ट्रांजिशनल क्रेडिट के रूप में प्राप्त राशि ₹ में
1	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	02AAGCP8468C1ZH	क्रेमिका फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड	02080201009	इंडस्ट्रियल एरिया मैहतपुर	20,13,853
2		02AABCH6304C2ZE	एच.एन. स्टील कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	02080200710	इंडस्ट्रियल एरिया मैहतपुर	7,33,414
उप-योग						**27,47,267**
3	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, चंबा	02AACFM1336R1ZA	महाजन जनरल स्टोर	02070100218	चंबा सर्कल	2,76,199
उप-योग						**2,76,199**
4	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, हमीरपुर	02AAZPC1766E2ZS	के एस सेल्स	02110300009	बड़सर	7,48,972
5		02AAVFR5686A1Z0	आरसीएस लॉजिस्टिक्स	02110100958	नादौन	3,96,048
उप-योग						**11,45,020**
6	सहायक उपायुक्त, राज्य कराधान एवं आबकारी, कांगड़ा	02AAQFM3605B1ZT	मेगा स्टोर	02060100223	कांगड़ा सर्कल	4,11,705
उप-योग						**4,11,705**
7	सहायक उपायुक्त, राज्य कराधान एवं आबकारी, पालमपुर	02AHOPS2803A1ZU	संजय कुमार सोनी गवर्नमेंट कांट्रेक्टर	2060101060	धर्मशाला-1	6,91,193
उप-योग						**6,91,193**
सकल योग						**52,71,384**

परिशिष्ट-3.1

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.6)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा निष्कर्षों की प्रकृति (केवल सांकेतिक)	प्री ऑटोमेशन					पोस्ट ऑटोमेशन				
		देखी गई अधिकतम कमियां (विचलन) (राशि ₹ लाख में)					देखी गई अधिकतम कमियां (विचलन) (राशि ₹ लाख में)				
		लेखापरीक्षा नमूना		देखी गई कमियों की संख्या		नमूने की प्रतिशतता के रूप में कमियां	लेखापरीक्षा नमूना		देखी गई कमियों की संख्या		नमूने की प्रतिशतता के रूप में कमियां
		सं.	राशि	सं.	राशि		सं.	राशि	सं.	राशि	
1	पावती समय के भीतर जारी नहीं	167	8,360	41	लागू नहीं	24.55%	112	8,099	31	2113	27.68%
2	प्रतिदाय के आदेश समय पर मंजूर नहीं	167	8,360	32	लागू नहीं	19.16%	112	8,099	17	लागू नहीं	15.18%
3	समय के भीतर स्वीकृत नहीं होने पर जीरो-रेटेड आपूर्ति के कारण अनंतिम प्रतिदाय	20	2,125	1	लागू नहीं	5.00%	11	1,625	0	लागू नहीं	0.00%
4	प्रतिदाय दावों की पोस्ट ऑडिट में देरी/गैर-संचालन	167	8,360	167	8360.45	100.00%	112	8,099	112	लागू नहीं	100.00%
5	शून्य-रेटेड आपूर्ति में उपयोग किए गए इनपुट के इनपुट कर क्रेडिट का अतिरिक्त प्रतिदाय	20	2,125	1	19.75	5.00%	11	1,625	1	5.61	9.09%
6	कर अवधि के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में न्यूनतम शेष राशि पर विचार न करने के कारण अधिक प्रतिदाय प्रदान करना।	20	2,125	4	78.39	20.00%	112	8,099	0	0.00	0.00%
7	इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रकचर के प्रतिदाय की अनियमित अनुमति	120	5,649	2	5.2	1.67%	78	5,575	9	65.13	11.54%
8	वस्तु व सेवा कर प्रतिदाय मामलों में अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त न करना	167	8,360	30	1845.71	17.96%	112	8,099	24	3182	21.43%
9	प्रतिदाय रजिस्टरों का अनुचित रखरखाव।	167	8,360	167	8360.45	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण को प्रतिदाय आदेशों को संप्रेषित करने में असामान्य विलंब	167	8,360	4	13.71	2.40%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	अभिलेख प्रस्तुत न करना	167	8,360	4	लागू नहीं	2.40%	112	8,099	0	0	0

क्र. सं.	लेखापरीक्षा निष्कर्षों की प्रकृति (केवल सांकेतिक)	प्री ऑटोमेशन					पोस्ट ऑटोमेशन				
		देखी गई अधिकतम कमियां (विचलन) (राशि ₹ लाख में)					देखी गई अधिकतम कमियां (विचलन) (राशि ₹ लाख में)				
		लेखापरीक्षा नमूना		देखी गई कमियों की संख्या		नमूने की प्रतिशतता के रूप में कमियां	लेखापरीक्षा नमूना		देखी गई कमियों की संख्या		नमूने की प्रतिशतता के रूप में कमियां
12	भुगतान आदेश जारी करने में विलम्ब	167	8,360	0	0	0.00%	112	8,099	3	241.41	2.68%
13 क	प्रतिदाय राशि में पूंजीगत वस्तुओं पर प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट शामिल है	167	8,360	0	0	0.00%	78	5,575	1	1.29	1.28%
13 ख	प्रतिदाय राशि में इनपुट सेवाओं पर प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट शामिल है	167	8,360	0	0	0.00%	78	5,575	2	43.65	2.56%
14	अनियमित प्रतिदाय भुगतान ₹2.28 करोड़	167	8,360	0	0	0.00%	112	8,099	1	228	0.89%
15	स्वीकृत अनुचित प्रतिदाय के कारण इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र को वापस जमा न करना	167	8,360	0	0	0.00%	112	8,099	1	33.99	0.89%

परिशिष्ट-3.2 (i)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.1)

प्रतिदाय मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (आवेदनों की पावती में विलम्ब) (प्री-ऑटोमेशन)

मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	प्रतिदाय आवेदन फाइल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी -02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	विलम्ब की अवधि	विलम्ब के कारण
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन	अजोत लाइफसाइंस	02AOWPT4974NIZV	AA020819004501N/ 21-08-2019	21-08-2019	07-01-2020	6,83,434	124	शून्य
		अजोत लाइफसाइंस	02AOWPT4974NIZV	AA020819005294D/24-08-2019	24-08-2019	07-01-2020	7,01,148	122	शून्य
		अजोत लाइफसाइंस	02AOWPT4974NIZV	AA0208190051995/23-08-2019	23-08-2019	07-01-2020	7,57,839	122	शून्य
		डाबर इंडिया लिमिटेड	02AAACD0474CIZH	AA021217000489K/02-12-2017	02-12-2017	01-06-2018	33,77,879	166	शून्य
		एमएमसी हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	02AAECM3106E2Z8	AA021017077920H/03-03-2018	03-03-2018	05-06-2018	9,68,074	79	शून्य
		ट्रिट्रोनिक्स प्रा. लिमिटेड	02AAACT3280G2ZQ	AA020717187549P/19-01-2018	19-01-2018	09-05-2018	8,15,300	95	शून्य
		जे.एस. एंटरप्राइजेस	02AASPM3951C1ZV	AA020219000095W/ 01-02-2019	01-02-2019	01-07-2019	2,39,805	135	शून्य
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी	श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट केयर	02AAMCS5840H1ZC	AA0208190068148/31.08-2019	31-08-2019	15-10-2019	42,39,451	30	शून्य
		श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट केयर	02AAMCS5840H1ZC	AA0206190028790/ 18.06.2019	18-06-2019	15-10-2019	21,54,988	104	शून्य
		प्रीत रेमेडिस	02AADCP4799BZZJ	AA020819002257E/11.08.2019	11-08-2019	17-09-2019	57,36,563	22	शून्य
		वीएमटी स्पिनिंग कंपनी	02AABCV8087C1ZH	AA021018006145Y/22.01.2019	22-01-2019	11-02-2019	90,93,734	5	शून्य
		शेरवोटेक फार्मा	02AAPFM6384AZZD	AA0207190056369/ 25.07.2019	25-07-2019	21-09-2019	35,06,596	43	शून्य
		सेलिब्रिटी बायो फार्मा	02AABCE5492Q1ZA	AA021018012931T/ 09.04.2019	09-04-2019	02-05-2019	42,16,816	8	शून्य
		वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड	02AABCM4692E1ZR	AA020918161201J/ 23.11.2018	23-11-2018	15-03-2019	1,04,96,988	97	शून्य
		स्कॉट एडिल फार्मा	02AAHCS1643K1ZH	AA021218173823A/ 07.03.2019	07-03-2019	25-05-2019	97,71,796	19	शून्य
		कैम्पस एक्टिववेयर प्रा. लिमिटेड	02AAHCA3072C1ZD	AA021218170535E/ 21.02.2019	21-02-2019	16-04-2019	80,66,133	39	शून्य
		अंकित इंटरनेशनल	02AAMFA3178P1Z4	AA0206180124897/ 11.04.2019	11-04-2019	04-05-2019	22,80,872	8	शून्य
		लोगोस फार्मा	02AADFL5062A1Z2	AA020818088671W/ 01.12.2018	01-12-2018	16-02-2019	61,25,308	62	शून्य
		लोगोस फार्मा	02AADFL5062A1Z2	AA021118056300W/ 09.01.2019	09-01-2019	16-02-2019	55,32,721	23	शून्य
		वर्धमान पॉलीटेक्स लिमिटेड	02AAACV5821H2ZN	AA020618000628F/ 27.12.2018	27-12-2018	27-03-2019	89,25,448	75	शून्य
		अपलेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड	02AABCA0842N1Z0	AA021190836648/ 05.09.2019	23-02-2019	05-09-2019	16,88,062	179	शून्य

मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	प्रतिदाय आवेदन फाइल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी -02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	विलम्ब की अवधि	विलम्ब के कारण
		वर्धमान पॉलीटेक्स लिमिटेड	02AAACV5821H2ZN	AA020119099150J/ 13.06.2019	13-06-2019	24-07-2019	50,99,113	26	शून्य
		एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड	02AABCA9521E1Z9	AA020619002630Q/17.06.2019	17-06-2019	27-09-2019	1,04,222	87	शून्य
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, नाहन	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, नाहन	सिद्धि विनायक इंडस्ट्रीज	02ABRFS6609K1ZR	AA0209170002001/28.12.2018	28-12-2018	10-04-2019	4,66,008	88	शून्य
		बिमल इंडस्ट्रीज	02ACEPK7246A1Z7	AA020318005423U/13.03.2019	13-03-2019	30-07-2019	65,68,473	124	शून्य
		नांज मेड साइंस फार्मा	02AACN5552B1Z2	AA0209190038743/ 17.09.2019	17-09-2019	01-11-2019	23,76,139	30	शून्य
		फार्मा फोर्स लैब	02AAHFP6700H1ZL	AA021017080364M/ 28.04.2018	28-04-2018	22-03-2019	20,88,849	313	शून्य
		फार्मा फोर्स लैब	02AAHFP6700H1ZL	AA021117084386A/ 28.04.2018	28-04-2018	22-03-2019	46,88,660	313	शून्य
		रिलेक्स फार्मा प्रा. लिमिटेड	02AAACR9253R2ZW	AA0210170799734/ 17.04.2018	17-04-2018	21-01-2019	39,57,693	264	शून्य
		कोणार्क प्रोडक्ट्स	02AAJFK8082B1ZL	AA0210170003858Y/ 15.01.2019	15-01-2019	28-02-2019	14,15,850	29	शून्य
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	यंगमैन सिंथेटिक्स	02AAAFY8750B2ZG	AA020119084653A/ 20.03.2019	20-03-2019	17-04-2019	40,43,891	13	शून्य
		यंगमैन सिंथेटिक्स	02AAAFY8750B2ZG	AA020918000562J/ 17.12.2018	17-12-2018	29-01-2019	64,51,285	28	शून्य
		यंगमैन सिंथेटिक्स	02AAAFY8750B2ZG	AA021018002763S/ 28.12.2018	28-12-2018	29-01-2019	66,55,050	17	शून्य
		विजय कुमार लॉ	02AAEPL1395B1ZA	AA0212180012506/ 07-12-2018	07-12-2018	07-06-2019	57,004	167	शून्य
		हिम बायो एग्रो	02AAGFH2928G2ZP	AA020318011477J/ 01.05.2019	01-05-2019	02-06-2019	15,18,868	17	शून्य
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, शिमला	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, शिमला	जेके इंटरप्राइजेज	02AVXPS3354F1ZA	AA0210180032350/ 21.10.2018	21-10-2018	30-01-2019	3,68,802	86	शून्य
		न्यू शिमला एम्पोरियम	02ACEPK6664L1ZG	AA0207180028782/ 18.07.2018	18-07-2018	30-01-2019	59,056	181	शून्य
		टोमक्या ट्रेडर्स	02ABNPS8079H1Z1	AA021217003031A/ 19.12.2017	19-12-2017	28-03-2018	43,487	84	शून्य
		हिमाचल प्रदेश होर्टीकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी	02AABAH3797B1DB	AA0207190003181/ 02.07.2019	02-07-2019	15-07-2020	14,10,631	364	शून्य
		आनंद मेडिकल स्टोर	02AGFPS2513P1ZB	AA0209171301405/ 30.10.2018	30-10-2018	28-01-2019	48,758	75	शून्य
		स्टेट गवर्नमेंट एक्सईएन शिमला डिवीजन 1	02PTLS11694E1D0	AA020619005711L/ 29.06.2019	29-06-2019	03-09-2019	3,81,977	51	शून्य

परिशिष्ट-3.2 (ii)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.1)

प्रतिदाय मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (आवेदनों की पावती में विलम्ब) पोस्ट-ऑटोमेशन

क्र. सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	प्रतिदाय आवेदन फाइल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी - 02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	विलम्ब के कारण
1	बद्दी	शिमला	सरोज पैकेजिंग	02ABDFS9952K1ZT	AA020120000779V दिनांक 03-01-2020	03-01-2020	22-01-2020	12,589	4	अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच के बाद प्रतिदाय की पावती दी गई
2	बद्दी	शिमला	वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	02AABCM4692E1ZR	AA0205200006822 दिनांक 11-05-2020	11-05-2020	22-06-2020	4,99,37,955	27	
3	बद्दी	शिमला	मनीष कोहली	02BGLPK8333E1ZL	AA0205200017118 दिनांक 21-05-2020	21-05-2020	17-06-2020	43,01,805	12	
4	बद्दी	शिमला	थिओन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	02AACCT2692J1ZC	AA020520003122F दिनांक 30-05-2020	30-05-2020	17-06-2020	2,49,00,790	3	
5	बद्दी	शिमला	थिओन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	02AACCT2692J1ZC	AA0201200067830 दिनांक 25-01-2020	25-01-2020	26-02-2020	2,18,17,949	17	
6	बद्दी	शिमला	थिओन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	02AACCT2692J1ZC	AA020220004846W दिनांक 20-02-2020	20-02-2020	13-03-2020	78,89,410	7	
7	बद्दी	शिमला	अल्ट्राटेक फार्मास्युटिकल्स	02AABFU9404B1ZR	AA020220006971Z दिनांक 28-02-2020	28-02-2020	16-03-2020	76,84,190	2	
8	बद्दी	शिमला	श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	02AAMCS5840H1ZC	AA020520001371A दिनांक 18-05-2020	18-05-2020	05-06-2020	44,43,805	3	

क्र. सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	प्रतिदाय आवेदन फाइल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी - 02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	विलम्ब के कारण
9	बद्दी	शिमला	जी.एम.एच. लेबोरेट्रीस	02ABFPG9454L1ZJ	AA021119002852P दिनांक 18-11-2019	18-11-2019	10-12-2019	34,39,939	7	
10	बद्दी	शिमला	कैंपस एक्टिववेअर प्राइवेट लिमिटेड	02AAHCA3072C1ZD	AA020220000127E दिनांक 03-02-2020	03-02-2020	27-02-2020	88,96,134	9	
11	बद्दी	शिमला	सन एड सोलर एनर्जी एलएलपी	02ADEFS4784N1ZM	AA0203200028721 दिनांक 13-03-2020	13-03-2020	08-05-2020	67,65,844	41	
12	बद्दी	शिमला	प्रीत रेमेडीज लिमिटेड	02AADCP4799B2ZJ	AA020320003887P दिनांक 17-03-2020	17-03-2020	17-06-2020	46,45,995	77	
13	बद्दी	शिमला	स्कॉट-एडिल फार्माशिया लिमिटेड	02AAHCS1643K1ZH	AA020220007093A दिनांक 28-02-2020	28-02-2020	06-05-2020	40,82,722	53	
14	बद्दी	शिमला	रीगल किचन फूड्स लिमिटेड	02AABCS6174P1Z1	AA0203200040949 दिनांक 18-03-2020	18-03-2020	29-04-2020	22,78,354	27	
15	बद्दी	शिमला	स्कॉट-एडिल फार्माशिया लिमिटेड	02AAHCS1643K1ZH	AA0202200071384 दिनांक 28-02-2020	28-02-2020	06-05-2020	96,93,771	53	
16	बद्दी	शिमला	कोलंबस प्रीमियर शूज़ प्रा. लिमिटेड	02AADCP5685N1Z0	AA020320002944Y दिनांक 13-03-2020	13-03-2020	29-04-2020	71,82,176	32	
17	सिरमौर	शिमला	नितिन लाइफसाइंसेस लिमिटेड	02AACCN0725G1Z3	AA0204200001593 दिनांक 06-04-2020	06-04-2020	11-05-2020	91,98,482	20	
18	सिरमौर	शिमला	सनवेट हेल्थकेयर	02ABZFS6012L1ZS	AA020320003796S दिनांक 17-03-2020	17-03-2020	05-05-2020	55,25,877	34	
19	सिरमौर	शिमला	सनवेट हेल्थकेयर	02ABZFS6012L1ZS	AA020320002359Z दिनांक 11-03-2020	11-03-2020	05-05-2020	36,32,549	40	
20	सिरमौर	शिमला	आर एस ए टेक्निटेक्स	02AANFR2696E1Z4	AA0204200003672 दिनांक 13-04-2020	13-04-2020	06-05-2020	31,74,747	8	
21	सिरमौर	शिमला	प्रोटेक टेलीलिंक्स	02AATFP2061M1Z0	AA0212190000351 दिनांक 01-12-2019	01-12-2019	31-12-2019	28,64,899	15	

क्र. सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	प्रतिदाय आवेदन फाइल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी - 02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	विलम्ब के कारण
22	सिरमौर	शिमला	सनवेट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	02AAICS5117K2ZE	AA021219006091X दिनांक 20-12-2019	20-12-2019	17-01-2020	23,07,300	13	
23	सिरमौर	शिमला	वेलिंटन हेल्थकेयर	02AANFV7960P1ZC	AA020620000686S दिनांक 04-06-2020	04-06-2020	06-07-2020	17,25,676	17	
24	सिरमौर	शिमला	ग्नोसिस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	02AACCK5406H1Z0	AA020420000205E दिनांक 07-04-2020	07-04-2020	06-05-2020	16,22,141	14	
25	सिरमौर	शिमला	सूर्या टेक्सटेक	02ABFFS6596M1ZL	AA020220005548X दिनांक 24-02-2020	24-02-2020	18-03-2020	33,09,398	8	
26	सिरमौर	शिमला	पुष्कर फार्मा	02AANFM8460D1ZD	AA020220006993T दिनांक 28-02-2020	28-02-2020	18-03-2020	18,05,031	4	
27	ऊना	शिमला	यंगमैन सिंथेटिक्स	02AAAFY8750B2ZG	AA0201200071667 दिनांक 26-03-2020	26-03-2020	04-05-2020	28,14,735	24	
28	कांगड़ा	शिमला	बेदी एंटरप्राइजेस	02AGTPB7104R1Z5	AA021219001671S दिनांक 07-12-2019	07-12-2019	07-01-2020	31,022	16	
29	कांगड़ा	शिमला	क्वालिटी शूज स्टोर	02BWSPS5436D1ZD	AA021219002802S दिनांक 12-12-2019	12-12-2019	04-01-2020	2,100	8	
30	कांगड़ा	शिमला	रिसर्च एंड इंस्ट्रूमेंट्स सर्विसेस	02AACFR9306A1ZU	AA0204200004745 दिनांक 17-04-2020	17-04-2020	11-05-2020	15,20,557	9	
31	सोलन	शिमला	एज़ोट लाइफसाइंस	02AOWPT4974N1ZV	AA020220004650B दिनांक 19-02-2020	19-02-2020	04-05-2020	38,62,957	60	
योग								**21,13,70,899**		

परिशिष्ट-3.3 (i)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.2)

प्रतिदाय मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (ब्याज देय/भुगतान नहीं किया गया) प्री-ऑटोमेशन

मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	मैनुअल फाइलिंग के मामले में प्रतिदाय आवेदन फाइल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-06 फ़ार्म में आदेश की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹ में	विलम्ब की अवधि	विलम्ब के कारण	देय ब्याज का भुगतान	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन	अजोत लाइफसाइंस	02AOWPT4974NIZV	AA020819004501N/ 21-08-2019	21-08-2019	07-01-2020	07-01-2020	6,83,434	1,64,405	79		शून्य	शून्य
		अजोत लाइफसाइंस	02AOWPT4974NIZV	AA020819005294D/ 24-08-2019	24-08-2019	07-01-2020	07-01-2020	7,01,148	6,57,326	77		शून्य	शून्य
		अजोत लाइफसाइंस	02AOWPT4974NIZV	AA0208190051995/ 23-08-2019	23-08-2019	07-01-2020	07-01-2020	7,57,839	5,97,114	77		शून्य	शून्य
		डाबर इंडिया लिमिटेड	02AAACD0474CIZH	AA021217000489K/ 02-12-2017	02-12-2017	01-06-2018	13-06-2018	33,77,879	33,77,879	133		शून्य	शून्य
		एमएमसी हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	02AAECM3106E2Z8	AA021017077920H/ 03-03-2018	03-03-2018	05-06-2018	27-12-2018	9,68,074	9,19,636	239		शून्य	शून्य
		सोल्क्रोम प्रा. लिमिटेड	02AAACS0328JIZU	AA0206190045489/ 25-06-2019	25-06-2019	05-07-2019	09-12-2019	5,39,000	5,10,756	107		शून्य	शून्य
		ट्रिट्रोनिक्स प्रा. लिमिटेड	02AAACT3280G2ZQ	AA020717187549P/ 19-01-2018	19-01-2018	09-05-2018	10-10-2018	8,15,300	5,37,917	204		शून्य	शून्य
		जे.एस. एंटरप्राइजेस	02AASPM3951C1ZV	AA020219000095/ 01-02-2019	01-02-2019	01-07-2019	02-09-2019	2,39,805	2,39,805	153		शून्य	शून्य

मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	मैनुअल फाइलिंग के मामले में प्रतिदाय आवेदन फाइल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-06 फ़ार्म में आदेश की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹ में	विलम्ब की अवधि	विलम्ब के कारण	देय ब्याज का भुगतान	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी	वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड	02AABCM4692E1ZR	AA020918161201J/ 23-11-2018	23-11-2018	15-03-2019	25-03-2019	1,04,96,988	1,04,96,988	62		शून्य	शून्य
		स्कॉट एडिल फार्मा	02AAHCS1643K1ZH	AA021218173823A/ 07-03-2019	07-03-2019	25-05-2019	25-05-2019	97,71,796	97,71,796	19		शून्य	शून्य
		एंरोस फार्मा	02AFYPA8167P1ZQ	AA020618003336L/ 16-01-2019	16-01-2019	28-06-2019	28-06-2019	18,02,934	17,64,145	103		शून्य	शून्य
		श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट केयर	02AAMCS5840H1ZC	AA0209190026558/ 12-09-2019	12-09-2019	26-05-2020	26-05-2020	40,78,078	33,08,190	197		शून्य	शून्य
		पार्क फार्मा	02AAJFP3473H1ZB	AA021118068342K/ 07-05-2019	07-05-2019	05-07-2019	08-08-2019	28,30,617	28,10,500	33		शून्य	शून्य
		अंकित इंटरनेशनल	02AAMFA3178P1Z4	AA0206180124897/ 11-04-2019	11-04-2019	04-05-2019	27-06-2019	22,80,872	22,80,872	17		शून्य	शून्य
		लोगोस फार्मा	02AADFL5062A1Z2	AA020818088671W / 01-12-2018	01-12-2018	16-02-2019	16-02-2019	61,25,308	61,25,308	17		शून्य	शून्य
		वर्धमान पॉलीटेक्स लिमिटेड	02AAACV5821H2ZN	AA020618000628F/ 27-12-2018	27-12-2018	27-03-2019	27-03-2019	89,25,448	89,25,448	30		शून्य	शून्य
		अपलेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड	02AABCA0842N1Z0	AA021190836648/ 23-02-2019	23-02-2019	05-09-2019	05-09-2019	16,88,062	16,88,062	134		शून्य	शून्य

मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	मैनुअल फाइलिंग के मामले में प्रतिदाय आवेदन फाइल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-06 फ़ार्म में आदेश की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹ में	विलम्ब की अवधि	विलम्ब के कारण	देय ब्याज का भुगतान	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया
		एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड	02AABCA9521E1Z9	AA020619002630Q/ 17-06-2019	17-06-2019	27-09-2019	30-10-2019	1,04,222	1,04,222	75		शून्य	शून्य
		इंडो फार्म	02AAACW1982A1ZV	AA020918012219C/ 28-02-2019	28-02-2019	05-03-2019	03-07-2019	84,76,296	84,76,296	65		शून्य	शून्य
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, नाहन	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, नाहन	सिद्धि विनायक इंडस्ट्रीज	02ABRFS6609K1ZR	AA0209170002001/ 28.12.2018	28-12-2018	10-04-2019	27-05-2019	4,66,008	3,60,926	90		शून्य	शून्य
		बिमल इंडस्ट्रीज	02ACEPK7246A1Z7	AA020318005423U/ 13.03.2019	13-03-2019	30-07-2019	03-08-2019	65,68,473	60,42,010	83		शून्य	शून्य
		फार्मा फोर्स लैब	02AAHFP6700H1ZL	AA021017080364M/ 28.04.2018	28-04-2018	22-03-2019	27-03-2019	20,88,849	16,02,453	273		शून्य	शून्य
		फार्मा फोर्स लैब	02AAHFP6700H1ZL	AA021117084386A/ 28.04.2018	28-04-2018	22-03-2019	27-03-2019	46,88,660	42,04,252	273		शून्य	शून्य
		रिलेक्स फार्मा प्रा. लिमिटेड	02AAACR9253R2ZW	AA0210170799734/ 17.04.2018	17-04-2018	21-01-2019	06-02-2019	39,57,693	37,76,270	235		शून्य	शून्य
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	विजय कुमार लॉ	02AAEPL1395B1ZA	AA0212180012506/ 07-12-2018	07-12-2018	07-06-2019	29-06-2019	57,004	57,004	144		शून्य	शून्य
		हिम बायो एग्रो	02AAGFH2928G2ZP	AA020318011477J/ 01.05.2019	01-05-2019	02-06-2019	19-06-2020	15,18,868	15,18,868	355		शून्य	शून्य
राज्य कराधान एवं आबकारी	राज्य कराधान एवं आबकारी	जेके इंटरप्राइजेज	02AVXPS3354F1ZA	AA0210180032350/ 21.10.2018	21-10-2018	30-01-2019	30-01-2019	3,68,820	3,68,802	41		शून्य	शून्य

मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	मैनुअल फाइलिंग के मामले में प्रतिदाय आवेदन फाइल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-06 फ़ार्म में आदेश की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹ में	विलम्ब की अवधि	विलम्ब के कारण	देय ब्याज का भुगतान	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया
उपायुक्त, शिमला	**उपायुक्त, शिमला**	न्यू शिमला एम्पोरियम	02ACEPK6664L1ZG	AA0207180028782/ 18.07.2018	28-07-2018	30-01-2019	30-01-2019	59,056	59,056	126		शून्य	शून्य
		टोमक्या ट्रेडर्स	02ABNPS8079H1Z1	AA021217003031A/ 19.12.2017	19-12-2017	28-03-2018	28-03-2018	43,487	43,487	39		शून्य	शून्य
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त शिमला	**राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, शिमला**	हिमाचल प्रदेश होर्टीकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी	02AABAH3797B1DB	AA0207190003181/ 02.07.2019	02-07-2019	15-07-2020	15-07-2020	14,10,631	14,10,631	319		शून्य	शून्य
		आनंद मेडिकल स्टोर	02AGFPS2513P1ZB	AA020917130140S/ 30.10.2018	30-10-2018	28-01-2019	28-01-2019	48,758	48,758	30		शून्य	शून्य
		स्टेट गवर्नमेंट एक्सईएन शिमला डिवीजन 1	02PTLS11694E1D0	AA020619005711L/ 29.06.2019	29-06-2019	03-09-2019	03-09-2019	3,81,977	3,81,977	6		शून्य	शून्य

परिशिष्ट-3.3 (ii)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.2)

प्रतिदाय मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (आवेदनों का समय के भीतर निपटान नहीं किया गया ब्याज देय / भुगतान नहीं किया गया) पोस्ट-ऑटोमेशन

क्र. सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआई एन	एआरएन संख्या एवं तिथि	प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी -02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी -06 फार्म में आदेश की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹ में	विलम्ब की अवधि	विलम्ब के कारण	देय ब्याज का भुगतान ₹ में	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया ₹ में
1	**बद्दी**	**शिमला**	कैंपस एक्टिववेअर प्राइवेट लिमिटेड	02AAHCA3072C1ZD	AA020220000127E दिनांक 03-02-2020	03-02-2020	27-02-2020	04-05-2020	88,96,134	88,96,134	31	लागू नहीं	शून्य	45,334
2	**बद्दी**	**शिमला**	सन एड सोलर एनर्जी लिमिटेड	02ADEFS4784N1ZM	AA0203200028721 दिनांक 13-03-2020	13-03-2020	08-05-2020	07-07-2020	67,65,844	66,99,986	56	लागू नहीं	शून्य	61,677
3	**बद्दी**	**शिमला**	प्रीत रेमेडीज लिमिटेड	02AADCP4799B2ZJ	AA020320003887P दिनांक 17-03-2020	17-03-2020	17-06-2020	08-07-2020	46,45,995	40,14,849	53	लागू नहीं	शून्य	34,979
4	**बद्दी**	**शिमला**	स्कॉट-एडिल फार्माशिया लिमिटेड	02AAHCS1643K1ZH	AA020220007093A दिनांक 28-02-2020	28-02-2020	06-05-2020	08-05-2020	40,82,722	39,80,352	10	लागू नहीं	शून्य	6,543
5	**बद्दी**	**शिमला**	जेएसटीआई ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड	02AACCJ1285D1Z4	AA0202200071780 दिनांक 28-02-2020	28-02-2020	16-03-2020	06-05-2020	19,89,506	19,89,506	8	लागू नहीं	शून्य	2,616
6	**बद्दी**	**शिमला**	स्कॉट-एडिल फार्माशिया लिमिटेड	02AAHCS1643K1ZH	AA0202200071384 दिनांक 28-02-2020	28-02-2020	06-05-2020	13-05-2020	96,93,771	91,05,189	15	लागू नहीं	शून्य	22,451
7	**बद्दी**	**शिमला**	कोलंबस प्रीमियर शूज़ प्रा. लिमिटेड	02AADCP5685N1Z0	AA020320002944Y दिनांक 13-03-2020	13-03-2020	29-04-2020	27-05-2020	71,82,176	61,11,709	15	लागू नहीं	शून्य	15,070
8	**बद्दी**	**शिमला**	एफ्फी पेरेंटल्स	02AAPFA5004K1ZQ	AA020320000533B दिनांक 03-03-2020	03-03-2020	18-03-2020	25-06-2020	33,00,535	42,21,820	54	लागू नहीं	शून्य	37,476
9	**बद्दी**	**शिमला**	ऑप्टिमस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	02AAACO7014R1ZD	AA0210190050061 दिनांक 26-10-2019	26-10-2019	02-11-2019	31-12-2019	38,54,410	38,54,410	6	लागू नहीं	शून्य	3,802
10	**बद्दी**	**शिमला**	एफ्फी पेरेंटल्स	02AAPFA5004K1ZQ	AA020320000108C दिनांक 02-03-2020	02-03-2020	17-03-2020	14-07-2020	33,00,535	33,00,535	74	लागू नहीं	शून्य	40,149
11	**सिरमौर**	**शिमला**	सूर्या टेक्सटेक	AA020220005548X	02ABFFS6596M1ZL दिनांक 24-02-2020	24-02-2020	18-03-2020	04-05-2020	33,09,398	33,09,398	10	लागू नहीं	शून्य	5,440

क्र. सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआई एन	एआरएन संख्या एवं तिथि	प्रतिदाय आवेदन दाखिल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी -02 हेतु पावती जारी करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी -06 फार्म में आदेश की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹ में	विलम्ब की अवधि	विलम्ब के कारण	देय ब्याज का भुगतान ₹ में	ब्याज का भुगतान नहीं किया गया ₹ में
12	**सिरमौर**	**शिमला**	पुष्कर फार्मा	AA020220006993T	02AANFM8460D1ZD दिनांक 28-02-2020	28-02-2020	18-03-2020	30-05-2020	18,05,031	18,05,031	32	लागू नहीं	शून्य	9,495
13	**कूल्लू**	**शिमला**	परी एंटरप्राइजेस	02ANDPL1389B1ZI	AA0211190021507 दिनांक 10-11-2019	10-11-2019	10-11-2019	05-05-2020	9,218	9,218	117	लागू नहीं	शून्य	177
14	**बिलासपुर**	**शिमला**	मेसर्स भारत इलेक्ट्रिकल्स वर्क्स	02DQAPK0531H1ZJ	AA0202200055073 दिनांक 23-02-2020	23-02-2020	23-02-2020	20-06-2020	4,500	4,500	58	लागू नहीं	शून्य	43
15	**कांगड़ा**	**शिमला**	बेदी एंटरप्राइजेस	02AGTPB7104R1Z5	AA021219001671S दिनांक 07-12-2019	07-12-2019	07-01-2020	24-06-2020	31,022	31,022	140	लागू नहीं	शून्य	714
16	**सोलन**	**शिमला**	हिम ऑटो प्रोडक्ट्स लिमिटेड	02AAACH3748R1ZB	AA021219006569A दिनांक 21-12-2019	21-12-2019	21-12-2020	09-03-2020	1,31,430	1,31,430	19	लागू नहीं	शून्य	410
17	**सोलन**	**शिमला**	एज़ोट लाइफसाइंस	02AOWPT4974N1ZV	AA020220004650B दिनांक 19-02-2020	19-02-2020	04-05-2020	04-05-2020	38,62,957	38,62,957	15	लागू नहीं	शून्य	9,525
योग									**6,28,65,184**	**6,13,28,046**				**2,95,901**

परिशिष्ट-3.4

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.3)

प्रतिदाय मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (शून्य रेटेड आपूर्ति के कारण अनंतिम प्रतिदाय समय के भीतर स्वीकृत नहीं हुए)- प्री-ऑटोमेशन

मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	वस्तु व सेवा कर पहचान संख्या	आवेदन संदर्भ संख्या (एआरएन) एवं तिथि	मैनुअल फाइलिंग के मामले में प्रतिदाय आवेदन फाइल करने की तिथि	जीएसटी आरएफडी-02 के लिए पावती जारी करने की तिथि	फॉर्म जीएसटी आरएफडी -04 में अनंतिम प्रतिदाय की तिथि	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	स्वीकृत अनंतिम प्रतिदाय राशि ₹ में	विलम्ब की अवधि
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी	इंडोफार्म इक्विपमेंट लिमिटेड	02AAACW1982A1ZV	AA0203181478356/ 27.11.2018	27-11-2018	22-Dec-18	07-Jan-19	68,87,901	61,99,111	9

परिशिष्ट-3.5 (i)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.4)

प्रतिदाय दावों (सभी प्रकार के प्रतिदाय हेतु) के पश्चात् की लेखापरीक्षा विलम्ब से/संचालित न करना प्री-ऑटोमेशन

क्र.सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹ में
1	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, शिमला	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, शिमला	जेके इंटरप्राइजेज	02AVXPS3354F1ZA	3,68,802	3,68,802
2			आनंद मेडिकल स्टोर	02AGFPS2513P1ZB	48,758	48,758
3			चेन्नई नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	02AADCC8088Q1Z4	20,33,308	20,33,308
4			एस.के. इंटरप्राइजेज	02AIDPK6725B1ZV	68,460	68,460
5			न्यू शिमला एम्पोरियम	02ACEPK6664L1ZG	59,056	59,056
6			टोमक्या ट्रेडर्स	02ABNPS8079H1Z1	43,487	43,487
7			हिमाचल प्रदेश होर्टीकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी	02AABAH3797B1DB	14,10,631	14,10,631
8			स्टेट गवर्नमेंट एक्सईएन शिमला डिवीजन 1	02PTLS11694E1D0	3,81,977	38,19,77
9			मेसर्स रेणुका ट्रेडिंग कंपनी कोटखाई	02AQSPJ9880FIZ	1,00,228	1,00,228
10			मेसर्स श्री दीपक सानन निवासी पुरानी कोठी मशोबरा शिमला	02ADNPS3956M1ZY	45,000	45,000
11			मेसर्स वीसा इंटरप्राइजेज प्लॉट नं.-77, इंडस्ट्रियल एरिया, शोगी, शिमला	02BDXPS3571F2Z6	71,740	71,740
12			मैसर्स ऑसम ट्रिप्स प्रा. आनंद निवास, ढल्ली	02AAMCA2420P1ZA	97,475	97,475
13			मेसर्स संकेत हाइट्स डोगरा कमर्शियल	02AFVPK9665F1ZZ	36,986	36,986
14			मेसर्स विनायक बियरिंग्स एजेंसी, नियर पोस्ट ऑफिस, ढल्ली	02AHAPS6854R1ZQ	8,996	6,747
15			मेसर्स जगदीश बूट हाउस लोअर बाजार	02AKBPS8566L1ZP	60,000	60,000
16			मेसर्स मैक्स (मनोज कुमार शर्मा) सेंट्रल पार्क, बायपास रोड, कसुम्पटी, शिमला	02A2CPS1691L1Z6	48,318	48,318
17			मैसर्स एनएसएन फिनेंशिअल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बी-19, फेज-1 मेन रोड शिमला	02AACCN3047M1ZL	61,592	61,592
18			मेसर्स मैक्स (मनोज कुमार शर्मा) सेंट्रल पार्क, बायपास रोड, कसुम्पटी, शिमला	02A2CPS1691L1Z6	48,218	48,218

क्र.सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹ में
19			मैसर्स एक्सिक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउन्सिल, थियोग	02AAALE0390H1Z0	43,928	43,928
20			मैसर्स संजय खन्ना, खन्ना क्लॉथ हाउस, संजौली	02AGPPK9114L1Z6	29,744	29,744
21	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन	ब्लेसिंग हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	02AADCB1618F1ZE	38,606	13,094
22			जे.एस. एंटरप्राइजेस	02AASPM3951C1ZV	2,39,805	2,39,805
23			सप्त ऋषि पैकेजिंग लिमिटेड	02AAIFP8355P3ZM	56,480	56,480
24			निलोर्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	02AACCN7831P2Z6	1,08,673	1,08,673
25			अजोत लाइफसाइंस	02AOWPT4974NIZV	6,83,434	1,64,405
26			अजोत लाइफसाइंस	02AOWPT4974NIZV	7,01,148	3,28,663
27			अजोत लाइफसाइंस	02AOWPT4974NIZV	7,57,839	2,98,557
28			डाबर इंडिया लिमिटेड	02AAACD0474CIZH	33,77,879	33,77,879
29			एमएमसी हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	02AAECM3106E2Z8	9,68,074	9,19,636
30			ट्रिट्रोनिक्स प्रा. लिमिटेड	02AAACT3280G2ZQ	8,15,300	5,37,917
31			मिरेकल लाइफ केयर	02CMHPM9518C1Z	2,48,458	2,48,458
32			सोल्क्रोम प्रा. लिमिटेड	02AAACS0328J1ZU	2,59,756	2,59,756
33			गोकुल एग्री इंटरनेशनल लिमिटेड	02AAFCG6211K1ZX	37,54,777	37,54,777
34			गोपी नाथ एंड संस मुरारी मार्केट द मॉल सोलन	02AACFG8885D2ZG	15,905	15,905
35	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	यंगमैन सिंथेटिक्स	02AAAFY8750B2ZG	40,43,891	40,43,891
36			यंगमैन सिंथेटिक्स	02AAAFY8750B2ZG	64,51,285	64,51,285
37			यंगमैन सिंथेटिक्स	02AAAFY8750B2ZG	66,55,050	66,55,050
38			यंगमैन सिंथेटिक्स	02AAAFY8750B2ZG	38,26,533	38,26,533
39			सतगुरु प्रिंट और पैकर्स	02BSQPS9668K1ZQ	51,69,322	51,69,322
40			मार्स बॉटलर्स	02ALKPK1366Q2ZR	23,98,675	23,98,675
41			सी एंड सी कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड	02AAACC4543R2ZK	2,40,33,230	2,40,33,230
42			सतगुरु प्रिंट एंड पैकर्स	02BSQPS9668K1ZQ	51,69,322	51,69,322
43			सरुप इंडस्ट्रीज	02AABCS8749J2Z3	14,84,905	14,84,905
44			सरुप इंडस्ट्रीज	02AABCS8749J2Z3	2,37,849	2,37,849
45			सरुप इंडस्ट्रीज	02AABCS8749J2Z3	10,10,515	10,10,515
46			सरुप इंडस्ट्रीज	02AABCS8749J2Z3	5,77,775	5,77,775
47			विजय कुमार लॉ	02AAEPL1395B1ZA	57,004	57,004
48			हिम बायो एग्रो	02AAGFH2928G2ZP	15,18,868	8,94,521
49	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, नाहन	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, नाहन	मैरिको लिमिटेड	02AAACM7493G2ZI	3,09,96,233	3,09,96,233
50			एचएम स्टील्स लिमिटेड	02AABCH0164Q1ZO	68,07,835	68,07,835
51			सिदवाल टेक्नोलॉजीज	02ABIPS8247G1ZI	56,66,316	56,66,316
52			सूर्या टेक्सटेक	02ABFFS6596M1ZL	69,475	69,475
53			सूर्या टेक्सटेक	02ABFFS6596M1ZL	59,724	59,724
54			सिद्धि विनायक इंडस्ट्रीज	02ABRFS6609K1ZR	4,66,008	3,60,926
55			बिमल इंडस्ट्रीज	02ACEPK7246A1Z7	65,68,473	60,42,010
56			नांज मेड साइंस फार्मा	02AACN5552B1Z2	23,76,139	23,76,139

क्र.सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹ में
57			फार्मा फोर्स लैब	02AAHFP6700H1ZL	20,88,849	16,02,453
58			फार्मा फोर्स लैब	02AAHFP6700H1ZL	46,88,660	42,04,252
59			रिलेक्स फार्मा प्रा.लिमिटेड	02AAACR9253R2ZW	39,57,693	37,76,270
60			कोणार्क प्रोडक्ट	02AAJFK8082B1ZL	14,15,850	14,15,850
61			बिमल इंडस्ट्रीज यूनिट- II	02ACEPK7246A1Z7	19,59,435	19,59,435
62			विमल इंडस्ट्री	02AAFFV6407R1ZS	46,14,786	46,14,786
63			श्री बालाजी टेक्स फैब	02AADCFS1237J1ZE	1,55,650	1,55,650
64			सूर्या टेक्सटेक	02ABFFS6596M1ZL	54,60,705	54,60,705
65			विमल इंडस्ट्री	02AAFFV6407R1ZS	17,00,873	17,00,873
66			आल्प्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	02AAACH8801M1ZP	29,05,844	28,75,778
67			सूर्या टेक्सटेक	02ABFFS6596M1ZL	42,63,167	42,63,167
68			नांज मेड साइंस फार्मा	02AACN5552B1Z2	42,98,870	42,98,870
69			कोणार्क इंडस्ट्री	02AAJFK8082B1ZL	14,15,850	9,39,312
70			कोणार्क इंडस्ट्री	02AAJFK8082B1ZL	42,00,384	32,17,732
71			एथेंस लाइफसाइंस	02AAOFV7387B1ZZ	8,37,307	8,37,307
72			एथेंस लाइफसाइंस	02AAOFV7387B1ZZ	22,46,118	22,46,118
73			तिरुपति मेडिकेयर लिमिटेड	02AAACC6076B2Z9	1,09,733	1,09,733
74			निप्पॉन पेपर फूडपैक प्राइवेट लिमिटेड	02AABCM8267B1ZU	25,473	25,473
75			टारगेट कम्पोनेंट एंड इक्विपमेंट	02AAFFT7645B2ZG	56,494	56,494
76			पूजा कॉट्सपिन लिमिटेड	02AACCP5507G1ZV	7,20,406	7,20,406
77			मेडिपोल फार्मास्युटिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	02AABCM8501G2ZY	25,00,000	25,00,000
78			गुरुदेव मेहता कांट्रेक्टर एंड सप्लायर	02BQAPS1032F1ZJ	73,193	73,193
79			वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	02AABCM4692E1ZR	1,04,96,988	1,04,96,988
80	**राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी**	**राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी**	वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	02AABCM4692E1ZR	39,90,940	39,90,940
81			वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	02AABCM4692E1ZR	4,47,74,800	4,47,74,800
82			वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	02AABCM4692E1ZR	3,57,16,271	3,57,16,271
83			वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	02AABCM4692E1ZR	2,78,55,343	2,78,55,343
84			वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	02AABCM4692E1ZR	2,40,43,290	2,40,43,290
85			वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	02AABCM4692E1ZR	1,89,98,300	1,89,98,300
86			वीएमटी स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड	02AABCV8087C1ZH	90,93,734	90,93,734
87			इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड	02AAACW1982A1ZV	84,76,296	84,76,296
88			इनोवा कैपटैब	02AAFFV6014N2Z4	76,47,953	76,47,953
89			इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड	02AAACW1982A1ZV	68,87,901	68,87,901
90			इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड	02AAACW1982A1ZV	68,04,921	68,04,921
91			जेएसटीआई ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड	02AACCJ1285D1Z4	56,37,798	56,37,798
92			एक्मे जेनरिक एलएलपी	02ABCFA2649A1Z9	18,16,986	18,16,986

क्र.सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹ में
93			एक्मे जेनरिक एलएलपी	02ABCFA2649A1Z9	88,25,831	88,25,831
94			अंकित इंटरनेशनल	02AAMFA3178P1Z4	2,07,93,341	2,07,93,341
95			मेडिसेफ फार्मा	02AARFM0588N1ZR	1,88,39,304	1,88,39,304
96			थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	02AACCT2692J1ZC	1,50,63,576	1,50,63,576
97			थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	02AACCT2692J1ZC	1,47,80,608	1,47,80,608
98			ड्यूकोन इंडस्ट्रीज	02AAHFD0619D1Z7	1,42,22,663	1,42,22,663
99			ड्यूकोन इंडस्ट्रीज	02AAHFD0619D1Z7	13,27,6100	1,32,76,100
100			अंकित इंटरनेशनल	02AAMFA3178P1Z4	1,28,75,171	1,28,75,171
101			थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	02AACCT2692J1ZC	1,24,48,328	1,24,48,328
102			जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड	02AAACJ6956B1ZY	1,12,71,309	1,12,71,309
103			मेडिसेफ फार्मा	02AARFM0588N1ZR	1,10,68,403	1,10,68,403
104			थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	02AACCT2692J1ZC	1,10,16,350	1,10,16,350
105			इनोवा कैपटैब	02AAFFV6014N2Z4	1,04,54,241	1,04,54,241
106			लोगोस फार्मा	02AADFL5062A1Z2	1,04,23,075	1,04,23,075
107			थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	02AACCT2692J1ZC	98,73,309	98,73,309
108			किंग्स्टन एक्वा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	02AADCK4688A2ZU	98,29,845	98,29,845
109			स्कॉट-एडिल फार्माशिया लिमिटेड	02AAHCS1643K1ZH	97,71,796	97,71,796
110			कैंपस एक्टिववेअर प्राइवेट लिमिटेड	02AAHCA3072C1ZD	89,68,576	89,68,576
111			वर्धमान पॉलीटेक्स लिमिटेड	02AAACV5821H2ZN	89,25,448	89,25,448
112			थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	02AACCT2692J1ZC	88,65,248	88,65,248
113			लोगोस फार्मा	02AADFL5062A1Z2	85,67,985	85,67,985
114			कैंपस एक्टिववेअर प्राइवेट लिमिटेड	02AAHCA3072C1ZD	80,66,133	80,66,133
115			सेलिब्रिटी बायोफार्मा लिमिटेड	02AABCE5492Q1ZA	64,18,191	64,18,191
116			लोगोस फार्मा	02AADFL5062A1Z2	61,25,308	61,25,308
117			प्रीत रेमेडीज लिमिटेड	02AADCP4799B2ZJ	57,36,563	57,36,563
118			किंग्स्टन एक्वा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	02AADCK4688A2ZU	57,19,105	57,19,105
119			एएंजी लाइफसाइंस (आई) प्राइवेट लिमिटेड	02AAHCA5390H2ZT	56,27,297	56,27,297
120			लोगोस फार्मा	02AADFL5062A1Z2	55,32,721	55,32,721
121			सन एड सोलर एनर्जी एलएलपी	02ADEFS4784N1ZM	53,98,502	53,98,502
122			श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	02AAMCS5840H1ZC	53,45,357	53,45,357
123			जी.एम.एच. लेबोरेट्रीज	02ABFPG9454L1ZJ	52,46,264	52,46,264
124			सेलिब्रिटी बायोफार्मा लिमिटेड	02AABCE5492Q1ZA	51,67,230	51,67,230
125			वर्धमान पॉलीटेक्स लिमिटेड	02AAACV5821H2ZN	50,99,113	50,99,113
126			सेलिब्रिटी बायोफार्मा लिमिटेड	02AABCE5492Q1ZA	50,20,891	50,20,891
127			सन एड सोलर एनर्जी एलएलपी	02ADEFS4784N1ZM	50,16,073	50,16,073

क्र.सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹ में
128			कैंपस एक्टिववेअर प्राइवेट लिमिटेड	02AAHCA3072C1ZD	47,58,132	47,58,132
129			एक्मे जेनरिक एलएलपी	02ABCFA2649A1Z9	44,80,717	44,80,717
130			इनोवा कैपटैब	02AAFFV6014N2Z4	44,50,810	44,50,810
131			श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	02AAMCS5840H1ZC	42,39,451	42,39,451
132			सेलिब्रिटी बायोफार्मा लिमिटेड	02AABCE5492Q1ZA	42,16,816	42,16,816
133			श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	02AAMCS5840H1ZC	41,65,695	41,65,695
134			श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	02AAMCS5840H1ZC	40,78,078	40,78,078
135			लोगोस फार्मा	02AADFL5062A1Z2	37,15,070	37,15,070
136			सेलिब्रिटी बायोफार्मा लिमिटेड	02AABCE5492Q1ZA	36,71,415	36,71,415
137			जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड	02AAACJ6956B1ZY	35,26,584	35,26,584
138			शेरवोटेक फार्मास्यूटिकल्स (पहले मर्फी लाइटिंग्स के रूप में जाना जाता था)	02AAPFM6384A2ZD	35,06,596	35,06,596
139			प्रीत रेमेडीज लिमिटेड	02AADCP4799B2ZJ	34,22,142	34,22,142
140			जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड	02AAACJ6956B1ZY	33,96,114	33,96,114
141			सन एड सोलर एनर्जी एलएलपी	02ADEFS4784N1ZM	30,55,282	30,55,282
142			ड्यूकोन इंडस्ट्रीज	02AAHFD0619D1Z7	30,52,824	30,52,824
143			अलाइव हेल्थकेयर	02AANFA7812R1Z2	30,45,000	30,45,000
144			समा बायोटेक	02ABKFS9957K1ZH	28,46,000	28,46,000
145			एम एस पार्क फार्मास्यूटिकल्स	02AAJFP3473H1ZB	28,30,617	28,30,617
146			एरियन हेल्थकेयर	02AALFA7634D1ZT	25,50,000	25,50,000
147			पूजा कॉट्सपिन लिमिटेड	02AACCP5507G1ZV	24,49,765	24,49,765
148			प्लेना रेमेडीज	02AVUPK5123D1ZU	24,38,945	24,38,945
149			यूनिस्पीड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	02AAACU7620B2ZZ	24,37,046	24,37,046
150			मेडिसेफ फार्मा	02AARFM0588N1ZR	23,28,817	23,28,817
151			अंकित इंटरनेशनल	02AAMFA3178P1Z4	22,80,872	22,80,872
152			क्रेस्ट लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड	02AAGCC0680D1ZA	21,78,865	21,78,865
153			श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	02AAMCS5840H1ZC	21,54,988	21,54,988
154			वापी केयर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	02AAACV8291M1ZZ	21,43,048	21,43,048
155			जी.एम.एच. लेबोरेट्रीज	02ABFPG9454L1ZJ	21,24,644	21,24,644
156			अस्तम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	02AADCA9308H1Z0	20,99,967	20,99,967
157			जी.एम.एच. लेबोरेट्रीज	02ABFPG9454L1ZJ	19,98,253	19,98,253
158			अलाइव हेल्थकेयर	02AANFA7812R1Z2	19,16,277	19,16,277
159			एनरोस फार्मा	02AFYPA8167P1ZQ	18,02,934	18,02,934
160			सन एड सोलर एनर्जी एलएलपी	02ADEFS4784N1ZM	17,80,771	17,80,771
161			एम एस पार्क फार्मास्यूटिकल्स	02AAJFP3473H1ZB	17,24,368	17,24,368
162			एल्पेक्स सोलर प्राइवेट लिमिटेड	02AABCA0842N1Z0	16,88,062	16,88,062
163			एक्मे जेनरिक एलएलपी	02ABCFA2649A1Z9	16,80,327	16,80,327

क्र.सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	दावा की गई प्रतिदाय राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹ में
164			श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	02AAMCS5840H1ZC	15,99,345	15,99,345
165			जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड	02AAACJ6956B1ZY	31,31,839	31,31,839
166			वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	02AABCM4692E1ZR	26,20,987	26,20,987
167			अल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड	02AABCA9521E1Z9	1,04,222	1,04,222
योग					**83,60,45,066**	**83,04,43,313**

परिशिष्ट-3.5 (ii)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.4)

पोस्ट ऑडिट हेतु नहीं भेजे गए ऑनलाइन प्रतिदाय मामलों की सूची

क्र.सं.	मण्डल	जीएसटीआईएन	एआरएन	नाम	अवधि से	अवधि तक	प्रतिदाय दावे की राशि ₹ में
1	सिरमौर	02AABCG2367A2ZC	AA0201200050984	गिल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	-	-	5,23,446
2	सिरमौर	02AATFP2061M1Z0	AA0203200032954	प्रोटेक टेलीलिंक्स	01-02-2019	01-02-2019	2,28,41,074
3	सिरमौर	02AAJFK8082B1ZL	AA020120003256A	कोणार्क प्रोडक्ट	01-07-2019	01-07-2019	1,73,84,725
4	सिरमौर	02AAJFK8082B1ZL	AA021219001481V	कोणार्क प्रोडक्ट	01-08-2019	01-08-2019	1,25,10,705
5	सिरमौर	02AATFP2061M1Z0	AA0202200076607	प्रोटेक टेलीलिंक्स	01-10-2018	01-12-2018	85,71,174
6	सिरमौर	02AAFFV6407R1ZS	AA0211190010245	विमल इंडस्ट्रीज (आरईजीडी)	01-09-2019	01-09-2019	83,60,422
7	सिरमौर	02AAJFK8082B1ZL	AA021119001618M	कोणार्क प्रोडक्ट	01-06-2019	01-06-2019	46,25,257
8	सिरमौर	02AAACH8801M1ZP	AA021119002183Y	आल्प्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	01-09-2019	01-09-2019	43,78,787
9	सिरमौर	02ABZFS6012L1ZS	AA020320002359Z	सनवेट हेल्थकेयर	01-06-2018	01-09-2018	36,32,549
10	सिरमौर	02AATFP2061M1Z0	AA0212190000351	प्रोटेक टेलीलिंक्स	01-10-2017	01-12-2017	28,64,899
11	सिरमौर	02AATFP2061M1Z0	AA0202200003379	प्रोटेक टेलीलिंक्स	01-05-2018	01-05-2018	17,84,940
12	सिरमौर	02AAACR9253R2ZW	AA0206200027290	रिलैक्स फार्मा सेयुटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	01-03-2020	01-03-2020	1,79,50,362
13	सिरमौर	02AACCN0725G1Z3	AA0204200001593	नितिन लाइफसाइंसेस लिमिटेड	01-08-2018	01-08-2018	91,98,482
14	सिरमौर	02AADCM3639H2ZP	AA020620002735V	मेडिफोर्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	01-02-2020	01-02-2020	76,14,078
15	सिरमौर	02AACCN0725G1Z3	AA020220005304D	नितिन लाइफसाइंसेस लिमिटेड	01-05-2018	01-05-2018	63,01,694
16	सिरमौर	02AAACR9253R2ZW	AA020520000020O	रिलैक्स फार्मा सेयुटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	01-02-2020	01-02-2020	55,43,956
17	सिरमौर	02ABZFS6012L1ZS	AA020320003796S	सनवेट हेल्थकेयर	01-10-2018	01-01-2019	55,25,877
18	सिरमौर	02ABFFS6596M1ZL	AA021219001629H	सूर्या टेक्सटेक	01-07-2019	01-07-2019	54,33,589
19	सिरमौर	02ABZFS6012L1ZS	AA020520001520D	सनवेट हेल्थकेयर	01-10-2019	01-12-2019	49,39,964
20	सिरमौर	02ABFFS6596M1ZL	AA020220005548X	सूर्या टेक्सटेक	01-01-2020	01-01-2020	33,09,398
21	सिरमौर	02AANFR2696E1Z4	AA0204200003672	आर एस ए टेक्निटेक्स	01-02-2020	01-02-2020	31,74,747
22	सिरमौर	02AANFR2696E1Z4	AA020120000598Z	आर एस ए टेक्निटेक्स	01-11-2019	01-11-2019	30,78,411
23	सिरमौर	02AACCN5552B1Z2	AA020220001909V	नांज मेड साइंस फार्मा (प्रा.) लिमिटेड	01-05-2019	01-05-2019	26,87,938
24	सिरमौर	02AAICS5117K2ZE	AA021219006091X	सनवेट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	01-03-2019	01-03-2019	23,07,300
25	सिरमौर	02ABZFS6012L1ZS	AA0205200007143	सनवेट हेल्थकेयर	01-07-2019	01-09-2019	22,52,374
26	सिरमौर	02ABFFS6596M1ZL	AA021219001657I	सूर्या टेक्सटेक	01-09-2019	01-09-2019	19,29,766
27	सिरमौर	02AANFM8460D1ZD	AA020220006993T	पुष्कर फार्मा	01-12-2017	01-03-2018	18,05,031

क्र.सं.	मण्डल	जीएसटीआईएन	एआरएन	नाम	अवधि से	अवधि तक	प्रतिदाय दावे की राशि ₹ में
28	सिरमौर	02AANFV7960P1ZC	AA020620000686S	वेलिंटन हेल्थकेयर	01-12-2018	01-03-2019	17,25,676
29	सिरमौर	02AACCK5406H1Z0	AA020420000205E	ग्नोसिस फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	01-12-2018	01-12-2018	16,22,141
30	बद्दी	02ABDFS9952K1ZT	AA020120000779V	सरोज पैकेजिंग	01-06-2019	01-06-2019	12,590
31	बद्दी	02AAUFM1452A1ZQ	AA020620001688N	मैक्स फैब्रिक	01-03-2018	01-03-2018	8,92,589
32	बद्दी	02AABCG3365J3ZS	AA020620004586Q	गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-	-	1,54,798
33	बद्दी	02AAHCA5390H2ZT	AA020320003008B	एएनजी लाइफसाइंस (आई) प्राइवेट लिमिटेड	-	-	23,81,439
34	बद्दी	02AACCN3799E1ZJ	AA0201200053839	सीएमआई एनर्जी इंडिया प्रा. लिमिटेड	-	-	10,81,308
35	बद्दी	02AABCM4692E1ZR	AA0207200008311	वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	01-10-2019	01-03-2020	2,53,11,599
36	बद्दी	02AABCM4692E1ZR	AA021219006483M	वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	01-06-2019	01-09-2019	2,19,19,488
37	बद्दी	02AABCM4692E1ZR	AA0205200006822	वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	01-12-2019	01-12-2019	4,99,37,955
38	बद्दी	02BGLPK8333E1ZL	AA0205200017118	एमएन ओवरसीज	01-04-2020	01-04-2020	43,01,805
39	बद्दी	02AACCJ1285D1Z4	AA021219002761Q	जेएसटीआई ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड	01-03-2019	01-03-2019	20,48,743
40	बद्दी	02AABCS6174P1Z1	AA0203200040949	रीगल किचन फूड्स लिमिटेड	01-04-2018	01-06-2018	22,78,354
41	बद्दी	02AACCJ1285D1Z4	AA0202200071780	जेएसटीआई ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड	01-12-2018	01-01-2019	19,89,506
42	बद्दी	02AAHFK7881Q2ZM	AA020220004817X	केआरएम टायर्स	01-04-2018	01-03-2019	1,02,53,521
43	बद्दी	02AAHCS1643K1ZH	AA020520000819R	स्कॉट-एडिल फार्माशिया लिमिटेड	01-12-2019	01-12-2019	1,40,51,928
44	बद्दी	02AABCM4692E1ZR	AA020620001489P	वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	01-01-2020	01-01-2020	3,35,07,332
45	बद्दी	02AABCM4692E1ZR	AA020720000348W	वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	01-02-2020	01-02-2020	3,69,69,655
46	बद्दी	02ABCFA2649A1Z9	AA0203200000441	एक्मे जेनरिक एलएलपी	01-09-2019	01-09-2019	14,03,510
47	बद्दी	02AACCT2692J1ZC	AA020520003122F	थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	01-01-2020	01-01-2020	2,49,00,790
48	बद्दी	02AACCT2692J1ZC	AA0201200067830	थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	01-08-2019	01-08-2019	2,18,17,949
49	बद्दी	02AACCT2692J1ZC	AA020220004846W	थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	01-09-2019	01-09-2019	78,89,410

क्र.सं.	मण्डल	जीएसटीआईएन	एआरएन	नाम	अवधि से	अवधि तक	प्रतिदाय दावे की राशि ₹ में
50	बद्दी	02AABFU9404B1ZR	AA020220006971Z	अल्ट्राटेक फार्मास्युटिकल्स	01-04-2019	01-12-2019	76,84,190
51	बद्दी	02AAMCS5840H1ZC	AA020520001371A	श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	01-06-2019	01-06-2019	44,43,805
52	बद्दी	02ABFPG9454L1ZJ	AA021119002852P	जी.एम.एच. लेबोरेट्रीज	01-04-2019	01-06-2019	34,39,939
53	बद्दी	02AAHCA3072C1ZD	AA020220000127E	कैंपस एक्टिववेअर प्राइवेट लिमिटेड	01-10-2019	01-12-2019	88,96,134
54	बद्दी	02ADEFS4784N1ZM	AA0203200028721	सन एड सोलर एनर्जी एलएलपी	01-04-2019	01-09-2019	67,65,844
55	बद्दी	02AADCP4799B2ZJ	AA020320003887P	प्रीत रेमेडीज लिमिटेड	01-10-2019	01-12-2019	46,45,995
56	बद्दी	02AAHCS1643K1ZH	AA020220007093A	स्कॉट-एडिल फार्माशिया लिमिटेड	01-11-2019	01-11-2019	40,82,722
57	बद्दी	02AAHCS1643K1ZH	AA0202200071384	स्कॉट-एडिल फार्माशिया लिमिटेड	01-12-2019	01-12-2019	96,93,771
58	बद्दी	02AAMFA3178P1Z4	AA020120001561F	अंकित इंटरनेशनल	01-07-2019	01-09-2019	4,00,79,485
59	बद्दी	02AAJCS9364F1Z8	AA0204200008531	शिव बायोजेनिक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	01-04-2018	01-03-2019	2,92,18,304
60	बद्दी	02AACCT2692J1ZC	AA021219008254P	थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	01-07-2019	01-07-2019	2,58,64,872
61	बद्दी	02AACCT2692J1ZC	AA0204200003739	थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	01-10-2019	01-10-2019	2,28,53,452
62	बद्दी	02AARFM0588N1ZR	AA020220007518Y	मेडिसेफ फार्मा	01-09-2019	01-10-2019	1,05,51,827
63	बद्दी	02AARFM0588N1ZR	AA020220005008B	मेडिसेफ फार्मा	01-12-2019	01-12-2019	1,00,44,378
64	बद्दी	02AACCT2692J1ZC	AA020520002498R	थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	01-12-2019	01-12-2019	80,19,662
65	बद्दी	02AACCT2692J1ZC	AA020420000497X	थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	01-11-2019	01-11-2019	75,47,040
66	बद्दी	02AAHFD0619D1Z7	AA020620003756Q	ड्यूकोन इंडस्ट्रीज	01-02-2020	01-02-2020	75,12,783
67	बद्दी	02AAJCS9364F1Z8	AA020120004894X	शिव बायोजेनिक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	01-07-2017	01-12-2017	73,94,914
68	बद्दी	02AADCA9308H1Z0	AA0202200013477	अस्तम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	01-04-2019	01-08-2019	72,47,286
69	बद्दी	02AAMCS5840H1ZC	AA0205200005551	श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	01-04-2019	01-04-2019	99,16,094
70	बद्दी	02AAACJ6956B1ZY	AA0202200061294	जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड	01-01-2020	01-01-2020	65,34,533
71	बद्दी	02AADFL5062A1Z2	AA020120003181J	लोगोस फार्मा	01-11-2019	01-11-2019	63,10,319

क्र.सं.	मण्डल	जीएसटीआईएन	एआरएन	नाम	अवधि से	अवधि तक	प्रतिदाय दावे की राशि ₹ में
72	बद्दी	02AAACU7620B2ZZ	AA020520000557X	यूनिस्पीड फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	01-03-2020	01-03-2020	58,89,474
73	बद्दी	02AAJCS9364F1Z8	AA020220004558X	शिव बायोजेनिक फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	01-01-2018	01-03-2018	43,03,965
74	बद्दी	02AAPFM6384A2ZD	AA020120005155C	शेरवोटेक फार्मास्यूटिकल्स (पहले मर्फी लाइटिंग्स के रूप में जाना जाता था)	01-07-2019	01-09-2019	43,03,518
75	बद्दी	02ABCFA2649A1Z9	AA0201200051487	एक्मे जेनरिक एलएलपी	01-07-2019	01-07-2019	40,70,810
76	बद्दी	02AAACJ6956B1ZY	AA0201200009428	जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड	01-11-2019	01-11-2019	39,64,489
77	बद्दी	02AACCB3897K1ZJ	AA020720000972T	बायोजेनिटिक ड्रग्स प्रा. लिमिटेड	01-03-2019	01-03-2019	39,57,766
78	बद्दी	02AAHCA5390H2ZT	AA0201200022983	एएनजी लाइफसाइंस (आई) प्राइवेट लिमिटेड	01-10-2019	01-11-2019	38,73,921
79	बद्दी	02ADEFS4784N1ZM	AA021219008206Q	सन एड सोलर एनर्जी एलएलपी	01-01-2019	01-01-2019	36,61,954
80	बद्दी	02AAMCS5840H1ZC	AA020320004278Z	श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	01-02-2019	01-02-2019	50,32,316
81	बद्दी	02AAACJ6956B1ZY	AA0212190069791	जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड	01-10-2019	01-10-2019	34,79,336
82	बद्दी	02AARFM0588N1ZR	AA020120007774Y	मेडिसेफ फार्मा	01-07-2019	01-07-2019	34,72,165
83	बद्दी	02AAFCA3941C3ZB	AA0205200003935	एवेन्यू रेमेडीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	01-07-2017	01-03-2018	34,71,416
84	बद्दी	02AAHCA5390H2ZT	AA0206200012835	एएनजी लाइफसाइंस (आई) प्राइवेट लिमिटेड	01-02-2020	01-02-2020	33,56,674
85	बद्दी	02AAHCA3072C1ZD	AA0211190013405	कैंपस एक्टिववेअर प्राइवेट लिमिटेड	01-07-2019	01-09-2019	1,45,09,387
86	बद्दी	02AADCP5685N1Z0	AA020320002944Y	कोलंबस प्रीमियर शूज़ प्रा. लिमिटेड	01-10-2019	01-12-2019	71,82,176
87	बद्दी	02AAPFA5004K1ZQ	AA020320000533B	एफ्फी पैरेन्टेरल्स	01-07-2019	01-09-2019	42,45,896
88	बद्दी	02AAACO7014R1ZD	AA0210190050061	ऑप्टिमस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	01-12-2017	01-12-2017	38,54,410
89	बद्दी	02AAPFA5004K1ZQ	AA020320000108C	एफ्फी पैरेन्टेरल्स	01-04-2019	01-06-2019	33,00,535
90	बद्दी	02AAACJ6956B1ZY	AA021019005107X	जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड	01-09-2019	01-09-2019	51,31,112
91	बद्दी	02AAACJ6956B1ZY	AA0201200054853	जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड	01-12-2019	01-12-2019	33,65,524
92	कुल्लू	02ANDPL1389B1ZI	AA0211190021507	परी एंटरप्राइजेस	-	-	9218
93	ऊना	02AMQPM2016A1ZQ	AA0211190040820	गगनूर लाइफसाइंस	01-09-2018	01-09-2018	27,000

क्र.सं.	मण्डल	जीएसटीआईएन	एआरएन	नाम	अवधि से	अवधि तक	प्रतिदाय दावे की राशि ₹ में
94	ऊना	02AALPC9780C1ZX	AA0204200005090	ग्रिप एक्सपोर्ट	-	-	18,09,514
95	ऊना	02ABDFS0457R2ZW	AA021119009467F	एम एस स्विस गार्नियर लाइफसाइंस	01-04-2018	01-03-2019	1,08,14,477
96	ऊना	02AAAFY8750B2ZG	AA021219007346L	यंगमैन सिंथेटिक्स	01-11-2019	01-11-2019	60,28,678
97	ऊना	02AAAFY8750B2ZG	AA021119007505P	यंगमैन सिंथेटिक्स	01-10-2019	01-10-2019	44,13,125
98	ऊना	02AAAFY8750B2ZG	AA020320002610F	यंगमैन सिंथेटिक्स	01-01-2020	01-01-2020	42,97,507
99	ऊना	02AAAFY8750B2ZG	AA0203200053934	यंगमैन सिंथेटिक्स	01-02-2020	01-02-2020	28,14,735
100	ऊना	02AAAFY8750B2ZG	AA0201200071667	यंगमैन सिंथेटिक्स	01-12-2019	01-12-2019	24,92,874
101	बिलासपुर	02DQAPK0531H1ZJ	AA0202200055073	मेसर्स भारत इलेक्ट्रिकल वर्क्स	-	-	4,500
102	सोलन	02AAACH3748R1ZB	AA021219006569A	हिम ऑटो प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-	-	1,31,430
103	सोलन	02AABCL7528A2Z2	AA0206200001482	लेनस लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड	01-01-2019	01-03-2019	33,95,014
104	सोलन	02AOWPT4974N1ZV	AA020220004650B	एज़ोट लाइफसाइंस	01-07-2019	01-09-2019	38,62,957
105	शिमला	02AACCT5231D1Z0	AA021119000196T	तेजसर्णिका हाइड्रो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	01-06-2019	01-07-2019	60,588
106	शिमला	02ABPFS3915G1Z7	AA020120007480B	समस्त ट्रक ओपी यूनियन	-	-	7,28,396
107	कांगड़ा	02AGTPB7104R1Z5	AA021219001671S	बेदी एंटरप्राइजेस	01-07-2017	01-07-2017	31,022
108	कांगड़ा	02BWSPS5436D1ZD	AA021219002802S	क्वालिटी शू स्टोर	01-10-2019	01-10-2019	2,100
109	कांगड़ा	02AAIFV1693A2ZH	AA0202200038532	विक्ट्री ऑइल ग्राम उद्योग असोसिएशन	-	-	54,08,818
110	कांगड़ा	02AACFR9306A1ZU	AA0207200000090D	रीसर्च एंड इंस्ट्रूमेंट सर्विस	-	-	4,36,514
111	कांगड़ा	02AAYFS1954M2ZJ	AA0203200032863	संजय वीविंग इंडस्ट्रीज	01-02-2020	01-02-2020	10,60,358
112	कांगड़ा	02AACFR9306A1ZU	AA0204200004745	रीसर्च एंड इंस्ट्रूमेंट सर्विस	01-03-2019	01-03-2019	15,20,557
योग							**82,95,06,606**

परिशिष्ट-3.6 (i)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.5)

प्रतिदाय मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (एफओबी मूल्य के स्थान पर चालान मूल्य पर विचार करने के कारण अतिरिक्त प्रतिदाय) प्री-ऑटोमेशन

मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	जीएसटी आरएफडी - 06 फार्म में आदेश की तिथि	प्रतिदाय की गई अधिक राशि ₹ में		
						एकीकृत वस्तु व सेवा कर	केन्द्रीय वस्तु व सेवा कर	राज्य वस्तु व सेवा कर
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी	इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड	02AAACW1982A1ZV	AA020918012219C/ 28.02.2019	03.07.2019	0	19,75,306	0

परिशिष्ट-3.6 (ii)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.5)

माल के जीरो रेट सप्लाई के मामले में अधिक प्रतिदाय अनुमत करने को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	आरएफडी 01 के अनुसार शून्य रेटेड आपूर्ति ₹ में	आरएफडी 01 के अनुसार समायोजित टर्नओवर ₹ में	दावा किया गया निवल इनपुट कर क्रेडिट ₹ में	आरएफडी 06 के अनुसार स्वीकृत प्रतिदाय ₹ में	जीएसटीआर 3बी के अनुसार जीरो रेटेड आपूर्ति ₹ में	जीएसटीआर 3बी के अनुसार समायोजित कारोबार ₹ में	अनुलग्नक बी के अनुसार निवल इनपुट कर क्रेडिट ₹ में	अनुमत अधिकतम प्रतिदाय ₹ में	अनुमत अतिरिक्त प्रतिदाय ₹ में	टिप्पणियां
1	**बद्दी**	**शिमला**	रीगल किचन फूड्स लिमिटेड	02AABCS6174P1Z1	AA0203200040949 दिनांक 18.03.2020	8,35,89,523	9,95,39,898	27,13,105	21,46,680	6,33,90,322	10,84,94,480	27,13,105	1,58,51,92	5,61,488	अतिरिक्त प्रतिदाय का कारण शून्य रेटेड आपूर्ति और RFD01 और GSTR 3B में समायोजित कारोबार के आंकड़ों में भिन्नता है।
योग														**5,61,488**	

परिशिष्ट-3.7

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.6)

प्रतिदाय मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (कर अवधि के अंत में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में न्यूनतम शेष राशि पर विचार न करने के कारण अधिक प्रतिदाय देना) प्री-ऑटोमेशन

मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	फॉर्म जीएसटी आरएफडी-06/04 में अंतिम/अनंतिम प्रतिदाय की तिथि	विभाग द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹ में	बोर्ड के परिपत्र संख्या 59 के अनुसार स्वीकार्य वापसी राशि ₹ में	अतिरिक्त प्रतिदाय की अनुमति ₹ में
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी	**राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी**	श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट केयर	02AAMCS5840H1ZC	AA020218002345V/ 18.03.2019	29.04.2019	15,99,345	13	15,99,332
		श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट केयर	02AAMCS5840H1ZC	AA0203180062120/ 23.03.2019	29.04.2019	53,45,357	0	53,45,357
		अंकित इंटरनेशनल	02AAMFA3178P1Z4	AA020918019818V/ 25.04.2019	11.07.2019	1,28,75,171	1,22,67,235	6,07,936
		एरियन हेल्थकेयर	02AALFA7634D1ZT	AA020819006687Z/ 30.08.2019	30.08.2019	25,50,000	22,63,661	2,86,339
योग						**2,23,69,873**	**1,45,30,909**	**78,38,964**

परिशिष्ट-3.8 (i)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.7)

प्रतिदाय के मामलों की सूची जिनमें कमी देखी गई (इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के प्रतिदाय की अनियमित अनुमति)

मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन नंबर	एआरएन संख्या एवं तिथि	फॉर्म GST RFD-06 में अंतिम वापसी की तिथि	निवल इनपुट कर क्रेडिट में विभाग द्वारा मानी गई सेवाओं का इनपुट कर क्रेडिट	विभाग द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय राशि ₹ में			प्रतिदाय की अनियमित अनुमति ₹ में		
							आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन	ब्लेसिंग हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	02AADCB1618F1ZE	AA0210190001816/ 01-10-2019	09.10.2019	शून्य	0	0	13,094	0	0	9,420
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, नाहन	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, नाहन	बिमल इंडस्ट्रीज यूनिट- II	02ACEPK7246A1Z7	AA0207171911087/ 28.03.2018	05.09.2019	शून्य	19,59,435	0	0	5,10,544	0	0

परिशिष्ट-3.8 (ii)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.7)

GSTR-3B के अनुसार (RFD 01 में निर्धारिती द्वारा दावा किया गया प्रतिदाय) विवरण 1A / संलग्नक B के अनुसार गणना की गई

क्र. सं.	स्थान	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	वापसी की कर अवधि	समायोजित कारोबार ₹ में	केवल इनपुट पर इनपुट कर क्रेडिट ₹ में	प्रतिदाय स्वीकृत ₹ में	समायोजित कारोबार ₹ में	नेट इनपुट कर क्रेडिट ₹ में	नेट इनपुट कर क्रेडिट निर्धारिती द्वारा घोषित इनपुट पर ₹ में	माल पर उल्टे शुल्क का कारोबार ₹ में	उल्टे माल पर देय कर ₹ में	प्रतिदाय की अनुमति दी जानी चाहिए ₹ में	अतिरिक्त प्रतिदाय दी गई ₹ में
1	सिरमौर	02ABZFS6012L1ZS	AA020320003796S दिनांक 17.03.2020	अक्तूबर 2018 से जनवरी 2019	12,43,68,287	1,88,16,995	55,25,877	12,69,08,524	1,89,72,212	1,88,16,995	12,36,23,128	1,30,81,171	52,48,691	2,77,185
2	सिरमौर	02ABZFS6012L1ZS	AA0203200002359Z दिनांक 11.03.2020	जून 2018 से सितम्बर 2018	11,40,06,583	1,60,48,067	36,32,549	11,59,41,492	1,62,17,745	1,60,48,067	10,91,63,115	1,16,57,499	34,52,338	1,80,211
3	सिरमौर	02AAFFV6407R1ZS	AA0211190010245 दिनांक 06.11.2019	सितम्बर 2019	3,17,35,707	1,21,84,319	83,60,422	3,25,62,010	1,21,84,319	1,21,84,319	3,25,62,010	39,03,301	82,81,018	79,404
4	सिरमौर	02ABFFS6596M1ZL	AA021219001629H दिनांक	जुलाई 2019	6,47,06,201	1,31,93,649	54,33,588	6,47,31,942	94,30,722	1,31,93,649	6,47,31,942	77,63,150	16,67,572	37,66,016
5	सिरमौर	02AAACH8801M1ZP	AA021119002183Y दिनांक 11.11.2019	सितम्बर 2019	6,97,71,490	1,37,14,536	43,78,787	7,01,56,728	1,41,08,125	1,37,14,536	5,75,76,728	69,09,207	43,46,137	32,650
6	सिरमौर	02ABFFS6596M1ZL	AA021219001657I दिनांक 7.12.2019	सितम्बर 2019	6,25,51,562	94,30,722	19,29,766	6,34,26,629	94,64,162	94,30,722	6,32,40,832	75,83,669	18,19,428	1,10,338

क्र. सं.	स्थान	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	वापसी की कर अवधि	समायोजित कारोबार ₹ में	केवल इनपुट पर इनपुट कर क्रेडिट ₹ में	प्रतिदाय स्वीकृत ₹ में	समायोजित कारोबार ₹ में	नेट इनपुट कर क्रेडिट ₹ में	नेट इनपुट कर क्रेडिट निर्धारिती द्वारा घोषित इनपुट पर ₹ में	माल पर उल्टे शुल्क का कारोबार ₹ में	उल्टे माल पर देय कर ₹ में	प्रतिदाय की अनुमति दी जानी चाहिए ₹ में	अतिरिक्त प्रतिदाय दी गई ₹ में
7	सिरमौर	02AATFP2061M1Z0	AA0202200076607 दिनांक 29-02-2020	अक्तूबर 2019 से दिसंबर 2019	15,95,22,143	2,62,68,323	85,71,174	16,64,81,320	2,61,55,457	2,62,68,323	16,64,75,992	1,90,34,790	71,19,830	14,51,344
8	बद्दी	02AABFU9404B1ZR	AA0202200006971Z दिनांक 28-02-2020	अप्रैल 2019 से दिसंबर 2019	31,07,49,772	4,40,69,332	76,84,190	31,44,40,312	4,40,69,332	4,40,69,332	31,41,30,524	3,69,16,686	71,09,228	5,74,962
9	बद्दी	02AADCA9308H1Z0	AA0202200013477 दिनांक 07-02-2020	अप्रैल 2019 से अगस्त 2019	11,53,29,596	2,08,65,126	72,47,286	11,56,72,904	2,08,65,126	2,08,65,126	11,51,82,214	1,35,70,713	72,05,902	41,384
					1,05,27,41,341	17,45,91,069	5,27,63,639	1,07,03,21,861	17,14,67,200	17,45,91,069	1,04,66,86,485	12,04,20,185	4,62,50,145	65,13,494

परिशिष्ट-3.9 (i)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.8)

आवश्यक दस्तावेजों के बिना स्वीकृत प्रतिदाय दावों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन नंबर	एआरएन संख्या एवं तिथि	दावा की गई प्रतिदाय की राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय की राशि ₹ में	स्वीकृत की तिथि	संलग्न नहीं आवश्यक दस्तावेज
1	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, बद्दी	वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड	02AABCM4692E1ZR	AA02081833502R/ 22.12.2018	2,40,43,290	2,40,43,290	15.01.2019	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बिना
2			मेडिसेफ फार्मा	02AARFM058891ZR	AA020319174695Z/ 21.05.2019	1,10,68,403	1,10,68,403	10.06.2019	विवरण I, GSTRFR-01, जावक आपूर्ति विवरण फ़ाइल में उपलब्ध नहीं हैं
3			मेडिसेफ फार्मा	02AARFM058891ZR	AA0211180638871/ 07.03.2019	1,88,39,304	1,88,39,304	04.04.2019	विवरण I, GSTRFR-01, जावक आपूर्ति विवरण फ़ाइल में उपलब्ध नहीं हैं
4			लोगोस फार्मा	02AADFL5062A1Z2	AA020918004283H/ 08.01.2019	37,15,070	37,15,070	16.02.2019	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बिना
5			लोगोस फार्मा	02AADFL5062A1Z2	AA021118056300W/ 09.01.2019	55,32,721	55,32,721	16.02.2019	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बिना
6			वापी केयर फार्मा	02AAACV8291M1ZZ	AA0209190003035L/ 13.09.2019	21,43,048	21,43,048	25.09.2019	बिना किसी दस्तावेज़ के केवल प्रतिदाय आदेश पर
7			थिओन फार्मा लिमिटेड	02AACCT2692JIZC	AA021218183008G/ 20.04.2019	98,73,309	98,73,309	29.04.2019	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, GSTR-1 और जावक आपूर्ति विवरण उपलब्ध नहीं हैं
8			थिओन फार्मा लिमिटेड	02AACCT2692JIZC	AA0210801315W/ 17.04.2019	1,50,63,576	1,50,63,576	29.04.2019	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, GSTR-1 और जावक आपूर्ति विवरण उपलब्ध नहीं हैं

क्र. सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन नंबर	एआरएन संख्या एवं तिथि	दावा की गई प्रतिदाय की राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय की राशि ₹ में	स्वीकृत की तिथि	संलग्न नहीं आवश्यक दस्तावेज
9			थिओन फार्मा लिमिटेड	02AACCT2692JIZC	AA0211180676178/ 19.04.2019	1,47,80,608	1,47,80,608	29.04.2019	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, GSTR-1 और जावक आपूर्ति विवरण उपलब्ध नहीं हैं
10			थिओन फार्मा लिमिटेड	02AACCT2692JIZC	AA0206190025320/ 15.06.2019	88,65,248	88,65,248	06.07.2019	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, GSTR-1 और जावक आपूर्ति विवरण उपलब्ध नहीं हैं
11			थिओन फार्मा लिमिटेड	02AACCT2692JIZC	AA0207180934806/ 12.0.2019	1,10,16,350	1,10,16,350	25.04.2019	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, GSTR-1 और जावक आपूर्ति विवरण उपलब्ध नहीं हैं
12			थिओन फार्मा लिमिटेड	02AACCT2692JIZC	AA0207190064578/ 29.07.2019	1,24,48,328	1,24,48,328	09.08.2019	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और जावक आपूर्ति विवरण के बिना
13			ड्यूकोन इंडस्ट्रीज	02AAHFD0619D1Z7	AA020319163281J/ 09.05.2019	1,32,76,100	1,32,76,100	09.05.2019	विवरण I, GSTRFR-01 और इलेक्ट्रॉनिक लेज़र फ़ाइल में उपलब्ध नहीं हैं
14	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सिरमौर स्थित नाहन	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सिरमौर स्थित नाहन	विमल इंडस्ट्रीज	02AAFFV6407R1ZS	AA020619002891E/ 18.06.2019	46,14,786	46,14,786	16.07.2019	उस अवधि के इलेक्ट्रॉनिक लेज़र के बिना जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है।
15			श्री बालाजी टेक्स फैब	02AADCFS1237J1ZE	AA0206180138682/ 10.06.2019	1,55,650	1,55,650	19.07.2019	उस अवधि के इलेक्ट्रॉनिक लेज़र के बिना जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है।
16			सूर्या टेक्सटेक	02ABFFS6596M1ZL	AA020819003365E/ 17.08.2019	54,60,705	54,60,705	30.08.2019	उस अवधि के इलेक्ट्रॉनिक लेज़र के बिना जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है।
17			विमल इंडस्ट्रीज	02AAFFV6407R1ZS	AA0212181210604/ 21.01.2019	17,00,873	17,00,873	12.02.2019	उस अवधि के इलेक्ट्रॉनिक लेज़र के बिना जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है।
18			आल्प्स कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	02AAACH8801M1ZP	AA020819002128H/ 10.08.2019	2,90,5,844	28,75,778	23.08.2019	उस अवधि के इलेक्ट्रॉनिक लेज़र के बिना जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है।

क्र. सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन नंबर	एआरएन संख्या एवं तिथि	दावा की गई प्रतिदाय की राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय की राशि ₹ में	स्वीकृत की तिथि	संलग्न नहीं आवश्यक दस्तावेज
19			सूर्या टेक्सटेक	02ABFFS6596M1ZL	AA0203191690776/ 09.05.2019	42,63,167	42,63,167	22.05.2019	उस अवधि के इलेक्ट्रॉनिक लेज़र के बिना जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है।
20			नांज मेड साइंस फार्मा	02AACN5552B1Z2	AA020819003257D/ 16.08.2019	42,98,870	42,98,870	28.08.2019	उस अवधि के इलेक्ट्रॉनिक लेज़र के बिना जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है।
21			कोणार्क प्रोडक्ट	02AAJFK8082B1ZL	AA0210170003858Y/ 15.01.2019	14,15,850	9,39,312	06.03.2019	उस अवधि के इलेक्ट्रॉनिक लेज़र के बिना जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है।
22			कोणार्क प्रोडक्ट	02AAJFK8082B1ZL	AA020719003871D/ 18.07.2019	42,00,384	32,17,732	22.08.2019	उस अवधि के इलेक्ट्रॉनिक लेज़र के बिना जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है।
23	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	यंगमैन सिंथेटिक्स	02AAAFY8750B2ZG	AA020119084651H/ 18.08.2019	38,26,533	38,26,533	04.09.2019	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र फ़ाइल में उपलब्ध नहीं हैं
24	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन	मेसर्स जे.एस. एंटरप्राइजेस	02AASPM3951C1ZV	AA020219000095W	2,39,805	2,39,805	02-09-2019	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, GSTR-1 और जावक आपूर्ति विवरण उपलब्ध नहीं हैं
25	राज्य कराधान एवं आबकारी	राज्य कराधान एवं आबकारी	जेके इंटरप्राइजेज	02AVXPS3354F1ZA	AA0210180032350/ 21.10.2018	3,68,802	3,68,802	30-01-2019	बिना किसी सहायक दस्तावेज के
26			न्यू शिमला एम्पोरियम	02ACEPK6664L1ZG	AA0207180028782/ 18.07.2018	59,056	59,056	30-01-2019	बिना किसी सहायक दस्तावेज के

क्र. सं.	मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन नंबर	एआरएन संख्या एवं तिथि	दावा की गई प्रतिदाय की राशि ₹ में	स्वीकृत प्रतिदाय की राशि ₹ में	स्वीकृत की तिथि	संलग्न नहीं आवश्यक दस्तावेज
27	उपायुक्त, शिमला	उपायुक्त, शिमला	टोमक्या ट्रेडर्स	02ABNPS8079H1Z1	AA021217003031A/ 19.12.2017	43,487	43,487	28-03-2018	बिना किसी सहायक दस्तावेज के
28			हिमाचल प्रदेश होर्टीकल्चर डेवेलोपमेंट सोसायटी	02AABAH3797B1DB	AA0207190003181/ 02.07.2019	14,10,631	14,10,631	15-07-2020	बिना किसी सहायक दस्तावेज के
29			आनंद मेडिकल स्टोर	02AGFPS2513P1ZB	AA020917130140S/ 30.10.2018	48,758	48,758	28-01-2019	बिना किसी सहायक दस्तावेज के
30			स्टेट गवर्नमेंट एक्सईएन शिमला डिवीजन 1	02PTLS11694E1D0	AA020619005711L/ 29.06.2019	3,81,977	3,81,977	03-09-2019	बिना किसी सहायक दस्तावेज के

परिशिष्ट-3.9 (ii)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.8)

उचित अधिकारी से प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवश्यक दस्तावेजों की कमी को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	मण्डल	जीएसटीआईएन	निर्धारिती का नाम	एआरएन	प्रतिदाय अवधि	प्रतिदाय की श्रेणी	प्रतिदाय की राशि	परिपत्र संख्या 125/44/2019-जीएसटी दिनांक 22.11.2019 के अनुसार उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक दस्तावेज						
								धारा 54(3) के तहत घोषणा	16(2)(c) के अनुसार उपक्रम	विवरण 1 (एक्सएलएस में) (इनवर्टेड सप्लाय)	विवरण 1ए (इनवर्टेड सप्लाय)	जीएसटीआर 2ए	अनुलग्नक बी	अनुलग्नक बी में उल्लिखित चालानों की स्व-प्रमाणित प्रतियां
1	बद्दी	02AACCT2692J1ZC	थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	AA020520003122F	1/2020	INVITC	24900790	हां	हां	हां	अधूरा	हां	हां	अधूरा
2	बद्दी	02AACCT2692J1ZC	थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	AA020120067830	8/2019	INVITC	21817949	हां	हां	अनुचित	हां	हां	हां	अधूरा
3	बद्दी	02AACCT2692J1ZC	थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	AA020220004846W	9/2019	INVITC	7889410	हां	हां	अधूरा	हां	हां	हां	हां
4	बद्दी	02AABFU9404B1ZR	अल्ट्राटेक फार्मास्युटिकल्स	AA020220006971Z	4/19 to 12/19	INVITC	7684190	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं
5	बद्दी	02AAMCS5840H1ZC	श्रीराम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	AA020520001371A	6/19	INVITC	3986023	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	अधूरा

क्र. सं.	मण्डल	जीएसटीआईएन	निर्धारिती का नाम	एआरएन	प्रतिदाय अवधि	प्रतिदाय की श्रेणी	प्रतिदाय की राशि	परिपत्र संख्या 125/44/2019-जीएसटी दिनांक 22.11.2019 के अनुसार उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक दस्तावेज						
								धारा 54(3) के तहत घोषणा	16(2)(c) के अनुसार उपक्रम	विवरण 1 (एक्सएलएस में) (इनवर्टेड सप्लाय)	विवरण 1ए (इनवर्टेड सप्लाय)	जीएसटीआर 2ए	अनुलग्नक बी	अनुलग्नक बी में उल्लिखित चालानों की स्व-प्रमाणित प्रतियां
6	बद्दी	02ABFPG9454L1ZJ	जी.एम.एच. लेबोरेट्रीज	AA021119002852P	4/19 to 6/19	INVITC	3439939	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
7	बद्दी	02AAHCA3072C1ZD	कैंपस एक्टिववेअर प्राइवेट लिमिटेड	AA020220000127E	10/19 to 12/19	INVITC	8896134	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं
8	बद्दी	02ADEFS4784N1ZM	सन एड सोलर एनर्जी एलएलपी	AA0203200028721	4/19 to 9/19	INVITC	6699986	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां
9	बद्दी	02AADCP4799B2ZJ	प्रीत रेमेडीज लिमिटेड	AA020320003887P	10/10 12/19	INVITC	4014849	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं
10	बद्दी	02AAHCS1643K1ZH	स्कॉट-एडिल फार्माशिया लिमिटेड	AA020220007093A	11/19	INVITC	3980352	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं
11	बद्दी	02AAHCS1643K1ZH	स्कॉट-एडिल फार्माशिया लिमिटेड	AA0202200071384	12/19	INVITC	9105189	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
12	बद्दी	02AAMFA3178P1Z4	अंकित इंटरनेशनल	AA020120001561F	7/19 to 9/19	INVITC	40079485	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
13	बद्दी	02AAJCS9364F1Z8	शिव बायोजेनिक	AA0204200008531	3/19	INVITC	29218304	हां	नहीं	N	हां	हां	हां	हां

क्र. सं.	मण्डल	जीएसटीआईएन	निर्धारिती का नाम	एआरएन	प्रतिदाय अवधि	प्रतिदाय की श्रेणी	प्रतिदाय की राशि	परिपत्र संख्या 125/44/2019-जीएसटी दिनांक 22.11.2019 के अनुसार उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक दस्तावेज						
								धारा 54(3) के तहत घोषणा	16(2)(c) के अनुसार उपक्रम	विवरण 1 (एक्सएलएस में) (इनवर्टेड सप्लाय)	विवरण 1ए (इनवर्टेड सप्लाय)	जीएसटीआर 2ए	अनुलग्नक बी	अनुलग्नक बी में उल्लिखित चालानों की स्व-प्रमाणित प्रतियां
			फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड											
14	बद्दी	02AACCT2692J1ZC	थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	AA021219008254P	7/19	INVITC	25864872	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां
15	बद्दी	02AACCT2692J1ZC	थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	AA0204200003739	10/19	INVITC	19295811	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां
16	बद्दी	02AARFM0588N1ZR	मेडिसेफ फार्मा	AA0202200 07518Y	9/19 to 10/19	INVITC	10551827	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं
17	बद्दी	02AARFM0588N1ZR	मेडिसेफ फार्मा	AA0202200 05008B	12/19	INVITC	10044378	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां
18	बद्दी	02AACCT2692J1ZC	थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	AA0205200 02498R	12/19	INVITC	8019662	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
19	बद्दी	02AACCT2692J1ZC	थियोन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	AA0204200 00497X	11/19	INVITC	7547040	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
20	बद्दी	02AAHFD0619D1Z7	ड्यूकोन इंडस्ट्रीज	AA0206200 03756Q	2/2020	INVITC	7512783	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां

क्र. सं.	मण्डल	जीएसटीआईएन	निर्धारिती का नाम	एआरएन	प्रतिदाय अवधि	प्रतिदाय की श्रेणी	प्रतिदाय की राशि	परिपत्र संख्या 125/44/2019-जीएसटी दिनांक 22.11.2019 के अनुसार उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक दस्तावेज						
								धारा 54(3) के तहत घोषणा	16(2)(c) के अनुसार उपक्रम	विवरण 1 (एक्सएलएस में) (इनवर्टेड सप्लाय)	विवरण 1ए (इनवर्टेड सप्लाय)	जीएसटीआर 2ए	अनुलग्नक बी	अनुलग्नक बी में उल्लिखित चालानों की स्व-प्रमाणित प्रतियां
		जीएसटीआईएन	निर्धारिती का नाम	एआरएन	प्रतिदाय अवधि	प्रतिदाय की श्रेणी	प्रतिदाय की राशि	धारा 54(3) के तहत घोषणा	16(2)(c) के अनुसार उपक्रम	विवरण3	विवरण 3ए	जीएसटीआर 2ए	अनुलग्नक बी	शिपिंग बिल्स
21	बद्दी	02AABCM4692E1ZR	वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड	AA020520000 6822	12/19	EXPWOP	49937955	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
22	बद्दी	02BGLPK8333E1ZL	एमएन ओवरसीज	AA020520001 7118	4/2020	EXPWOP	4301805	गैर मौजूद डीलर		अन्य प्रतिदाय सत्यापित करने के लिए				
23	बद्दी	02AACCJ1285D1Z4	जेएसटीआई ट्रांसफॉर्मर्स प्राइवेट लिमिटेड	AA021219002761Q	3/19	EXPWOP	2048743	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
24	बद्दी	02ABCFA2649A1Z9	एक्मे जेनरिक एलएलपी	AA020320000044I	9/19	EXPWP	1403510	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां
योग							**318240986**							

परिशिष्ट-3.10

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.10)

राज्य कर प्राधिकरण से प्राप्त प्रतिदाय आदेशों के संबंध में डेटा (प्रतिपक्ष कर प्राधिकरण को प्रतिदाय आदेशों को संप्रेषित करने में असामान्य विलम्ब)

क्र. सं.	आयुक्तालय का नाम	निर्धारिती का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन संख्या एवं तिथि	फॉर्म जीएसटी - RFD-04 में अनंतिम प्रतिदाय आदेश जारी करने की तिथि	फॉर्म जीएसटी में प्रतिदाय स्वीकृति आदेश जारी करने की तिथि - आरएफडी-06	स्वीकृत प्रतिदाय की कुल राशि ₹ में			राज्य नोडल अधिकारी से केन्द्रीय नोडल अधिकारी को प्रतिदाय आदेश प्राप्त होने की तिथि	अग्रेषण में विलम्ब
							आईजीएसटी	सीजीएसटी	उपकर		
1	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	हिम बायो एग्रो	02AAGFH2928G2ZP	AA020318011477J/ 01.05.2019	19-06-2020	15,713	8,78,808	0	18-07-2020	22
2	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, शिमला	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, शिमला	जेके इंटरप्राइजेज	02AVXPS3354F1ZA	AA021018003235 0/ 21.10.2018	21-10-2018	0	0	3,68,802	27-03-2019	49
3			न्यू शिमला एम्पोरियम	02ACEPK6664L1ZG	AA020718002878 2/ 18.07.2018	18-07-2018	59,056	0	0	27-03-2019	49
4			आनंद मेडिकल स्टोर	02AGFPS2513P1ZB	AA020917130140 S/ 30.10.2018	30-10-2018	48,758	0	0	13-02-2019	9

परिशिष्ट-3.11

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.11)

अभिलेख प्रस्तुत न करना - प्री-ऑटोमेशन

मण्डल का नाम	आयुक्तालय का नाम	लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए अभिलेखों (फाइलों/रजिस्टरों) की संख्या	लेखापरीक्षा में प्राप्त नहीं हुए अभिलेखों (फाइलों/रजिस्टरों) की संख्या	प्रस्तुत न करने के कारण
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन	14	1	फाइल सीजीएसटी को भेज दी गई है
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, ऊना	15	1	
राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, शिमला	राज्य कराधान एवं आबकारी उपायुक्त, शिमला	20	2	

परिशिष्ट-3.12

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.12)

ऐसे मामलों को दर्शाने वाला विवरण जहां समय पर प्रतिदाय स्वीकृत की गई लेकिन भुगतान सूचना देर से जारी की गई

क्र. सं.	मण्डल	जीएसटीआईएन	एआरएन	एआरएन_डीटी	नाम	प्रतिदाय_आरएसएन	इस अवधि से	इस अवधि तक	एसीके_ डीटी	स्वीकृति_ दिनांक	डीटी_ आरएफडी 05	पीएमटीएएमटीडीटी_आरएफडी 05 ₹ में	दिनों में विलम्ब (60 दिनों से अधिक)	ब्याज @ 6% प्रति वर्ष ₹ में
1	सिरमौर	02AATFP2061M1Z0	AA020220007660 7	29-02-2020	प्रोटेक टेलीलिंक्स	INVITC	01-10-2018	01-12-2018	03-03-2020	03-03-2020	07-07-2020	85,71,174	69	97,218
2	कांगड़ा	02AAYFS1954M2ZJ	AA020320003286 3	15-03-2020	संजय वीविंग इंडस्ट्रीज	EXPWOP	01-02-2020	01-02-2020	17-03-2020	13-04-2020	23-05-2020	10,60,358	9	1,569
3	बद्दी	02AAHCA3072C1ZD	AA021119001340 5	07-11-2019	कैंपस एक्टिववेअर प्राइवेट लिमिटेड	INVITC	01-07-2019	01-09-2019	15-11-2019	10-12-2019	06-03-2020	1,45,09,387	60	1,43,106
योग												**2,41,40,919**		**24,18,93**

परिशिष्ट-3.13 (i)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.13)

मैसर्स आरएसए टेक्नीटेक्स के मामले में निवल इनपुट कर क्रेडिट में पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट कर क्रेडिट को शामिल करने के कारण अतिरिक्त प्रतिदाय दिखाने की गणना

मण्डल का नाम	फर्म का नाम	जीएसटीआईएन	एआरएन एवं तिथि		माल की इनवर्टेड सप्लाई दरों का टर्नओवर (1) ₹ में	ऐसी इनवर्टेड सप्लाई दरों पर देय कर (2) ₹ में	समायोजित कुल टर्नओवर (3) ₹ में	निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट (4) ₹ में	स्वीकृत अधिकतम प्रतिदाय राशि (5) =((1)*(4)/(3))-(2) ₹ में
सिरमौर	मेसर्स आरएसए टेक्नीटेक्स	02AANFR2696E1Z4	AA0204200003672 दिनांक 13-4-2020	RFD 01 या RFD-06 के अनुसार	4,52,96,552	54,25,590	4,53,31,552	86,06,982	31,74,747
				पूंजीगत वस्तुओं पर इनपुट कर क्रेडिट की कटौती के बाद अनुमत प्रतिदाय	4,52,96,552	54,25,590	4,53,31,552	84,77,622 *अनुबंध बी के अनुसार	30,45,487
				अनुमत अतिरिक्त प्रतिदाय					**1,29,260/-**

परिशिष्ट-3.13 (ii)

(सन्दर्भ: परिच्छेद 3.7.13)

निवल इनपुट कर क्रेडिट में सेवाओं पर इनपुट कर क्रेडिट को शामिल करने के कारण इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर संचित इनपुट कर क्रेडिट के अधिक प्रतिदाय को दर्शाने वाला विवरण

						आरएफडी-01 के अनुसार				अनुलग्नक बी के अनुसार			
क्र.सं.	स्थान	जीएसटीईन	एआरएन एवं एआरएन की तिथि	प्रतिदाय की कर अवधि	नाम	समायोजित टर्नओवर ₹ में	इनवर्टेड ड्यूटी माल का टर्नओवर ₹ में	इनवर्टेड ड्यूटी माल पर देय कर ₹ में	निर्धारिती द्वारा इनपुट कर क्रेडिट का दावा ₹ में	इनपुट पर निवल इनपुट कर क्रेडिट ₹ में	विभाग द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय ₹ में	अनुमत प्रतिदाय ₹ में	प्रदत्त अतिरिक्त प्रतिदाय ₹ में
1	बद्दी	02AACCT2692 J1ZC	AA020120006 7830 दिनांक 25-01-2020	अगस्त 2019	थिओन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	34,54,60,335	34,50,19,845	3,29,63,279	5,60,28,445	5,46,28,489	2,18,17,949	2,15,95,554	2,22,394
2	बद्दी	02AACCT2692 J1ZC	AA020520002 498R दिनांक 27-05-2020	दिसंबर 2019	थिओन फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	37,60,56,102	37,58,37,502	3,99,25,741	4,79,73,291	4,38,28,140	80,19,663	38,76,922	41,42,741
योग													**43,65,136**

परिशिष्ट-5.1

(सन्दर्भ: परिच्छेद 5.10.1)

राज्य गुणवत्ता प्रबंधन विंग द्वारा स्थिति के अनुसार कार्य का अनुमानित मूल्य (फरवरी 2020)

क्र.सं.	मद/घटक मदें	अनुमान/समझौते के अनुसार दायरा (आइटम में)	समझौते के अनुसार दर	पूर्णता की प्रतिशत स्थिति	भुगतान राशि (₹)
1	**खुदाई में मिट्टी का काम**			**40 प्रतिशत कार्य**	**40 प्रतिशत कार्य**
1.1	उत्खनन	96503 घन मीटर	110 घन मीटर	38601.2	42,46,132
2	**संविदा मांग कार्य**			**10 प्रतिशत कार्य**	**10 प्रतिशत कार्य**
2.1	नींव की खुदाई	1019.10 घन मीटर	240	101.91	24,458
2.2	सी.सी 1:3:6	367.43 घन मीटर	4000	36.74	1,46,960
2.3	बैकफिलिंग	391.72 घन मीटर	500	39.17	19, 585
2.4	आर/आर चिनाई 1:3 व फर्श	1048.61 घन मीटर	3200	104.86	3,35,552
2.5	सूखी चिनाई	114.24 घन मीटर	3800 प्रति घन मीटर	11.42	43,396
2.6	पाइप एनपी 2	215 रनिंग मीटर	4500 प्रति रनिंग मीटर	21.5	96,750
				योग	**49,12,833**

परिशिष्ट-5.2

(सन्दर्भ: परिच्छेद: 5.13)

कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से चल रही परियोजनाओं पर शास्ति एवं वसूली का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं	कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी	स्वीकृति की तारीख	शास्ति	वसूली
1.	कार्डिएक रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन	अगस्त 2017	5.50	अपूर्ण
2.	हेराउड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	मई 2017	5.50	पूर्ण
3.	मानव विकास एवं सेवा संस्थान	अगस्त 2017	5.50	पूर्ण
4.	मास इन्फोटेक सोसायटी	मई 2017	5.50	पूर्ण
5.	ओरियन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	मई 2017	0.50	पूर्ण
6.	पावर टू एम्पावर स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड	अगस्त 2017	0.50	पूर्ण
7.	स्मार्ट ब्रेन्स	मई 2017	0.50	पूर्ण
8.	संवित एजुकेशन ट्रस्ट	अगस्त 2017	5.50	अपूर्ण
9.	टीम लीज सर्विस इंडिया लिमिटेड	मई 2017	-	-
योग			**29.00**	

परिशिष्ट-6.1

(सन्दर्भ: परिच्छेद 6.3)

मांग शुल्क के परिहार्य भुगतान का विवरण

(राशि ₹ में)

माह	मीटर संख्या	अनुबंध मांग	अनुबंध मांग का 90 प्रतिशत	वास्तविक खपत	प्रस्तावित कमी/ कम की गई अनुबंध मांग	अनुबंध मांग का 90 प्रतिशत	वास्तविक खपत	मांग शुल्क की दरें	भुगतान किया गया मांग शुल्क	संशोधित अनुबंध मांग के अनुसार देय मांग शुल्क	परिहार्य भुगतान
उठाऊ जलापूर्ति योजना, गुम्मा											
जून-18	1112605289	4557.77	4101.99	2415.6	1500	1350	2415.6	400	1640797	966240	674557
जुलाई-18		4557.77	4101.99	707.6	1500	1350	707.6	400	1640797	540000	1100797
अगस्त-18		4557.77	4101.99	बिल अनुपलब्ध	1500	1350	बिल अनुपलब्ध	400	1640797	540000	1100797
सितम्बर-18		4557.77	4101.99	0	1500	1350	0	400	1640797	540000	1100797
अक्टूबर-18		4557.77	4101.99	0	1500	1350	0	400	1640797	540000	1100797
नवंबर-18		4557.77	4101.99	0	1500	1350	0	400	1640797	540000	1100797
दिसंबर-18		4557.77	4101.99	0	1500	1350	0	400	1640797	540000	1100797
जनवरी-19		4557.77	4101.99	0	1500	1350	0	400	1640797	540000	1100797
फरवरी-19		4557.77	4101.99	0	1500	1350	0	400	1640797	540000	1100797
मार्च-19		4557.77	4101.99	बिल अनुपलब्ध	1500	1350	बिल अनुपलब्ध	400	1640797	540000	1100797
अप्रैल-19		4557.77	4101.99	1575	1500	1350	1575	400	1640797	630000	1010797
मई-19		4557.77	4101.99	1625	1500	1350	1625	400	1640797	650000	990797
जून-19		4557.77	4101.99	1625	1500	1350	1625	400	1640797	650000	990797
जुलाई-19		4557.77	4101.99	1650	1500	1350	1650	300	1230598	495000	735598

माह	मीटर संख्या	अनुबंध मांग	अनुबंध मांग का 90 प्रतिशत	वास्तविक खपत	प्रस्तावित कमी/ कम की गई अनुबंध मांग	अनुबंध मांग का 90 प्रतिशत	वास्तविक खपत	मांग शुल्क की दरें	भुगतान किया गया मांग शुल्क	संशोधित अनुबंध मांग के अनुसार देय मांग शुल्क	परिहार्य भुगतान
अगस्त-19		4557.77	4101.99	0	1500	1350	0	300	1230598	405000	825598
सितम्बर-19		4557.77	4101.99	525	1500	1350	525	300	1230598	405000	825598
अक्टूबर-19		4557.77	4101.99	1625	1500	1350	1625	300	1230598	487500	743098
नवंबर-19		4557.77	4101.99	1625	1500	1350	1625	300	1230598	487500	743098
दिसंबर-19		4557.77	4101.99	बिल अनुपलब्ध	1500	1350	बिल अनुपलब्ध	300	1230598	405000	825598
जनवरी-20		4557.77	4101.99	1650	1500	1350	1650	300	1230598	495000	735598
फरवरी-20		4557.77	4101.99	1650	1500	1350	1650	300	1230598	495000	735598
मार्च-20		4557.77	4101.99	1700	1500	1350	1700	300	1230598	510000	720598
अप्रैल-20		4557.77	4101.99	1825	1500	1350	1825	300	1230598	547500	683098
योग (क)									**33636341**	**12488740**	**21147601**
अगस्त-18	112605290	5868.61	5281.75	बिल अनुपलब्ध	4000	3600	बिल अनुपलब्ध	400	2112700	1440000	672700
सितम्बर-18		5868.61	5281.75	3625	4000	3600	3625	400	2112700	1450000	662700
अक्टूबर-18		5868.61	5281.75	3625.4	4000	3600	3625.4	400	2112700	1450160	662540
नवंबर-18		5868.61	5281.75	3922.1	4000	3600	3922.1	400	2112700	1568840	543860
दिसंबर-18		5868.61	5281.75	3948	4000	3600	3948	400	2112700	1579200	533500
जनवरी-19		5868.61	5281.75	4012	4000	3600	4012	400	2112700	1604800	507900
फरवरी-19		5868.61	5281.75	3886	4000	3600	3886	400	2112700	1554400	558300
मार्च-19		5868.61	5281.75	बिल अनुपलब्ध	4000	3600	बिल अनुपलब्ध	400	2112700	1440000	672700

माह	मीटर संख्या	अनुबंध मांग	अनुबंध मांग का 90 प्रतिशत	वास्तविक खपत	प्रस्तावित कमी/ कम की गई अनुबंध मांग	अनुबंध मांग का 90 प्रतिशत	वास्तविक खपत	मांग शुल्क की दरें	भुगतान किया गया मांग शुल्क	संशोधित अनुबंध मांग के अनुसार देय मांग शुल्क	परिहार्य भुगतान
अप्रैल-19		5868.61	5281.75	3728.9	4000	3600	3728.9	400	2112700	1491560	621140
मई-19		5868.61	5281.75	3807	4000	3600	3807	400	2112700	1522800	589900
जून-19		5868.61	5281.75	3807	4000	3600	3807	400	2112700	1522800	589900
जुलाई-19		5868.61	5281.75	3810	4000	3600	3810	300	1584525	1143000	441525
अगस्त-19		5868.61	5281.75	0	4000	3600	0	300	1584525	1080000	504525
सितम्बर-19		5868.61	5281.75	3870	4000	3600	3870	300	1584525	1161000	423525
अक्टूबर-19		5868.61	5281.75	3750	4000	3600	3750	300	1584525	1125000	459525
नवंबर-19		5868.61	5281.75	3750	4000	3600	3750	300	1584525	1125000	459525
दिसंबर-19		5868.61	5281.75	3860	4000	3600	3860	300	1584525	1158000	426525
जनवरी-20		5868.61	5281.75	3980	4000	3600	3980	300	1584525	1194000	390525
फरवरी-20		5868.61	5281.75	3980	4000	3600	3980	300	1584525	1194000	390525
मार्च-20		5868.61	5281.75	3690	4000	3600	3690	300	1584525	1107000	477525
अप्रैल-20		5868.61	5281.75	2750	4000	3600	2750	300	1584525	1080000	504525
योग (ख)									**39084950**	**27991560**	**11093390**
उठाऊ जलापूर्ति योजना, अश्विनी खड्ड											
जुलाई-19	12383282	718	646.2	320	400	360	320	300	193860	108000	85860
अगस्त-19		718	646.2	बिल अनुपलब्ध	400	360	बिल अनुपलब्ध	300	193860	108000	85860
सितम्बर-19		718	646.2	बिल अनुपलब्ध	400	360	बिल अनुपलब्ध	300	193860	108000	85860
अक्टूबर-19		718	646.2	340	400	360	340	300	193860	108000	85860
नवंबर-19		718	646.2	360	400	360	360	300	193860	108000	85860

माह	मीटर संख्या	अनुबंध मांग	अनुबंध मांग का 90 प्रतिशत	वास्तविक खपत	प्रस्तावित कमी/ कम की गई अनुबंध मांग	अनुबंध मांग का 90 प्रतिशत	वास्तविक खपत	मांग शुल्क की दरें	भुगतान किया गया मांग शुल्क	संशोधित अनुबंध मांग के अनुसार देय मांग शुल्क	परिहार्य भुगतान
दिसंबर-19		718	646.2	350	400	360	350	300	193860	108000	85860
जनवरी-20		718	646.2	347.3	400	360	347.3	300	193860	108000	85860
फरवरी-20		718	646.2	362.1	400	360	362.1	300	193860	108630	85230
मार्च-20		718	646.2	337.6	400	360	337.6	300	193860	108000	85860
अप्रैल-20		718	646.2	350	400	360	350	300	193860	108000	85860
मई-20		718	646.2	बिल अनुपलब्ध	400	360	बिल अनुपलब्ध	300	193860	108000	85860
जून-20		718	646.2	बिल अनुपलब्ध	400	360	बिल अनुपलब्ध	300	193860	108000	85860
जुलाई-20		718	646.2	बिल अनुपलब्ध	400	360	बिल अनुपलब्ध	300	193860	108000	85860
योग (ग)									**2520180**	**1404630**	**1115550**
जून-19	12249906	1470	1323	364.1	400	360	364.1	400	529200	145640	383560
जुलाई-19		1470	1323	बिल अनुपलब्ध	400	360	बिल अनुपलब्ध	300	396900	108000	288900
अगस्त-19		1470	1323	362.1	400	360	362.1	300	396900	108630	288270
सितम्बर-19		1470	1323	बिल अनुपलब्ध	400	360	बिल अनुपलब्ध	300	396900	108000	288900
अक्टूबर-19		1470	1323	367	400	360	367	300	396900	110100	286800
नवंबर-19		1470	1323	बिल अनुपलब्ध	400	360	बिल अनुपलब्ध	300	396900	108000	288900
दिसंबर-19		1470	1323	366.6	400	360	366.6	300	396900	109980	286920

माह	मीटर संख्या	अनुबंध मांग	अनुबंध मांग का 90 प्रतिशत	वास्तविक खपत	प्रस्तावित कमी/ कम की गई अनुबंध मांग	अनुबंध मांग का 90 प्रतिशत	वास्तविक खपत	मांग शुल्क की दरें	भुगतान किया गया मांग शुल्क	संशोधित अनुबंध मांग के अनुसार देय मांग शुल्क	परिहार्य भुगतान
जनवरी-20		1470	1323	367.8	400	360	367.8	300	396900	110340	286560
फरवरी-20		1470	1323	369	400	360	369	300	396900	110700	286200
मार्च-20		1470	1323	367.5	400	360	367.5	300	396900	110250	286650
अप्रैल-20		1470	1323	370	400	360	370	300	396900	111000	285900
मई-20		1470	1323	बिल अनुपलब्ध	400	360	बिल अनुपलब्ध	300	396900	108000	288900
जून-20		1470	1323	बिल अनुपलब्ध	400	360	बिल अनुपलब्ध	300	396900	108000	288900
जुलाई-20		1470	1323	बिल अनुपलब्ध	400	360	बिल अनुपलब्ध	300	396900	108000	288900
योग (घ)									**5159700**	**1419000**	**3740700**
सकल योग (क+ख+ग+घ)											**37097241**

परिशिष्ट-6.2

(सन्दर्भ: परिच्छेद 6.3)

उठाऊ जलापूर्ति योजना, गुम्मा व गिरि में कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	माह/ वर्ष	उठाऊ जलापूर्ति योजना, गुम्मा में कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार				उठाऊ जलापूर्ति योजना, गिरि में कम वोल्टेज आपूर्ति अधिभार	
		मीटर संख्या 1112605289	मीटर संख्या 1112605290	मीटर संख्या 1112605291	मीटर संख्या. 1112605293	मीटर संख्या HPU00318	मीटर संख्या HPU00204
1.	जून 2018	18806	567101	562656	429646	118993	116789
2.	जुलाई 2018	19979	620850	656822	455196	57007	56637
3.	अगस्त 2018	0	0	0	0	64512	72159
4.	सितंबर 2018	0	0	0	0	125449	124741
5.	अक्टूबर 2018	0	0	0	0	229218	231038
6.	नवंबर 2018	0	0	0	0	228765	232120
7.	दिसंबर 2018	0	0	0	0	283522	284658
8.	जनवरी 2019	0	0	0	0	200098	199840
9.	फरवरी 2019	0	0	0	0	167541	170097
10.	मार्च 2019	0	0	0	0	189540	183747
11.	अप्रैल 2019	0	0	0	0	207532	217907
12.	मई 2019	0	0	0	0	156901	281020
13.	जून 2019	88227	702853	519613	640922	171867	----
14.	जुलाई 2019	41094	662183	527960	49872	197868	194435
15.	अगस्त 2019	24650	703880	605548	43524	181897	178482
16.	सितंबर 2019	25819	758978	614136	40761	155536	179704
17.	अक्टूबर 2019	35375	795844	602696	34658	213410	213410
18.	नवंबर 2019	29326	726009	586327	38338	202297	200664
19.	दिसंबर 2019	0	745108	606506	37996	204363	202867
20.	जनवरी 2020	34024	831091	620810	43835	178638	169422
21.	फरवरी 2020	57931	698564	629200	388241	169131	168766
22.	मार्च 2020	93636	664733	591284	415440	196329	168849
23.	अप्रैल 2020	95289	619674	551957	395716	171087	176757
24.	मई 2020	547	616339	567167	46966	174400	261194
25.	जून 2020	475	625465	619377	50552	195597	108414
26.	जुलाई 2020	631	600900	----	497987	257653	186247
27.	अगस्त 2020	649	584947	531865	519334	165777	225574
28.	सितंबर 2020	607	593306	586033	437798	250134	245508
29.	अक्टूबर 2020	643	676133	663443	482059	178821	182536
30.	नवंबर 2020	852	817896	638733	475692	204912	200850
31.	दिसंबर 2020	854	799441	688497	476192	227052	218228
32.	जनवरी 2021	917	849570	658386	496907	201867	244810
33.	फरवरी 2021	805	770920	558996	429299	208454	198649
34.	मार्च 2021	883	842582	639495	474862	254343	240279
योग		**572019**	**16874367**	**13827507**	**7401793**	**6390511**	**6336398**
सकल योग		**51402595**					

©भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
https://cag.gov.in